चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 4

सोमवार, 20 अक्तूबर, 2008
28 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament
Room
Block 'G'
Acc. No. 35-4
Dated

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 20 अक्तूबर, 2008/28 आश्विन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	2-44
अतारांकित प्रश्न संख्या 163 से 392	44-552
सभा पटल पर रखे गए पत्र	553, 561-593
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत की असैनिक नाभिकीय पहल	
श्री प्रणब मुखर्जी	555-560
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	593
संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष के विनिश्चय	594-596
प्राक्कलन समिति	
18वां प्रतिवेदन	597
लोक सभा के सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	598
रेल अभिसमय समिति	
9वां प्रतिवेदन	598
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
17वां प्रतिवेदन	598
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
62वां से 66वां प्रतिवेदन	599
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
30वां प्रतिवेदन	600
रेल संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 37वां से 39वां प्रतिवेदन	600
(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	601

विषय कॉलम

वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

छठा से 8वां प्रतिवेदन 601

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) नारियल विकास बोर्ड 602

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति 603

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम. 603

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09 604

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008 604

(दो) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2008 606

अध्यक्ष द्वारा बधाई

बीजिंग ओलम्पिक में भारत का प्रदर्शन, टेस्ट क्रिकेट और
पुणे में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेलों में उपलब्धि 606

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

विश्व में चल रहे वित्तीय संकट और भारत पर इसका प्रभाव

डा. मनमोहन सिंह 618-622

सदस्यों द्वारा निवेदन

महाराष्ट्र में रेलवे बोर्ड की परीक्षा के दौरान उत्तर भारतीय छात्रों पर
हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के बारे में. 625-648

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 649-650

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 649-662

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 663-664

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 663-666

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 20 अक्तूबर, 2008/28 आश्विन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने प्रश्न-काल को निलंबित करने की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मैम्बर्स सुनिये।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

(इस समय श्री अकबर अहमद डम्पी और श्री इलियास आजमी आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जाइए। हम एक-एक करके आपको सुनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है हाउस में? समझते नहीं हैं। कोई नोटिस नहीं है, कुछ बताया नहीं है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री गणेश प्रसाद सिंह और श्री राजेश कुमार मांझी आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री नारायण चन्द्र बरकटकी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, सारा देश देख रहा है। मैं नहीं समझता कि आप लोग संसद को चलने देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

किसानों को लाभकारी मूल्य

*21. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में पर्याप्त सुधार न होने के कारण किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं तथा अधिकतम लाभ दलाल और बिचौलिए कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) किसानों को दलालों, साहूकारों तथा जमींदारों से बचाने तथा उन्हें पर्याप्त लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने यह जानने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पर्याप्त लाभ किसानों को मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) उन्नत विपणन अवसरों के जरिए किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए, सरकार ने कृषि में मंडी सुधारों को लागू करने के लिए बहुत सी पहले की हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए मॉडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम (एपीएमसी अधिनियम) बनाया था तथा वर्ष 2003 में सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को परिचालित किया था ताकि मौजूदा विपणन प्रणालियों में कुशलता लाई जा सके और निजी मंडियों की अनुमति दी जा सके और वैकल्पिक विपणन सरणियों जैसे प्रत्यक्ष विपणन, संविदा कृषि, ई-ट्रेडिंग आदि का विकास किया जा सके। सुधारों की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने भी मॉडल एपीएमसी नियमावली तैयार की है और इसे नवम्बर, 2007 में अपनाए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को परिचालित किया है। अब तक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों की संबंधित राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी संशोधित एपीएमसी नियमावली अधिसूचित कर दी है जबकि मध्य प्रदेश और हरियाणा ने नियमावली में आंशिक रूप से संशोधन किया है। चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है, अत: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि जहां कहीं आवश्यक हो, वे एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करें। ताकि किसानों को प्रत्यक्ष विपणन, संविदा कृषि और सहकारी तथा निजी क्षेत्र में मंडिया स्थापित करके वैकल्पिक विपणन चैनल प्रदान किए जा सकें और जिससे वे कृषि उत्पाद के लिए सर्वोत्तम लाभप्रद मूल्य दिलाने वाले चैनल का चयन कर सकें।

(ग) बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने और किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्रालय ने निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं ताकि मूल्य से संबंधित सूचना का प्रसार किया जा सके और कृषि विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जा सके, ताकि किसानों के लिए विपणन की वैकल्पिक सरणियों का बढ़ावा दिया जा सके:-

(i) मार्च, 2000 में कृषि मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित केन्द्रीय क्षेत्र की विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य देश भर में फैली महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन मंडियों को इलेक्ट्रानिक कनेक्टिविटी प्रदान करके राष्ट्र व्यापी सूचना नेटवर्क, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और निदेशालयों की स्थापना करना है। यह स्कीम इस उद्देश्य से शुरू की गई कि उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को अपने क्रय और विक्रय का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए मूल्यों और मंडी से संबंधित आंकड़ों के कुशल और समय पर उपयोग के लिए उनका संकलन और प्रसार किया जा सके और मौजूदा मंडी सूचना प्रणाली में प्रभावकारी सुधार करके विपणन में कुशलता बढ़ाई जा सके।

(ii) दिनांक 1.4.2001 से ''ग्रामीण गोदामों का निर्माण'' नामक पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमियों के आधार पर 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत राजसहायता और पूर्वोत्तर में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 33.33 प्रतिशत की राजसहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में — किसानों की कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कृषि आदान का भण्डारण करने आदि जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समवर्गी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण करना और रेहन (प्लेज) ऋण और विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके मजबूरी में बिक्री को रोकना शामिल हैं।

(iii) कृषि मंत्रालय भी सुधार से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ''कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण'' क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, निवेश राजसहायता सभी राज्यों में प्रत्येक परियोजना के लिए विपणन अवसंरचना विकास परियोजना की पूंजी लागत पर 25 प्रतिशत की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए प्रत्येक परियोजना के 33.3 प्रतिशत की दर से दी जाती है। राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में, इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली राजसहायता की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(iv) देश के महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में फलों, सब्जियों और अन्य शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य के लिए आधुनिक टर्मिनल मंडियों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है। ये मंडिया इलेक्ट्रानिक नीलामी, शीत श्रृंखला और संभार तंत्र के लिए "आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं" की व्यवस्था करेंगी तथा किसानों को आसानी से पहुंचने के लिए उत्पादन क्षेत्रों में सुविधाजनक स्थान पर प्राथमिक संकलन केन्द्रों के जरिए कार्य करेंगी। इन टर्मिनल मंडियों का "हब-एण्ड-स्पोक" फार्मेट में कार्य करना परिकल्पित है, जिसमें टर्मिनल मंडी (हब) को बहुत से संकलन केन्द्रों (स्पोक) से जुड़ जाएगा, जो किसानों को अपने उत्पाद के विपणन के लिए उसे आसानी से पहुंचाने के लिए मुख्य उत्पादन केन्द्रों में सुविधाजनक स्थान पर बनाए जाएंगे।

(v) सरकार प्रमुख कृषिगत जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी निर्धारित करती है और सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्य आयोजित करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों के विचार और अन्य सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न कृषिगत जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

(घ) और (ङ) इन सभी स्कीमों को शामिल करने वाला कोई भी विशिष्ट अध्ययन नहीं हुआ है। तथापि, राज्यों द्वारा निर्धारित एजेंसियों द्वारा लागू किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार द्वारा किसानों को खरीदारी के माध्यम से प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन उपलब्ध कराने के अलावा उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में उचित मूल्य मेनटेन करने में सहायता मिलती है।

विवरण

30.9.2008 की स्थिति के अनुसार कृषिगत मंडियों (एपीएमसी) में सुधार की प्रगति

क्रमांक	सुधार अवस्था	राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम
1.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम प्रत्यक्ष विपणन; संविदा खेती और निजी/सहकारी क्षेत्रों में बाजार सुधार चुका है।	आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, और त्रिपुरा।
2.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में आंशिक सुधार हुआ है।	*(क) प्रत्यक्ष विपणन:* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली *(ख) संविदा खेती:* हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़ *(ग) निजी बाजार:* पंजाब और चण्डीगढ़
3.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इस प्रकार सुधार की आवश्यकता नहीं है।	बिहार*, केरल, मणिपुर, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप
4.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम पहले से ही सुधार का प्रावधान करता है।	तमिलनाडु।
5.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां सुधार हेतु प्रशासनिक कार्य शुरू हो चुके हैं।	मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, झारखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश।

*1.9.2006 से एपीएमसी अधिनियम रदद् कर दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबन्धन

*22. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अलावा हाल ही में निजी फंड प्रबंधकों को भी इस कार्य पर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत बोलियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ईपीएफ के प्रबंधन हेतु इन कंपनियों के साथ किन निबंधन व शर्तों को अन्तिम रूप दिया गया है तथा ऐसी कंपनियों द्वारा निधि के निवेश हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) ईपीएफ का प्रबंध करने वाली कंपनियों को विनियमित करने हेतु तैयार की गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (घ) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कायिक निधि के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अलावा तीन परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनियां नामतः, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल तथा रिलायंस कैपिटल को लगाया गया है।

रूचि की अभिव्यक्ति की 21 बोलियों में से, 17 बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्वीकार किया गया था और 10 बोलियों ने तकनीकी अर्हता पूरी की। इन 10 में से, दो बोलियां अस्वीकृत कर दी गई थीं, क्योंकि ये "शून्य" बोलियां थीं।

क्षतिपूर्ति, व्यय, अनुमति और संस्वीकृतियों, अभिरक्षक व्यवस्थाओं, कार्यकाल, गोपनीयता तथा विवाद समाधान तंत्र संबंधी खंडों सहित दोनों पक्षकारों के दायित्यों, प्राधिकारों और अधिकारों का विस्तार में उल्लेख करते हुए निबंधन तथा शर्तें प्रत्येक निधि प्रबंधक के साथ हस्ताक्षरित करार में शामिल की जाती हैं।

जहां तक निवेश से संबंधित दिशा-निर्देशों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार द्वारा 9 जुलाई, 2003 के का.आ.सं. 2125 दिनांक द्वारा अधिसूचित 'निवेश स्वरूप' में उल्लिखित है जिसे दिनांक 10 सितम्बर, 2008 के का.आ. 2184 द्वारा आशोधित किया गया है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3, उप खण्ड (ii)(ii) में प्रकाशित)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई, 2003

अधिसूचना

का.आ. 2125 - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 11 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1398 (भारत के राजपत्र में दिनांक 16-6-1998 को प्रकाशित) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि निधि से संबंधित समस्त अभिवृद्धि का निम्नलिखित पद्धति से निवेश करेगी, अर्थात्

क्रमांक	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
1	2	3
(i)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों; जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें।	25%
(ii)	(क) लोक ऋण अधिनियम, 1944(1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें; और/ अथवा	15%
	(ख) अन्य कोई परक्राम्य प्रतिभूतियां; जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे (iii)(iii)(क)	

1	2	3
	के अधीन शामिल को छोड़कर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी शर्त के बिना और पूर्णत: गारंटी शुदा है।	
(iii)	(क) कम्पनी अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन यथा-निर्दिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थाओं; सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(36-क) में यथा परिभाषित "सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों" के बाण्ड/प्रतिभूतियां; और/अथवा	30%
	(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी अल्पकालिक (एक वर्ष से कम) सावधि जमा प्रमाण पत्र।	
(iv)	न्यासियों द्वारा जैसा निर्णय किया जाए उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश।	30%
(v)	न्यास, जोखिम-प्राप्ति सम्भावनाओं के उनके निर्धारण के अधीन ऊपर (iv) में से एक तिहाई तक निजी क्षेत्र बाण्ड/प्रतिभूतियों, जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त है, में निवेश कर सकते हैं।	

2. अनिवार्य व्यय को घटाकर पूर्व निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी राशि इस अअधिूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाएगी।

3. यदि किसी उल्लिखित लिखत की रेटिंग की जा रही हो और उसकी रेटिंग निवेश वर्ग से नीचे आ गई हो तथा उसकी रेटिंग की दो ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा पुष्टि की जा चुकी हो, तो निकासी का विकल्प अपनाया जा सकता है।

4. उपरोक्त पैराग्राफों में यथा-संकल्पित निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपनाई जा सकती है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(फा.संख्या जी-27031/3/99-एस एस-2)

(डी.एस.पूनिया)

संयुक्त सचिव भारत सरकार

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1274] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2008/भाद्र 19, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2008

का.आ. 2184(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 52 के उप-पैराग्राफ (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 9 जुलाई, 2003 के स.का.आ. 2125 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि लोकप्रिय निवेश पद्धति के अनुरूप, विद्यमान पैराग्राफ (iii) को निम्नांकित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(iii) (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 4(1) के तहत यथाविनिर्दिष्ट "लोक वित्तीय संस्थानों" के बॉन्ड/प्रतिभूतियां; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (26-क) में यथा परिभाषित "सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां"; और/या — 30%

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी अल्पावधि (1 वर्ष से कम) सावधि जमा रसीदें; और/या

(ग) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा जारी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित समपार्श्विक लेनदारी और देनदारी देयता।

यह व्यवस्था भी की जाती है कि उक्त (iii)(ग) के तहत समपार्श्विक लेनदारी और देनदारी देयता में निवेश, किसी भी समय आर्थिक अभिवृद्धियों के 5% से अधिक नहीं होगी और निवेश के इस माध्यम का केवल कार्यावधि समाप्ति पर निष्क्रिय निधियों का ठहराव रोकनें के प्रयोजन से उपयोग किया जाएगा।"

[फा.सं. एस-65025/2/07-एस एस-II (खण्ड II)]

एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं में कार्मिकों की कमी

***23. श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सशस्त्र सेनाओं में कार्मिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सेना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्तियों को भरने तथा तीनों सेनाओं में युद्धक बल की संख्या को स्वीकृत स्तर पर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि सेना कार्मिकों को सेवा में बने रहने के लिए प्रेरित तथा युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं में कुछ समय से अफसरों की कमी रही है। सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी निम्नवत है:-

	सेना	नौसेना	वायुसेना
प्राधिकृत नफरी	46614	8945	12120
धारित नफरी	35495	7586	10768
कमी	11119	1359	1352

सशस्त्र सेनाओं में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की कोई बड़ी कमी नहीं है।

2. तीनों सेनाओं में अफसरों की कमी अधिकांशत: सामाजिक-आर्थिक परिवेश में परिवर्तनों तथा कैरियर प्राथमिकताओं में परिणामी परिवर्तनों, अन्य क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसरों, सशस्त्र सेनाओं के लिए अपेक्षित कठिन चयन प्रक्रियाओं तथा सेवा शर्तों, आदि के कारण है।

3. सेवा में बने रहने के लिए सेना कार्मिकों को प्रोत्साहित करने तथा कमी को दूर करने तथा रक्षा सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आकृष्ट करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अल्प सेवा कमीशन अफसरों सहित सभी अफसरों को क्रमश: 2, 6 तथा 13 वर्ष की संगणनीय सेवा पूरी करने के बाद कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल और समतुल्य के स्थाई रैंक को धारित करने हेतु पात्र बनाया गया है। अल्प सेवा कमीशन अफसरों के कार्यकाल को तीनों सेनाओं में 14 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ए वी सिंह समिति (चरण-I) के कार्यान्वयन की दिशा में लेफ्टिनेंट कर्नल के 750 पदों को पूर्व में कर्नल के पद में पदोन्नत किया गया है। सरकार ने हाल ही में ए वी सिंह समिति की सिफारिशों के चरण-II कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें तीनों सेनाओं में कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तथा लेफ्टिनेंट जनरल के रैंकों में 1896 अतिरिक्त पदों के सृजन/पदोन्नति को भी अनुमोदित किया गया है। स्थायी कमीशन अफसरों की भर्ती में कमी, अल्प सेवा कमीशन अफसरों की वृद्धि करने, चयन प्रक्रिया में परिवर्तन, अल्प सेवा कमीशन अफसरों की सेवा शर्तों में सुधार, चयन तथा प्रशिक्षण ढांचे में वृद्धि संबंधी अनेक प्रस्ताव सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी को कम करने के लिए सरकार द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदित किए गए हैं। सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के वेतन ढांचे में काफी अच्छे सुधार सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के हाल ही के कार्यान्वयन का सशस्त्र सेनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

4. इसके अतिरिक्त, चुनौतीपूर्ण तथा संतोषजनक कैरियर शुरू करने के लाभों के संबंध में युवाओं के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सशस्त्र सेनाओं ने सतत छवि सुधार तथा प्रचार अभियान शुरू किया है। अधिक संख्या में उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए उम्मीदवार अनुकूल भर्ती प्रक्रियाएं तथा सम्भावित उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में संकेन्द्रित प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं। जागरूकता अभियान, कैरियर मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों, स्कूल तथा कालेजों में प्रेरणादायक व्याख्यान भी इस दिशा में किए गए कुछ अन्य उपाय हैं।

दूरसंचार उपभोक्ताओं का सत्यापन

***24. श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे नए कनेक्शन जारी करने से पहले उपभोक्ता की पहचान और सबूत की जांच करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस बात की जांच करने हेतु कोई तंत्र है कि सेवा प्रदाता उसके अनुदेशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2007-08 और चालू वर्ष के दौरान सरकार के इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाली दूरसंचार कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सभी मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि वे किसी भी ग्राहक को उपभोक्ता बनाने से पहले उसका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करें जिसमें उपभोक्ता से उसका एक फोटो और उसकी पहचान और पता संबंधी सबूत के लिए निर्धारित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना शामिल है। उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन करने और उचित सत्यापन के बिना प्रदान किए गए कनेक्शनों को काट देने के लिए भी समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) उपभोक्ताओं के सत्यापन से संबंधित अनुदेशों के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए दूरसंचार विभाग जांच कर रहा है।

(ङ) मासिक जांच रिपोर्टों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि उपभोक्ताओं के सत्यापन का सही प्रतिशत औसत 80% है जिनमें उपभोक्ताओं से सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता की पहचान और पता संबंधी सबूतों के लिए फोटो और दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की गई हैं। सभी सेवा प्रदाता शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं के सत्यापन से संबंधित अनुदेशों का अपेक्षित अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

(च) सत्यापित नहीं किए गए/अनुचित रूप से सत्यापित किए गए प्रत्येक उपभोक्ता के लिए चूककर्ता सेवा प्रदाता पर 1000 रु. का अर्थ दंड लगाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन शिकायतों का निवारण

***25. श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायतों का समाधान विनियम 2007 (2007 का 3) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों का समाधान संबंधित सेवा प्रदाता के "तीन स्तरीय संस्थागत शिकायत समाधान तंत्र" के माध्यम से निम्नलिखित स्तरों पर करा सकते हैं:-

(i) संबंधित सेवा प्रदाता का काल सेंटर

(ii) संबंधित सेवा प्रदाता का नोडल अधिकारी

(iii) सेवा प्रदाता की कंपनी के भीतर अपीलीय प्राधिकारी

यदि संबंधित सेवा प्रदाता के स्तर पर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है तो शिकायतकर्ता दूरसंचार विभाग (डीओटी) के जन शिकायत कक्ष से संपर्क कर सकते हैं।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(i) मल्टी-एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलना।

(ii) 256-सी-डॉट रूरल आटोमैटिक एक्सचेंज (आरएक्स) का एएन-आरएएक्स में उन्नयन।

(iii) सिंगल बेस मॉड्यूल स्विच का रिमोट स्विचिंग यूनिटों में परिवर्तन।

(iv) मोबाइल नेटवर्क की कवरेज में उत्तरोत्तर रूप से सुधार किया जा रहा है।

(v) भूमिगत केबलों के स्थान पर बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा भूक्षरण नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति

***26. डा. अरुण कुमार शर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किए गए भूक्षरण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है तथा इनके कार्यान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या माजुली मास्टर प्लान चरण-II और चरण-III में विलम्ब हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन चरणों पर कार्य कब तक शुरू और पूरा किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा इन स्कीमों के सामने उनके कार्यान्वयन के लिए दर्शाए गए लक्ष्यों सहित कटाव नियंत्रण के लिए निम्नलिखित बाढ़ प्रबंधन स्कीमें शुरू की गई हैं:-

क्रम सं.	स्कीमों का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
1	2	3
1.	ब्रह्मपुत्र नदी फेज-I (शेष कार्य) की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा की अनुमानित लागत 41.28 करोड़ रुपये (2008 के आकलन के अनुसार संशोधित लागत 56.07 करोड़ रुपये)। कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।	मार्च, 09
2.	विशेषज्ञों की स्थाई समिति की जनवरी, 2008 (अनुमानित लागत 4.99 करोड़ रुपये) में की गई सिफारिशों पर आधारित आपाती कार्य। कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।	सितम्बर, 2008 में पहले ही पूर्ण
3.	बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा फेज-II एवं III (116 करोड़ रुपये की स्कीम सीडब्ल्यूसी के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के अधीन) कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।	मार्च, 2012
4.	धोला हातीघुली स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्शन फेज-IV (70 करोड़ रुपये की स्कीम सीडब्ल्यूसी के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के अधीन)।	मार्च, 2011
5.	पुथिमारी नदी की बाढ़ और कटाव से रंगिया नगर, बोरभाग क्षेत्र आदि की सुरक्षा के लिए नागरीजुली में कटावरोधी कार्य (अनुमानित लागत 4.89 करोड़ रुपये)।	दिसम्बर, 2008

(ख) और (ग) माजुली द्वीप की सुरक्षा के फेज-II और फेज-III कार्यों के निष्पादन में विलंब माडल अध्ययनों को पूरा करने में लिए गए लंबे समय के कारण हुआ जिसमें कई परीक्षण अध्ययन शामिल हैं जिनसे सुरक्षा उपायों के लिए स्थान और संरचनाओं के आकार का निर्धारण करने के लिए आधार तैयार होता है।

(घ) फेज-II एवं फेज-III के लिए निविदा संबंधी दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। इन फेजों के मार्च, 2012 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

नवम्बर 07 के बाद से शुरू किए गए और पूरे किए गए कार्य

क्रमांक	कार्यों के नाम	टिप्पणियां
1	2	3
1.	बेस्सामारा से खर्खारीजन तक ब्रह्मपुत्र डाइक के तटबंध को ऊपर उठाना और सुदृढ़ करना	फेज I के अधीन
2.	टेकेलीफूटा से कांडुली माड़ी तक तटबंध को ऊपर उठाना और सुदृढ़ करना	
3.	जेंगराई से मिलिटिनिआली तटबंध को ऊपर उठाना और सुदृढ़ करना	
4.	कांड़ली माही से बेस्लामारा (23646 से 26431) तक तटबंध को ऊपर उठाना और सुदृढ़ करना	
5.	कांड़ली माही से बेस्लामारा (13522 से 23646) तक तटबंध को ऊपर उठाना और सुदृढ़ करना	
6.	सुम्मोईमारी में 13 डैम्पनर्स की मरम्मत वाले आरसीसी पोर्कुपाइन कार्य	
7.	खनुलीकार और लुहर सूरी में दरारों को बन्द करना	
8.	साल्मारा के 840 मी. खुलानी आरसीसी स्क्रीन (डी/एस) का सुदृढ़ीकरण	
9.	सालमारा के 1300 मी. हरा चापोरी आरसीसी स्क्रीन (यू/एस) का सुदृढ़ीकरण	
10.	डाकीनपट्ट में 2400 मी. (यू/एस) की लंबाई के आरसीसी पोरक्युपाइन स्क्रीन की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण	
11.	अफ्फालाह मुख से मेजर चपारी (यू/एस) में 5 कि.मी. लंबी स्क्रीन का निर्माण	फेज I के अधीन
12.	मौजूदा बोरपामुव्वा और जैंगराई स्क्रीन इत्यादि का सुदृढ़ीकरण	
13.	2400 मी. लंबी (डी/एस) की आरसीसी स्क्रीन की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण	
14.	अफलामुख से मेजर चपारी डी/एस तक की 5 कि.मी. लंबी स्क्रीन का निर्माण	
15.	सलमारा खंड में 7 आरसीसी पोरक्युपाइन डैम्पेनर्स की मरम्मत	
16.	आरसीसी पोरकुपाइन डैम्पेनर्स (बेसामारा स्थित) का निर्माण	2008 में आपात स्थिति के अधीन
17.	आरसीसी पोरकुपाइन स्क्रीन (भोगपुर स्थित) का निर्माण	
18.	1970 मी. में आरसीसी पोरकुपाइन स्क्रीन सं. 8 (बेंगेनाटी स्थित) का निर्माण	
19.	आरसीसी पोरकुपाइन स्पर (कंबालाबाड़ी स्थित) का निर्माण	
20.	आरसीसी पोरकुपाइन स्क्रीन संख्या 1 और 2 (बाकतचपोरी स्थित) का निर्माण	

फेज 1 अधीन नवंबर 2007 से पहले शुरू किए गए कार्य और जो अभी चल रहे हैं

1.	कांडुलीमारी चैकबंध के अगले भाग की मरम्मत और निर्माण	48% पूर्ण
2.	सोनुवाल पचारी संख्या 2 में चैकबंध के अगले भाग की मरम्मत और निर्माण	50% पूर्ण

विवरण-II

माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए कार्यों का ब्यौरा

फेज II और III

- विशेष स्थानों पर पारगम्य आरसीसी पोरकुपाइन स्पर्स और स्क्रीन।
- मॉडल अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न लंबाइयों के 10 लैंड स्पर्स का निर्माण।
- ऊपर उठाये गए एक प्लेटफार्म का निर्माण।
- 500 मीटर के बैंक रिवैटमेंट का निर्माण।
- स्लूइस का निर्माण।
- पहले निष्पादित किए गए कार्यों का अनुरक्षण।

भूजल में आर्सेनिक संदूषण

*27. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूजल में आर्सेनिक संदूषण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की सहायता से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अन्य राज्यों में इसी प्रकार के परीक्षण किए गए हैं/कराए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परीक्षण कब तक करा लिए जाएंगे; और

(ङ) भूजल संदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) की सहायता से राज्य के 51 जिलों में भूजल के आर्सेनिक संदूषण का सर्वेक्षण कराया है। सर्वेक्षण से 20 जिलों में आर्सेनिक संदूषण की समस्या का पता चला है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों के कुछ भागों से भूजल में आर्सेनिक के पाये जाने की सूचना दी है।

भूजल संदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्न शामिल हैं:-

(i) आर्सेनिक संदूषकों से मुक्त भूजल स्रोतों का पता लगाने के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अन्वेषण कराना।

(ii) जल गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान करने तथा राज्य पेयजल आपूर्ति अभिकरणों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण में राज्य अभिकरणों को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराना।

(iii) निर्धारित मानकों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् त्वरित ग्रामिण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना।

खाद्यान्नों का नुकसान

*28. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री रामदास आठवले :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में भंडार किए गए खाद्यान्नों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था जैसाकि दिनांक 3 जुलाई, 2008 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उन पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया;

(ग) राज्यों द्वारा अपने हिस्से का कोटा नहीं उठाए जाने के कारण पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने गोदामों में इस समय खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा रखी गई है; और

(घ) इस भंडार का उपयोग करने तथा खाद्यान्नों की बरबादी के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) 1997-2000 तक के पिछले 10 वर्षों की अवधि में भारतीय खाद्य निगम के खाते पर लगभग 10 लाख टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए हैं और इन्हें हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचारों में दिखाया गया है। चक्रवात, बाढ़ और खाद्यान्नों के स्टाक का दीर्घावधि भंडारण करने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा खाद्यान्नों की कुछ मात्रा अन्य क्षेत्रों को ढुलाई के दौरान भी क्षतिग्रस्त हुई थी। खाद्यान्नों की क्षतिग्रस्त मात्रा पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए गए कुल खाद्यान्नों का लगभग 0.139% बैठती है।

(ग) 2008-09 में अगस्त, 2008 तक खाद्यान्नों का आबंटन और उठान निम्नानुसार हुआ है:-

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	जिंस	राज्यों को आबंटन	उठान
2008-09 (अगस्त, 08 तक)	गेहूं	61.39	46.63
	चावल	119.38	104.29

31.8.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 98.50 लाख टन गेहूं और 68.88 लाख टन चावल का स्टाक था जिसमें राज्य सरकारों द्वारा उठान न किया गया स्टाक शामिल है।

(घ) खाद्यान्नों वह स्टाक जिसका किसी माह में राज्य सरकारों द्वारा उठान नहीं किया जाता है, उसका उपयोग अगले माह में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आबंटन करने के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम ने अपने गोदामों में भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की हानियों को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं:-

(i) भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है और वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियां अपना कर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(ii) सभी गोदामों में पर्याप्त डनेज सामग्री, प्रधुमन कवर और रसायन प्रदान किए जाने होते हैं।

(iii) भंडारित अनाज में कीट जन्तुबाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से और समय से रोग निरोधी और रोगहर उपचार किए जाने होते हैं।

(iv) ऊंचे प्लिथों पर 'कवर और प्लिथ' भंडारण में खाद्यान्नों का भंडारण किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी की क्रेटें उपयोग की जाती हैं। चट्टों को कम घनत्व वाली काली पालीथिन से विशेष रूप से बने वाटर प्रूफ कवरों से उचित रूप से ढका जाना चाहिए और नायलान की रस्सियों/जालों से बांधा जाना चाहिए।

(v) भारतीय खाद्य निगम के योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाना होता है।

(vi) यथा संभव सीमा तक 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धांत को अपनाया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(vii) खाद्यान्नों के संलचन के लिए केवल ढकी हुई वैगनों का उपयोग किया जाना होता है ताकि ढुलाई के दौरान क्षति से बचा जा सके।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

*29. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 70,000 से अधिक गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन तक भी उपलब्ध नहीं है जैसाकि 26 अगस्त, 2008 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) ये टेलीफोन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 5,93,601 गांव बसे हुए हैं। इनमें से 5,30,624 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा प्रदान कर दी गई है। टेलीफोन सुविधा रहित शेष सभी गांवों को भी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से आर्थिक सहायता प्रदान करके वीपीटी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यूएसओएफ द्वारा इन सुविधा रहित गांवों में दो वर्ष की अवधि में वीपीटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को प्राधिकृत किया जा चुका है।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को विशेष दर्जा

*30. **श्री श्रीचन्द कृपलानी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूखा और अकाल प्रवण प्रकृति के मद्देनजर केन्द्र सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सहित कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह दर्जा कब तक दे दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू एवं कश्मीर को वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों को भी एआईबीपी के तहत विशेष श्रेणी राज्यों के बराबर माना जाता है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य सहित देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई विकास को बढ़ावा देने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सहायता के रूप में परियोजना लागत के 90% के लिए भी पात्र हैं जो कि विशेष श्रेणी राज्यों के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य मामलों में, एआईबीपी के तहत राज्य की चल रही परियोजना के पूरा होने पर ही नई परियोजना को शामिल किया जा सकता है। तथापि, एक-दर-एक मानदंड में छूट देकर एआईबीपी में शामिल करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

ईपीएफ की ब्याज दर में बढ़ोत्तरी

*31. **श्री काशीराम राणा :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ईपीएफ की ब्याज दर को बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दर के बराबर लाने के लिए इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संघों ने ईपीएफ की ब्याज दर को ईपीएफ से होने वाली आय के अनुपात में बढ़ाने की मांग की है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (छ) राष्ट्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें भिन्न-भिन्न होती हैं और कुछ मामलों

में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में उच्च हो सकती हैं। तथापि, भविष्य निधि के ब्याज का निर्णय प्रत्येक वर्ष के लिए निवेश के निर्धारित स्वरूप के अनुसार निवेश निधि और इसके सदस्यों की अनुमानित देयताओं के अनुसार अनुमानित आय के आधार पर लिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने निधि प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा लाकर अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) में श्रमिक संघ के प्रतिनिधि भविष्य निधि अंशदान पर उच्च ब्याज दर की मांग करते रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) की शेष राशियों पर ब्याज दर की घोषणा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) में सन्निहित उपबंधों के आधार पर लिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए उस दर पर ई पी एफ सदस्यों के खातों में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज देना अपेक्षित होता है जो केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के साथ परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। पैरा 60(1) को योजना के पैरा 60(4) के साथ पढ़े जाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार, "ब्याज दर निर्धारित करने में, केन्द्रीय सरकार स्वयं को संतुष्ट करेगी कि सदस्यों के खातों में डाले गए ब्याज के परिणामस्वरूप ब्याज उचंत खाते से कोई आहरण नहीं है"। तदनुसार, ब्याज की दर का निर्णय प्रत्येक वर्ष निधि के अनुमानित अर्जन और इसकी अनुमानित देयताओं के आधार पर लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए वर्ष 2007-08 हेतु पहले ही 8.5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुमोदन कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) ने अब तक अपनी सिफारिश नहीं दी है।

[अनुवाद]

पीडीएस कोटे में कमी

***32. श्री पी.सी. थामस :**

श्री एल. राजगोपाल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने केरल तथा आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को चालू वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों का कोटा कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से कोटे की बहाली/इसमें वृद्धि करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस कटौती के कारण खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहे राज्यों में समाज के निर्धन वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों को आबंटन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अथवा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में पहचान किए परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। यद्यपि, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो देश में पात्र के रूप में स्वीकृत सभी 6.52 करोड़ परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार माह की दर से है, लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

सरकार ने वर्तमान वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान विभिन्न राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित खाद्यान्नों के कोटे में कोई कमी नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टाक में गिरावट होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के आबंटन को पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए उठाए के आंकड़ों के आधार पर क्रमशः जून, 2006 और अप्रैल, 2007 से युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके अलावा खरीफ विपणन मौसम 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों से 2008-09 की मांग की तुलना

में चावल की कम खरीदारी को ध्यान में रखते हुए केरल और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन 2008-09 हेतु चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए उठान के आधार पर किया गया है।

सरकार को गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन चावल और गेहूं के आबंटन को बहाल करने/इसमें बढ़ोतरी करने के लिए केरल और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के आबंटन को बहाल करने/इसमें वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों/अभ्यावेदनों के ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने, त्यौहार मौसम 2008 के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्यान्नों का निम्नलिखित आबंटन किया है:-

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के गेहूं और चावल के तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन

(i) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जुलाई से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 9,52,500 टन तदर्थ/अतिरिक्त गेहूं रिलीज किया गया है।

(ii) मई से दिसम्बर, 2008 तक केरल के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 20,000 टन चावल और अक्तूबर से दिसम्बर, 2008 तक आंध्र प्रदेश के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 78,000 टन चावल का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन और सितम्बर, 2008 में जम्मू व कश्मीर के लिए 20,000 टन का एक बारगी आबंटन भी किया गया है।

(ख) त्यौहारों के लिए खाद्यान्नों का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन

केरल के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 30,000 टन चावल और 20,000 टन गेहूं सहित विभिन्न राज्यों के लिए त्यौहार मौसम 2008 के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 36,000 टन चावल और 1,92,000 टन गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

(ग) खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं रिलीज करना

त्यौहार मौसम 2008 के दौरान खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रूझान को रोकने के लिए सरकार ने खुदरा उपभोक्ताओं और बल्क उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन सितम्बर से नवम्बर, 2008 के महीनों के दौरान खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री करने के लिए लगभग 9 लाख टन गेहूं और बल्क उपभोक्ताओं को बिक्री करने के लिए 8.4 लाख टन गेहूं रिलीज किया है जिसमें इस स्कीम के अधीन उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अधीन प्रत्येक स्कीम के लिए आंध्र प्रदेश के 50,000 टन गेहूं और केरल को 60,000 टन गेहूं शामिल है।

विवरण

आवंटन में वृद्धि करने – चावल और गेहूं की अतिरिक्त मासिक मात्रा की मांग करने के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे

(मात्रा हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.235	
2.	आंध्र प्रदेश	44.755	
3.	असम	23.219	21.303
4.	बिहार	19.063	65.13
5.	छत्तीसगढ़	60.047	10
6.	गोवा		0.999
7.	हरियाणा		13.301
8.	हिमाचल प्रदेश	11.482	9

1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर		20
10.	झारखंड		4.032
11.	केरल	96.364	15
12.	मध्य प्रदेश		119
13.	कर्नाटक	52.989	
14.	महाराष्ट्र		249.098
15.	मणिपुर	0.461	
16.	मेघालय		0.218
17.	नागालैंड		4.627
18.	उड़ीसा	64.142	16.407
19.	पंजाब		69.318
20.	राजस्थान		100
21.	सिक्किम		0.255
22.	तमिलनाडु	73.745	6.217
23.	त्रिपुरा	5.663	2.638
24.	दादरा व नगर हवेली	0.301	
25.	पांडिचेरी	2.353	
26.	उत्तर प्रदेश	0.67	5
27.	उत्तराखंड	4.195	5.234
28.	पश्चिम बंगाल	195.024	
29.	दमन व दीव	0.04	
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		24
31.	चंडीगढ़	33.75	33.75

जूट मिलों का पुनरुद्धार

*33. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन (एनजेएमसी) के अंतर्गत कार्य कर रही जूट मिलों सहित जूट मिलों की अलग-अलग राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इनमें से बंद पड़ी जूट मिलों की अलग-अलग राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त बंद जूट मिलों का सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत पुनरुद्धार करने, उन्हें पुन: चालू करने तथा आधुनिक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पुनरुद्धार पैकेज को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा मंजूरी दे दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) देश में वर्तमान में राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी) के तहत पटसन मिलों सहित पटसन मिलों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	चालू मिलों की संख्या
1	2
पश्चिम बंगाल	54
आंध्र प्रदेश	6
बिहार	2
उत्तर प्रदेश	1

1	2
असम	1
त्रिपुरा	1
उड़ीसा	1
छत्तीसगढ़	1
कुल	67

(ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद पड़ी पटसन मिलों की संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
पश्चिम बंगाल	एनजेएमसी की 5 मिलों जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई हैं, को छोड़ कर 14	एनजेएमसी की 5 मिलों जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई हैं, को छोड़ कर 12	एनजेएमसी की 5 मिलों जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई हैं, को छोड़ कर 8	एनजेएमसी की 5 मिलों जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई हैं, को छोड़ कर 5
आंध्र प्रदेश	1	4	1	1
उत्तर प्रदेश	2	2	2	3
बिहार	एनजेएमसी की 1 एकक जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई है, को छोड़ कर 1	एनजेएमसी की 1 एकक जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई है, को छोड़ कर 1	एनजेएमसी की 1 एकक जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई है, को छोड़ कर 1	एनजेएमसी की 1 एकक जो प्रचालन में नहीं है परंतु औपचारिक रूप से बंद नहीं की गई है, को छोड़ कर 1

(ग) और (घ) सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एनजेएमसी की 3 मिलो (2 पश्चिम बंगाल और 1 बिहार में) के पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ङ) जी, नहीं। यह प्रस्ताव बीआईएफआर के विचाराधीन है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खरीफ की फसलों की पैदावार

***34. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की खरीफ पैदावार की तुलना में इस वर्ष कम पैदावार होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों को रबी की अधिक पैदावार करने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) 25 सितम्बर, 2008 को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 115.33 मिलियन टन अनुमानित है जो वर्ष 2007-08 (9 जुलाई 2008 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान) के दौरान 120.96 मिलियन टन के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 5.63 मिलियन कम है। इसी प्रकार खरीफ 2007-08 के दौरान अलग-अलग फसलों से तुलना करने पर वर्ष 2008-09 के दौरान 17.95 मिलियन टन पर अनुमानित खरीफ तिलहन उत्पादन 1.89 मिलियन टन कम है, 294.66 मिलियन टन पर अनुमानित गन्ने का उत्पादन 45.90 मिलियन टन कम है तथा 23.91 मिलियन गांठों पर अनुमानित कपास का उत्पादन 1.90 मिलियन गांठें कम है।

मानसून 2008 के दौरान खरीफ उत्पादन वर्षा में कमी तथा बाढ़ के कारण बुआई पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण प्रभावित हुआ है। तथापि, ये प्रारम्भिक अनुमान हैं जिनमें वर्ष 2008 के मानसून मौसम के दौरान देश के अधिकांश भागों में हुई पूर्ण रूप से अच्छी वर्षा के कारण धीरे-धीरे सुधार आएगा। शीघ्र ही क्षेत्र व्याप्ति तथा उत्पादकता के सही मूल्यांकन उपलब्ध भी हो जाएंगे। वास्तव में, वर्ष 2008-09 के दौरान खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान 3.09 मिलियन टन तथा खरीफ तिलहनों के 1.82 मिलियन टन वर्ष 2007-08 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों तथा तिलहनों के सदृश्य पहले अग्रिम अनुमानों की तुलना में अधिक है।

(ग) और (घ) 24-25 सितम्बर, 2008 को आयोजित रबी अभियान 2008-09 हेतु राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकारों को गेहूं की शीघ्र बुवाई सुनिश्चित करने, ग्रीष्मकालीन चावल हेतु अल्पकालीन बीज प्रयोग करने, ज्वार हेतु अंतर्फसल उत्पादन प्रोत्साहित करने, दालों तथा तिलहनों की उच्च पैदावार वाली किस्मों को बढ़ावा देने, सिंचाई जल का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने एवं जैविक खादों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ उर्वरकों का सामयिक व सन्तुलित प्रयोग करने की सलाह दी गई।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा तमिलनाडु में कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों को रबी ज्वार के क्षेत्र तथा उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने की सलाह दी गई तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को इन राज्यों में बाढ़ के पानी के घटाव को देखते हुए चावल, कुल्थी, तोरिया तथा अन्य फसलें बोए जाने की सलाह दी गई है।

आगामी रबी मौसम के दौरान गेहूं के अंतर्गत 10 लाख हैक्टेयर, दालों के अंतर्गत 15 लाख हेकटेयर तथा अन्य फसलों के अंतर्गत 5 लाख हेकटेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए विचार किया गया। क्षेत्र में वृद्धि से खरीफ मौसम के दौरान क्षेत्र में हुई क्षति की भरपाई होने की सम्भावना है।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

***35. श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) 850 रु. प्रति क्विंटल घोषित किया है तथा इसका विचार इसे संशोधित करके 1000 रु. प्रति क्विंटल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आदानों के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी को देखते हुए स्वामीनाथन आयोग ने "आदानों की औसत लागत से 50 प्रतिशत अधिक" पर एम एस पी निर्धारित करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का विचार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब तक बढ़ाये जाने का है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2008-09 मौसम हेतु धान की सामान्य किस्म के लिए 850 रुपए प्रति क्विंटल तथा धान की ग्रेड ए किस्म के लिए 880 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। वर्तमान में, सरकार का इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त, 50 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होने चाहिए। इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है जो अपनी सिफारिश करने से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कारकों का ध्यान रखता है जिसमें भिन्न-भिन्न फसलों की उत्पादन लागत भी शामिल होती है।

ईपीएफपीएस के अंतर्गत पेंशन का संवितरण

*36. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना (ईपीएफपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही पेंशन की राशि इस योजना की शुरूआत से वही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पेंशनरों की पेंशन की राशि में वर्तमान जीवनयापन की अधिक लागत के अनुरूप बनाने के लिए इसमें वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (घ) जी, हां। तथापि, 15.11.1996 के बाद से दी गयीं पेंशनों के संबंध में निम्नवत् विवरण अनुसार पेंशन के अतिरिक्त राहत प्रदान की गयी हैं:-

(i) 15.11.1996 की स्थिति के अनुसार पेंशनभोगियों को 15.11.1996 से 4% की दर से पहली राहत (अर्थात् उक्त तिथि को 17.5%);

(ii) 31.03.1998 की स्थिति के अनुसार पेंशनभोगियों को 01.04.2000 से 5.5% की दर से दूसरी राहत (अर्थात् उक्त तिथि को 13.5%);

(iii) 31.03.1999 की स्थिति के अनुसार पेंशनभोगियों को 01.04.1999 से 4% की दर से तीसरी राहत (अर्थात् उक्त तिथि को 8%); और

(iv) 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार पेंशनभोगियों को 01.04.2000 से 4% की दर से चौथी राहत (अर्थात् उक्त तिथि को 4%)।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदायी और लाभ योजना है। अतिरिक्त राहत तब ही दी जा सकती है जब पेंशन निधि में कोई वितरणयोग्य आधिक्य राशि हो। वर्तमान में ऐसी कोई आधिक्य राशि नहीं है और इस प्रकार कोई अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

डाक बचत योजनाएं

*37. श्री नवीन जिन्दल :
श्री निखिल कुमार :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों की लघु बचत योजनाओं में कुल निवेश कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनकी ब्याज दर में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में डाकघरों में किए गए कुल निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वैयक्तिक बचत के लिए निवेशकों के पास कई विकल्प होते हैं। अत: निवेशकों द्वारा अपनी पसंद के विकल्पों को चुनने की वजह से निवेश में कमी हुई है।

(ग) और (घ) लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें निर्देशित ब्याज दरें हैं। निर्देशित ब्याज की उच्च दरों का राजकोषीय प्रभाव पड़ता

है और इसलिए इन्हें केंद्र सरकार द्वारा ऋण लागत से जोड़ना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर डा. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाली निर्देशित ब्याज दरें एवं अन्य संबंधित मामलों की समिति की सिफारिशों के अनुसार, ये ब्याज दरें सेकेंडरी मार्केट में तुलनात्मक परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाले औसत लाभ के अनुसार बेन्चमार्क हैं जिनका लिखतों की परिपक्वता और तरलता (लिक्विडिटी) के आधार पर 50 बेसिस प्वायंट तक समुचित विस्तार है। हाल ही में हुआ विश्लेषण दर्शाता है कि छोटी परिपक्वता वाली (एक से तीन वर्ष) सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत लाभ, वर्तमान में तुलनात्मक परिपक्वता वाली लघु बचत योजनाओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा है जबकि डाकघर मासिक आय खाता योजना (पीओएमआईए), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी)-आठवां निर्गम, किसान विकास पत्र (केवीपी) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) पर ब्याज दरों का अभी भी सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ की तुलना में पर्याप्त विस्तार है। इसके अलावा, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत निवल संग्रहण, राज्यों को उधार पर दिए जाते हैं और ये उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए धन का स्रोत बन जाते हैं। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किसी बढ़ोत्तरी से राज्यों को दिए गए ऋण की दरों में भी सहवर्ती वृद्धि होगी। राज्य सरकारें 25 वर्षों के लिए 9.5% की मौजूदा ब्याज दरों से भी संतुष्ट नहीं हैं इसमें किसी प्रकार की वृद्धि से ऋण लेना और महंगा हो जाएगा और इसका विरोध किए जाने की संभावना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लघु बचत योजनाओं की मौजूदा ब्याज दरों को बरकरार रखा जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अगस्त, 2008 तक डाकघरों की लघु बचत योजना में निवेश का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	एसबी	आरडी	टीडी	एमआईएस	एनएसएस	एससीएसएस	पीपीएफ	कुल
2004-05	25416.55	20135.30	20429.29	48691.80	571.30	8818.14	3112.94	127175.30
2005-06	31432.28	23488.41	20526.45	47272.63	293.47	7435.42	3024.47	133473.13
2006-07	35958.42	26333.05	19799.86	26460.37	317.28	7238.19	3797.87	119905.04
2007-08	43164.99	27684.82	14043.66	17027.00	327.00	2011.51	3346.73	107605.71
2008-09 (अगस्त, 08 तक)	19554.47	11379.50	5592.93	9858.27	36.97	676.94	872.73	47971.81

मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु धनराशि

*38. डा. आर. सेनथिल :
श्री महावीर भगोरा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में बंधुआ बाल मजदूरों सहित बाल मजदूरों की पृथक-पृथक राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने बंधुआ बाल मजदूरों सहित मुक्त कराए गए बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु कोई विशेष धनराशि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल मजदूरों को मुक्त कराने के लिए "मुक्ति अभियान" (रेस्क्यू ऑपरेशन) चलाने हेतु क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बैठकें आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बाल दासता और वयस्क दासता में विभेद नहीं किया गया है। देश में बाल श्रमिकों की संख्या का आकलन भारत के महापंजीयक द्वारा प्रत्येक दस वर्षों में कराई जाने वाली जनगणना के आधार पर किया जाता है। पिछली बार ऐसी जनगणना वर्ष 2001 में कराई गई थी। अतः, बाल श्रम संबंधी राज्यवार वार्षिक आंकड़े नहीं रखे जाते। 2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

केन्द्रीय सरकार कार्य से हटाये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली परियोजना सोसाइटियों को निधियां सीधे जारी की जाती हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान जारी की गईं निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

समय-समय पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशालाओं तथा बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें राज्य सरकार और अन्य पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की भागीदारी होती है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिये बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं। प्रवर्तन कार्यकलापों को गति देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 14 नवम्बर, 2007 को "बाल श्रम के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान" संबंधी एक पखवाड़े का राष्ट्रव्यापी जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को जागरुकता अभियान आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके साथ-साथ, बाल श्रमिकों की मुक्ति और उनके पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों को बाल श्रमिकों के अवैध व्यापार तथा प्रवासी बाल श्रम की रोकथाम, मुक्ति, घर वापस भेजने तथा पुनर्वास संबंधी एक नयाचार (प्रोटोकॉल) भी जारी किया गया है।

विवरण-I

2001 जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2001
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1363339
2.	असम	351416
3.	बिहार	1117500
4.	गुजरात	485530
5.	हरियाणा	253491
6.	हिमाचल प्रदेश	107774
7.	जम्मू-कश्मीर	175630
8.	कर्नाटक	822615
9.	केरल	26156
10.	मध्य प्रदेश	1065259
11.	महाराष्ट्र	764075
12.	छत्तीसगढ़	364572
13.	मणिपुर	28836
14.	मेघालय	53940
15.	झारखण्ड	407200
16.	उत्तरांचल	70183
17.	नागालैंड	45874
18.	उड़ीसा	377594
19.	पंजाब	177268

1	2	3
20.	राजस्थान	1262570
21.	सिक्किम	16457
22.	तमिलनाडु	418801
23.	त्रिपुरा	21756
24.	उत्तर प्रदेश	1927997
25.	पश्चिम बंगाल	857087
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1960
27.	अरुणाचल प्रदेश	18482
28.	चंडीगढ़	3779
29.	दादरा व नगर हवेली	4274
30.	दिल्ली	41899
31.	दमन व दीव	729
32.	गोवा	4138
33.	लक्षद्वीप	27
34.	मिजोरम	26265
35.	पुडुचेरी	1904
	कुल	12666377

विवरण-II

वर्ष 2007-08 के दौरान एन सी एल पी एस को जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/एन सी एल पी जिला	कुल (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16,18,24,057
2.	असम	3,15,70,238
3.	बिहार	9,79,41,898
4.	छत्तीसगढ़	6,90,56,211
5.	गुजरात	71,87,914
6.	हरियाणा	92,19,840
7.	जम्मू-कश्मीर	23,92,700
8.	झारखण्ड	3,43,10,325
9.	कर्नाटक	5,36,53,470
10.	मध्य प्रदेश	8,93,38,542
11.	महाराष्ट्र	3,85,72,209
12.	उड़ीसा	11,69,19,191
13.	पंजाब	1,47,55,367
14.	राजस्थान	11,49,01,470
15.	तमिलनाडु	5,84,39,416
16.	उत्तर प्रदेश	30,79,80,608
17.	उत्तरांचल	16,11,500
18.	पश्चिम बंगाल	13,44,83,337

इंटरनेट एक्सचेंजों की स्थापना

*39. **श्री हरिन पाठक :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में गुजरात सहित देश में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को गुजरात सहित कुछ राज्यों से इन्टरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय इन्टरनेट एक्सचेंज दिल्ली (नोएडा), मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर तथा अहमदाबाद में कार्य कर रहे हैं।

(ग) इन्टरनेट एक्सचेंज अहमदाबाद में स्थापित किया गया है तथा यह 1 अक्टूबर, 2008 से कार्य कर रहा है।

नदियों के ऊपरी हिस्सों पर ऊंचे बांधों का निर्माण

*40. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल से निकलने वाली नदियों के ऊपरी हिस्सों पर ऊंचे बांधों का निर्माण करने की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है और इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ चल रही बातचीत का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) दोनों देशों के सचिवों (जल संसाधन) की अध्यक्षता में जल संसाधन संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) में शारदा नदी (नेपाल में महाकाली) पर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना और पश्चिम राप्ती नदी पर न्यूमूरे बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में चर्चा की जा रही है। जेसीडब्ल्यूआर की तीसरी बैठक काठमांडु में 29.9.08 से 1.10.08 तक हाल ही में आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान, जेसीडब्ल्यूआर ने पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के विकास, निष्पादन और प्रचालन के लिए महाकाली संधि के अनुरूप पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) का शीघ्र ही गठन करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, जेसीडब्ल्यूआर ने डीपीआर शीघ्र पूरा करने के वास्ते दिसम्बर, 2009 तक सनकोसी भंडारण सह-डाइवर्सन स्कीम सहित सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए स्थापित संयुक्त परियोजना कार्यालय (जेपीओ) का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय पक्ष ने न्यूमूरे बहुउद्देश्यीय परियोजना का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन प्रारंभ करने पर भी अपनी सहमति जताई।

नेपाल में उपरोक्त परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भारत और नेपाल के जल संसाधन मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में प्रस्तावित जल संसाधन संबंधी संयुक्त मंत्रालयी आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), भारत और नेपाल के जल संसाधन सचिवों के स्तर पर जल संसाधन संबंधी मौजूदा संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) और सभी मौजूदा समितियों और उप समितियों में समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त स्थाई तकनीकी समिति (जेएसटीसी) की एक तृतीयक तंत्र के बारे में भी जेसीडब्ल्यूआर की तीसरी बैठक में सहमति बनी है।

इन उच्च बांध परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के पश्चात् भारत और नेपाल के लोगों को जल-विद्युत, सिंचाई और बाढ़ में कमी लाने जैसे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना से कोसी नदी के रास्ते से नेपाल को अंतर्देशीय नौवहन सुविधा भी प्राप्त हो सकती है।

गुजरात को ए.आई.बी.पी. सहायता

163. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत गुजरात सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है तथा उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत क्रमशः 177.60 करोड़ रुपये, 315.90 करोड़ रुपये और 1270.28 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का दावा किया गया था। भारत सरकार द्वारा संबंधित अवधि के लिए क्रमशः 339.60 करोड़ रुपये, 121.885 करोड़ रुपए और 585.72 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2007-08 की लंबित मांग के लिए 10 अप्रैल, 2008 को 251.90 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की राशि जारी की गई है। गुजरात सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए एआईबीपी जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पोत तोड़ने वाले उद्योग में स्वास्थ्य संबंधी खतरे

164. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत तोड़ने वाले उद्योग में लगे मजदूरों/कामगारों को एस्बेस्टॉस आदि जैसी खतरनाक सामग्री के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन मजदूरों/कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज) : (क) जी नहीं, क्योंकि पोत तोड़ने से संबंधित यार्डों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) स्वास्थ्य जोखिमों से कामगारों के संरक्षण के लिए प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवारणात्मक उपाय निम्नवत हैं:-

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पोत तोड़ने के संबंध में मॉडल नियम में संशोधन किया है।
- कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय ने पोत तोड़ने से संबंधित यार्डों में किए गए भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए वैयक्तिक बचाव उपकरणों (पी पी ई) की पहचान की है। गुजरात समुद्री बोर्ड (जी एम बी) पोत तोड़ने से संबंधित यार्डों में वैयक्तिक बचाव उपकरणों के प्रयोग को प्रवर्तित करने तथा "गुजरात समुद्री बोर्ड पोत पुनर्चक्रण विनियमन 2003" में उपलब्ध दाण्डिक उपबंधों का उपयोग करने पर सहमत हो गया है।
- गुजरात सरकार ने पोत निर्माण, पोत मरम्मत तथा पोत तोड़ने से संबंधित गुजरात राज्य कारखाना नियमावली के अंतर्गत नियम 68-ज अधिसूचित किया है।
- गुजरात सरकार ने पोत तोड़ने से संबंधित यार्डों में उपबंधों के अलग से प्रवर्तन के लिए उप निदेशक की अध्यक्षता में अलंग में अलग से कारखाना निदेशालय की स्थापना की है। मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा खुले प्रकाश, प्रैसर वैसल्स तथा लिफ्टिंग उपकरणों के परीक्षण और जांच आदि जैसे प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम व्यक्तियों की भी घोषणा की है। कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण तथा अनुवीक्षण के परिणामस्वरूप, अलंग में एस्बेस्टॉस हटाने के लिए वैट विधि, गर्म कार्य अनुप्रमाणन तथा वैयक्तिक बचाव उपकरणों के प्रयोग के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं।

एस्बेस्टॉस हटाने में लगे कामगारों की डाक्टरों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जाती है। अब तक, कोई भी कामगार एस्बेस्टॉसिस से पीड़ित नहीं पाया गया है।

दुर्गापुर बराज से गाद निकालना

165. **श्री सुनील खां** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में दुर्गापुर बराज पर भारी मात्रा में गाद व बालू जमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्गापुर बराज से गाद व बालू हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दामोदर घाटी जलाशय नियमन समिति (डीवीआरसी) की दिनांक 03.07.2002 को कोलकाता में आयोजित बैठक के दौरान तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (डीआईसी), सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, वर्दवान ने सूचित किया है कि साद और रेत एकत्र होने के कारण दुर्गापुर बैराज तालाब की वर्तमान क्षमता 6000 एकड़ फीट से घटकर केवल 2500 एकड़ फीट रह गई है। यह मुख्यतः जल ग्रहण क्षेत्र से दामोदर नदी में अत्यधिक अवसाद के प्रवाह के तालाब क्षेत्र में फंसने के कारण है। इसके अतिरिक्त, दामोदर नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अनेक कोल वाशरीज के प्रवाहित होने के कारण अवसादन , में वृद्धि होती है।

(ग) दामोदर घाटी जलाशय नियमन समिति (डीवीआरआरसी) की दिनांक 23.07.2008 को आयोजित अंतिम बैठक के दौरान सिंचाई

एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्होंने दुर्गापुर बैराज तालाब से गाद हटाने के लिए उनकी रुचि जानने हेतु घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं को आमंत्रित किया था परंतु उक्त के संबंध में उनकी तरफ से कोई उत्साहवर्द्धक उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

दिल्ली दुग्ध योजना का निगमीकरण

166. **श्री सुब्रत बोस :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) और अन्य राज्यों की अन्य दुग्ध योजनाओं के निगमीकरण का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के प्रचालन तथा प्रबंधन को अधिक स्वायतता प्रदान करने, इसे अधिक कार्य सक्षम तथा व्यवहार्य बनाने के लिए इसे 'सैद्धान्तिक रूप में' निगमीकृत करने का निर्णय लिया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन, संस्था के अंतर्नियम तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए प्रतिष्ठित व्यवसायिक एजेंसियों से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। प्रस्ताव के लिए अनुरोध को चुने गए तीन एजेंसियों को भेज दिया गया था तथा उनसे बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं।

[हिन्दी]

3-जी मोबाइल स्पैक्ट्रम हेतु नीलामी की प्रक्रिया

167. **श्री कीरेन रिजीजू :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने 3-जी मोबाइल स्पैक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी नीलामी प्रक्रिया तैयार करने का है जिससे और अधिक विदेशी मोबाइल कंपनियां भाग ले सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा 3-जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी और आवंटन के लिए 01.08.2008 को विस्तृत दिशानिर्देश और 11.09.2008 को कुछ संशोधन घोषित किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीलामी प्रक्रिया भी निहित है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार नीलामी में 3जी स्पैक्ट्रम के लिए बोली लगाने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होगा:-

(i) जिसके पास यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंस हो; अथवा

(ii) (क) जिसे 3जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का पूर्व अनुभव हो; और

(ख) जो दूरसंचार प्रचालन आरंभ करने से पूर्व दूरसंचार विभाग के दिनांक 14.12.2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) प्राप्त करने का वचन दे।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार 3जी स्पैक्ट्रम एक नियंत्रित, तथा साथ-साथ बढ़ती रहने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया द्वारा आवंटित किया जाएगा।

भू-जल का संरक्षण

168. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार से भू-जल के संरक्षण के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने कम होते भू-जल के संबंध में सरकार को कोई ब्यौरा सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) ''भूजल प्रबंधन और स्वामित्व'' संबंधी योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने सुझाव दिए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) उथले जलभृत्तों में भूजल आपूर्ति के संवर्द्धन के लिए भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण;

(ii) अपेक्षाकृत गहरे जलभृत्तों में ''स्थिर'' आरक्षित जल का इस्तेमाल;

(iii) संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि कानून और उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन संरचना को समर्थ बनाया जा सके;

(iv) मौजूदा नियामक फ्रेमवर्क में संशोधन करना ताकि यह अधिक उपयुक्त हो और कार्यान्वयन में इससे सरलता हो;

(v) जल प्रयोक्ता समूहों, सरकार और पंचायती राज संस्थानों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को शामिल करते हुए संशोधित भूजल कानून लागू करने की आवश्यकता;

(vi) पर्याप्त तकनीकी सूचना, पूरक संस्थागत परिवर्तनों तथा उपयुक्त प्रोत्साहनों के समर्थन से संसाधन के सामुदायिक प्रबंधन के संबंध में निर्भरता लाना;

(vii) स्थाई-लब्धि प्रबंधन लक्ष्य को अपनाना जिसमें औसत निकासी दीर्घावधिक पुनर्भरण से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(viii) ऐसे क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर पुनर्भरणीय स्तर से नीचे हो जाता है उन क्षेत्रों को ''पर्यावरणीय जोखिम'' के रूप में घोषित किया जाए।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि देश में 5723 आकलन यूनिट में से राज्य भूजल विभागों तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आकलन किया गया, 71% (4078) आकलन यूनिटें सुरक्षित श्रेणी में हैं और शेष 29% (1645) यूनिटें अर्द्धगंभीर, गंभीर अथवा अतिदोहित के रूप में श्रेणीकृत की गई हैं। रिपोर्ट में दिए गए अनुसार अतिदोहित, गंभीर और अर्द्धगंभीर आकलन यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

तालिका 1 : भारत में ब्लाकों/मंडलों/तालुकों का श्रेणीकरण (आकलन-2004)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकलित यूनिटों की कुल संख्या	अतिदोहित		गंभीर		अर्द्ध-गंभीर	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	1231	219	18	77	6	175	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	0	0	0	0	0	0
3.	असम	23	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	515	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	146	0	0	0	0	8	5
6.	दिल्ली	9	7	78	0	0	0	0
7.	गोवा	11	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	223	31	14	12	5	69	31
9.	हरियाणा	113	55	49	11	10	5	4
10.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	8	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	208	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	175	65	37	3	2	14	8
14.	केरल	151	5	3	15	10	30	20
15.	मध्य प्रदेश	312	24	8	5	2	19	6
16.	महाराष्ट्र	318	7	2	1	0	23	7
17.	मणिपुर	7	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	7	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	22	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	7	0	0	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	314	0	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	137	103	75	5	4	4	3
23.	राजस्थान	237	140	59	50	21	14	6
24.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	385	142	37	33	9	57	15
26.	त्रिपुरा	38	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	उत्तर प्रदेश	803	37	5	13	2	88	11
28.	उत्तराखंड	17	2	12	0	0	3	16
29.	पश्चिम बंगाल	269	0	0	1	0	37	14
	कुल राज्य	5705	837	15	226	4	546	10
	संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0
4.	दमन और दीव	2	1	50	0	0	1	50
5.	लक्षद्वीप	9	0	0	0	0	3	33
6.	पांडिचेरी	4	1	25	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	18	2	11	0	0	4	22
	कुल जोड़	5723	839	15	226	4	550	10

श्रेणीकरण के लिए मानदंड

अतिदोहित : 100% से अधिक-भूजल विकास की अवस्था, या तो मानसून पूर्व अवधि अथवा मानसून के बाद की अवधि अथवा दोनों में दीर्घकालिक जल स्तर में पर्याप्त गिरावट की प्रवृत्ति।

गंभीर : 90% से अधिक और 100% से कम भूजल विकास की अवस्था-मानसून पूर्व अथवा मानसून के बाद दोनों में दीर्घकालिक जल स्तर में पर्याप्त गिरावट की प्रवृत्ति।

अर्द्ध-गंभीर : भूजल विकास की अवस्था-70% से अधिक और 100% से कम, या तो मानसून के बाद की अवधि में दीर्घकालिक जल स्तर में पर्याप्त गिरावट की प्रवृत्ति।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन

169. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अनाज-वार कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ;

(ख) उड़ीसा में खाद्यान्न की मांग कितनी है;

(ग) उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति किस तरह की है; और

(घ) उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) नीचे दी गई सारणी में गत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 तक के दौरान उड़ीसा में खाद्यान्नों का अनाज-वार उत्पादन दिया गया है।

('000 टन)

फसल	2005-06	2006-07	2007-08*
चावल	6859.0	6824.7	7507.0
गेहूं	4.5	5.8	11.0
ज्वार	5.7	5.8	6.0
बाजरा	1.6	1.4	2.0
मक्का	101.9	102.8	147.0
रागी	40.3	43.1	47.0
छोटा बाजरा	10.4	9.3	9.0
तूर	98.5	106.5	113.0
चना	22.8	24.0	26.0
अन्य खरीफ दालें	114.5	123.7	136.0
अन्य रबी दालें	100.5	97.6	202.0
दालें	336.3	351.8	477.0
खाद्यान्न	7359.7 ?	7344.7	8206.0

*दिनांक 09.07.2008 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की "भारत में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का घरेलू उपभोग, 2004-05" पर 61वें दौर की रिपोर्ट तथा भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा दिए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के अनुसार, उड़ीसा में वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों की खपत आवश्यकता 7.71 मिलियन टन अनुमानित की गई थी (बीज, खाना एवं अपशेष सहित)।

(ग) उड़ीसा में 2005-06 से 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रवृत्ति प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई है। दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान उड़ीसा में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 6.48 मिलियन टन अनुमानित किया गया है।

(घ) उड़ीसा सहित सारे देश में चावल, गेहूं एवं मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अक्टूबर 2000 से चावल, गेहूं में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा मोटा अनाज आधारित फसल प्रणालियां कार्यान्वित की जा रही हैं। "दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा सहित देश के 14 मुख्य रूप से दालें उगाने वाले राज्यों में दिनांक 01.04.2004 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित, दाल, पामऑयल एवं मक्का की एकीकृत स्कीम" (आई एस ओ पी ओ एम) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, ब्रीडर बीज खरीदने, मूल बीजों के उत्पादन, बीजों की मिनिकिटों के वितरण, अवसंरचना विकास, बेहतर प्रौद्योगिकी के ब्लाक प्रदर्शन, एकीकृत कीट प्रबंधन, खरपतवार नाशी, छिड़काव सैटों के वितरण तथा दालों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु वित्तिय सहायता दी जाती है।

चावल, गेहूं एव दालों का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने रबी 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य 11वीं योजना के अंत अर्थात् 2011-2012 तक उड़ीसा सहित देश में चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन तक बढ़ाने का है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र को सहायता

170. **श्री गिरिधारी यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य सहित कई राज्य सरकारों से प्राप्त हुए थे।

संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। विगत वर्षों के दौरान प्रमुख योजनाओं के तहत बिहार राज्य सहित अनेक राज्यों को जारी सहायता राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-। और ॥ में दिया गया है।

विवरण-।

विभिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-06 के दौरान निर्मुक्त राशियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	हथकरघा निर्यात योजना		विपणन संवर्धन कार्यक्रम		विपणन और निर्यात संवर्धन योजना	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना		कार्यशाला-सह-आवास योजना		एकीकृत हथकरघा विकास योजना	बुनकर कल्याण योजना स्वास्थ्य पैकेज योजना	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश		0.05	1.16	1.20	0.95	6.56	0.57	0.57	0.05	16.78		
2.	अरुणाचल प्रदेश			0.02	0.04	0.03	0.00	2.18	2.18	0.74	1.50	1.77	0.41
3.	असम		0.17	1.76	2.71	1.43	0.11	1.72	1.72	0.20	7.85	0.49	1.06
4.	बिहार		0.06	0.00	0.00	0.02	0.00				0.88		
5.	छत्तीसगढ़		0.00	0.00	0.00	0.42	0.05	0.08	0.08	0.13	0.92	0.03	
6.	दिल्ली			0.13	0.08	0.49	0.00				0.00		
7.	गोवा			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
8.	गुजरात			0.43	0.00	0.27	0.00				1.14		
9.	हरियाणा	0.17	0.00	0.15	0.37	0.13	0.00				0.05		
10.	हिमाचल प्रदेश	0.20	0.06	0.13	0.12	0.17	0.28	0.21	0.21		0.77		
11.	जम्मू-कश्मीर	0.06	0.06	0.00	0.82	0.06	0.25				0.00		
12.	झारखंड			0.35	0.00	0.00	0.03				1.69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	कर्नाटक			0.78	0.32	0.70	10.50			7.64	8.76	0.13	0.14
14.	केरल	0.33	0.00	0.09	0.00	0.18	2.85	0.42	0.42		6.24	0.03	0.10
15.	मध्य प्रदेश			0.40	0.37	0.86	0.30	0.10	0.10		1.46		
16.	महाराष्ट्र			0.44	0.65	0.09	0.00				0.00		
17.	मणिपुर	0.05	0.00	0.03	0.00	0.10	2.48	1.58	1.58	2.08	6.02	0.72	0.51
18.	मेघालय			0.05	0.03	0.17	0.00	0.20	0.20		0.83	0.02	0.41
19.	मिजोरम			0.12	0.01	0.51	0.00	0.13	0.13		0.00		
20.	नागालैंड		0.00	0.42	0.49	0.87	8.71	2.48	2.48	2.48	1.94	0.79	2.59
21.	उड़ीसा		0.00	0.32	0.66	1.15	1.91	0.29	0.29	0.54	3.98		
22.	पांडिचेरी			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
23.	पंजाब		0.00	0.00	0.00	0.05	0.00				0.00		
24.	राजस्थान	0.06	0.00	0.53	0.74	0.64	0.00	0.27	0.27		0.26		
25.	सिक्किम			0.00	0.02	0.04	0.00				0.00		
26.	तमिलनाडु	0.17	0.00	0.67	0.14	0.62	42.27	1.63	1.63	3.89	29.77	0.66	0.64
27.	त्रिपुरा			0.00	0.04	0.04	0.00	0.32	0.32		1.36		0.01
28.	उत्तर प्रदेश	0.60	0.86	0.80	0.90	1.35	10.48	2.18	2.18		2.36		
29.	उत्तरांचल			0.14	0.13	0.15	0.00	0.08	0.08	0.20	0.90		
30.	पश्चिम बंगाल	0.11	0.35	0.47	0.13	0.51	3.82				4.05		
	कुल	1.75	1.61	9.39	9.97	13.00	90.61	14.44	14.44	17.95	99.51	4.64	5.87
	अन्य संगठन	2.80	2.89	2.08	5.22	10.44	2.54	0	0	0	10.99	0.00	0.00
	कुल योग्य	4.55	4.50	11.47	15.19	23.44	93.15	14.44	14.44	17.95	110.50	4.64	5.87

विवरण-II

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आई सी आई सी आई को तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लिए जीवन बीमा निगम को निधियां जारी की जाती हैं

(करोड़ रुपये)

	वर्ष	शामिल बुनकरों की संख्या	जारी धनराशि
स्वास्थ्य बीमा योजना	2005-06	297558	26.73
	2006-07	401127	37.00
	2007-08	1774034	102.60
कुल		2472719	166.33
महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	2005-06	196337	3.15
	2006-07	403614	3.60
	2007-08	466486	12.98
कुल		1066335	19.13

[अनुवाद]

किसानों को कम न्यूनतम समर्थन मूल्य

171. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मौसम में गेहूं की खरीद पर घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय खरीद मूल्यों से कम मूल्य का भुगतान कर 10,000 करोड़ रुपए बचाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खरीद मूल्य से अलग करने तथा खरीद मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ मूल्यों के समान करने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के तहत, केन्द्रीय सरकार निर्धारित केन्द्रों पर विक्रय हेतु प्रस्तावित निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करने वाले सभी खाद्यान्नों का प्रापण भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेन्सियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है। उत्पादकों के पास अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेन्सियों अथवा इसे खुले बाजार में जैसा भी उनको लाभकारी हो, बेचने का विकल्प होता है। चालू रबी विपणन मौसम 2008-09 के दौरान गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी विपणन मौसम 2007-08 में निर्धारित किये गये 850 रुपये प्रति क्विंटल (100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस शामिल करते हुए) से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

(ग) और (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिशें करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न हित समूहों तथा पण्यधारियों जिनमें किसान भी शामिल हैं, से परामर्श करता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सिफारिशों का निर्माण करते समय यह अन्य बातों के साथ-साथ बहुत से कारकों यथा उत्पादन लागत, निवेश मूल्यों, अंतर फसल मूल्य समानता तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति का ध्यान रखता है।

आम की खेती

172. **श्री जुएल ओराम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आम की खेती को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) के दौरान, उड़ीसा राज्य में कुल 34663 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का रोपण किया गया, जिसमें से राज्य योजना स्कीम के अधीन 3687 हेक्टेयर क्षेत्र और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन 30776 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

पिछले 3 वर्षों के दौरान आम की खेती के लिए उड़ीसा राज्य बागवानी मिशन को एन.एच.एम. के अधीन 3478.71 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

173. **श्री रनेन बर्मन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत लाया गया है तथा तत्संबंधी फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) एन.एफ.एस.एम. के अंतर्गत जिलों को शामिल करने के कारण पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्नत बीजों, उर्वरकों, भूमि को समतल बनाने आदि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पश्चिम बंगाल के 13 जिलों नामतः, 24 परगना (दक्षिण), वीरभूमि, कूच बिहार, दीनाजपुर (उत्तर), दीनाजपुर (दक्षिण), हावड़ा, जलपाईगुडी, मालदा, मिदनापुर (पूर्व), मिदनापुर (पश्चिम), मुर्शिदाबाद, नाडिया और पुरूलिया को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनमें से 8 जिलों – 24 परगना (दक्षिण), कूच बिहार, दीनाजपुर (उत्तर), हावड़ा, जलपाईगुडी, मिदनापुर (पूर्व), मिदनापुर (पश्चिम), और पुरूलिया को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल (एनएफएसएम–चावल), 4 जिले–कूच बिहार, दीनाजपुर (उत्तर), दीनाजपुर (दक्षिण) और जलपाईगुड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूं (एनएफएसएम–गेहूं) और 5 जिले – वीरभूमि, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया और पुरूलिया को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन (एनएफएसएम–दलहन), के अधीन कवर किया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत तक देश के अभिज्ञात जिलों, जिसमें प. बंगाल के जिले भी शामिल हैं, से चावल, गेहूं और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना परिकल्पित है। उच्च उपज देने वाली किस्मों एवं संकर किस्मों के गुणवत्ता बीजों के संवर्धन, समेकित पोषक तत्व और मृदा प्रबंधन, अवशेष प्रबंधन और संसाधन संरक्षण हेतु मशीनीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण के जरिए किसानों के क्षमता विकास के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इन हस्तक्षेपों से प. बंगाल सहित देश में लक्षित उत्पादन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

चीनी के मूल्यों में वृद्धि

174. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री उदय सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद जुलाई, 2008 से सितम्बर, 2008 के बीच इसके मूल्य में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों को चीनी का कम कोटा जारी किया है, जिसके कारण इसके मूल्य में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों की प्रत्येक तिमाही के दौरान सरकार द्वारा जारी कोटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 2006-07 चीनी मौसम में चीनी के अधिक उत्पादन और 2007-08 चीनी मौसम में चीनी के अनुमानित अधिक उत्पादन के कारण चीनी के मूल्यों में काफी गिरावट आई जिससे चीनी मिलों की गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य बकायों सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों तथा गन्ना किसानों की सहायता करने और चीनी की बिक्री से प्राप्त वसूली में सुधार के लिए कई उपाय किए। इस प्रकार की खबरें थीं कि आगामी चीनी मौसम 2008-09 में चीनी का उत्पादन काफी कम होगा जिसके परिणामस्वरूप इस मौसम में चीनी की कमी होगी। 2008 की गर्मी के महीनों में कच्चे तेल के अधिक मूल्यों के कारण भी गन्ने की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का उपयोग इथनॉल के उत्पादन के लिए किया गया और इसके फलस्वरूप ब्राजील में चीनी के अनुमानित उत्पादन में कमी आई जोकि विश्व बाजार में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस प्रत्याशा से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में चीनी के फ्यूचर्स मूल्यों में मजबूती आई, जिसकी वजह से वर्तमान मूल्यों के लिए बाजार की प्रवृत्ति प्रभावित हुई। जुलाई-अगस्त, 2008 में जब चीनी की कीमतें बढ़ने लगीं तक आधार मूल्य स्तर काफी कम था। जून, 2008 से सितम्बर, 2008 तक देश में विभिन्न केंद्रों में चीनी के निकासी मूल्यों (उत्पाद शुल्क और उपकर छोड़कर) की रेंज निम्नवत् थी:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

माह	चीनी के निकासी मूल्यों की रेंज
जून, 2008	1260-1500
जुलाई, 2008	1300-1640
अगस्त, 2008 (पहली से 22 तारीख तक)	1525-1930
अगस्त, 2008 (23 से 31 तारीख तक)	1620-1840
सितम्बर, 2008	1500-1800

(ग) और (घ) गत दो चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) की प्रत्येक तिमाही के दौरान सरकार द्वारा निर्मुक्त गैर-लेवी चीनी कोटे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख टन)

तिमाही	गैर-लेवी चीनी कोटा	
	2006-07	2007-08
अक्तूबर-दिसम्बर	41	42
जनवरी-मार्च	41	44
अप्रैल-जून	41	52*
जुलाई-सितम्बर	36	53**
जोड़	159	191

*विघटित प्रथम बफर स्टॉक में से 8 लाख टन उपलब्ध होने का अनुमान है।

**विघटित प्रथम बफर स्टॉक में से 18 लाख टन और विघटित दूसरे बफर स्टॉक में से 25% मात्रा उपलब्ध होने का अनुमान है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने चीनी के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) 5 लाख टन गैर-लेवी चीनी के अतिरिक्त कोटे की निर्मुक्ति-अगस्त, 2008 के लिए 2 लाख टन और सितम्बर, 2008 के लिए 3 लाख टन।

(ii) दिनांक 8.9.2008 के आदेश द्वारा विघटित प्रथम बफर स्टॉक की 30 सितम्बर, 2008 तक पूरी बिक्री करने और विघटित दूसरे बफर स्टाक की अगस्त और सितम्बर, 2008 तक 25% बिक्री के निर्देशों को लागू करना। इस आदेश में यह व्यवस्था दी गई थी कि बफर स्टॉक की कोई भी नहीं बेची गई और प्रेषित न की गई मात्रा लेवी चीनी में परिवर्तित हो जाएगी। तथापि, सितम्बर, 2008 के सामान्य गैर-लेवी कोटे के संबंध में 29.9.2008 को बिक्री/प्रेषण की वैधता अवधि 15 दिन बढ़ाकर इस आदेश में आंशिक छूट दी गई थी।

(iii) विघटित बफर स्टाक की बिक्री/प्रेषण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति न देना। विघटित प्रथम बफर स्टाक की नहीं बेची गई/नहीं प्रेषित की गई मात्रा और विघटित दूसरे बफर स्टाक की नहीं बेची गई/नहीं प्रषित की गई 25% मात्रा लेवी चीनी में परिवर्तित हो जाएगी।

(iv) अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 तिमाही के लिए 52 लाख टन गैर-लेवी (खुली बिक्री) चीनी उपलब्ध कराना जबकि पिछले चीनी वर्ष की इसी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर 2007) के दौरान 42 लाख टन चीनी उपलब्ध कराई गई थी।

[अनुवाद]

कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

175. **श्री ई. दयाकर राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शेल्टर्ड और सहायक कार्य वाले वातावरण में कार्यरत व्यक्तियों हेतु न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारें, अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत, जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 अथवा अधिक हो, अनुसूची में किसी भी नियोजन को अधिसूचित करने तथा उसमें नियोजित कर्मचारियों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिए समुचित सरकारें हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र अथवा राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत "शेल्टर्ड और सहायक कार्य वाले वातावरण में नियोजित कामगारों के नियोजन" को अनुसूचित नियोजन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमें केन्द्रीय क्षेत्र में इस नियोजन को शामिल किए जाने के संबंध में भी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भूतपूर्व सैनिक आयोग

176. **श्री सांताश्री चटर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों हेतु एक विभाग खोलने तथा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु एक भूतपूर्व सैनिक आयोग का गठन करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिवारों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन 22.9.04 से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना की है। भूतपूर्व सैनिक आयोग की स्थापना से संबंधित विषय की सिफारिश रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2003 की 20वीं रिपोर्ट तथा वर्ष 2005 की चौथी रिपोर्ट में की थी। इस मामले पर विचार किया गया था परंतु सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि अनेक निकाय जैसे के केन्द्र में स्थित पुनर्वास महानिदेशालय तथा केंद्रीय सैनिक बोर्ड तथा राज्य स्तर पर स्थित राज्य सैनिक बोर्ड उनके परिवारों सहित भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी स्कीमों को शुरू करने हेतु पहले से विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन कनेक्शनों का काटना

177. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि देश में लोग निजी दूरसंचार आपरेटरों के लैंडलाइन कनेक्शनों को प्राथमिकता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा राज्य-वार कितने लैंडलाइन फोन कनेक्शन समाप्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एम.टी.एन.एल./बी.एस. एन.एल. के लैंडलाइन कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं में रुचि पैदा करने हेतु कोई योजना आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अभी भी एमटीएनएल कनेक्शनों की काफी मांग है। गत छह महीनों

(01.04.2008 से 30.09.2008 तक) के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा कटवाए गए लैंडलाइन फोन कनेक्शनों की संख्या एमटीएनएल दिल्ली में 44540 और एमटीएनएल, मुंबई में 57762 है। परन्तु वहां लैंडलाइन हेतु मांग भी बहुत अधिक रही है। इस अवधि के दौरान एमटीएनएल दिल्ली में कुल 60813 लैंडलाइन कनेक्शन और एमटीएनएल मुंबई में कुल 68158 लैंडलाइन कनेक्शन बढ़े हैं। हालांकि बीएसएनएल में अतिरिक्त वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, किंतु फोन वापस किए जाने/भुगतान न किए जाने के कारण कनेक्शन काटे जाने तथा उपभोक्ता द्वारा मोबाइल टेलीफोन को अधिक पंसद किए जाने के कारण कुल मिलाकर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में कमी हुई है। बीएसएनएल में गत छह महीनों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा वापस किए गए लैंडलाइन टेलीफोनों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

उपभोक्ताओं द्वारा लैंडलाइन फोनों को वापस करने के निम्नलिखित कारण हैं:-

(i) मोबाइल फोनों के उपयोग में वृद्धि।

(ii) कार्यालय/कंपनी का बंद हो जाना।

(iii) ब्रॉडबैंड उपलब्ध होने के कारण इंटरनेट आदि के लिए रखे गए दूसरे और उससे अधिक टेलीफोनों को वापस करना।

(iv) लैंडलाइन टेलीफोन ग्राहकों द्वारा बीएसएनएल/एममटीएनएल मोबाइल सेवाओं का उपयोग शुरू करना।

(v) लैंडलाइन टेलीफोन ग्राहकों द्वारा निजी प्रचालकों की सेवाएं प्राप्त कर लेना।

(vi) आर्थिक कारण आदि।

(ग) और (घ) जी, हाँ। एमटीएनएल और बीएसएनएल अपने लैंडलाइन कनेक्शनों को बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन लेने के लिए ग्राहकों में रुचि पैदा करने हेतु निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:-

एमटीएनएल द्वारा किए गए उपाय

1. परंपरागत पीएसटीएन नेटवर्क में आवश्यकतानुसार केबल, ड्रॉप वायर आदि को बदलकर सुधार लाना।

2. सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी एक्सचेंजों को डिजिटल बना दिया गया है।

3. दोष दर और एमटीटीआर में कमी लाने के लिए आउटडोर नेटवर्क में निंरतर सुधार लाया जा सकता है।

4. दोष कम करने के लिए नए आरएसयू/डीएलसी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

5. एमटीएनएल की चालू वर्ष के दौरान अभिसारित बिलिंग और सीआरएम संस्थापित करने की योजना है। इस प्रणाली में एक उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक ही बिल दिया जाता है। इस प्रणाली से सेवाओं प्रशुल्क, शिकायत निपटान आदि के संबंध में ग्राहकों के अनुरोधों का भी निवारण किया जाएगा।

6. एमटीएनएल उभरते रुझानों के अनुसार पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) उपभोक्ताओं के लिए समाचार, गीत, फलित ज्योतिष, ई-टिकटिंग, एसएमएस, वॉइस, एसएमएस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन (आईपीटीपी) आदि जैसी अनेक मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

7. पीसीओ धारकों को जोड़े रखने और नए पीसीओ फ्रैंचाइजियों को आकर्षित करने के लिए लैंडलाइन और सेल्युलर आधारित पीसीओ दोनों के लिए नई प्रशुल्क योजनाएं शुरू की गई हैं।

8. एमटीएनएल संचार हाट, ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करके तथा डीलरों और एजेंटों की नियुक्ति करके एवं कारपोरेट ग्राहकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपने ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रख रहा है।

9. एमटीएनएल विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्क की समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें ग्राहकों के अनुकूल बनाया जा सके और वे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त हों।

10. एमटीएनएल ने कम प्रशुल्क पर आईएसडी कॉलें उपलब्ध कराने के लिए वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल (वीओआईपी) सेवाएं शुरू की हैं। 31.08.2008 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल दिल्ली और एमटीएनएल मुम्बई प्रत्येक में लगभग 2000 वीओआईपी कनेक्शन काम कर रहे हैं।

11. एमटीएनएल ने 14.01.2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की हैं जो देशभर में काफी सफल हुई हैं। 31.08.2008 की स्थिति के अनुसार 5.97 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम कर रहे हैं।

12. एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई दोनों में आईपीटीवी सेवाएं शुरू की है। इससे लैंडलाइन उपभोक्ताओं का अन्य प्रदाताओं की ओर पलायन रोकने में सहायता मिलेगी और ग्राहकों को उन्नत वीडियो सेवाएं प्राप्त होंगी।

13. दिल्ली और मुम्बई दोनों में प्रोत्साहन पेशकश और साथ ही कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

14. इंटरनेट के प्रयोग में वृद्धि होने से एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड की लोकप्रियता बढ़ रही है। आईपीटीवी भी एक अत्यधिक आकर्षक प्रौद्योगिकी है और इसके विशेषकर वीओडी के लिए अत्यधिक लोकप्रिय होने की आशा है। लैंड लाइन पर ब्रॉडबैंड और आईपीटीवी उपलब्ध होने से पीएसटीएन उपभोक्ताओं के पलायन पर रोक लगने की आशा है।

बीएसएनएल द्वारा किए गए उपाय

1. बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन पर काम कर रहे अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क का निरंतर विस्तार कर रहा है। बीएसएनएल ने लैंडलाइन सेवाओं में सुधार लाने के लिए वॉयस ओवर आईपी (वीओआईपी), मांग पर खेल (गेम्स आन डिमांड), आईपीटीवी, एसएमएस आदि जैसी अनेक नई मूल्य वर्धित सेवाएं शुरू की हैं।

2. लैंडलाइन ग्राहकों के लिए वर्तमान दूरसंचार प्रशुल्क भारी छूट पर/प्रतिस्पर्धी, लागत से कम और ग्राहकों के लिए वहनीय है। बीएसएनएल ने निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अनेक वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाएं शुरू की हैं। लैंडलाइन सेवाओं के प्रशुल्क की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

बीएसएनएल में गत छह महीनों के दौरान वापस किए गए लैंड लाइन फोन कनेक्शनों की सर्किल-वार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	148	189	135	194	149	103
2.	आंध्र प्रदेश	20,005	21,705	24,107	21,845	19,779	21,314
3.	असम	4,577	4,473	3,724	7,354	7,135	5,791
4.	बिहार	4,733	1,309	4,370	6,449	1,172	305
5.	छत्तीसगढ़	2,640	4,257	6,063	5,928	3,551	3,254
6.	गुजरात	18,218	16,229	17,655	23,522	15,244	18,578
7.	हरियाणा	7,468	5,718	5,648	2,145	3,953	4,484
8.	हिमाचल प्रदेश	3,940	4,310	3,413	3,797	2,707	3,356

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	3,957	5,057	5,630	0	0	4,055
10.	झारखंड	3,907	3,628	1,583	6,398	11,672	3,839
11.	कर्नाटक	16,027	16,688	21,025	20,041	16,329	16,790
12.	केरल	12,698	10,731	10,898	10,771	9,965	16,765
13.	मध्य प्रदेश	9,539	7,904	7,137	4,722	3,418	6,702
14.	महाराष्ट्र	20,809	19,925	23,114	24,990	32,799	
15.	पूर्वोत्तर-I	1,090	567	1,197	1,296	1,061	1,015
16.	पूर्वोत्तर-II	71	110	206	314	268	266
17.	उड़ीसा	1,646	1,678	1,735	2,339	14,204	1,906
18.	पंजाब	6,821	6,401	5,698	7,314	6,868	6,495
19.	राजस्थान	16,686	7,580	13,859	8,228	12,051	17,116
20.	तमिलनाडु	24,545	19,381	22,868	20,931	17,330	18,879
21.	उत्तरांचल	3,052	3,707	2,226	5,715	3,943	5,351
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7,624	7,581	1,847	6,209	6,080	3,487
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3,284	4,001	3,534	3,927	3,020	3,555
24.	पश्चिम बंगाल	8,959	18,175	7,764	7,419	11,396	9,216
25.	कोलकाता	6,257	6,214	4,889	6,338	4,516	4,120
26.	चेन्नई	6,094	6,227	7,572	9,069	6,484	5,621
	कुल	214,795	203,745	207,897	217,255	215,094	182,363

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय जल विवाद

178. **श्री के.एस. राव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल बंटवारे और संबद्ध मुद्दों से संबंधित लंबित अंतर्राज्यीय विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विवादों के कारण संभावित बर्बादी सहित कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत यथा विहित नदी बेसिन के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु प्राधिकार सम्पन्न नदी बेसिन संगठन की स्थापना हेतु की गई सिफारिश का क्रियान्वयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विवादों का समाधान करने हेतु नदियों के राष्ट्रीयकरण करने एवं उन्हें परस्पर जोड़ने सहित अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के अनुसार, जल विवाद दो अथवा अधिक राज्य सरकारों की बीच तब उत्पन्न होता है जब केन्द्र सरकार को जल विवाद होने के संबंध में किसी भी बेसिन राज्यों से इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होता है। आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मौजूदा अंतर्राज्यीय जल विवाद के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	नदी/नदियां	संबंधित राज्य	केन्द्र सरकार को भेजने की तारीख	अधिकरण को भेजने की तारीख
1.	रावी एवं ब्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	–	अप्रैल, 1986
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई, 1986	जून, 1990
3.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	सितम्बर, 2002- जनवरी, 2003	अप्रैल, 2004
4.	मादेई/मोन्डोवी/महादाई	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	जुलाई, 2002	–
5.	वंसधारा	आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा	फरवरी, 2006	–

(ख) अंतर्राज्यीय जल विवादों से बेसिन में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है और इसके परिणामस्वरूप देरी से लाभ मिलते हैं जो कि इन परियोजनाओं से प्राप्त होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसे कदमों को उठाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के रूप में जल विवाद के निपटारे के लिए तंत्र उपलब्ध है। आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया है जिसके द्वारा अधिकरण द्वारा जल-विवाद के अधिनिर्णय को समयबद्ध बना दिया गया है।

कृषि उत्पाद के मूल्यों में गिरावट

179. **श्री हितेन बर्मन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कृषि उत्पाद के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि लागत में वृद्धि का किसानों के सभी वर्गों के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी नहीं। निम्नलिखित सारणी में जनवरी से सितम्बर, 2008 के दौरान कृषि जिन्सों के मासिक थोक मूल्य सूचकांक दिए गए हैं।

2008

जिन्स	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
सभी जिन्स	218.1	219.9	225.5	228.5	231.1	236.6	240	240.7	241.0
प्रमुख जिन्स	224.6	230.6	235.9	238.6	241.9	243.9	248.7	249.3	251.5
खाद्यान्न	217.7	219.1	222.3	223.9	222.8	223.8	228.2	228.5	229.9
अनाज	215.7	217.2	219.2	220.9	220.2	221.1	224.7	223.8	225.0
चावल	195.5	196.8	198.9	201.7	200.8	200.7	203.1	203.2	202.9
गेहूं	231.4	232.6	233.4	233.4	232.6	233.8	240.8	235.8	241.7
दालें	232.1	232.8	244.8	246.4	241.7	243.9	253.3	263.2	266.2
तिलहन	225.6	235.4	244.5	240.6	244.1	255.5	259.8	255.2	249.9
खाद्य तेल	182.4	186.8	196.2	188.9	186.6	197.7	201.3	196.0	192.1

(ग) और (घ) प्रमुख फसलों यथा गेहूं की उत्पादन लागत वर्ष 2006-07 में 537.58 रुपए प्रति क्विंटल में मामूली बढ़कर वर्ष 2007-08 में 624.46 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। धान की उत्पादन लागत भी वर्ष 2007-08 में 594.63 रुपए प्रति क्विंटल से मामूली बढ़कर 618.76 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। सरकार प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन निर्धारित करती है ताकि किसानों को अपनी उपज का प्रोत्साहनात्मक मूल्य प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

बंद पड़ी एन.टी.सी. मिलों के कामगारों को भुगतान

180. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में बंद पड़ी राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) मिलों के कामगारों तथा अधिकारियों को राज्य-वार कुल कितना भुगतान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एन.टी.सी. मिलों के कितने कामगारों तथा अधिकारियों को राज्य-वार बिना किसी कार्य के वेतन का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) लगभग एक दशक गुजर जाने के बाद भी इस मुद्दे को सुलझाने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के अनुमोदन और सरकार के निर्णय के अनुसार एनटीसी की पुनरुद्धार योजना का वित्त पोषण अतिरिक्त भूमि और परिसंपत्तियों की बिक्री के द्वारा किया जाना था। कुछ राज्य सरकारों से अपेक्षित अनुमति में विलंब/न मिल पाने के कारण अतिरिक्त भूमि की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकी जिससे पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। तथा, पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन काफी हद तक हो गया है और एनटीसी अपने बेकार कार्मिकों को काफी संख्या में कम करने में समर्थ रहा है। अब तक 59179 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है जिस पर 2124.42 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

(घ) बीआईएफआर/भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अनुसार एनटीसी 22 मिलों का आधुनिकीकरण स्वयं कर रहा है और 16 मिलों का पुनरुद्धार संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा किया जा रहा है। इन उपायों से कंपनी में बेकार कार्मिकों की संख्या में और कमी आएगी।

विवरण

(राशि लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कर्मचारियों की सं.				बेकार मजदूरियों के रूप में भुगतान की गई राशि			
		2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-सित.,08	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-सित.,08
1.	पंजाब	763	146	131	125	379.02	172.13	194.93	98.07
2.	राजस्थान	146	128	115	217	316.11	165.01	146.04	73.14
3.	उत्तर प्रदेश	330	289	270	262	306.43	477.3	484.37	270.46
4.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	महाराष्ट्र	125	121	118	112	221.94	233.51	247.52	127.2
6.	गुजरात	0	(	0	0	0	0	0	0
7.	आंध्र प्रदेश	29	10	9	7	46.05	14	12.56	16.66
8.	कर्नाटक	24	4	226	213	17.78	6.8	266.61	101.15
9.	पश्चिम बंगाल	73	56	11	6	48.86	19.76	5.13	2.19
10.	बिहार	17	16	11	6	13.25	14.17	9.46	2.5
11.	तमिलनाडु	21	14	162	56	16.48	11	39.8	81.07
12.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1525	784	1053	1004	1365.92	1113.68	1406.42	772.44

[अनुवाद]

फलों एवं सब्जियों में कीटनाशक

181. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में राज्य सरकारों के परामर्श से फलों एवं सब्जियों में कीटनाशकों तथा अन्य हानिकारक पदार्थों की जांच एवं अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जांच तथा अध्ययन में कितने प्रतिशत विभिन्न हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेष का मॉनिटरन" कार्यान्वित कर रही है, जिसमें देश में फल और सब्जी मण्डी नमूनों में कीटनाशी अवशेष स्तर का अक्तूबर, 2006 से अनुमान लगाया जा रहा है।

(ख) अक्तूबर, 2006 से जुलाई, 2008 तक देश में विभिन्न क्षेत्रों से 58 मण्डियों और थोक बाजारों से संगृहीत आम और सब्जी नमूनों में पता लगाए गए कीटनाशी अवशेष का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विश्लेषित फलों और सब्जियों के 5462 नमूनों में से 262 (4.8 प्रतिशत) नमूनों में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की रोकथाम के तहत निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से ऊपर कीटनाशी अवशेष पाया गया था।

विवरण

जिन्स	विश्लेषित नमूने	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए), 1954 की रोकथाम के तहत अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक कीटनाशी अवशेष
सब्जियां	4334	249
फल	1128	13

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

182. **श्री धीरेंद्र अग्रवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कोई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी, हां। झारखंड में 5 जिलों, नामतः गुमला, हजारीबाग, रांची, सिमडेगा और सिंहभूमि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एनएफएसएम-चावल) परिचालन में है। वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य में एनएफएसएम-चावल के कार्यान्वयन के लिए 1276.89 लाख रुपए आबंटित किए गए। इसके अलावा, प्रचार हेतु 30.00 लाख रुपए की राशि भी आबंटित की गई। इसके मुकाबले, अब तक एनएफएसएम-चावल के लिए 950.12 लाख रुपए और प्रचार के लिए 30.00 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

[अनुवाद]

काजू उत्पादन में कमी

183. **श्रीमती सी.एस. सुजाता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विगत वर्षों के दौरान काजू के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने काजू की खेती के विस्तार के लिए बागवानी मिशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो केरल स्टेट एजेंसी फार कैश्यू कल्टीवेशन (के.एस.ए.सी.सी.) ने केरल राज्य में काजू उत्पादन में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। विगत 5 वर्षों (वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक) के लिए काजू का विस्तृत क्षेत्र और उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार काजू सहित बागबानी फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दो प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है, नामतः राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में समेकित बागवानी

विकास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई)। इन स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास, उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन/प्रसार आदि क्रियाकलापों के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सहायता के लिए राज्य की वार्षिक कार्य योजना के भाग के रूप में शामिल करें।

विवरण

भारत में काजू का क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता

ए—क्षेत्र हजार हैक्टेयर में

पी—उत्पादन हजार मीट्रिक टन में

एपीवाई—औसत उत्पादकता किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में

राज्य	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			2007-08		
	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई	ए	पी	एपीवाई
केरल	101	95	890	102	64	900	80	67	900	80	72	900	84	78	900
कर्नाटक	94	46	500	95	43	680	100	45	700	102	52	700	103	56	710
गोवा	55	32	690	55	26	660	55	27	690	55	29	690	55	31	700
महाराष्ट्र	148	120	1100	160	174	1200	160	183	1300	164	197	1500	167	210	1500
तमिलनाडु	95	51	600	105	53	610	121	56	640	123	60	670	123	65	700
आंध्र प्रदेश	136	95	750	150	88	840	170	92	880	171	99	890	171	107	900
उड़ीसा	124	71	850	126	74	810	120	78	860	125	84	860	131	90	860
पश्चिम बंगाल	9	9	760	9	8	800	10	10	950	10	10	1000	10	10	1000
अन्य	18	16	790	18	14	800	21	15	900	24	17	700	24	18	800
कुल	780	535	800	820	544	810	837	573	815	854	620	820	868	665	860

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन

184. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य, राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण

हैं और किन-किन राज्यों ने उक्त परिषदों का गठन किया है और किन-किन राज्यों ने अभी तक उक्त परिषदों का गठन नहीं किया है; और

(ग) सभी राज्यों में उक्त परिषदों का गठन सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य और जिला उपभोक्ता परिषदों के गठन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इन परिषदों के गठन न किए जाने के कारणों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7 और 8(क) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित करने के लिए शक्तियां दी गई हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इस विभाग द्वारा निरंतर परिषदें स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है।

(ग) सरकार इन परिषदों की स्थापना के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करती रही है। यह कार्य नियमित रूप से पत्र लिखकर और राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिवों की बैठकों में उठाकर किया जा रहा है।

विवरण

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद	जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	गठित	गठित
2.	आंध्र प्रदेश	गठित नहीं	गठित नहीं
3.	अरुणाचल प्रदेश	गठित	गठित
4.	असम	गठित	23 जिलों में से 22 जिलों में गठित
5.	बिहार	गठित नहीं	गठित नहीं
6.	चंडीगढ़	गठित नहीं	गठित नहीं
7.	छत्तीसगढ़	गठित	गठित
8.	दादरा व नगर हवेली	गठित	2 जिलों में से 1 जिले में गठित
9.	दमण व दीव	गठित	गठित
10.	दिल्ली	गठित नहीं	गठित नहीं
11.	गोवा	गठित	गठित
12.	गुजरात	गठित नहीं	गठित
13.	हरियाणा	गठित नहीं	गठित नहीं

1	2	3	4
14.	हिमाचल प्रदेश	गठित	गठित नहीं
15.	जम्मू-कश्मीर	गठित	गठित नहीं
16.	झारखंड	गठित नहीं	गठित नहीं
17.	कर्नाटक	गठित नहीं	गठित नहीं
18.	केरल	गठित नहीं	गठित
19.	लक्षद्वीप	गठित	गठित
20.	मध्य प्रदेश	गठित नहीं	गठित नहीं
21.	महाराष्ट्र	गठित नहीं	35 जिलों में से 2 जिलों में गठित
22.	मणिपुर	गठित नहीं	गठित नहीं
23.	मेघालय	गठित	गठित
24.	मिजोरम	गठित	गठित
25.	नागालैंड	गठित	गठित
26.	उड़ीसा	गठित नहीं	30 जिलों में से 4 जिलों में गठित
27.	पाण्डिचेरी	गठित नहीं	गठित नहीं
28.	पंजाब	गठित नहीं	20 जिलों में से 17 जिलों में गठित
29.	राजस्थान	गठित	गठित
30.	सिक्किम	गठित	गठित
31.	तमिलनाडु	गठित नहीं	गठित नहीं
32.	त्रिपुरा	गठित	गठित नहीं
33.	उत्तराखंड	गठित नहीं	गठित नहीं
34.	उत्तर प्रदेश	गठित नहीं	गठित नहीं
35.	पश्चिम बंगाल	गठित	गठित

केरल डेयरी किसान कल्याण बोर्ड के लिए सहायता

185. **श्री पी. राजेन्द्रन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से डेयरी किसानों के लिए बीमा नीति के कार्यान्वयन के लिए केरल डेयरी किसान कल्याण निधि हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल डेयरी किसान कल्याण कोष (केडीएफडब्ल्यूएफ) ने अपने दिनांक 02.1.2008 के पत्र के तहत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अपंगता के लिए सहायता, व्यापक बीमा सुरक्षा, विवाह सहायता, दाह संस्कार कार्यों के लिए सहायता, शैक्षणिक छात्रवृति तथा अन्य लाभों जैसे क्रियाकलापों को शामिल करते हुए, 2007-08 से 2011-12 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार से 10,859.75 रुपए की कुल लागत से 100% वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 24.1.2008 को के.डी.एफ.डब्ल्यू.एफ. को सूचना दी गई थी कि यह विभाग ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है, जिसके तहत ऐसे किसी प्रस्ताव को वित्त पोषण प्रदान किया जा सके।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का विस्तार

186. **श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है;

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) के कार्यान्वयन के लिए जिलों का चयन करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) देश में एन.सी.एल.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या तथा उनके नाम राज्य-वार क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एन.सी.एल.पी. तथा इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों का विस्तार ग्यारहवीं योजना के दौरान उन सभी जिलों में करने का है जहां अभी भी बाल श्रम विद्यमान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इससे कितने बाल श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियों का आबंटन किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम के अंतर्गत, जोखिमकारी कार्यों में लगे बच्चों का कार्य से बचाव किया जाता है और हटाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत विशेष स्कूलों में नामांकित किए गए ऐसे बच्चों की संख्या संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बाल श्रमिकों की बहुलता तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर भी जिलों की पहचान की जाती है।

(ग) कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एल.सी.एल.पी.) स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों के कवरेज में वृद्धि के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम का सभी बाल श्रमिक बहुल जिलों तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों का कवरेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37882	63056	27503

1	2	3	4	5
2.	असम	4750	4555	4555
3.	बिहार	8500	8500	34650
4.	छत्तीसगढ़	11639	11002	10988
5.	गुजरात	0	5650	5650
6.	झारखंड	7375	8856	8341
7.	कर्नाटक	13212	13790	13790
8.	महाराष्ट्र	6615	8649	8649
9.	मध्य प्रदेश	17404	19688	22248
10.	उड़ीसा	83557	33212	29654
11.	पंजाब	4657	4308	4308
12.	राजस्थान	19545	39601	39601
13.	तमिलनाडु	17540	16522	16522
14.	उत्तर प्रदेश	34171	71479	71479
15.	पश्चिम बंगाल	17095	28401	31284

विवरण-II

एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डापा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नलगोंडा, खम्माम, नेल्लूर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प. गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद और कृष्णा।
2.	असम	3	नौगांव, कामरूप और लखीमपुर।
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर।
4.	छत्तीसगढ़	8	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, रायपुर और कोरबा।
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, भुज, बनास कांठा, दाहोद, बड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट।
6.	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद, और पानीपत।
7.	जम्मू-श्रीनगर	3	जम्मू, श्रीनगर और ऊधमपुर।

1	2	3	4
8.	झारखंड	9	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, प. सिंहभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू, रांची और हजारीबाग।
9.	कर्नाटक	17	बीजापुर, रायपुर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, तुमकुर, देवलगिरि, हवेरी, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या।
10.	मध्य प्रदेश	17	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, बेतुल, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) और झाबुआ।
11.	महाराष्ट्र	13	सोलापुर, थाणे, पुणे, बुलढाणा, सांगली, परबनी, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले और बीड।
12.	मिजोरम	1	आईजोल
13.	नागालैंड	1	दीमापुर
14.	उड़ीसा	18	अंगुल, बारगढ़, बलांगीर, देवघर, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, रायागड, सम्बलपुर, सोनपुर, कटक और बालासोर।
15.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।
16.	राजस्थान	23	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौन, चूरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर।
17.	तमिलनाडु	13	चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लोर, पुडुकोट्टाई, सलेम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोडे, डिन्डीगल और थेनी।
18.	उत्तर प्रदेश	42	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, कौशाम्बी, गोन्डा, खेरी, बहराईच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, कन्नौज, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, बिजनौर, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा और एटा।
19.	उत्तरांचल	1	देहरादून
20.	पश्चिम बंगाल	19	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूवी मिदनापुर और दार्जीलिंग।
	कुल	250	

पशुपालन को दर्जा

187. श्री सुरेश अंगडि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुपालन को कृषि के समान दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) पशुपालन राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्णय लेना होता है। तथापि कृषि मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कुक्कुट क्रियाकलापों को कृषि के समान दर्जा दिए जाने के लिए लिखा है। उड़ीसा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा राज्यों ने कुक्कुट को कृषि के समान घोषित कर दिया है।

मृदा अपरदन के कारण उत्पादन में कमी

188. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मृदा अपरदन के कारण कृषि उत्पादन दर में कमी की संभावनाओं का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप देश में उत्पादन दर में कितनी औसत वार्षिक कमी का अनुमान है; और

(ग) इस कमी के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र को हो रही वार्षिक क्षति की राशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, देश में 328.60 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 146.82 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र विभिन्न प्रकार के भूमि अवक्रमण के अध्यधीन है। मृदा अपरदन में वृद्धि के कारण कृषि की वार्षिक औसत उत्पादकता में कमी आई है, जो नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्न, मध्यम और उच्च अपरदन श्रेणियों के अधीन क्रमशः 2210, 1490 और 670 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है:-

अपरदन की स्थिति	मृदा हानि (टन/हेक्टेयर)	जल अपरदन के अधीन क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर)
निम्न	10 से कम	3.15	2210
मध्यम	10-20	15.29	1490
अधिक	20-40	67.45	670
बहुत अधिक	40 से अधिक	7.81	कृषि हेतु योग्य नहीं
कुल		93.70	

देश में मृदा अपरदन की औसत दर प्रति हेक्टेयर 16.4 टन है। कुल अपरदित मृदा में से 61 प्रतिशत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, लगभग 29 प्रतिशत समुद्र में स्थाई रूप से बह जाती है और शेष 10 प्रतिशत जलाशय में जमा हो जाती है। नदी प्रणाली के ऊपरी स्थानों में मृदा अपरदन से भूमि अवक्रमण हो जाता है जबकि निचले स्थानों में नदी प्रणाली के विभिन्न स्थानों पर मृदा जमा होने से मृदा उर्वरता बढ़ती है। लगभग 5.3 बिलियन टन मृदा और लगभग 8.40 मिलियन टन पादप पोषक तत्व मृदा अपरदन के जरिए वर्ष दर वर्ष बहकर स्थानांतरित हो जाते हैं। मोटा-मोटा अनुमान यह भी दर्शाता है कि मृदा अपरदन से कृषि हानि देश में 5200-8400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के बीच होती है।

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना

189. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिल्पकारों और उनके परिवारों के लाभार्थ राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना आरम्भ होने से इसके अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत पहले से विद्यमान रोगों, मातृत्व लाभों, दुर्घटनाओं तथा अन्य चिकित्सा लाभों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम आरम्भ की है जिसके तहत सभी शिल्पीगण चाहे पुरुष हो अथवा महिला 01 दिन से लेकर 80 वर्ष तक के आयु समूह के बीच इस स्कीम में कवर किए जाने के पात्र हैं। यह स्कीम कारीगर परिवार के 4 सदस्यों अर्थात् स्वयं तथा आश्रित माता-पिता, पत्नी तथा बच्चों में से अन्य कोई भी परिवार के 3 सदस्यों को 15,000/- रुपये के चिकित्सा कवर सहित नकद रहित सुविधा तथा ओ पी डी आदि मुहैया कराती है। सेवा कर सहित 800/- रुपये के कुल वार्षिक प्रीमियम में से, भारत सरकार सामान्य वर्ग के कारीगरों के लिए सेवा कर सहित 650/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के मामले में सेवा कर सहित 725/- रुपये का योगदान देती है। सामान्य वर्ग के कारीगर वार्षिक प्रीमियम के लिए 150/- रुपये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगर 75/- रुपये का योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त, बीमाकृत कारीगरों को दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये का बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। इस स्कीम के तहत शामिल कारीगर परिवारों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। मौजूदा स्कीम में विद्यमान रोगों, मातृत्व लाभों, दुर्घटनाओं और अन्य चिकित्सा लाभों को पहले से ही शामिल किया जा चुका है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कवर किए गए कारीगर परिवारों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल कारीगर

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3,865	19,097	22,962
2.	अरुणाचल प्रदेश	170	1,336	1,506
3.	असम	2,894	157,343	160,237
4.	बिहार	1,654	6,021	7,675
5.	छत्तीसगढ़	242	930	1,172
6.	दिल्ली	439	1,934	2,373
7.	गुजरात	6,280	4,353	10,633
8.	गोवा	318	0	318
9.	हरियाणा	822	1,754	2,576
10.	हिमाचल प्रदेश	1,130	1,105	2,235
11.	जम्मू-कश्मीर	1,710	15,333	17,043
12.	झारखण्ड	1,342	3,055	4,397
13.	कर्नाटक	1,442	15,034	16,476
14.	केरल	1,804	11,247	13,051
15.	मध्य प्रदेश	1,149	4,937	6,086
16.	महाराष्ट्र	987	0	987
17.	मणिपुर	3,487	44,876	48,363
18.	मेघालय	184	7,341	7,525
19.	मिजोरम	150	386	536
20.	नागालैंड	925	1,957	2,882
21.	उड़ीसा	2,611	5,654	8,265
22.	पांडिचेरी	180	3,262	3,442
23.	पंजाब	687	6,646	7,333
24.	राजस्थान	2,777	11,102	13,879
25.	सिक्किम	123	316	439

1	2	3	4	5
26.	तमिलनाडु	3,549	26,360	29,909
27.	त्रिपुरा	441	12,443	12,884
28.	उत्तर प्रदेश	4,945	2,98,074	3,03,019
29.	उत्तरांचल	2,269	5,996	8,265
30.	पश्चिम बंगाल	3,343	2,14,108	2,17,451
	कुल	51,919	8,82,000	9,33,919

विवरण-II

कारीगर परिवारों के लिए मैडि-कलेम लाभों का ब्यौरा

क. लाभ

(क) वैयक्तिक दुर्घटना:-1.00 लाख रुपये तक

मृत्यु: सुनिश्चित धनराशि : 1.00 लाख रुपये तक

(ख) शरीर से अलग हुए किसी भी अंग की पूर्णतया और अपूरणीय क्षति की स्थिति में सुनिश्चित धनराशि - 1,00,000/- रुपये

(ग) शरीर से बिना अलग हुए किसी भी अंग की पूर्णतया और अपूरएीय क्षति की स्थिति में सुनिश्चित धनराशि— 1,00,000/- रुपये

ख. मैडि-कलेम

विवरण	धनराशि (रुपये में)
1	2
प्रति परिवार (1+3) वार्षिक सीमा	15000/-
प्रति परिवार उप सीमा	
समस्त पूर्व-विद्यमान रोग + नए रोग	15,000/-
मातृत्व लाभ (प्रति बच्चा पहले दो बच्चों के लिए)	2,500/-
दांतों का उपचार	250/-
नेत्र उपचार	75/-
चश्मा	250/-
गृहोपचर्यालयीयन	4,000/-
आर्युवेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक / सिद्ध	4,000/-
पूर्व एवं पश्च चिकित्सालयवासावधि	15,000/-
शिशु कवरेज	500/-
ओपीडी	7,500/-
प्रति बीमारी सीमा	7,500/-

अपवर्जन :

दोषनिवारक कॉस्मैटिक सर्जरी अथवा उपचार, एचआईवी, एड्स, बांझपन, गुप्त रोग, साभिप्राय स्वत: आघात, नशीले पदार्थों अथवा शराब का प्रयोग, युद्ध, दंगे, आतंकवादी हमलों तथा नाभिकीय जोखिम।

राष्ट्रीय जल नीति

190. **श्री उदय सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान राष्ट्रीय जल नीति विभिन्न जल मुद्दों के समाधान के लिए अपर्याप्त पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एक व्यापक नई राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा एवं इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जलनीति, 2002 (एनडब्ल्यूपी) राष्ट्रीय

जल संसाधन परिषद द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को अपनाई गई। एनडब्ल्यूपी में सतही और भूजल दोनों संसाधनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान है। एनडब्ल्यूपी में यह उल्लेख किया गया है कि इसमें आवश्यकतानुसार आवधिक रूप से संशोधन किया जा सकता है। एनडब्ल्यूपी के संबंध में समय-समय पर कई लोगों की टिप्पणियां/विचार प्राप्त हुए थे और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उनकी विधिवत रूप से जांच की गई थी। इन विचारों की जांच से एनडब्ल्यूपी की समीक्षा करने की तुरंत आवश्यकता नहीं पड़ी। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और नदी प्रवाह में अंतर को कम करने की दृष्टि से बेसिन स्तरीय प्रबंधन कार्यनीतियां सुनिश्चित करने के वास्ते राज्यों के परामर्श से राष्ट्रीय जल नीति का पुन: मुआयना करने की योजना है।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए ए.आई.बी.पी. सहायता

191. **श्री महेश कनोडीया :**
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत सरकार सरोवर परियोजना के लिए गुजरात को आबंटित केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या उक्त सहायता के अंतर्गत कोई राशि केंद्र सरकार पर बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है; और

(घ) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय सहायता इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एआईबीपी प्रस्तावों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर जारी की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना को वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान क्रमश: 339.60 करोड़ रुपये, 121.8885 करोड़ रुपये और 585.72 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। चालू वर्ष (2008-09) के दौरान 10 अप्रैल, 2008 को 251.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जो पिछले वर्ष (2007-08) की लंबित मांग पर आधारित थी।

एआईबीपी के अंतर्गत निधियन

192. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा राज्यों को उनके वित्तीय संकट को दूर करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत वर्तमान निधियन ढांचे को उनके लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए इसमें परिवर्तन करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान योजना का लाभ उठाने वाले तथा सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उड़ीसा राज्य में कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट (के.बी.के.) क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधान मंत्री के पैकेज में शामिल परियोजनाओं हेतु परियोजना लागत में 25% से 90% तक वित्तपोषण पद्धति के परिवर्तन के लिए मांग रही है।

(ख) जी, नहीं। कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) सिंचाई के तहत अधिक क्षेत्र शामिल करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत अब तक 28 राज्य केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर चुके हैं। नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) उड़ीसा राज्य में कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के लिए अब तक कुल 1094.9117 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए)/अनुदान राशि जारी की गई है।

विवरण

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. छत्तीसगढ़
6. गोवा
7. गुजरात
8. हरियाणा
9. हिमाचल प्रदेश
10. जम्मू-कश्मीर
11. झारखण्ड
12. कर्नाटक
13. केरल
14. मध्य प्रदेश
15. महाराष्ट्र
16. मणिपुर
17. मेघालय
18. मिजोरम
19. नागालैंड
20. उड़ीसा
21. पंजाब
22. राजस्थान
23. सिक्किम
24. तमिलनाडु
25. त्रिपुरा
26. उत्तर प्रदेश
27. उत्तराखंड
28. पश्चिम बंगाल

जखाऊ मत्स्यग्रहण पत्तन परियोजना

194. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री महेश कनोडीया :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री वसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जखाऊ मत्स्यग्रहण पत्तन परियोजना (जे.एफ.एच.पी.) को शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति विलंब से मिलने के कारण परियोजना की आरंभिक लागत में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप यह राशि 41.48 लाख रुपए हो गई है जिसका भुगतान गुजरात सरकार को अभी तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि बढ़ी हुई लागत पर इस तथ्य के दृष्टिगत विचार किया जाएगा कि मूल अनुमान 1990-91 की दरों पर आधारित थे;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने संशोधित अनुमानित लागत के संबंध में ब्यौरे-वार रिपोर्ट भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य को संशोधित लागत कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने मई, 1993 में 100% केन्द्रीय सहायता के

साथ 1143.60 लाख रुपए की अनुमानित लागत से जखाऊ स्थित मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी।

(ख) इस परियोजना को 1143.60 लाख रुपए की अनुमोदित लागत से मई, 1996 तक पूरा किया जाना था। तथापि, गुजरात सरकार ने 3483.90 लाख रुपए की अद्यतन अनुमानित संशोधित लागत के साथ लागत अनुमान ने कई बार संशोधन किया। राज्य सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में हुए विलंब को लागत में हुई वृद्धि के कई कारणों में एक बताया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध के अनुरूप कोई व्यापक तथा अंतिम संशोधित लागत अनुमान प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

कच्छ और पाकिस्तान के बीच सड़क संपर्क

195. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्छ और पाकिस्तान के बीच सड़क संपर्क का कार्य शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल फोन का स्वास्थ्य पर प्रभाव

196. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल फोनों द्वारा उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक तरंगें उपयोगकर्त्ताओं के ऊतकों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें विनिर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं को टेलीफोन का उपयोग करते हुए बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को दिखाते वाले विज्ञापनों से बचने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (च) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई, 2006 में जारी तथ्य पत्रक संख्या 304 में यह उल्लेख किया गया है कि मोबाइल बेस स्टेशनों, फोनों और वायरलेस नेटवर्कों से उत्सर्जित विकिरण अनुमत स्तर से काफी कम होता है तथा अब तक प्राप्त अनुसंधान परिणामों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस बात का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बेस स्टेशनों/फोनों और वायरलेस नेटवर्कों से उत्सर्जित दुर्बल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नलों का स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के आदेशानुसार मोबाइल फोन टावरों/फोनों से उत्पन्न विकिरणों के प्रभाव और अन्य संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि "कुल मिलाकर ऐसा कहने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मोबाइल बेस स्टेशनों/फोनों से उत्सर्जित रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरणों से स्वास्थ्य के लिए सीधे-सीधे कोई संकट उत्पन्न होता है।"

सरकार ने विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मोबाइल टेलीफोनों का प्रयोग करते हुए दशनि वाले विज्ञापन जारी नहीं करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

197. **श्री प्रबोध पाण्डा :**
श्री संतोष गंगवार :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री मदन लाल शर्मा :
प्रो. एम. रामदास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा इस संबंध में विशेषकर धान के संदर्भ में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए बोनस के रूप में अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार ने 2008-09 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य	सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	2	3	4
धान	सामान्य	1000	850*
	ग्रेड ए	1050	880*
ज्वार	हाईब्रीड	840	840
	मलदांदी	860	860
बाजरा	–	840	840
मक्का	–	840	840
रागी	–	915	915
तूर (अरहर)	–	2000	2000
मूंग	–	2520	2520
उड़द	–	2520	2520
मूंगफली छिलके सहित		2100	2100
सोयाबीन	पीली	1390	1390
	काली	1350	1350
सूरजमुखी बीच	–	2215	2215
तिल	–	2750	2750
रामतिल	–	2405	2405
कपास	24.5 - 25.5 रेशे की लम्बाई (मि.मी) वाली तथा 4.3 - 5.1 की माइक्रोनेयर मान वाली	2500	2500
	29.5 - 30.5 रेशे की लम्बाई (मि.मी.) वाली तथा 3.5 - 4.3 की माइक्रोनेयर मान वाली	3000	3000

*50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस अनुमोदित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस के मुद्दे पर सरकार द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक वितरण योजना, प्रापण एजेन्सियों के पास स्टॉक की स्थिति तथा अन्य विपणन कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। तथापि वर्ष 2008-09 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।

सिम कार्डों की कमी

198. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना जिले के बसीरहाट उपमंडल सहित देश में सिम कार्डों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में इसकी आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिले के बसीरहाट उपमंडल सहित बीएसएनएल के सभी सर्किलों में मांग पर सिम कार्ड उपलब्ध हैं। एमटीएनएल में भी सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना

199. **श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के अंतर्गत 194 करोड़ रुपए का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृत किए जाने तथा इस प्रयोजनार्थ निधियां जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने तटीय संरक्षण एवं प्रबंध परियोजना तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में कुछ धनराशि स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो इन निधियों की मात्रा एवं पर्याप्तता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, कटावरोधी उपाय संबंधी कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रारंभ किए जाते हैं। तथापि, तटरेखा के कुछ नाजुक खंडों में समुद्री कटाव की समसयाओं की गंभीरता को देखते हुए और राष्ट्रीय तटीय सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना (एनसीपीपी) के लिए प्रस्ताव तैयार करने और वाह्यवित्तपोषण की मांग करने के लिए सभी तटवर्ती राज्यों से सूचना प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इस संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया था और उसे जुलाई, 2004 में योजना आयोग को भेज दिया गया था इसमें अन्य बातों के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार से 193.80 कराड़ो रुपए का एक प्रस्ताव शामिल किया गया था।

मार्च, 2005 में योजना आयोग ने बाह्य वित्तपोषण के लिए इसे किसी उपयुक्त अभिकरण को प्रस्तुत करने के वास्ते प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया था। इस पर काफी विचार करने के पश्चात, आर्थिक कार्य विभाग ने इसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को भेज दिया।

एडीबी ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यों के संबंध में परियोजना संबंधी प्रारंभिक तकनीकी सहायता (पीपीटीए) मंजूर कर दी है। एडीबी और आर्थिक कार्य विभाग के बीच 3 मार्च, 2008 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

मत्स्यपालन विकास अभिकरण

200. **श्री चन्द्रभान सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्र के हिस्से के रूप में 302.677 लाख रुपए संस्वीकृत करने और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मत्स्यपालन विकास अभिकरण योजना के अंतर्गत ताजे सजल के जलीय जीवों के विकास हेतु 4.423 लाख रुपए का पुनर्वैधीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 298.29 लाख रुपए की मंजूरी तथा चालू वर्ष के दौरान अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 4.42 लाख रुपये की न खर्च की गई शेष राशि के पुनर्वैधीकरण का प्रस्ताव भेजा था। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा 100 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के पास पड़ी 4.42 लाख रुपए की न खर्च की गई राशि को भी पुनर्वैधित कर दिया जाता है।

बकाया गन्ना राशि

201. **योगी आदित्यनाथ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बकाया का शीघ्र भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 31.7.2008 की स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 2007-08 में आपूर्ति किए गए गन्ने के लिए गन्ना किसानों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 2624 करोड़ रुपये थी। 31.7.2008 की स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 2006-07 के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 230 करोड़ रुपये थी और 2006-07 चीनी मौसम से पहले की अवधि के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 226 करोड़ रुपये थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करने में चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए कई उपाए किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है:-

(i) एक वर्ष की अवधि के लिए 50 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक सृजित किया गया था। इस बफर सब्सिडी स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार बफर के रूप में आवंटित और रखी गई मात्रा के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ब्याज, बीमा और भंडारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अलावा, बैंक मार्जिन अपेक्षा में छूट देकर बफर स्टॉक के सृजन पर अतिरिक्त ऋण मुहैया कराते हैं। चीनी फैक्ट्रियों को इस प्रकार संवितरित बफर सब्सिडी का उपयोग प्रथम प्राथमिकता के रूप में गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिए किया जाना है और अतिरिक्त ऋण का अपयोग पूर्णतया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किया जाना है;

(ii) 19.04.2007 से 30.09.2008 तक तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिए 1350/- रुपये प्रति टन की दर से और गैर-तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के लिए 1450/- रुपये प्रति टन की दर से, पड़ोसी देशों को सड़क/रेल द्वारा निर्यात के लिए वास्तविक व्यय के अध्यधीन, आंतरिक ढुलाई, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों और समुद्री भाड़े पर हुए खर्च के भुगतान के लिए निर्यात सहायता प्रदान की गई है। दी गई इस सहायता का उपयोग किसानों के गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में किया जाता है;

(iii) चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए लगभग 3800 करोड़ रुपये की एक ऋण स्कीम क्रियान्वित की गई है ताकि क्रमशः 2006-07 और 2007-08 चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया/देय मूल्य के लिए पूर्णतया निर्धारित 2006-07 तथा 2007-08 के चीनी मौसमों में चीनी के उत्पादन पर सांकेतिक उत्पाद शुल्क की सीमा तक अतिरिक्त भुगतान सहायता दी जा सके; और

(iv) सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के सावधि ऋणों को पुनर्संरचित करने के लिए 2005 के नाबार्ड पैकेज का विस्तार किया गया है ताकि पहले पैकेज में शमिल न की गई सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को शामिल किया जा सके। यह भी निर्णय किया गया था कि फैक्ट्रियों की बहियों में 01.04.2007 को दर्शाए गए कटाई और ढुलाई प्रभारों और शार्ट मार्जिन के प्रति बकाया ऋणों को ब्याज राहत के बिना पांच वर्ष के सावधि ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाए।

तटबंधों की देखभाल

202. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री अधीर चौधरी :
श्री मो. ताहिर :
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कुल कितने किलोमीटर लम्बे तटबंधों का निर्माण किया गया है;

(ख) अब तक कुल कितनी हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया गया है;

(ग) तटबंधों में दरारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भूक्षेत्र के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) बाढ़ नियन्त्रण के लिए आबंटित और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित जल संसाधन संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न भागों में कुल 33929 किलोमीटर के तटबंध बनाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप मार्च, 2006 तक 18.22 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र को बाढ़ से उचित सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं योजना आयोग द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई गई उनकी राज्य योजना निधि में से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। संवेदनशील खंडों में बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव नियंत्रण कार्यों के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम' नामक एक राज्य क्षेत्र स्कीम को भी अनुमोदित किया है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार प्रति वर्ष 7.509 मिलियन हेक्टेयर के औसत क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित होना आकलित किया गया है।

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित जल संसाधन संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं योजना के दौरान एवं राज्य क्षेत्र दोनों में बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल 5965 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे, जिसमें से दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4468 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय रिपोर्ट किया गया है।

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

203. श्री अमिताभ नन्दी :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी टेलीफोन घनत्व की तुलना में ग्रामीण टेलीफोन घनत्व बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच टेलीफोन घनत्व की असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) देश में शहरी टेली-घनत्व की तुलना में ग्रामीण टेली-घनत्व कम है। इसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार	31.08.2008 की स्थिति के अनुसार
ग्रामीण टेली-घनत्व	9.46%	11.18%
शहरी टेली-घनत्व	66.39%	74.33%
समग्र टेली-घनत्व	26.22%	29.83%

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-घनत्व में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:-

(i) लागत की दृष्टि से अव्यवहार्य सभी 1685 अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से सहायता।

(ii) देश में जहां कोई स्थिर बेतार या मोबाइल कवरेज मौजूद नहीं है ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना और प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक स्कीम आरंभ की गई है। इसके अलावा, दूसरे चरण में लगभग 11000 अतिरिक्त अवसंरचना स्थलों (टावरों) के संस्थापन का प्रस्ताव है।

(iii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा 2.5 कि.मी. के पिछले मानक में शिथिलता प्रदान करते हुए मांग और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर एक्सचेंज से 5 कि.मी. की दूरी तक केबल बिछाए जा रहे हैं।

(iv) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क स्थापित करना।

(v) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े भागों को अनुषांगिक कवरेज प्रदान करने के लिए सभी राजमार्गों पर मोबाइल टावरों की स्थापना करना।

(vi) ग्रामीण और दूरदराज के ऐसे क्षेत्र जिन्हें पारंपरिक प्रौद्योगिकी से कवर किया जाना संभव नहीं है, उन्हें डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) से कवर किए जाने की योजना बनाई गई है।

(vii) बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त निजी प्रचालक भी टेलीफोन की मांग पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चीनी मिलों द्वारा धन का अनुचित उपयोग

204. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) ने महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा शेयरधारकों के धन का अनुचित उपयोग किए जाने के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को देय धनराशि की वसूली के लिए कोई कदम उठाया है जैसाकि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी की गई है;

(ग). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर इस घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एक्सेस डेफिसिट चार्ज में छूट

205. **श्री संतोष गंगवार :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का विचार दूरसंचार कंपनियों को एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) के भुगतान से पूर्णतया मुक्त करने का है;

(ख) यदि हो, तो इस संबंध में आम उपभोक्ता को इस छूट से कुल कितना फायदा होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 27 मार्च, 2008 को जारी विनियमन के अनुसार, 1 अक्तूबर, 2008 से अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) का भुगतान नहीं किया जाना है।

(ख) और (ग) 30 सितंबर, 2008 तक आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों पर अभिगम घाटा प्रभार लागू था। ऐसी कालों के लिए प्रभार विदेश में उपभोक्ता से वसूल कर लिया जाता है अतः इस छूट से भारत में आम उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं होता है।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया

206. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सरकार ने सेना में अफसर संवर्ग के पुनर्गठन संबंधी सेना मुख्यालय के एक प्रस्ताव जिसमें भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन करना भी शामिल होगा, को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव में मुख्यत: स्थायी रूप से कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती में कटौती, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि अल्प सेवा कमीशन के लिए गैर तकनीकी प्रवेश स्कीम की शुरूआत, अन्तर्सेवा प्रवेश में वृद्धि करना, आदि शामिल हैं। सेना के उपर्युक्त प्रस्तावों के सामान्य पहलू संभव सीमा तक नौसेना और वायुसेना पर लागू होंगे। चूंकि सेना के अफसर संवर्ग के पुनर्गठित ढांचे के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं अभी तैयार नहीं की गयी हैं इसलिए इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के संबंध में अभी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

जल निकायों को पुनः बहाल करने संबंधी परियोजनाओं के विरुद्ध शिकायतें

207. **श्री सर्वे सत्यनारायण :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे स्थानों से काफी शिकायतें मिली हैं जहां पर जल निकायों को पुनः बहाल करने संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए केन्द्र तथा राज्य द्वारा 3:1 के अनुपात में हिस्सेदारी से 300.00 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी, 2005 में "कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक प्रायोगिक स्कीम अनुमोदित की है। यह राज्य सरकारों के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डीएलआईसी) की सहायता से कार्यान्वित की गई एक राज्य क्षेत्र स्कीम थी। स्कीम के संबंध में शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

राष्ट्रीय डेयरी योजना

208. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त योजना को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) जी, हां। विभाग को राष्ट्रीय डेयरी योजना पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार किया गया एक दृष्टिकोण दस्तावेज प्राप्त हुआ है। इसे बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया जाता है। चूंकि एन डी पी अभी अपनी बिल्कुल आरंभिक अवस्था में है, अत: इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए समय-सीमा बताना बहुत जल्दबाजी होगा।

ऐजीमाला नौसेना अकादमी

209. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में ऐजीमाला नौसेना अकादमी में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अकादमी ने अपने लक्ष्यों को हासिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अकादमी की भावी योजनाएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) इस समय ऐजीमाला नौसेना अकादमी निर्माणाधीन है। यह अकादमी वर्ष 2009 में आरंभ होने वाले शैक्षिक सत्र से 750 कैडेटों/कमीशन अफसरों के लिए तकनीकी स्नातक (बी.टेक) पाठ्यक्रम का संचालन शुरू करेगी। नौसेना द्वारा बी. टेक पाठ्यक्रम जे.एन.यू. तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सहयोजन से तैयार किया गया है। अकादमी में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस बीच की अवधि में उपलब्ध बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे का इस्तेमाल करने के लिए जून, 2005 से नौसेना संबंधी जानकारी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक ऐसे छह पाठ्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि पर खेती

210. **श्री अबु अयीश मंडल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित भूमि पर खेती करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को बाड़ के पार खेती में कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) उसके कारण और की गई कार्रवाई नीचे दिए गए हैं:-

सीमा पार की गैर-कानूनी आवाजाही और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बार्डर पर लगाई गई बाड़ के कारण किसानों को हुई कुछ असुविधा की सूचना दी गई है। बाड़ के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बार्डर पर सीमा रक्षक बल तैनात किया गया है। बाड़ पार के खेतों में जाने के लिए किसानों को प्रवेश की अनुमति केवल प्रवेश और विकास फाटक से ही दी जाती है और पंहुच को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं।

किसानों द्वारा झेली गई कठिनाइयों का कम करने के लिए सीमा रक्षक बलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) स्थानीय जनता और ग्राम पंचायत से परामर्श करके फाटकों को खोलने और बंद करने का समय नियत किया जाता है। सप्ताह के सभी सातों दिवसों में फाटक खोले जाते हैं।

(ख) अतिरिक्त बल नियुक्त करके बाड़ से आगे के किसानों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

211. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में कृषि ऋणों से राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या अनेक राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों और बैंकों से अन्य कृषि ऋणों का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए विभिन्न कृषि ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रत्येक किसान को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिऐ गए कृषि ऋणों से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षे में वित्त पोषित कृषि ऋण खातों की संख्या संलग्न विवरण-IV में दर्शायी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षो के दौरान अब तक किसानों को बैंकों द्वारा दिए गए विभिन्न कृषि ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

एजेन्सी	दिए गए कुल कृषि ऋण			
	2005-06	2006-07	2007-08 (अनन्तिम)	2008-09 (1.4.08 से 30.9.08 तक)
वाणिज्यिक बैंक	125,477.01	166,485.43	175,072.13	64,988.65
सहकारी बैंक	39,785.66	42,479.80	43,684.13	19,442.33
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15,222.90	20,434.65	24,813.65	10,633.18
कुल	180,485.57	229,399.88	243,569.91	95,064.16

(ङ) और (च) वित्तीय समावेशन संबंधी रंगाराजन समिति की सिफारिश के अनुसार आबादी के अब तक उपेक्षित वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया जाए और सरकार ने प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये के समग्र कायिक कोष से दो कोष बनाए हैं, नामत: वित्तीय समावेशन कोष (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष (एफआईटीएफ)।

देश के विभिन्न भागों में बैंकों ने 'वित्तीय दृष्टि से शामिल नहीं किए गयों' की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करवाए हैं, जिनके आधार पर उपयुक्त कार्यनीतियां जैसे 'नो-फ्रिल' खाते खोलना, 25,000 रुपये तक की सीमा के सामान्य क्रेडिट कार्ड प्रदान शुरू की गई हैं जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि की जा सके और उससे कृषि ऋण की उपलब्धता सुकर बनाएं जा सकें।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 के खातों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	253	0	253
2.	हरियाणा	1115763	113040	1228803
3.	पंजाब	949037	78383	1027420
4.	हिमाचल प्रदेश	25982	14078	40060
5.	जम्मू-कश्मीर	12429	4167	16596
6.	उत्तर प्रदेश	33110764	1188359	4499123
7.	उत्तराखण्ड	209886	9012	218898
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	265	0	265
9.	बिहार	234350	216031	450381
10.	छत्तीसगढ़	542560	177844	720404
11.	झारखण्ड	0	49566	49566
12.	उड़ीसा	1187053	239480	1426533
13.	पश्चिम बंगाल	0	144274	144274

1	2	3	4	5
14.	अरुणाचल प्रदेश	0	542	542
15.	असम	1751	23512	25263
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	1931	3208	5139
18.	मिजोरम	265	2078	2343
19.	नागालैण्ड	162	144	306
20.	सिक्किम	602	0	602
21.	त्रिपुरा	522	8399	8921
22.	गोवा	146	0	146
23.	गुजरात	743699	166019	909718
24.	मध्य प्रदेश	3605420	221265	3826685
25.	महाराष्ट्र	3141113	327130	3468243
26.	राजस्थान	1257244	206244	1463488
27.	आंध्र प्रदेश	8567	1096416	1104983
28.	कर्नाटक	893792	449633	1343425
29.	केरल	934519	1074322	2008841
30.	तमिलनाडु	689436	428769	1118205
31.	पांडिचेरी	3600	0	3600
	कुल योग	18871111	6241915	25113026

स्रोत: नाबार्ड

विवरण-II

वर्ष 2007-08 के खातों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	128	0	128
2.	हरियाणा	1158009	115636	1273645
3.	पंजाब	993519	98028	1091547
4.	हिमाचल प्रदेश	26016	37907	63923
5.	जम्मू-कश्मीर	10021	4217	14238
6.	उत्तर प्रदेश	3406172	1215651	4621823
7.	उत्तराखण्ड	197472	9430	206902
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	30	0	30
9.	बिहार	286341	218156	504497
10.	छत्तीसगढ़	648743	139223	787966
11.	झारखण्ड	0	57278	57278
12.	उड़ीसा	1181874	227679	1409553
13.	पश्चिम बंगाल	0	95401	95401
14.	अरुणाचल प्रदेश	0	528	528
15.	असम	3672	35781	39453
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	1336	3383	4719
18.	मिजोरम	856	2456	3312
19.	नागालैण्ड	119	65	186
20.	सिक्किम	1413	0	1413
21.	त्रिपुरा	560	8642	9202
22.	गोवा	139	0	139
23.	गुजरात	760503	173835	934338

1	2	3	4	5
24.	मध्य प्रदेश	2607248	232841	2840089
25.	महाराष्ट्र	2804192	161717	2965909
26.	राजस्थान	1481611	233362	1714973
27.	आंध्र प्रदेश	1751154	11455412	2896566
28.	कर्नाटक	1264851	467461	1732312
29.	केरल	916139	1066226	1982385
30.	तमिलनाडु	674431	523397	1197828
31.	पांडिचेरी	3654	0	3654
	कुल योग	20180223	6273712	26453935

स्रोत: नाबार्ड

विवरण-III

वर्ष 2008-09 के खातों की कुल संख्या
(अगस्त, 2008 तक)

क्र.सं.	राज्य	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	2	0	2
2.	हरियाणा	148459	48353	2023108
3.	पंजाब	664312	42344	708678
4.	हिमाचल प्रदेश	10252	6661	20135
5.	जम्मू-कश्मीर	760	564	1645
6.	उत्तर प्रदेश	1110775	243267	1374940
7.	उत्तराखण्ड	39597	2591	42997
8.	अंडमान एवं निकोबोर द्वीपसमूह	12	0	12
9.	बिहार	1938	17474	30625
10.	छत्तीसगढ़	494983	49457	548177
11.	झारखण्ड	0	9060	9695
12.	उड़ीसा	286059	64733	357553
13.	पश्चिम बंगाल	0	19247	23990
14.	अरुणाचल प्रदेश	0	25	50
15.	असम	1022	9782	14221
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	435	275	750
18.	मिजोरम	227	3642	7334
19.	नागालैण्ड	59	149	210
20.	सिक्किम	789	0	789
21.	त्रिपुरा	152	6755	7331
22.	गोवा	48	0	48
23.	गुजरात	639840	152741	797529
24.	मध्य प्रदेश	861811	103868	978349
25.	महाराष्ट्र	156575	10480	167619
26.	राजस्थान	353355	23509	380185
27.	आंध्र प्रदेश	296242	505846	838795
28.	कर्नाटक	552911	158201	723233
29.	केरल	184774	310969	496917

1	2	3	4	5
30.	तमिलनाडु	170863	94862	268709
31.	पांडिचेरी	469	0	469
	कुल योग	5976721	1884855	8003305

स्रोत: नाबार्ड

विवरण-IV

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (अगस्त, 2008 तक) के दौरान वित्त पोषित कृषि खातों की संख्या के संबंध में एजेन्सी-वार सारांश

(संख्या लाख में)

एजेन्सी	2006-07	2007-08	2008-09 (अगस्त 2008 तक)
वाणिज्यिक बैंक	172.00	174.79	48.23
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	62.41	62.74	18.85
सहकारी बैंक	188.71	201.80	59.77
कुल	423.12	439.33	126.85

स्रोत: नाबार्ड

[अनुवाद]

नदियों को परस्पर जोड़ना

212. **श्री बसंतराव मोरे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के तापी सिंचाई विकास बोर्ड, जलगांव ने नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई परियोजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को जनवरी, 2007 में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से तापी सिंचाई विकास निगम, जलगांव से पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिसमें से, (i) जलगांव जिला नदी संपर्क परियोजना और (ii) तापी नदी संपर्क नहर नदियों के दो प्रस्ताव अंत:राज्य संपर्क के संबंध में हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा इन दो संपर्कों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन उनके तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

भूमि की उर्वरता

213. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है और भूमि की उर्वरता में भी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी बाढ़ के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बाढ़ों से प्रभावित होने वाली भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चारा बैंक

214. **श्री नरहरि महतो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों में चारा बैंकों की स्थापना करने हेतु राज्यों को केन्द्रीय निधियां प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। 1.4.2005 से चारा बैंक संबंधी घटक को केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना से हटा दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विषय घटक के बंद होने से पहले, महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 2001-02 में 41.25 लाख रुपए तथा इतनी ही राशि 2004-05 में जारी की गई थी। 2001-02 में जारी राशियों का उपयोग किया गया, जबकि 2004-05 में जारी राशि को राज्य सरकार द्वारा लौटा दिया गया था। 1994-95 में पश्चिम बंगाल सरकार को एक चारा बैंक की स्थापना के लिए प्रदान की गई 41.25 लाख रुपए की राशि उपयोग की जा चुकी थी।

[हिन्दी]

नदियों की गहराई कम होना

215. **श्री मो. ताहिर :**
श्री कैलाशनाथ सिंह :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में गाद जमा होने के कारण नदियों की गहराई में आई कमी के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गाद के कारण कितनी नदियों की गहराई कम हुई है;

(ग) क्या देश की बड़ी नदियों में गाद जमा होने की समस्या से निपटने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हो, तो क्या इन नदियों का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) क्या सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया जा चुका है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं की खरीद

216. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत संवितरण करने हेतु वर्तमान रबी मौसम के दौरान किसानों/बाजार से गेहूं की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है और इसकी लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणली के अंतर्गत राज्य सरकारों को गेहूं की आपूर्ति करने संबंधी नीति में संशोधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपूर्ति किए गए गेहूं का समुचित उपयोग किस तरह सुनिश्चित करेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। रबी विपणन मौसम 2008-09 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए 1000 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 226.82 लाख टन गेहूं खरीदा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं की आपूर्ति की मौजूदा नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन की सुविधा

217. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों और मजदूरों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के लोगों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है, जिसमें अन्य के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कामगार भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

218. **श्री सुभाष महरिया :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इनमें से कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या नवीन प्रौद्योगिकी वाले मल्टीमीडिया किऑस्क से प्रतिस्पर्धा के कारण बड़ी संख्या में उक्त सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के फ्रेंचाइजियों और भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित पब्लिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) की कुल संख्या नीचे दी जा रही है:-

निम्नलिखित तिथियां की स्थिति के अनुसार	पीसीओ बूथों की संख्या (वीपीटी को छोड़कर)
31.03.2006	2385595
31.03.2007	2365570
31.03.2008	2290541
30.03.2009	2180339

(ख) शून्य।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा पीसीओ प्रचालकों के कारोबार में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

बीएसएनएल

(i) पीसीओ प्रचालकों को बीएसएनएल की विभिन्न

सेवाओं/उत्पादों को बेचने तथा उन पर छूट अर्जित करने के लिए अपने पीसीओ बूथों को "बीएसएनएल शाप" में बदलने की अनुमति दी गई है।

(ii) छूट संबंधी ढांचे को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है।

(iii) पीसीओ का सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क में उन्नयन।

(iv) फ्री टाक टाइम के रूप में प्रोत्साहन।

एमटीएनएल

(i) पीसीओ बूथों के कमीशन में वृद्धि।

(ii) पीसीओ बूथों की निबंधन एवं शर्तों में सुधार।

(iii) पीसीओ फ्रेंचाइजी के प्रतिभूति जमा और न्यूनतम गारंटी में कमी।

बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा

219. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों की क्षतिपूर्तिके लिए कोई फसल बीमा योजना तैयार की है जिनकी फसल हाल में आयी बाढ़ों के कारण नष्ट हो गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस), जो बहु-क्षति बीमा स्कीम है, रबी 1999-2000 से पहले से ही परिचालन में है। इस स्कीम में बाढ़ के कारण उपज हानि के खतरे सहित व्यापक बीमा कवर का प्रावधान है।

[अनुवाद]

कृषि क्लीनिक/व्यापार केन्द्र

220. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने कृषि क्लीनिक/कृषि व्यापार केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) इन क्लीनिकों/केन्द्रों को खोलने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान सहित देश में वर्ष 2008-09 के दौरान किसी नए क्लीनिक/कृषि केन्द्र को खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय स्कीम की शुरूआत से, 9 अक्तूबर, 2008 तक देश में 5726 कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्र खोले गए हैं। राज्यवार केन्द्र निम्नलिखित हैं:-

आंध्र प्रदेश (281), अरूणाचल प्रदेश (01), असम (48), बिहार (670), छत्तीसगढ़ (63), गोवा (01), गुजरात (158), हरियाणा (36), हिमाचल प्रदेश (65), जम्मू और कश्मीर (42), झारखण्ड (24), कर्नाटक (687), केरल (15), मध्य प्रदेश (137), महाराष्ट्र (1030), मणिपुर (43), नागालैण्ड (03), उड़ीसा (74), पाण्डिचेरी (05), पंजाब (37), राजस्थान (605), तमिलनाडु (330), उत्तर प्रदेश (1270), उत्तरांचल (49), पश्चिम बंगाल (52)।

(ख) इन क्लीनिकों/केन्द्रों को खोलने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) किसानों को भुगतान आधार पर विस्तार और अन्य सेवायें देना;

(ii) कृषि विकास में सहायता देना; और

(iii) स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

(ग) अब तक वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्थान में 26 केन्द्रों सहित 9 अक्तूबर, 2008 तक 535 नए कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों को स्थापित किया गया है। तथापि, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक और अधिक केन्द्रों की स्थापना मुख्यतया स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित किये जा रहे कृषि स्नातकों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान और अधिक केन्द्रों को स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(i) कृषि स्नातकों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उनका लगातार प्रशिक्षण।

(ii) प्रशिक्षित स्नातकों को कृषि उद्यम शुरू करने के लिए सहायता देना और प्रशिक्षण के पूरा होने तक एक वर्ष के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा हैन्डहोल्डिंग समर्थन देना।

(iii) कृषि उद्यम स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से मांग पर प्रशिक्षित कृषि स्नातक द्वारा ऋण प्राप्त करना।

(iv) वित्त पोषित परियोजना की पूंजी लागत के 25% की ऋण संबंधी पूंजी राजसहायता प्रशिक्षित कृषि स्नातकों को देना। यह राजसहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य सुविधावंचित वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के संबंध में यह राजसहायता 33.33% है। पूर्ण ब्याज राजसहायता भी परियोजना के प्रथम दो वर्षों के लिए है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों हेतु राजसहायता

221. **श्री इलियास आजमी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा अंत्योदय अन्न योजना हेतु कितनी राजसहायता प्रदान की गई है/प्रदान करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. कांतिलाल भूरिया) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) के दौरान गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लिए राज्यवार राजसहायता के अनुमान निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	गरीबी रेखा से नीचे राशि	अंत्योदय अन्न योजना राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1325	1014
2.	असम और अरुणाचल प्रदेश	588	443
3.	बिहार	877	1213
4.	छत्तीसगढ़	26	
5.	दिल्ली	149	53
6.	गुजरात	569	405
7.	हरियाणा	231	153
8.	हिमाचल प्रदेश	144	111
9.	जम्मू-कश्मीर	240	154
10.	झारखंड	582	450
11.	कर्नाटक	906	692
12.	केरल	436	317
13.	मध्य प्रदेश	1189	837
14.	महाराष्ट्र	1659	1199
15.	मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा	198	135
16.	मणिपुर और नागालैंड	92	62
17.	उड़ीसा	646	534
18.	पंजाब	83	51
19.	राजस्थान	622	482

1	2	3	4
20.	तमिलनाडु	1536	1165
21.	उत्तर प्रदेश	1196	913
22.	उत्तराखंड	89	41
23.	पश्चिम बंगाल	1134	739
	जोड़	14517	11163

[अनुवाद]

महिला कामगारों के लिए कल्याणकारी योजना

222. श्री परसुराम माझी :
श्री अनन्त नायक :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित महिलाओं की कार्य-स्थिति में सुधार लाने के संबंध में राज्य सरकार को कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में महिला कामगारों के लिए कोई कल्याणकारी योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने विभिन्न कानून अधिनियमित किए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के संबंध में केन्द्रीय सलाहकार समिति की दिनांक 24 जून, 2008 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें महिला कामगारों की कार्यदशाओं में सुधार हेतु सदस्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, बीमा कवरेज, दक्षता विकास हेतु बेहतर सुविधाएं, राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन इत्यादि जैसे विभिन्न सुझाव दिए गए। राज्य सरकारों से इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(ग) और (घ) महिला कामगारों का कल्याण एक सतत् प्रक्रिया है। महिला कर्मचारियों हेतु उपयुक्त कार्यदशाएं सुनिश्चित करने एवं उनके शोषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा अनेक कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि शामिल हैं जो महिला कामगारों के लाभ हेतु अन्य के साथ-साथ शिशु-सदन सुविधा, कार्य घंटों के दौरान बच्चों को स्तनपान कराने हेतु समय अवकाश, प्रसूति अवकाश की व्यवस्था एवं कार्यस्थल के नजदीक महिला एवं पुरुष कामगारों हेतु अलग-अलग टायलेट एवं धुलाई सुविधाएं एवं सुरक्षित कार्यदशाएं भी प्रदान करते हैं।

सरकार ने कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर के साथ छात्रावास भवन के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता स्कीम शुरू की है। इसके अलावा, महिला कामगारों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से एक सहायता अनुदान स्कीम भी क्रियान्वित की जाती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

223. श्री गणेश सिंह :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्राप्त, अनुमोदित तथा लम्बित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं;

(घ) इन से प्रतिवर्ष सिंचित की जा रही भूमि का एकड़ में राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई क्षमता सृजन संबंधी परियोजनाओं/स्कीमों की आयोजना एवं क्रियान्वयन किया जाता है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई क्षमता के सृजन को प्रोत्साहन देता है। ग्यारहवीं योजना में विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्निर्माण सहित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 16 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की कल्पना है।

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुत 37 स्कीमों को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस समय विभिन्न अभिकरणों द्वारा 68 स्कीमें मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्यवार चालू स्कीमों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित 'भूमि उपयोग सांख्यिकी' के अनुसार वर्ष 2006 में निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 60.2 मि. हैक्टेयर था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत स्कीमों और मूल्यांकन के अधीन स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत स्कीमें	मूल्यांकनाधीन स्कीमें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	7
2.	असम	–	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	1
4.	बिहार	2	2
5.	छत्तीसगढ़	1	3
6.	हरियाणा	–	1
7.	जम्मू-कश्मीर	2	4
8.	झारखंड	–	1
9.	गुजरात	–	1
10.	हिमाचल प्रदेश	3	–
11.	कर्नाटक	2	9
12.	केरल	1	4
13.	मध्य प्रदेश	1	4
14.	महाराष्ट्र	16	10
15.	मणिपुर	2	1
16.	नागालैंड	1	–
17.	उड़ीसा	4	5
18.	पंजाब	–	5
19.	राजस्थान	–	3
20.	उत्तर प्रदेश	2	2
21.	पश्चिम बंगाल	–	3

विवरण-II

चालू सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	वृहत सिंचाई परियोजना	मध्यम सिंचाई परियोजना	ईआरएम के लिए स्कीमें	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	30	24	6	60

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	2	3	2	7
बिहार	10	3	5	18
छत्तीसगढ़	4	8	1	13
गोवा	0	0	1	1
गुजरात	3	20	13	36
हरियाणा	4	0	1	5
हिमाचल प्रदेश	1	3	0	4
जम्मू-कश्मीर	0	6	4	10
झारखंड	6	19	0	25
कर्नाटक	15	31	5	51
केरल	3	4	2	9
मध्य प्रदेश	19	9	6	34
महाराष्ट्र	58	109	3	170
मणिपुर	2	1	4	7
मेघालय	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	1	0	1
उड़ीसा	8	10	15	33
पंजाब	1	0	3	4
राजस्थान	2	8	3	13
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	2	3	5
त्रिपुरा	0	3	0	3
उत्तर प्रदेश	11	0	15	26
उत्तरांचल	1	0	0	1
पश्चिम बंगाल	2	8	6	16
कुल	182	273	98	553

विवरण-III

कृषि मंत्रालय की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2006 में हजार हेक्टेयर में निवल सिंचित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	2006 में निवल सिंचित क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4392
2.	अरुणाचल प्रदेश	44
3.	असम	140
4.	बिहार	3034
5.	छत्तीसगढ़	1248
6.	गोवा	24
7.	गुजरात	3388
8.	हरियाणा	2936
9.	हिमाचल प्रदेश	105
10.	जम्मू-कश्मीर	311
11.	झारखंड	164
12.	कर्नाटक	2970

1	2	3
13.	केरल	401
14.	मध्य प्रदेश	5681
15.	महाराष्ट्र	3296
16.	मणिपुर	51
17.	मेघालय	55
18.	मिजोरम	16
19.	नागालैंड	67
20.	उड़ीसा	1846
21.	पंजाब	4038
22.	राजस्थान	6294
23.	सिक्किम	6
24.	तमिलनाडु	2920
25.	त्रिपुरा	61
26.	उत्तराखंड	345
27.	उत्तर प्रदेश	13175
28.	पश्चिम बंगाल	3135

[अनुवाद]

बांग्लादेश को खाद्यान्न भेजा जाना

224. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों को बांग्लादेश भेजे जाने संबंधी शिकायत की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बताया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल से बंगला देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के विपथन के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, इस प्रकार के कथन के बारे में कुछ समाचार पत्रों में रिपोर्टें प्रकाशित हुई थी। सीमा सुरक्षा बल से यह अनुरोध किया गया था कि सीमा पार से तस्करी को रोकने के लिए सभी उपाय करें। उन्होंने यह सूचित किया कि बड़े पैमाने पर चावल की तस्करी के किसी मामले की सूचना नहीं है और उन्होंने अतिरिक्त एवं कड़ी निगरानी करने के लिए पग उठाए हैं। राज्य सरकार ने विशेष दस्तों के जरिए औचक जांच की भी व्यवस्था की। कुछ मामलों में कुछ थोक विक्रेताओं और चावल मिल मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सीमावर्ती जिलों के जिला मैजिस्ट्रेटों ने समय-समय पर खाद्यान्नों के अनाधिकृत संचलन को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए।

दूरसंचार प्रशुल्क नीति में संशोधन

225. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए मौजूदा दूरसंचार प्रशुल्क नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निजी दूरसंचार प्रचालकों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे; और

(ङ) उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है/उठाया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। देश में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए मौजूदा प्रशुल्क नीति में संशोधन करने का

सरकार का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को 1997 के ट्राई अधिनियम के द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ट्राई ने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में प्रशुल्क नीति के लिए एक ढांचा निर्धारित किया है, जिसे बाजार की गतिविधियों पर निर्भर करते हुए और साथ ही अधिक पारदर्शिता लाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। सरकार ने इस मामले के संबंध में निजी दूरसंचार प्रचालकों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, देश में दूरसंचार प्रशुल्कों को ट्राई द्वारा विनियमित किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र का विकास

226. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री के. सुब्बारायण :
श्री सुब्रत बोस :
श्री ई. दयाकर राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के हर संभव प्रयास के बावजूद विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र का विकास असमान रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा असमान विकास को सुधारने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई; और

(ग) भविष्य में देश की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कृषि में वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (कृषि)
प्रतिशत वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.42	8.65	3.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	-3.48	2.15	10.75
3.	असम	6.09	3.35	3.40
4.	बिहार	14.90	-12.53	27.94
5.	झारखंड	18.59	-29.02	2.27
6.	गोवा	1.85	-2.04	लागू नहीं
7.	गुजरात	-7.24	22.89	-0.43
8.	हरियाणा	3.46	-1.90	9.73
9.	हिमाचल प्रदेश	6.52	1.28	-4.18
10.	जम्मू-कश्मीर	1.32	0.53	लागू नहीं
11.	कर्नाटक	17.98	6.02	0.06
12.	केरल	7.35	6.62	5.90
13.	मध्य प्रदेश	-4.71	4.17	2.80
14.	छत्तीसगढ़	-6.41	28.96	लागू नहीं
15.	महाराष्ट्र	-6.10	9.08	9.09
16.	मणिपुर	10.82	2.26	3.80
17.	मेघालय	5.98	5.33	4.86
18.	मिजोरम	4.17	3.69	3.09

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	8.79	4.14	लागू नहीं
20.	उड़ीसा	3.98	3.20	1.28
21.	पंजाब	2.30	1.58	4.00
22.	राजस्थान	-14.65	-2.98	10.01
23.	सिक्किम	5.49	5.21	5.59
24.	तमिलनाडु	20.46	8.93	6.14
25.	त्रिपुरा	3.57	7.32	3.20
26.	उत्तर प्रदेश	-1.31	0.28	5.25
27.	उत्तरांचल	5.99	-1.75	4.80
28.	पश्चिम बंगाल	0.75	1.81	3.81
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-13.43	-16.39	लागू नहीं
30.	चण्डीगढ़	-5.50	6.63	लागू नहीं
31.	दिल्ली	-0.99	-4.65	0.49
32.	पांडिचेरी	-1.23	-0.09	-0.06

स्रोत: क्रम सं. 1-32 विभिन्न राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के नए सिरे से किए जाने वाले प्रयासों हेतु वर्तमान कृषि विकास रणनीतियों को पुनरभिमुख करने हेतु 2007-08 के दौरान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 25,000/- करोड़ रुपये के परिकल्पित परिव्यय के साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रो के लिए एक नई राज्य योजना नामतः, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियों का वितरण ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्राप्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में शुद्ध असिंचित क्षेत्र, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य नियोजन व्यय में वृद्धि पर आधारित है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

[हिन्दी]

लैंड लाइन कनेक्शन के लिए विशेष पैकेज

227. **श्री अधीर चौधरी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड लाइन कनेक्शन के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विशेष योजना से सरकार तथा उपभोक्ताओं को लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड लाइन कनेक्शनों के लिए स्पेशल पैकेज प्रदान करने वाली किसी भी नई स्कीम पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मौजूदा ग्रामीण प्रशुल्क में अत्यधिक छूट दी गई है। यह न केवल लागत से कम है बल्कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित स्तर/उच्चतम सीमा से भी कम है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाकघरों को घाटा

228. **श्री मित्रसेन यादव:** क्या संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ डाकघर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ डाकघर बन्द कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य.वार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) जनसंख्या तथा क्षेत्रों में डाकघरों की औसत संख्या कितनी है; और

(च) ग्रामीण तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुल कितने डाकघर हैं तथा देश के कुल डाकघरों की संख्या के अनुपात में उक्त डाकघरों का प्रतिशत कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नीति के अनुसार वित्तीय हानि के आधार पर कोई भी डाकघर बन्द नहीं किया जाता।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में एक डाकघर औसतन 21.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा 7174 की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है।

(च) जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों की संख्या 1,39,174 है। यह कुल नेटवर्क का 89% है।

विवरण

घाटे में चल रहे डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्रम सं.	सर्किल का नाम	घाटे में चल रहे डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9608
2.	असम	730
3.	बिहार	6567
4.	छत्तीसगढ़	3106
5.	दिल्ली	20
6.	गुजरात	6554
7.	हरियाणा	1344
8.	हिमाचल प्रदेश	2762
9.	जम्मू-कश्मीर	1307
10.	झारखण्ड	2056
11.	कर्नाटक	9104
12.	केरल	1036
13.	मध्य प्रदेश	6265
14.	महाराष्ट्र	6276
15.	पूर्वोत्तर	
	अरुणाचल प्रदेश	10
	मणिपुर	12
	मेघालय	51
	मिजोरम	6
	नागालैंड	24
	त्रिपुरा	26
16.	उड़ीसा	7345
17.	पंजाब	2616
18.	राजस्थान	4797
19.	तमिलनाडु	8430
20.	उत्तराखण्ड	2253
21.	उत्तर प्रदेश	8402
22.	पश्चिम बंगाल	6842
	कुल	97549

बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़ना

229. **श्री मुन्शी राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बड़े बांधों में जल के स्तर की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बांधों में अधिक पानी की उपलब्धता के संबंध में सही आकलन करने में विफल रही है तथा बाद में काफी ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत छह माहों के दौरान टिहरी बांध में जल का औसत तथा इष्टतम स्तर क्या रहा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) सीडब्ल्यूसी के क्षेत्र यूनिटों सहित विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से दैनिक आधार पर पूरे देश में 81 महत्वपूर्ण जलाशयों के जल स्तर एवं सक्रिय भंडारण स्थिति संबंधी आंकड़े एकत्र कर रहा है। न आंकड़ों का इस्तेमाल साप्ताहिक जलाशय बुलेटिन जारी करने के लिए किया जाता है। बड़े बांधों सहित सभी बांधों/जलाशयों में जल स्तर की मानीटरी, प्रचालन और विनियमन संबंधित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(घ) (i) परियोजना प्राधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले छः महीनों के दौरान टिहरी बांध में जल का औसत स्तर निम्नानुसार है:-

माह	औसत स्तर (मी.)
1	2
अप्रैल, 08	751.98
मई, 08	743.95
जून, 08	752.78
जुलाई, 08	778.98
अगस्त, 08	803.70
सितम्बर, 08	816.15
छः महीने का औसत	774.59

(ii) टिहरी बांध जलाशय में जल का अधिकतम डिजाइन स्तर 830 मीटर है। तथापि, उत्तराखंड सरकार ने जलाशयों को केवल 820 मीटर तक भरने की स्वीकृति दी है।

[अनुवाद]

डाक विभाग में विभागेत्तर कर्मचारियों हेतु आयोग

230. **श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग में विभागेत्तर कर्मचारियों के मामलों का अध्ययन करने के लिए कोई आयोग नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार को इसे कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय विभागीय (ई डी) कर्मचारियों, जिन्हें अब ग्रामीण डाक सेवक के रूप में जाना जाता है, के मामलों का अध्ययन करने के लिए दिनांक 23.7.2007 के संकल्प संख्या 6-1/2006-पीई-II के द्वारा एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।

(ख) श्री आर.एस. नटराज मूर्ति की अध्यक्षता में निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है:-

(i) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की प्रणाली, ग्रामीण डाक सेवकों की मजदूरी संरचना, रोजगार की शर्तों की जांच करना और आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त बदलावों के संबंध में सिफारिशें करना।

(ii) ग्रामीण डाक सेवकों को भविष्य निधि तथा सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने के औचित्य की जांच करना।

(iii) ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की पद्धति, नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता, आचरण एवं अनुशासनात्मक नियमावली की जांच करना एवं उसमें परिवर्तन सुझाना।

(iv) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की विभिन्न श्रेणियों में जनता को उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की समीक्षा करना।

(v) समिति द्वारा सिफारिशें किये जाने तथा सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किये जाने तक अंतरिम राहत की आवश्यकता एवं संस्वीकृति प्रदान करने के संबंध में जांच करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट पूरा करने तथा उसे संघ सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति की कार्यावधि को 24 अक्तूबर, 2008 तक बढ़ाया गया है।

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

231. **श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में वर्तमान 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में 49 प्रतिशत की अनुमति देने के संबंध में नए दिशानिर्देश का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों से इस संबंध में वार्ता की गई है तथा समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसा, रक्षा उद्योग क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित 100 प्रतिशत तक की भारतीय निजी क्षेज सहभागिता, जो दोनों ही लाइसेंस के अध्यधीन हैं, की अनुमति है। इस समय सरकार का इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चम्बल क्षेत्र में मृदा अपरदन

232. **श्री अशोक अर्गल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल नदी के कारण चम्बल के बीहड़ों में हो रहे मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) वर्तमान दर से हो रहे अपरदन के कारण आगामी 50 वर्षों में कितने क्षेत्र का कटाव होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) मृदा अपरदन, भूमि अवक्रमण को कम से कम करने के लिए तथा बाढ़ के सर्वाधिक प्रकोप को कम करने और उसके दौरान बह जाने वाली मृदा की मात्रा में कमी लाने के लिए, भारत सरकार चम्बल आवाह-क्षेत्र सहित 56 आवाह-क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ने वाले चम्बल आवाह-क्षेत्र में आरवीपी और एफपीआर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 तक 5.59 लाख हेक्टेयर अवक्रमित भूमि को 100.07 करोड़ रुपये के व्यय से विकसित किया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, लगभग 0.16 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्येक वर्ष मौजूदा खादर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तथापि, अगले 50 वर्षों में अपरदित हो जाने की संभावना वाले क्षेत्रों से संबंधित कोई भी अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) आईसीआर का क्षेत्रीय संस्थान नामतः केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, कोटा (राजस्थान) में चम्बल खादर भूमि के पुनरुद्धार के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित और प्रदर्शित किये हैं। यह प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने के लिए गैर सरकारी संगठनों सहित संबंधित राज्य सरकारों को प्रसारित की जाती हैं। आईसीएआर के इस प्रौद्योगिकी पैकेज के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर चम्बल खादर भूमि और राजस्थान में लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को विभिन्न पनधारा/बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों के जरिए बहाल किया गया है। आरवीपी और एफपीआर का कार्यक्रम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी क्रियान्वयनाधीन है।

[अनुवाद]

चीनी के अनिवार्य कोटे की बिक्री

233. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अनंत गुढ़े :
श्री प्रकाश बी. जाधव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों की चीनी मिलों ने चीनी के अनिवार्य कोटे के संबंध में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कोटे की बिक्री नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अनिवार्य कोटे को रोक रखा है;

(ग) क्या इन मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर चीनी मिलों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को 01.05.2009 से 30.09.2008 तक 20 लाख टन के विघटित प्रथम बफर स्टॉक को और 01.08.2008 से 30.09.2008 तक 30 लाख टन के विघटित दूसरे बफर स्टॉक की 25% मात्रा को शर्करा निदेशालय से रिलीज आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा के बिना घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दी थी। यह संबंधित तिमाहियों के लिए सामान्य गैर-लेवी चीनी कोटे के अतिरिक्त थी। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 15.07.2008 के आदेश द्वारा चीनी उत्पादकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि विघटित प्रथम और दूसरे बफर स्टॉक की बेची गई मात्रा के संबंध में विवरणियां मासिक आधार पर अगले माह की 10 तारीख तक भेज दें। चूंकि कई चीनी फैक्ट्रियों ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी, इसलिए चूककर्ता चीनी मिलों, जिनमें महाराष्ट्र की चूककर्ता चीनी मिलें भी शमिल हैं, को कारण बताओ नोटिस के रूप में 13 अगस्त, 2008 को पत्र जारी किया गया था। इससे बड़े पैमाने पर अनुपालना हुई और कई चीनी फैक्ट्रियों ने विवरणियां भेज दीं। केन्द्रीय सरकार ने विघटित प्रथम बफर स्टॉक की सम्पूर्ण मात्रा में से नहीं बेची गई/नहीं प्रेषित की गई किसी भी मात्रा और विघटित दूसरे बफर स्टॉक की नहीं बेची गई/नहीं प्रेषित की गई 25% मात्रा को लेवी चीनी में बदलने का पहले ही निर्णय ले लिया है, जिन्हें महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों सहित चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 30.09.2008 तक बेचना/प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि नहीं बेचा गया/नहीं प्रेषित किया गया सामान्य गैर-लेवी चीनी का कोई भी कोटा सितम्बर, 2008 माह से लेवी चीनी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विघटित दूसरे बफर स्टॉक की शेष 75% मात्रा के संबंध में त्रैमासिक बिक्री लक्ष्य भी इसी शर्त के साथ निर्धारित किए गए हैं कि संबंधित तिमाही के अंत तक नहीं बेची गई/नहीं प्रेषित की गई मात्रा लेवी चीनी में बदल दी जाएगी।

संकटग्रस्त सरसों उत्पादकों को वित्तीय सहायता

234. **श्री अनन्त नायक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरसों का उत्पादन करने वाले संकटग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरसों तथा अन्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार पहले ही देश में 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का (आइसोपाम) की एक केन्द्र प्रायोजित एकीकृत स्कीम के तहत सरसों उत्पादकों सहित किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आइसोपाम के तहत सरसों उत्पादकों सहित किसानों/तिलहन उत्पादकों को महत्वपूर्ण आदानों अर्थात प्रमाणित बीजों का वितरण, प्रदर्शन, पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपकरण, खरपतवारनाशक, रिजोबियम कल्चर, जिप्सम, स्प्रिंकलर सेट, पानी जे जाने वाले पाइप, उन्नत खेती उपकरण और सूक्ष्म पोषक तत्व इत्यादि के लिए राज्य कृषि विभागों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन घटकों का राजसहायता संबंधी व्यय केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 आधार पर बांटा जाता है। इसके अतिरिक्ति, विगत 10 वर्ष के दौरान निर्मुक्त सरसों किस्में/संकरों सहित तिलहनों के प्रमाणित बीज को राज्य कृषि विभागों के जरिए मुफ्त बीज मिनीकिटों के रूप में किसानों में बांटा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने 2007-08 के दौरान सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) 1800 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। सरकार ने अन्य खरीफ तिलहनों अर्थात मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और नाईजर के लिए 2008-09 का एम एस पी भी घोषित किया है।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादन में वृद्धि

235. **श्री अजीत जोगी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में रेशम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए सहायता के रूप में क्या पैकेज दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) 11वीं योजना अवधि के अंत तक कच्चे रेशम की सभी चार किस्मों-शहतूती, तसर, एरी और मूगा का उत्पादन कुल 18,475 मी. टन (2006-07 के अंत में) के स्तर से 26,000 मी. टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकारों के सहयोग से 11वीं योजनाके दौरान एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित कर रही है। सीडीपी के तहत पैकेज में तीन प्रमुख क्षेत्र-बीज क्षेत्र, कोया क्षेत्र और कोया-पश्चात् क्षेत्र शमिल हैं और सहायता सेवाओं के अन्य संघटकों, जो सभी पैकेजों के लिए समान है, द्वारा संपूरक होगी। भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान 1476.24 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया जिसमें संघ सरकार का हिस्सा 661.62 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) जी, हां। केंद्रीय रेशम बोर्ड को उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत निधियां जारी करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 11वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से सीडीपी के तहत विभिन्न योजनाओं/संघटकों के कार्यान्वयन के लिए 80.82 करोड़ रु. का अपना हिस्सा जारी किया है और चालू वर्ष 2008-09 के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 30.76 करोड़ की राशि जारी की गई है।

स्पेक्ट्रम का आबंटन

236. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेक्ट्रम खाली करने के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच मतभेद है तथा इस मतभेद को दूर करने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा सेक्शन स्पेक्ट्रम को खाली करके इसे निजी क्षेत्र को आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रक्षा विभाग की आवश्यकताओं तथा शर्तों को पूरा कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्पेक्ट्रम खाली कराने और संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने 2007 में संपन्न अपनी पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पेक्ट्रम को शीघ्र मुक्त/खाली कराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) जी, हाँ। रक्षा सेवाओं से स्पेक्ट्रम खाली करा लेने के बाद ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

(ङ) और (च) रक्षा विभाग की संचार आवश्यकताएं ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क प्रदान करके पूरी की जाएगी। भारतीय वायु सेना के लिए ओएफसी नेटवर्क बिछाने का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी से गाद निकालने का कार्य

237. **श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान मानसून आने तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से गाद निकालने के कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के कारण हुई तबाही को कम करने में इससे कितनी सहायता मिली?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार आईडब्ल्यूएआई नौवहन चैनल में अपेक्षित चौड़ाई और गहराई को बनाये रखने के लिए तलकर्षण संबंधी कार्य प्रारंभ करता है। इस प्रयोजन के लिए तलकर्षण की आवश्यकता केवल जल की कमी वाले मौसम (अक्तूबर से मार्च) के दौरान पड़ती है जब जल की गहराई अपेक्षित गहराई से नीचे चली जाती है। 2007-08 के दौरान, आईडब्ल्यूएआई ने नौवहन चैनल प्रदान करने के लिए 42090 घन मीटर तलकर्षण को निष्पादित किया है। आईडब्ल्यूएआई ने आगे यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपाय के लिए माजुली द्वीप में ब्रह्मपुत्र नदी में तलकर्षण के लिए उनके द्वारा असम की राज्य सरकार को उनके अनुरोध पर एक हाइड्रालिक सतही तलकर्षण उपलब्ध कराया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 (ब्रह्मपुत्र नदी) में तलकर्षण कार्य के लिए 36.57 लाख रुपये खर्च हुए जिसमें से 9.83 लाख रुपये राज्य सरकार का योगदान था। चैनल से तलकर्षण करने से चैनल से आंशिक प्रवाह का मार्ग बदल गया जिसके कारण तटकटाव हुआ।

खुले बाजार में गेहूं जारी करना

238. **श्री जुएल ओराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की अतिरिक्त मात्रा जारी करने के एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 10 लाख टन तक गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन रिलीज किए गए गेहूं का वितरण पारिवारिक उपभोक्ताओं और गेहूं के छोटे संसाधकों को करें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन रिलीज किए गए गेहूं से आटा बनाने की अनुमति भी दी गई है ताकि खुदरा उपभोक्ताओं को इसका वितरण किया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा अक्तूबर, 2008 और नवम्बर, 2008 के दौरान

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली निविदाओं के जरिए बल्क उपभोक्ताओं को बिक्री करने के लिए सरकार द्वारा 8.4 लाख टन गेहूं का आबंटन भी किया गया है।

राज्यवार आबंटन और दरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सितम्बर-नवम्बर, 2008 के महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को (दर सहित) और बल्क उपभोक्ताओं के लिए निविदा बिक्री हेतु गेहूं का आवंटन

राज्य	पारिवारिक उपभोक्ताओं और छोटे संसाधकों को वितरण करने के लिए राज्य सरकार को आवंटन (टन में)	दर, जिस पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन किया गया है (रुपए प्रति क्विंटल)	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निविदा के जरिए बिक्री हेतु बल्क उपभोक्ताओं के लिए आवंटन (टन में)
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,000	1358	—
आंध्र प्रदेश	50,000	1136	50,000
अरुणाचल प्रदेश	10,000	1148	—
असम	30,000	1132	30,000
बिहार	40,000	1090	40,000
चण्डीगढ़	5,000	1021	—
छत्तीसगढ़	25,000	1123	25,000
दादरा और नगर हवेली	1,000	1128	—
दमन और दीव	1,000	1133	—
दिल्ली	50,000	1027	50,000
गोवा	5,000	1156	—
गुजरात	40,000	1088	40,000
हिमाचल प्रदेश	25,000	1131	25,000
हरियाणा	30,000	1021	30,000
जम्मू-कश्मीर	30,000	1176	30,000
झारखंड	20,000	1116	20,000
कर्नाटक	50,000	1161	50,000
केरल	60,000	1185	60,000
लक्षद्वीप	1,000	1223	—
मध्य प्रदेश	50,000	1078	50,000
महाराष्ट्र	75,000	1121	75,000
मणिपुर	5,000	1276	—
मेघालय	5,000	1177	—
मिजोरम	5,000	1221	—
नागालैण्ड	10,000	1142	—
उड़ीसा	30,000	1135	30,000
पांडिचेरी	1,000	1164	—
पंजाब	40,000	1021	40,000
राजस्थान	30,000	1047	30,000
सिक्किम	5,000	1162	—
तमिलनाडु	50,000	1154	50,000

1	2	3	4
त्रिपुरा	10,000	1239	—
उत्तर प्रदेश	40,000	1055	40,000
उत्तराखंड	25,000	1036	25,000
पश्चिम बंगाल	50,000	1120	50,000

बाढ़ और सूखे का स्थाई समाधान

239. **श्रीमती मिनाती सेन :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता के बाद से देश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की बार-बार होने वाली समस्या के स्थाई समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना से क्या लाभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) 1953 से 2007 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि की कोई प्रवृति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदाएं है और इन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तथापि, उचित संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों द्वारा इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उन्हें योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई उनकी राज्य योजना निधि मे से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) बनाई। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल आधिक्य वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतरण के लिए नहरों को परस्पर जोड़ने वाली प्रणालियों के साथ विभिन्न नदी प्रणालियों पर जल के भंडारण के लिए बांध परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने "राष्ट्रीय जल नीति-2008" बनाई, जिसमें बाढ़ नियंत्रण एंव प्रबंधन और 'सूखा प्रवण-क्षेत्र विकास' से संबंधित प्रावधान हैं। कृषि मंत्रालय ने भी 'आकस्मिक योजना-सूखा 2000' बनाई है। इनके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संगठन स्थापित किये हैं:-

1. केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)
2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
3. गंगा बाढ़ नियंत्रण (जीएफसीसी)
4. फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी)
5. दामोदर घाटी कार्पोरेशन (डीवीसी)

इसके साथ, भारत सरकार ने बाढ़ एवं सूखा सहित के प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की है।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

240. **श्री नवीन जिन्दल :**
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अन्य देशों में भी सैन्य अभ्यास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सैन्य अड्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रक्षा बलों ने चीन, मालदीव, मंगोलिया, रूस, सिसली, सिंगापुर, थाइलैंड, ओमान, श्रीलंका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास किए।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार उन देशों के साथ भविष्य में भी संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास करने का इरादा रखती है जिनके साथ इससे संबंधित करार हैं क्योंकि इससे सैन्य आधार को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन युद्ध पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं।

भारतीय फैब कंपनियों के लिए प्रोत्साहन

241. **श्री के.एस. राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिप नीति का ब्यौरा क्या है और देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए वैश्विक चिप विनिर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में भारतीय फैब (फैब्रिकेशन) कंपनियों द्वारा विनिर्मित सेमीकंडक्टरों की मांग कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार अर्थक्षम भारतीय फैब कंपनियों के लिए अपेक्षित अवसंरचना के विकास में तेजी लाने और चुने हुए विश्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माताओं को भारतीय फैब कंपनियों के साथ कार्य करने हेतु वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना तथा अन्य सूक्ष्म एंव नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 21 मार्च, 07 की गजट अधिसूचना के जरिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई है। सिप्स अधिसूचना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट (http://www.mit.gov.in) पर उपलब्ध है। सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए एक आवेदन-पत्र उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस समय ऐसा कोई फैब विद्यमान नहीं है।

(ग) और (घ) इन इकाइयों को मुख्यत: विद्यमान/प्रस्ताविक विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में चालू किए जाने की संभावना है।

अम्लीय मृदा

242. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानित अम्लीय मृदा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अम्लीय मृदा का शोधन कर इसे कृषि योग्य बनाने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर-2005) के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, लगभग 160.33 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र देश में 19 राज्यों में आने वाले मृदा अम्लीयता द्वारा प्रभावित है जिनके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र (लाख हे.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.55
3.	असम	6.12
4.	बिहार	10.29
5.	गोवा	0.02
6.	हिमाचल प्रदेश	1.57
7.	कर्नाटक	0.58
8.	केरल	1.38
9.	मध्य प्रदेश	67.96

1	2	3
10.	महाराष्ट्र	5.17
11.	मणिपुर	4.81
12.	मिजोरम	10.50
13.	मेघालय	10.30
14.	नागालैंड	1.27
15.	उड़ीसा	2.63
16.	सिक्किम	0.76
17.	तमिलनाडु	0.78
18.	त्रिपुरा	2.03
19.	पश्चिम बंगाल	5.56
	योग	160.33

(ख) और (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय देश में फसल उगाने के लिए अम्लीय मृदाओं को उपयुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है:-

(i) क्षारीय एवं अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास (राडास)-इस कार्यक्रम के तहत, अम्लीय मृदाएं जिनमें उत्पादक क्षमताएं हैं, उनका प्रबंधन दो तरीकों से किया जाता है अर्थात, अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फसलें उगा करके और मृदा सुधार के अनुप्रयोग के जरिए मृदाओं का शोधन करके।

(ii) मृदा स्वस्थ्य और उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना-इस स्कीम के तहत अधिकतम 500 रुपए प्रति है. तक मृदा सुधार की लागत का 25% की राजसहायता अम्लीय द्वारा प्रभावित भूमि के विकास के लिए चूना/मूल स्लेग के अनुप्रयोग के लिए प्रदान की जाती है।

ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

टेलीफोन बैटरी की आपूर्ति न किया जाना

243. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू एल एल टेलीफोन कनेक्शन के उपभोक्ताओं के समक्ष समस्याएं आ रही हैं क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा नीति के अनुसार खरीद के बावजूद बीएसएनएल द्वारा डब्ल्यू एल एल बैटरियों की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहें हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। जब भी, डब्ल्यूएलएल बैटरियां/खराब हो जाती हैं, इन्हें बदला जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में बीएसएनएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) उपभोक्ता उपयोग उपस्करों सहित डब्ल्यूएलएल सिस्टम्स को उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के अंतर्गत रखा गया है।

(ii) सर्किलें अप्रयोज्य/खराब बैटरियों को बदलने के लिए आंतरिक बैटरियां खरीदने हेतु प्राधिकृत हैं।

गेहूं और दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

244. **श्री हितेन बर्मन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं और दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में व्यापक वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) वर्ष 2007-08 मौसम की फसल हेतु गेहूं एवं रबी दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके 2006-07 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में काफी अधिक बढ़ा दिए गए हैं। खरीफ 2008-09 मौसम के लिए भी सरकार ने मूंग, उड़द तथा अरहर के मूल्यों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। वर्ष 2006-07, 2007-08, तथा 2008-09 के लिए गेहूं एवं दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दी गयी सारणी में इंगित किए गए हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स		वर्ष			2006-07 की तुलना में बढ़ोतरी	2007-08 की तुलना में बढ़ोतरी
		2006-07	2007-08	2008-09		
गेहूं	न्यूनतम समर्थन मूल्य	750	1000	—	250	
	बोनस	100				
चना	न्यूनतम समर्थन मूल्य	1445	1600	—	155	
मसूर	न्यूनतम समर्थन मूल्य	1545	1700	—	155	
अरहर	न्यूनतम समर्थन मूल्य		1550	2000		450
	बोनस		40			
मूँग	न्यूनतम समर्थन मूल्य		1700	2520		820
	बोनस		40			
उड़द	न्यूनतम समर्थन मूल्य		1700	2520		820
	बोनस		40			

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 2008-09 मौसम की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

खाद्य सुरक्षा मिशन में गुजरात को शामिल किया जाना

245. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से गुजरात के कुछ जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) गुजरात सरकार के कृषि निदेशक ने अक्तूबर, 2007

में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं के तहत छह नये जिलों अर्थात पाटन, खेड़ा, आनन्द, भावननगर, जूनागढ़ और अमनेली तथा एन एफ एस एम-दलहन के तहत छह नये जिलों अर्थात, जूनागढ़, पोरबंदर अहमदाबाद, खेड़ा, आनन्द और सुरेन्द्र नगर को शामिल करने के लिए एक अनुरोध भेजा था। ये जिले इन कार्यक्रमों के तहत पहले से ही शामिल जिलों के अतिरिक्त हैं। इन जिलों को इसलिए शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि ये उद्देश्य मानदण्डों को पूरा नहीं करते थे। तथापि, राज्य के दो जिले अर्थात दहोद और पंचमहल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल (एन एफ एस एम-चावल) के तहत शामिल किया था, क्योंकि ये 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र तथा औसत से कम उपज के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

बीएसएनएल द्वारा खराब टेलीफोन सेवा

246. **डा. वीरेंद्र अग्रवाल :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल द्वारा झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में उपलब्ध कराई गई लैण्डलाइन और मोबाइल फोन सेवाएं निजी टेलीफोन कंपनियों की तुलना में खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा झारखंड सहित देश में बीएसएनएल की बेहतर लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही लैंडलाइन तथा मोबाइल सेवाएं आमतौर पर अन्य निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा दी जा रही सेवाओं के समस्तरीय हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीएसएनएल और एमटीएनएल की लैंडलाइन तथा मोबाइल सेवाओं का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बीएसएनएल की लैंडलाइन तथा मोबाइल सेवाओं में सुधार के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:-

(i) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को भरोसेमंद डिजिटल मीडिया से जोड़ना।

(ii) भूमिगत पेपर कोर केबलों को पॉली इन्सुलेटेड जेली फिल्ड केबल से तथा रिमोट लोकेटेड यूनिट से चरणबद्ध रूप से बदलना।

(iii) बाह्य नेटवर्क का खंभारहित नेटवर्क में उन्नयन करना।

(iv) आईवीआरएस आधारित केंद्रीकृत दोष शिकायत व्यवस्था की शुरूआत।

(v) सिंगल बेस मॉड्यूल को रिमोट स्विचिंग यूनिट से बदलना।

(vi) सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एएन-आरए एक्सचेंजों में बदलना।

(vii) नई प्रौद्योगिकी तथा एफडब्ल्यूटी सहित डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) किया गया है और नई आपूर्तियों के संबंध में एएमसी की व्यवस्था की गयी है।

(viii) बीएसएनएल, झारखंड सहित पूरे देश में अपने मोबाइल नेटवर्क का धीरे-धीरे विस्तार कर रहा है, जिससे कवरेज और क्षमता बढ़ेगी और साथ ही सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। बीएसएनएल अपने निष्पादन के लिए भी अपने नेटवर्क का इष्टतम उपयोग कर रहा है। ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की मानीटरिंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

बीएसएनएल और एमटीएनएल के संबंध में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (अगस्त 08 तक) के दौरान लैंड लाइन/मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की सर्किलवार कुल संख्या

क्रम सं.	सर्किल	लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या				मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या			
		31.3.06 को	31.3.07 को	31.3.08 को	2008-09 अगस्त 08 तक	31.3.06 को	31.3.07 को	31.3.08 को	2008-09 अगस्त 08 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	बीएसएनएल								
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40173	32965	30234	29605	30736	42741	52468	59653
2.	आंध्र प्रदेश	3165217	2931352	2689568	2582822	1246499	1846646	2240741	2376332
3.	असम	567267	583861	531036	501592	377038	583251	817954	907939
4.	बिहार	1166745	1139014	1160896	1169600	571117	761441	1075094	1271185
5.	छत्तीसगढ़	360104	373607	381359	356680	118989	367551	578278	667425
6.	गुजरात	2655519	2484758	2313509	2202764	899205	1114338	2065893	2231750
7.	हरियाणा	1178875	1102576	1038991	984663	485781	955077	1221215	1273398
8.	हिमाचल प्रदेश	517625	508367	496312	482052	220134	503184	553979	537708
9.	जम्मू-कश्मीर	338832	364488	363661	341062	504484	794073	817905	831392
10.	झारखंड	517172	514070	531807	513653	356440	506417	554883	616613
11.	कर्नाटक	2773839	2672181	2610353	2545797	1284887	1780654	1789660	1854809
12.	केरल	3840336	4024695	4101005	4110909	1604180	1953540	2154757	2237606
13.	मध्य प्रदेश	1524967	1557174	1599506	1574125	352850	862202	1263683	1389220
14.	महाराष्ट्र	4164563	4177261	3875927	3626723	1134249	2243064	3186295	3263570
15.	पूर्वोत्तर-I	222202	241476	259067	259936	95970	179402	268802	242627
16.	पूर्वोत्तर-II	170333	178030	162468	158531	135644	242084	361918	285265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	उड़ीसा	876861	901101	937156	919219	560644	760936	1006084	1116065
18.	पंजाब	1909956	1682809	1514067	1480390	371756	1130093	1930959	2190120
19.	राजस्थान	1972911	1886503	1845225	1795950	1099415	2051224	2257723	2464825
20.	तमिलनाडु	2910187	2924080	2744071	2601882	1465000	2071200	2400878	2419571
21.	उत्तरांचल	404163	1732611	1774780	1774261	283941	2828730	4253263	4528683
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1750628	1101339	1065090	1075585	1609488	893448	1409671	1567842
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1205060	397755	385879	374452	659835	492972	624170	637059
24.	पश्चिम बंगाल	1333538	1330033	1256644	1223293	686198	1053972	1364228	1461043
25.	कोलकाता टीडी	1387253	1407442	1405487	1402531	431090	620909	1022030	1077377
26.	चेन्नई टीडी	1041088	1045319	1055930	1040973	578191	787489	936509	980901
27.	कुल	37995414	37294867	36130028	35129050	17163761	27428658	36209040	38489978
ख.	एमटीएनएल								
	दिल्ली	1621506	1597683	1602057	1575004	936146	13311428	1478440	1688202
	मुंबई	2256102	2203827	2205024	2144683	1005009	1415386	1763411	1941102

[अनुवाद]

संशोधित एकीकृत आवासन योजना, 2005 के अंतर्गत आवासों का निर्माण

247. **श्रीमती सी.एस. सुजाता :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कामगारों और अन्यों के लिए संशोधित एकीकृत आवासन योजना, 2005 के अंतर्गत आवासों के निर्माण के संबंध में केरल सहित विभिन्न राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की शुरूआत से अभी तक वर्षवार और राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए और रद्द किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई, जारी की गई और खर्च की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जी हां। बीड़ी कामगारों आदि के लिए संशोधित एकीकृत आवासन योजना, 2005 के अंतर्गत 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान क्रमशः बीड़ी कामगारों के कुल 13287, 18750 और 38517 मकानों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 2005-06 से 2007-08 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित और जारी की गई निधियों के ब्यौरों के साथ प्राप्त तथा अनुमोदित आवेदन पत्रों के वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगार कल्याण निधि (बी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) के अंतर्गत संशोधित एकीकृत आवासन योजना '(आवास योजना) 2005' के तहत बीड़ी कामगारों से प्राप्त आवेदनों और संस्वीकृत आवेदनों की राज्यवार संख्या

राज्य/जिले का नाम	2005-06 आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई निधियां 43.448 करोड़ रुपये			2006-07 आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई निधियां 50.00 करोड़ रुपये			2007-08 आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई निधियां 80.00 करोड़ रुपये		
	मकानों की संख्या के लिए प्राप्त प्रस्ताव	संस्वीकृत मकानों की संख्या	आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई निधियां	मकानों की संख्या के लिए प्राप्त प्रस्ताव	संस्वीकृत मकानों की संख्या	आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई निधियां	मकानों की संख्या के लिए प्राप्त प्रस्ताव	संस्वीकृत मकानों की संख्या	आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	10,912	10,912	3,838.00	11.485	11,485	3,308.00	6,679	6,679	1,684.60
असम	शून्य	शून्य	शून्य	91	91	18.20	शून्य	शून्य	शून्य
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	420	420	84.00
गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27	27	5.40
कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	1,160	1,160	353.40	शून्य	शून्य	शून्य
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2,049	1,854	284.40
मध्य प्रदेश	60	60	शून्य	225	225	45.00	3,284	3,284	656.80
महाराष्ट्र	187	187	74.80	129	129	25.80	9,327	9,327	2,088.43
उड़ीसा	43	43	17.20	1,634	1,634	384.60	1,552	1,552	310.40
राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	03	03	0.60	148	148	29.60
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	2,898	2,898	615.60	271	271	शून्य
उत्तर प्रदेश	21	21	8.40	128	128	25.60	504	504	100.80
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	168	168	33.60	13,068	13,068	2,613.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	1,016	1,016	406.40	678	678	159.40	62	62	12.40
झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	151	151	30.20	1,126	1,126	129.57
कुल	10,922	10,922	4,344.80	18.750	18.750	5,000.00	38,517	38,322	8,000.00

टिप्पणी : वर्ष 2007-08 के दौरान बीड़ी कामगारों द्वारा 1,422 मकानों के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में 2,049 आवेदन-पत्रों में से वर्ष 2008-09 के दौरान 432 मकानों की मंजूरी दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत बाकी 195 आवेदन-पत्र (2049 में से) आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं समझे गए।

बीएसएनएल में लाभ और हानि

248. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को हुई हानि पिछले वर्ष की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में बीएसएनएल को कुल कितनी धनराशि का लाभ और हानि हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) बीएसएनएल के अस्तित्व में आने से लेकर वर्ष 2007-2008 तक इसे कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीएसएनएल द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2007-2008 के दौरान अर्जित किया गया निवल लाभ निम्नवत् है:-

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपए में)
2004-2005	10183.29
2005-2006	8939.70
2006-2007	7805.87
2007-2008	3009.39

मातृत्व और अन्य लाभों में बढ़ोतरी

249. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मातृत्व और अन्य लाभों में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जी, हां। "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत प्रसूति लाभ को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव विचारधीन है जो 01 अक्तूबर, 2007 को शुरू की गई थी और असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए (पांच की इकाई) 01 अप्रैल, 2008 से प्रचालन में आई। असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए, प्रसूति लाभ प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रदान किया जाता है। हाल ही में असंगठित क्षेत्र में महिला कामगार के लिए भुगतान की जाने वाली चिकित्सा बोनस की राशि 250/- रु. से बढ़ाकर 2500/- रु. कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन क्रांति

250. श्री सुरेश अंगडि : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आशातीत प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन क्रांति नहीं पहुंच पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी टेलीफोन आपरेटर और बीएसएनएल भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा 2008-09 अगस्त, 08 तक क्या है; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन क्रांति पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2010 तक तार-लाइन और बेतार दोनों में 4 प्रतिशत टेली-घनत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार 0.52% टेली-घनत्व की तुलना में इस समय टेली-घनत्व में कई गुना वृद्धि हुई है और अब 31 अगस्त, 2008 की स्थिति के अनुसार यह 11.18% है। इस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों संबंधी क्रांति अधिक तेज गति से पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व सेवा दायित्व निधियों (यूएसओएफ) का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 90% से अधिक गांवों को दूरसंचार सुविधाओं से पहले ही कवर किया जा चुका है।

(ङ) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन क्रांति के और अधिक विस्तार के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय किए हैं और कुछ पर विचार कर रही है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार संचार में वृद्धि करने के लिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (चरण-I) से आर्थिक सहायता के माध्यम से 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 साझा अवसंरचना स्थलों की स्थापना के लिए स्कीम आरंभ की जा चुकी है। इन टावरों से चरणबद्ध, तरीके से मोबाइल सेवा आरंभ होने की आशा है।

(ii) कवर नहीं किए गए शेष ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को कवर करने के लिए 11000 अतिरिक्त टावरों की स्थापना के लिए मोबाइल अवसंरचना स्कीम का दूसरा चरण शीघ्र आरंभ किए जाने की आशा है।

(iii) वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से आर्थिक सहायता।

(iv) पूंजी और प्रचालन संबंधी लागत घटाने के लिए अवसंरचना में साझेदारी।

खाद्यान्नों का आयात

251. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से गेहूं और दलहनों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं ने खाद्यान्नों का आयात किया और किन-किन देशों से इनका आयात किया गया;

(घ) क्या देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद खराब किस्म का गेहूं आयात किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन

252. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से

ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में क्रियान्वयन हेतु पूर्वोत्तर एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन परियोजना, असम को स्वीकृत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी कौन-सी है और वास्तविक कार्य शुरू करने के लिए स्थानवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने पूर्वोत्तर एकीकृत बाढ़ एवं नदी तट प्रबंधन परियोजना, असम संबंधी प्रस्ताव एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को सहायतार्थ भेजा है। एडीबी ने परियोजना संबंधी प्रारंभिक तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है। परामर्शदाता द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया है।

पिन के अंकों में वृद्धि

253. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) की संख्या छः से बढ़ाकर आठ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी नहीं। मौजूदा पिनकोड को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा पिनकोड में दो अंकों को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डाकिये के इलाके को दर्शाया जाएगा। यह केवल चुनिंदा डाकघरों तथा चुनिंदा बड़े मेलकर्ताओं तक ही सीमित है जो नियमित आधार पर हजारों मेल भेजते हैं। इससे, इन डाकघरों में मेल की प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। इसे नवम्बर, 2007 से धीरे-धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है।

निजी जल परियोजनाएं

254. **श्री उदय सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निजी जल परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र द्वारा गंभीरतापूर्वक जल संबंधी अनुसंधान कार्य शुरू किए जाने की स्थिति में कई निजी क्षेत्र परियोजनाओं को वित्त पोषित किए जाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की ऐसी जल परियोजनाओं के चयन का मानदंड क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय ने निजी जल परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए किसी विशेष सेल का गठन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत अनुमोदित दिशा-निर्देश के अनुसार जल संसाधन संबंधी अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थायें/संगठनों और पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है।

बीज उत्पादन

255. **श्रीमती जयाप्रदा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल करने की भी योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी हां। गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण

के लिए निजी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं की स्थापना/सदृढ़ीकरण के लिए, बीज प्रसंस्करण संयंत्रों, बीज भंडारण गोदामों तथा बीज सफाई, श्रेणीकरण, उपचार, पैकिंग इत्यादि के लिए मशीनरी प्रापण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। गत चार वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

2005-06	1270.20 लाख
2006-07	625.29 लाख
2007-08	2939.06 लाख
2008-09 (15.10.2008 तक)	2341.65 लाख

(ग) और (घ) जी हां। राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 में देश में बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक भूमिका का विचार किया है। 2007-08 में उत्पादित बीज का 41.09% का निजी क्षेत्र का योगदान अर्थात 76.50 लाख क्विंटल है। भारत सरकार निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन भी करती है। बीज ढांचा विकास पर प्रति यूनिट 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत की 25% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त पूंजीगत राजसहायता प्रदान की जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से आगे) में बीज ढांचा विकास पर प्रति यूनिट 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक बढ़ी हुई सहायता प्रदान की गई है। इस स्कीम के तहत भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ङ) किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित/गुणवत्ता बीज का व्यवस्थित उत्पादन बीज उत्पादक एजेंसियों अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभाग, राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय स्टेट फार्म निगम, बीज सहकारी समितियां और निजी क्षेत्र इत्यादि द्वारा प्रत्येक सीजन में किया जाता है। बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्रदान की जाती है जिनमें (i) राज्य कार्य योजना के माध्यम से कृषि के माध्यम से कृषि के बृहत प्रबंधन मोड (ii) तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का संबंधी एकीकृत स्कीम (iii) जूट और मेस्ता पर प्रौद्योगिकी मिशन (iv) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (v) सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को बीजों की ढुलाई के लिए परिवहन राजसहायता (vi) बीज ग्राम कार्यक्रम (vii) निजी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं (viii) निजी क्षेत्र में बुस्टिंग बीज उत्पादन और (ix) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हैं। भारत सरकार राज्य के कृषि विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य बीज निगमों, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय स्टेट फार्म निगम, सहकारी तथा निजी क्षेत्र इत्यादि के साथ प्रत्येक बुवाई सीजन से पहले क्षेत्रीय आदान सम्मेलनों में बीज आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करती है।

विवरण

10.10.2008 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र में बीज ढांचे के सृजन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव के ब्यौरे

राज्य	किये गये प्रस्तावों की संख्या	ढांचे की क्षमता (क्विं.)		प्रथम किस्त में निर्मुक्त धनराशि (रु. में)	राज्य में राजसहायता की कुल राशि (रु. में)
		प्रसंस्करण क्षमता	भण्डारण क्षमता		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	13	270000	85633	4993315	9986630
बिहार	1	20000	1240	54381	108762
गुजरात	7	130000	12805	1414055	3582288
हरियाणा	10	245000	60390	2734993	5195928

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	1	20000	0	64201	128402
कर्नाटक	2	70000	5930	585552	1072229
मध्य प्रदेश	7	180000	59649	2317659	4514853
महाराष्ट्र	6	120000	23023	1461010	2913337
उड़ीसा	4	90000	18230	1124851	2258609
पंजाब	6	215000	52837	2169746	4237459
राजस्थान	5	120000	17500	1212767	1768004
तमिलनाडु	21	255000	97060	3803472	7416990
उत्तर प्रदेश	35	515000	312808	13015024	24986663
उत्तरांचल	24	470000	292348	7432730	15593636
पश्चिम बंगाल	7	145000	51170	2126885	4054153
कुल	149	2865000	1090623	44510641	87817943

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

256. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिले के स्थान पर गांव को इकाई मानकर फसल बीमा योजना (सी.आई.एस.) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) जो रबी 1999-2000 से प्रचालन में है, एक "क्षेत्र" आधारित स्कीम है। प्रचालनकर्ता राज्य/संघ शासित प्रदेश इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत सहित बीमा के किसी यूनिट क्षेत्र को अधिसूचित कर सकते हैं। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपज का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित अनेक फसल कटाई प्रयोग (सी सी ई) करना आवश्यकता है।

छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ रक्षा कार्मियों में असंतोष

257. **प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ तीनों सेवाओं

के कर्मियों विशेषत: मध्यम स्तरीय अधिकारियों में व्यापक असंतोष है तथा कुछ अधिकारियों ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विसंगतियों को दूर करने तथा सशस्त्र बलों से बड़ी संख्या में सैनिकों और अधिकारियों के नौकरी छोड़े जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सेनाओं ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न कुछ मुद्दों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। सरकार ने अधिकांश मुद्दों पर निर्णय ले लिया है। तत्पश्चात्, सेनाओं द्वारा कुछ और मुद्दे उठाए गए हैं अर्थात् सेना अफसरों को उच्चतर ग्रेड वेतन प्रदान करना, लेफ्टिनेंट कर्नल और समकक्ष को पीबी-4 में रखना, अफसर रैंक से निचले स्तर के कार्मिकों को पेंशन लाभों की बहाली, प्रधान स्टाफ अफसर, महानिदेशक, नियंत्रक के पद धारण करने वाले लेफ्टिनेंट जनरलों और समकक्ष को एच.ए.जी. + वेतन बैंड उपलब्ध कराना, आदि।

नौसेना, वायुसेना के किसी भी अफसर ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रति असंतोष के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति नहीं मांगी है। तथापि, मार्च, 2008 से सेना के कुल 584 अफसरों (सेना चिकित्सा कोर/सेना दंत कोर और सैन्य नर्सिंग सेवा के सिवाय) ने पैनल में न रखे जाने, अनुकंपा आधार, निम्न मेडिकल श्रेणी, न्यूनतम तकनीकी अर्हता अर्जित करने में असफल रहने और सिविल क्षेत्र में बेहतर रोजगार के आधार पर समयपूर्व सेनानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के लिए आवेदन किया है। परंतु इससे यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रति असंतोष के कारण सेवा छोड़ने की बात सोची है।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विदेश मंत्री सेनाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेंगे और रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री से परामर्श करके सिफारिशें देंगे।

[अनुवाद]

नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता

258. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसे सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय नौसेना कम दूरी के साथ-साथ लम्बी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों की कमी का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सरकार सुरक्षा परिवेश की निरंतर पुनरीक्षा करती रहती है और तदनुसार पर्याप्त रक्षा तैयारी हेतु नौसेना के लिए लघु, मध्यम और लंबी दूरी के समुद्र टोही विमान सहित समुचित उपस्करों को नौसेना में शमिल करने का निर्णय लेती है। सामुद्रिक निगरानी के लिए टोही विमान अपेक्षित होते हैं। 11वीं और 12वीं योजना में लघु, मध्यम और लंबी दूरी की श्रेणी के नए टोही विमानों को शामिल करके समुद्री निगरानी की कमी को पूरा किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक उल्लेख करना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन

259. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री नन्द कुमार साय :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री निखिल कुमार :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कूरियर कंपनियों को विनियमित करने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में डाकघरों की स्पीड पोस्ट सेवाएं निजी कूरियर कंपनियों की वृद्धि के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(च) ऐसे संशोधनों से डाक सेवाओं के कितना लाभान्वित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह अभी प्रस्ताव स्तर पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में भ्रष्टाचार

260. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्डों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं की उचित निगरानी और समीक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसमें उक्त योजनाओं के लाभ से बुनकर तथा कारीगर वंचित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन मामलों की कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। जहां तक हस्तशिल्प क्षेत्र का संबंध है, यहां अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (ए.आई.एच.बी.) है, जो केवल परामर्श देने का कार्य ही निष्पादित करता है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के उद्देश्यों में हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को परामर्श देना; शिल्पियों के लिए उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने हेतु कार्यनीतियों को तैयार करने में सरकार को परामर्श देना; शिल्प विरासत का परिरक्षण एवं संवर्धन करना; देश में एवं विदेशों में हस्तशिल्प के लिए बाजार के विस्तारण हेतु कार्यनीतियां तैयार करने में सरकार को परामर्श देना और हस्तशिल्प क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विकास प्रयासों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने हेतु कदम उठाना शमिल है। हस्तशिल्प क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की स्कीमों की निगरानी हेतु कोई भी वित्तीय अथवा प्रशासनिक शक्तियां अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पास नही हैं।

जहां तक हथकरघा क्षेत्र का संबंध है, राज्य सरकारों से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बुनकरों को विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण स्कीमों के लाभ राज्य सरकारों के माध्यम से पहुंचाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फसल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि

261. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि रसायन संवर्धन समूह (ए.पी.जी.) तथा एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार 143 बिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का मात्र 20 प्रतिशत भाग ही फसल संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने एपीजी तथा एसोचैम के आंकड़ों/सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) कृषि रसायन संवर्धन समूह (ए पी जी) ने फसल संरक्षण के तहत क्षेत्र को कृष्य भूमि के 140 मिलियन हेक्टेयर के कृष्य क्षेत्र को 20% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ, देश में कीटनाशक के कम उपयोग का निम्न उपज के एक कारण के रूप में उल्लेख किया है। भारत सरकार ने 1991-92 से सम्पूर्ण फसल संरक्षण कार्यक्रम में पौध संरक्षण रणनीति के प्रमुख सिद्धान्त के रूप में एकीकृत कीट प्रबंधन (आई पी एम) को अपना करके "भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" नामक एक स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत, 28 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में 31 केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन सेंटरों (सी आई पी एम सी) को कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देने, कीट/रोग मानीटरिंग, जैव-नियंत्रण एजेन्टों/जैव कीट नाशकों का उत्पादन और जारी करने के अधिदेश के साथ स्थापित किया गया है। 77 प्रधान फसलों में कीट/रोग प्रबंधन के प्रयोगों का आई पी एम पैकेज विकसित किया गया है और इसे विस्तार पदाधिकारियों और किसानों द्वारा उपयोग के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परिचालित किया जाता है। राज्य सरकारों के समन्वय से भारत सरकार द्वारा 2007 से, नकली कीट नाशकों के विरुद्ध और 100 प्रतिशत बीज उपचार के लिए नियमित रूप से जागरुकता अभियान चलाये गये हैं।

[हिन्दी]

कालीन निर्यात में गिरावट

262. **श्री काशीराम राणा :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीन निर्यात में साल-दर-साल गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल हुई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं। केवल वर्ष 2007-08 दौरान ही, कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन के निर्यात में, रुपये के संदर्भ में 4.09 प्रतिशत और अमरीकी डॉलर के संदर्भ में 8.39 प्रतिशत की, गिरावट दर्ज की गई थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तनिर्मित कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों का निर्यात निम्न प्रकार से है:

2005-06	3082.06 करोड़ रुपये
2006-07	3674.86 करोड़ रुपये
2007-08	3524.73 करोड़ रुपये
2008-09	1533.35 करोड़ रुपये (अप्रैल-सितम्बर)

वर्ष 2007-08 में गिरावट मुख्यत: अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में वृद्धि, उच्च ब्याज दरों, मांग में कमी और विश्व-व्यापी मंदी आदि के कारण दर्ज की गई थी।

(ग) सरकार ने हस्तनिर्मित कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों के विकास एवं संवर्धन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें प्रशिक्षण के माध्यम से बुनकरों का कौशल उन्नयन, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के माध्यम से पणधारियों के बीच नीति एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और भारत एवं विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन शमिल है। कालीन उद्योग को एक गतिशील क्षेत्र बनाने के लिए इस उद्योग को तकनीकी सहायता मुहैया कराने हेतु भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना स्कीम (वी के जी यू वाई) के तहत हस्तनिर्मित कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात के एफ ओ बी मूल्य पर 5 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की घोषणा की है जिससे कालीन उद्योग में निर्यात को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।

(घ) माह सितम्बर, 2007 की तुलना में माह सितम्बर, 2008 के लिए निर्यातों में वृद्धि दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा

263. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री के. सुब्बारायण :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में हाल ही में किए गए अध्ययन में इसकी सुरक्षा के बारे में आशंका जताई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2006 के मूलवाद सं. 3 (तमिलनाडु बनाम केरल और अन्य राज्य) के संबंध में केरल सरकार द्वारा मुल्लापेरियार बांध के संबंध में संभावित अधिकतम बाढ़ और बाढ़ मार्ग के आकलन पर एक रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। सरकारी काउन्सेल के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट में मौजूदा स्पिलवे क्षमता से अनुमानित संभावित अधिकतम बाढ़ के लिए मुल्लापेरियार बांध की क्षमता के संबंध में मुद्दा उठाया गया है। इस रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई और उन्होंने सूचित किया है कि उक्त रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्ष सही नहीं प्रतीत हो रहे हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 13.10.2003 को सरकारी काउन्सेल को रिपोर्ट पर टिप्पणियां भेज दी हैं। मामला न्यायाधीन है।

किसानों को राहत पैकेज

264. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के राहत पैकेज से अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन किसानों की मदद करने का है जिन्होंने निजी ऋणदाताओं से ऋण लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 आत्महत्या संभावित जिलों में किसानों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे किसानों के 61.48 लाख ऋण खातों पर अतिदेय ब्याज का ऋण माफी लाभ दिया गया है और पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत 33.71 लाख कृषि ऋण खातों में पुनर्वास ऋण दिया गया है। इसके अतिरिक्त 26,729 किसान और 6,17,697 किसान क्रमशः सहायक आय कार्यकलापों और विस्तार सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार द्वारा कृषि ऋण पैकेज 2004 के तहत बैंकों को सलाह दी गई है कि निजी साहूकारों सहित अनौपचारिक साधनों से लिए गए किसानों के ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त बैंकों को निजी साहूकारों सहित अनौपचारिक साधनों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को बदलने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि ऋण का 3% निर्धारित करने की सलाह दी गई है। नाबार्ड ने "कृषि साथी स्कीम" शुरू कर दिया है जिसके अंतर्गत किसानों से साहूकारों के पंजों से मुक्त करने के लिए उन्हें ऋण मुहैया कराने के लिए बैंकों को पुनः वित्तीय सहायता का विस्तार दिया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएनएल का आईपीओ

265. **श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का 4000 करोड़ रुपए की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल यूनियनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी आपत्तियों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार बीएसएनएल में अपने इक्विटी शेयर होल्डिंग के कुछ हिस्से को बिक्री के माध्यम से जनता को देने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। बीएसएनएल के संघों के संयुक्त मंच और बीएसएनएल कर्मचारियों के संघों ने बिना कारण बताए, बीएसएनएल के आईपीओ प्रस्ताव के विरुद्ध 26.02.2008 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। संयुक्त मंच द्वारा प्रस्तावित हड़ताल टाल दी गई है।

(ङ) सरकार ने बीएसएनएल के शेयरों की लिस्टिंग से होने वाले फायदों के बारे में बीएसएनएल के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समझाया है। इनमें से कुछ फायदे निम्नवत् हैं:-

(i) इससे बीएसएनएल को नवरत्न का दर्जा मिलने में सहायता मिलेगी;

(ii) यह बीएसएनएल की छवि में सुधार लाने में उपयोगी होगा; और

(iii) इससे बीएसएनएल की प्रगति होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेल का वितरण

266. डा. आर. सेनथिल :
श्री जुएल ओराम :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के निर्धनतम वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त खाद्य तेल के वितरण हेतु योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता के साथ 2008-09 में 10 लाख टन तक आयातित खाद्य तेलों का वितरण करने की स्कीम लागू की है। यह वितरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उचित दर दुकानों/उनके द्वारा तय की गई अन्य दुकानों के जरिए 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से किया जाएगा। इस स्कीम के अधीन जिन 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य तेलों के आबंटन की मांग की उन्हें खाद्य तेलों का आबंटन किया गया है:-

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
3.	दादरा व नगर हवेली
4.	दिल्ली
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	जम्मू-कश्मीर
9.	कर्नाटक
10.	मध्य प्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	मणिपुर
13.	मेघालय
14.	मिजोरम
15.	नागालैंड
16.	उड़ीसा
17.	पांडिचेरी

1	2
18.	पंजाब
19.	राजस्थान
20.	सिक्किम
21.	तमिलनाडु
22.	त्रिपुरा
23.	उत्तराखंड
24.	पश्चिम बंगाल
25.	छत्तीसगढ़
26.	हिमाचल प्रदेश
27.	दमन व दीव
28.	उत्तर प्रदेश
29.	चण्डीगढ़

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आयात, पैकिंग और आपूर्ति केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाती है। 13.10.2008 तक 3.48 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसमें से 2.40 लाख टन खाद्य तेल का पोत में लदान कर दिया गया है और 2.39 लाख टन का देश में उतरान हो गया है तथा लगभग 1.43 लाख टन का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण कर दिया गया है।

यह स्कीम औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश से 28 जुलाई, 2008 को शुरू की गई है। 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड और राजस्थान में राजसहायता प्राप्त आयातित खाद्य तेलों का वितरण शुरू हो गया है।

इंडस्ट्रियल पार्क आर्डिनेन्स

267. **श्री हरिन पाठक : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र सहित किसी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इंडस्ट्रियल पार्क आर्डिनेन्स के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2008-09 में संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को सिन्धु जल का आबंटन

268. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में गुजरात सरकार से कच्छ क्षेत्र को सिन्धु नदी बेसिन में शामिल करने तथा उसी अनुपात में राज्य को सिन्धु नदी का जल पुन: आबंटित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) गुजरात के माननीय जल आपूर्ति, जल संसाधन, शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री, गुजरात सरकार ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र को सिन्धु का जल आबंटित करने के संबंध में माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को दिनांक 07.02.08 को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस संबंध में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिन्धु के जल (अर्थात् रावी-व्यास-सतलज के जल) के आबंटन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हुए पूर्व में लिखे गए दिनांक 23.03.04 के पत्र और उनके पूर्ववर्ती द्वारा दिनांक 01.08.05 के पत्र का संदर्भ दिया है। उन्होंने शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने पूर्वी नदियों के वर्तमान लाभग्राही राज्यों के बीच जल संबंधी मुद्दों, जिनमें से पंजाब विधान सभा द्वारा अधिनियमित पंजाब अनुबंध समाप्ति अधिनियम, 2004 के संबंध में राष्ट्रपतीय संदर्भ, जिसका परिणाम प्रतीक्षित है, सहित कुछ मुद्दे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं, का उल्लेख करते हुए 18.03.08 को उपरोक्त पत्र का जवाब दिया। इन परिस्थितियों में, जब तक वर्तमान मुद्दों का समाधान नहीं होता और वर्तमान लाभग्राही राज्य कुछ जल बचाने की स्थिति में नहीं आते, तब तक जल के पुनः आवंटन का कोई मुद्दा उठाना उचित नहीं होगा।

भेड़ से प्राप्त ऊनी धागों का उत्पादन

269. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों से राज्य में भेड़ से प्राप्त ऊनी धागों की निर्माण इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

घटिया वर्दी की आपूर्ति

270. श्री किन्जरपु येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों (पीबीओआर) को ढीली-ढाली तथा घटिया वर्दियां दी जा रही हैं जिससे उन्हें अपनी वर्दी बाजार से खरीदनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हो, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं में अफसर रैंक से निचले स्तर के कार्मिकों को ढीली-ढाली तथा घटिया वर्दियां नहीं दी जा रही हैं। जवानों को उपलब्ध कराई जा रही वर्दियां आयुध निर्माणी महानिदेशालय से 15 अलग-अलग साइजों में प्राप्त की जा रही हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित हैं। अफसर रैंक से निचले स्तर के कार्मिकों को उपलब्ध कराई जा रही वर्दियों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

रक्षा उपकरणों की खरीद

271. श्री सुनील खां :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए रक्षा उपकरणों का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है तथा किन देशों से इनका आयात किया जाता है;

(ख) इन उपकरणों का स्वदेश में निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति की जाती है। आयात विकल्प का तब इस्तेमाल किया जाता है जब क्षमता अंतरालों को भरने के लिए संक्रियात्मक आधार पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मदों की अधिप्राप्ति करना आवश्यक हो तथा जब आमतौर पर ऐसे उपस्कर को निश्चित समय-सीमा के भीतर स्वदेशी स्रोत से नहीं जुटाया जा सकता। गत तीन वर्ष के दौरान रक्षा उपस्कर के आयात पर हुआ व्यय निम्नवत है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	रक्षा उपस्कर के आयात पर हुआ व्यय
2005-06	12101.49
2006-07	10022.00
2007-08	15026.68

जिन बड़े देशों से आयात किया जाता है, उनमें रूस, अमरीका, यू.के., फ्रांस, जर्मनी तथा इजरायल शमिल हैं। रक्षा उपस्करों के आयात के संबंध में और अधिक ब्यौरे उजागर करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं: (क) भावी दायित्वों की प्रत्याशा में विदेशी सहभागियों के द्वारा क्षतिपूर्ति कार्यक्रमों के सृजन में सक्षम बनाने के लिए क्षतिपूर्ति जमा बैंकिंग शामिल करने के लिए क्षतिपूर्ति नीति को युक्तिसंगत बनना; (ख) 'आंतरिक' जरूरतों के लिए संबंधित सशस्त्र सेना वर्कशॉपों द्वारा विकसित उत्पादों को इन एजेंसियों से 'खरीदो' (भारतीय) श्रेणी के अंतर्गत अधिप्राप्त किया जा सकता है; (ग) 'खरीदो' श्रेणी मामलों के लिए लागू अनुरक्षण ढांचा मुहैया कराने हेतु किसी भारतीय सार्वजनिक/निजी फर्म के लिए, यदि अपेक्षित हो तो, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रावधान, जहां उपस्कर विदेशी विक्रेताओं से खरीदे जा रहे हैं; और (घ) न्यूनतम 30 प्रतिशत स्वदेशी अंश हासिल करने के लिए 'खरीदो' (भारतीय) श्रेणी के अंतर्गत अधिप्राप्ति, यदि प्रणालियां किसी भारतीय विक्रेता द्वारा संघटित की जा रही हों।

गत तीन वर्ष के दौरान, स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत अर्जन पर व्यय औसतन 71 प्रतिशत से ऊपर रहा है।

[हिन्दी]

दूरसंचार सलाहकार समिति सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन

272. **श्री रामदास आठवले :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विभिन्न जिलों में गठित दूरसंचार सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्यों को प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों संबंधी ब्यौरा इस प्रकार है:-

बीएसएनएल

निम्न तिथि को स्थिति	टीएसी सदस्यों की कुल संख्या	उन टीएसी सदस्यों की संख्या जिन्हें टेलीफोन प्रदान किया गया
31.03.2006	5904	5634
31.032007	4405	4061
31.03.2008	5296	4873
30.09.2008	6269	5742

एमटीएनएल

वर्ष	टीएसी सदस्यों की कुल संख्या	उन टीएसी सदस्यों की संख्या जिन्हें टेलीफोन प्रदान किया गया
2005	116	106
2006		
2007	230	204
2008		

(ग) दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों को टेलीफोन प्रदान करने में विलंब/टेलीफोन न प्रदान किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(i) टीएसी सदस्यों की स्वीकृति संबंधी सहमति की प्रतिक्षा।

(ii) टीएसी सदस्य द्वारा जहां टेलीफोन लगाने की मांग की गई है उस क्षेत्र का तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होना।

(iii) टीएसी सदस्य का टेलीफोन लेने का इच्छुक न होना।

(iv) सदस्य मोबाइल कनेक्शनों की मांग कर रहे हैं, जिसकी अनुमति नहीं है।

(v) टीएसी का गठन हाल ही में हुआ है, टेलीफोन लगाने का कार्य चल रहा है।

(vi) कुछ सदस्यों पर बकाया राशि देय है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में कृत्रिम जल संभरण परियोजनाएं

273. श्री एल. राजगोपाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश में भूजल संभरण हेतु प्रदर्शक कृत्रिम जल संभरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गयी है; और

(ग) राज्य में उक्त परियोजनाओं से कितने गांवों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) 'भूजल सर्वेक्षण, अन्वेषण और जांच' संबंधी केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2006-08 के दौरान कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में 16 गांवों को शामिल करते हुए 23 प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण को इस प्रयोजन के लिए 1.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कुट्टनाड पैकेज

274. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
डा. के.एस. मनोज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुट्टनाड पैकेज में शामिल विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पैकेज में शामिल केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु मानदण्डों में ढील देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के आत्महत्या संभावित जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के भाग के रूप में कुट्टनाड नमभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के विकास के लिए, सरकार ने एम. एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा सुझाए गए विभिन्न कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों का लागू करने के लिए वित्तीय समर्थन देने के लिए "सिद्धांतत:" अनुमोदन दिया है। कार्यक्रम/हस्तक्षेप जिसमें 1,840.75 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय शामिल हैं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी मौजूदा स्कीमों और वित्तपोषण प्रतिमान के भीतर क्रियान्वित किए जाएंगे, जिनके लिए केरल सरकार किए जाने वाले क्रियाकलापों की पहचान करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के निरूपण होने पर आवश्यक निधियों की निर्मुक्ति के लिए ऐसी स्कीमों के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। सरकार ने यह भी अनुमोदित किया है कि कार्यक्रम/हस्तक्षेप जिसमें 50 लाख रु. तक के वित्तीय परिव्यय शामिल हैं, को केरल राज्य सरकार द्वारा अपनी स्कीमों के अंतर्गत अपनी निधियों में से क्रियान्वित किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों को राजसहायता

275. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनियों के स्थान पर किसानों को राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जैव उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पैकेज देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार वर्तमान में कम्पनियों के स्थान पर किसानों को सीधे सब्सिडी प्रदान करने के लिए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) जैव उर्वरकों के प्रोत्साहन हेतु विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

3जी दूरसंचार नीति

276. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तीसरी पीढ़ी (3-जी) की दूरसंचार नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 3-जी स्पेक्ट्रम चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) जी, हां।

दिनांक 01.08.2008 को 3जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी तथा आबंटन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के उपरान्त सरकार द्वारा 3जी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की राशि, विलय तथा अधिग्रहण और स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों के लिए बोली हेतु पात्रता के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रश्नों और सूचना के आधार पर इन दिशानिर्देशों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण/संशोधन दिनांक 11.09.2008 को जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

3जी के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन एक नियंत्रित, समकालिक आरोही इलेक्ट्रोनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

विवरण

एफ.सं.पी 11014/16/2008-पीपी

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी स्कंध

दिनांक 11 सितम्बर, 2008

1 अगस्त, 2008 को जारी किए गए 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी तथा आबंटन सम्बन्धी दिशानिर्देशों का स्पष्टीकरण/संशोधन।

1 अगस्त, 2008 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी और आबंटन सम्बन्धी दिशानिर्देशों में संशोधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरणों एवं सुझावों से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से अनेक प्रश्न/अनुरोध प्राप्त हुए। प्राप्त सूचना तथा तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण/संशोधन किए गए हैं:-

दिशानिर्देशों का पैरा सं.	विद्यमान	के द्वारा प्रतिस्थापित
(क)	(ख)	(ग)
2. 3जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली सम्बन्धी पात्रता	कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूएएस लाइसेंस हो या (ii) जो दूरसंचार विभाग के दिनांक 14.12.2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी पात्रता के मानदंडों को पूरा करता हो तथा जिसे पूर्व में 3जी दूरसंचार सेवाएं संचालित करने का अनुभव हो वह 3जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली दे सकता है।	कोई भी व्यक्ति (i) जिसके पास यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंस हों, या (ii) (क) जिसे 3जी दूरसंचार सेवाएं संचालित करने का पूर्व अनुभव हो; तथा (ख) जो दूरसंचार प्रचालन शुरू करने से पूर्व दिनांक 14.12.2005 के दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) प्राप्त करने के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत करता हो, 3जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली दे सकता है।
3. स्पेक्ट्रम की राशि उप पैरा 3.2	स्पेक्ट्रम की नीलामी 450 मेगाहर्ट्ज बैंड में इवीडीओ सेवाओं के लिए 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में तथा 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड (1980-1990 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 1900-1910) में इसके उपलब्ध हो जाने पर की जाएगी। यूएएसएल सीडीएमए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2x1.25 मेगाहर्ट्ज की मांग करने का विकल्प होगा जो प्रति 2x1.25 मेगाहर्ट्ज मूल्य के यथानुपात में 2.1 गीगाहर्ट्ज में की गई नीलामी की उच्चतम विजेता बोली के समकक्ष मूल्य की उपलब्धता के अध्यधीन होगा। दूरसंचार सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता आधार आबंटन के लिए वरिष्ठता होगी।	3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 450 मेगाहर्ट्ज बैंड में इ वी डी ओ सेवाओं के लिए 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में तथा 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड (1980-1990 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 1900-1910) में इसके उपलब्ध हो जाने पर की जाएगी। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2x1.25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के एक ब्लॉक की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड में 2x5 मेगाहर्टज के लिए आरक्षित मूल्य का 25% होगा। 450 मेगाहर्ट्ज तथा 1900 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम के तक ब्लॉक के लिए आरक्षित मूल्य अलग-अलग अधिसूचित होंगे।
विलय और अधिग्रहण उप पैरा 4.1	विलय और अधिग्रहण दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2008 के सं. 20-100/2007- एएस-I के तहत उक्त विषय पर जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों अथवा इसके किसी अनुवर्ती संशोधन के अनुसार होगा।	विलय और अधिग्रहण दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2008 के सं. 20-100/2007-एएस-I के तहत उक्त विषय पर जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों अथवा इसके किसी अनुवर्ती संशोधन के अनुसार होगा। यह नीति सेवा क्षेत्र में केवल दो एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों के बीच विलय के लिए लागू है।
7. लाइसेंस प्रदान करना उप पैरा 7(च)	यदि किसी सफल बोलीदाता के मौजूदा यूएएस दूरसंचार लाइसेंस की अवधि 3जी सेवाओं हेतु स्पैक्ट्रम आबंटन के लिए 20 वर्ष की इस अवधि से पहले समाप्त हो रही है, तो इसके मौजूदा यूएएस लाइसेंस को इसकी वैधता के 19वें वर्ष में 3जी स्पैक्ट्रम आबंटन की तारीख	यदि किसी सफल बोलीदाता के मौजूदा यूएएस दूरसंचार लाइसेंस की अवधि 3जी सेवाओं हेतु स्पैक्ट्रम आबंटन के लिए 20 वर्ष की इस अवधि से पहले समाप्त हो रही है, तो इसके मौजूदा यूएएस लाइसेंस को इसकी वैधता के 19वें वर्ष में 3जी स्पैक्ट्रम आबंटन की तारीख

(क)	(ख)	(ग)
	से 20 वर्षों तक बढ़ा दिया जाएगा, जोकि लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के समय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर होगा। यदि आवश्यक हो, लाइसेंस की शर्तों में संशोधन करके इस समयावधि को यूएएस लाइसेंस के 19वें वर्ष में उस अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जितनी इसे 3जी स्पैक्ट्रम आबंटन की अवधि के साथ को-टर्मिनस बनाने के लिए अपेक्षित होगी।	से 20 वर्षों तक बढ़ा दिया जाएगा, जैसाकि सरकार उचित समझे। यदि आवश्यक हो, लाइसेंस की शर्तों में संशोधन करके इस समयावधि को यूएएस लाइसेंस के 19वें वर्ष में उस अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जितनी इसे 3जी स्पैक्ट्रम आबंटन की अवधि के साथ को-टर्मिनस बनाने के लिए अपेक्षित होगी।
10. स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार:	(i) स्पैक्ट्रम के आबंटन की तारीख से प्रथम वर्ष में 3जी दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार देय नहीं होगा। (ii) लाइसेंसधारक एक वर्ष की अवधि के बाद वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार के रूप में समायोजित सकल राजस्व का 1% भुगतान करेगा।	(i) स्पैक्ट्रम के आबंटन की तारीख से प्रथम वर्ष में 3जी दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार देय नहीं होगा। (ii) लाइसेंसधारक एक वर्ष की अवधि के बाद 3जी सेवाओं के कारण बढ़े हुए राजस्व पर 1% का वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार देगा। परिकलन के तरीके को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।
11. अन्य मुद्दे	बोली प्रक्रिया को रद्द करने अथवा किसी बोलीदाता को अयोग्य ठहराने का अधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित है।	बिना कोई कारण बताए बोली प्रक्रिया को रद्द करने अथवा किसी बोलीदाता को अयोग्य ठहराने का अधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित है।

रक्षा उत्पादन में विदेशी कंपनियां

277. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रक्षा उत्पादन में विदेशी कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन प्रणाली की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में रक्षा वस्तुओं के उत्पादन में लगी देशी कंपनियां उन वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए पर्याप्त सुसज्जित नहीं हैं जिनके लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, लाइसेंस के अध्यधीन, भारतीय कंपनियों/साझेदारी फर्मों में 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता

278. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल न किए जाने वाले व्यक्तियों को भत्ता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को पहले से ही भत्ते का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के अन्य राज्यों में शहरी बेरोजगार युवकों को भत्ता दिए जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्य तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी की सरकारें कुछ विशिष्ट श्रेणियों के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कर रही हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार नीतिगत मामले के रूप में बेरोजगार युवाओं की किसी भी श्रेणी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है। केन्द्र सरकार का विचार है कि सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से व्यापक संसाधन विकासात्मक कार्यक्रमों से गैर-विकासात्मक गतिविधियों की ओर मुड़ जाएंगे। इतने विशाल संसाधनों का विकासात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जिससे अत्यधिक सार्थक रोजगार सृजित होगा।

[हिन्दी]

डेयरी विकास के लिए धनराशि

279. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास के लिए खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि तथा कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कुल निवेश में से इसकी प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावित आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1)	डेयरी विकास परियोजनाएं सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय डेयरी योजना संबंधी योजना (अनंतिम परिव्यय)	225.01 करोड़ रुपए
(2)	सहकारिताओं को सहायता	50.00 करोड़ रुपए
(3)	दिल्ली दुग्ध योजना	5.00 करोड़ रुपए
(4)	डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष	300.00 करोड़ रुपए
	कुल	580.01 करोड़ रुपए

यह राशि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रस्तावित कुल निवेश का 1.40% (चालू मूल्य पर) है।

(ख) उपरोक्त डेयरी विकास योजनाएं मांग आधारित हैं तथा इसमें कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

मवेशियों हेतु ऋण

280. **श्री शिशुपाल एन. पटले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषकों के लिए ऋण माफी योजना के अंतर्गत मवेशी खरीदने हेतु लिए गए ऋण को माफ करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना देश में सभी कृषकों के लिए लागू होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, निम्नलिखित सूचना दी जाती है कि:-

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना-2008 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में, गोपशु सहित कृषि से संबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में संपत्ति अर्जन के लिए किसानों को अधिसूचित, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारिता क्रेडिट संस्थाओं (शहरी सहकारिता बैंकों सहित) तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों द्वारा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए दिए निवेश क्रेडिट को ऋण माफी/राहत के लिए कवर किया गया है, बशर्ते कि ये ऋण इस योजना के अनुसार पात्र हों।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में निवेश

281. **श्री अमिताभ नन्दी :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र में कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या निजी निवेश सहित अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्रों में निवेश में निरंतर गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने निजी निवेश सहित कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किये गये निवेश की राशि निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	2005-06	4209.32	3920.00	3848.15
2.	2006-07	4840.00	4900.00	4679.86
3.	2007-08	5560.00	6927.94	7049.36
4.	2008-09	10105.67		4305.46* अनन्तिम

*दिनांक 30.09.2008 तक

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में किये गये कुल निवेश (जिसमें सार्वजनिक तथा निजी शामिल है) निम्नानुसार हैं।

स्थिर मूल्यों पर (1999-2000)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उद्योग/क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06@	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि तथा संबद्ध	55668	53541	57759	64511	71208
2.	खनन, विनिर्माण, विद्युत तथा निर्माण	220491	275322	389111	489260	563198

1	2	3	4	5	6	7
3.	सेवायें	266202	282217	300840	336917	384035
	कुल	542361	611080	747710	890688	1018441

@अनन्तिम अनुमान

*त्वरित अनुमान

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

(घ) और (ङ) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को कृषि विपणन अवसंरचना के विकास में तथा निजी बाजारों की स्थापना को सहज बनाने, कृषि विपणन संरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण के विकास को सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत उत्तर-फसल कटाई प्रबंधन में सुधार हेतु प्रत्यक्ष विपणन एवं ठेका खेती की अनुमति देने के लिए कृषि उत्पाद के लिए वैकल्पिक विपणन माध्यमों को प्रदान करने में प्रोत्साहित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ''गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास तथा उनको मजबूत बनाना'' के अंतर्गत, सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने राज्यों को कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए एक राज्य योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आने वाली निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। योजना के तहत, ग्यारहवीं योजना अवधि (वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक) के लिए 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

[हिन्दी]

मोबाइल टावरों से विकिरण

282. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र की हाल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मोबाइल टावरों से होने वाला विकिरण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो इन टावरों से हानिकारक विकिरण में कमी लाने के लिए क्या अनुसंधान कार्य किए गए हैं; और

(ग) इन टावरों को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) दूरसंचार आयोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अनाश्रयता (एक्सपोजर) को सीमित करने के लिए बुनियादी प्रतिबंध और अनुक्रिया स्तरों के संबंध में भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा संस्तुत गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीएनआईआर पी) के दिशा-निर्देशों को अपनाए जाने को अनुमोदित कर दिया है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, खुले वातावरण में काम करने वाले मजदूरों और आम जनता पर किए गए मरक-विज्ञान के अध्ययनों से विशिष्ट खुले वातावरण में पड़ने वाले प्रभाव का स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। अध्ययनों से ऐसा कोई स्वीकार्य प्रमाण नहीं मिला है कि विशिष्ट खुले वातावरण के स्तरों के परिणामस्वरूप खुले वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों पर प्रजनन क्षमता संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अथवा उन्हें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की मई, 2006 की तथ्य शीट सं. 304 में भी यह बताया गया है कि मोबाइल बेस स्टेशनों, फोनों और वायरलैस नेटवर्कों की विकिरणें अनुमत स्तरों से काफी

कम होती है और अध्ययन के अब तक एकत्र किए गए परिणामों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ऐसा कोई स्वीकार्य वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बेस स्टेशनों और वायरलैस नेटवर्कों के कमजोर आरएफ सिगनलों के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा दिए गए आदेशों के अनुरूप मोबाइल फोन टावरों के विकिरणों के प्रभाव और उससे संबद्ध पहलुओं का अध्ययन करने के लिए महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि "कुल मिलाकर ऐसा कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है जिससे मोबाइल बेस स्टेशनों के आरएफ के फैलाव से प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने का पता चलता हो।" जहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों के स्तर का सुरक्षित सीमा के भीतर रहने का प्रश्न है, वे हानिकारक नहीं होती है।

[अनुवाद]

अनाजों तथा दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

283. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाजों तथा दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बृहत प्रबंधन के अंतर्गत समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा तिलहनों, दलहनों, आयल पाम तथा मक्का (आईएसओपीएम) की समेकित योजना चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) देश में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वृहत प्रबंधन के अधीन चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल/गेहूं/मोटे अनाज) प्रचालन में है। दलहनों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश के 14 मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम) प्रचालन में है। अन्यों के साथ-साथ इन स्कीमों के तहत किए गए प्रयासों के फलस्वरूप चावल, गेहूं, मोटे अनाजों और दलहनों सहित खाद्यान्नों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2003-04 के 213.19 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 230.67 मिलियन टन हो गया। (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार)।

केरल में लघु सिंचाई

284. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल सरकार द्वारा क्या वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) क्या कासरगोड सहित राज्य के उत्तरी जिलों जहां अत्यधिक विषम वर्षा तथा लम्बे समय तक वर्षा न होने के कारण उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूक्ष्म सिंचाई की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन केरल सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	वास्तविक (क्षेत्र है. में)		वित्तीय (रु. लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2005-06 से 2007-08	25208	2550	4000	303.61
2008-09	22658	शून्य	3696.39	शून्य

(ख) और (ग) जी, हां। विशेष पैकेज के अधीन राज्य के तीन उत्तर जिलों अर्थात् पलक्कड, वयानाड और कासरगोड को सहायता मुहैया कराई गई है जिसका ब्यौरा नीचे दियश गया है:-

वर्ष	वास्तविक (क्षेत्र है. में)		वित्तीय (रु. लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2006-07 से 2007-08	5382	1503.46	794.30	110.10
2008-09	3851.54	1.51	684.20	0.05

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

285. **श्री महावीर भगोरा :**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 से देश में चीनी उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में चीनी का वर्ष-वार वार्षिक उत्पादन तथा मांग कितनी रही;

(घ) क्या विद्यमान चीनी मिलें देश में चीनी की मांग को पूरा करने में समक्ष नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नई मिल खोलने के लिए विद्यमान चीनी मिल की 15 किमी की न्यूनतम परिधि के अनिवार्य प्रावधान के अलावा गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कोई अन्य नीति बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) चीनी मौसम 2001-01 से 2007-08 तक चीनी के उत्पादन की क्षमता दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) चीनी मौसम 2000-01 से 2007-08 तक वार्षिक उत्पादन और खपत दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) दो चीनी फैक्ट्रियों के बीच 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने का अनिवार्य प्रावधान गन्ना खरीदने के लिए चीनी फैक्ट्रियों के बीच अलाभकर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए है। जहां तक किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने का संबंध है, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 के संगत उपबंधों के तहत किसानों के हितों की रक्षा की जाती है।

विवरण-I

चीनी मौसम 2000-01 से 2007-08 तक संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	6.598	6.8423	6.8423	6.8423	6.8423	6.8423	6.8423	6.8423
2.	हरियाणा	4.5828	5.1812	5.3572	5.3572	5.3572	5.3572	5.3572	5.3572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	राजस्थान	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232
4.	उत्तर प्रदेश	47.015	43.4958	43.6418	44.1066	45.3682	52.3402	65.4231	73.2583
5.	उत्तराखंड	—	4.1168	4.1168	4.1168	4.1168	4.1168	4.1168	4.1168
6.	मध्य प्रदेश	1.545	1.545	1.545	1.5449	1.5449	1.5449	1.5449	1.6562
7.	छत्तीसगढ़	—	—	0.223	0.223	0.223	0.223	0.223	0.223
8.	गुजरात	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707	10.7922	10.7922
9.	महाराष्ट्र	55.8628	61.6976	67.2195	69.3499	69.7847	70.0891	70.5239	71.6109
10.	बिहार	4.7339	4.7339	4.8488	4.8488	4.8488	4.8488	4.8488	4.8488
11.	असम	0.184	0.184	0.184	0.184	0.184	0.184	0.184	0.184
12.	उड़ीसा	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
13.	पश्चिम बंगाल	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067
14.	आंध्र प्रदेश	8.836	8.836	8.836	9.081	9.081	9.081	9.326	9.326
15.	कर्नाटक	11.3303	12.3063	13.316	14.4603	14.5949	15.4364	16.984	17.657
16.	तमिलनाडु	14.849	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242	15.7922	16.9712
17.	पुडुचेरी	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383
18.	केरल	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102
19.	गोवा	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093
20.	नागालैंड	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064
	जोड़	168.203	176.847	184.038	188.023	189.854	197.972	213.917	224.803

नोट:- (i) औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग के प्रेस नोट, दिनांक 31.8.1998 द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त किए जाने के बाद, क्षमता का विस्तार करने वाली चीनी फैक्ट्रियां अपनी विस्तारित क्षमता के बारे में सामान्यतया सूचित नहीं करती हैं। उपर्युक्त विवरण शर्करा निदेशालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। अत: उपर्युक्त दर्शाई गई संस्थापित क्षमता वास्तविक संस्थापित क्षमता से मेल नहीं खा सकती है।

(ii) राज्यवार वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता की गणना करते समय, 1978-79 से 1987-88 के 10 वर्षों की औसत अवधि और रिकवरी प्रतिशतता को हिसाब में लिया गया है।

विवरण-II

चीनी मौसम 2000-01 से 2007-08 तक के दौरान चीनी का वार्षिक उत्पादन और खपत

(लाख टन में)

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	उत्पादन	खपत
2000-01	185.10	162.00
2001-02	184.98	167.48
2002-03	201.32	183.76
2003-04	139.58	175.00
2004-05	130.00	171.45
2005-06	193.21	183.21
2006-07 (अ)	282.00	199.00
2007-08 (अ)	264.00	210.00

(अ)—अनंतिम.

[अनुवाद]

जल संसाधनों के लिए सूचना प्रणाली

286. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में जल संसाधनों के लिए सूचना प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। ग्यारहवीं योजना के लिए 234.3 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" नामक एक योजना स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम का मुख्य घटक जल संसाधन संबंधी आंकड़ों के विषय में ऑन लाइन सूचना प्रणाली का विकास करना है। इस स्कीम को राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम में हिम जल विज्ञान और जल गुणवत्ता आंकड़ा, लघु सिंचाई सांख्यिकी और चालू परियोजनाओं के प्रबोधन सहित जल वैज्ञानिक आंकड़ों के संग्रहण के भी प्रावधान किए गए हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दस्तावेज खंड-1 में यथाउल्लिखित सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यवार आवंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए ग्यारहवीं योजना हेतु योजना आयोग द्वारा राज्यवार आवंटित निधि

(2006-07 के मूल्य स्तर पर करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	11वीं योजना में आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	34292.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	516.95
3.	असम	2862.96
4.	बिहार	7876.15
5.	छत्तीसगढ़	5550.35
6.	गोवा	579.74
7.	गुजरात	29196.49
8.	हरियाणा	3975.82
9.	हिमाचल प्रदेश	1220.62

1	2	3
10.	जम्मू-कश्मीर	735.02
11.	झारखंड	3379.37
12.	कर्नाटक	26033.78
13.	केरल	2343.41
14.	मध्य प्रदेश	14934.79
15.	महाराष्ट्र	26782.98
16.	मणिपुर	772.38
17.	मेघालय	219.72
18.	मिजोरम	199.06
19.	नागालैंड	151.23
20.	उड़ीसा	6518.18
21.	पंजाब	1404.76
22.	राजस्थान	7655.29
23.	सिक्किम	84.76
24.	तमिलनाडु	3313.36
25.	त्रिपुरा	520.78
26.	उत्तर प्रदेश	16338.22
27.	उत्तराखंड	2661.10
28.	पश्चिम बंगाल	2626.76
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52.94
30.	चंडीगढ़	3.19
31.	दादरा और नगर हवेली	52.41
32.	दमन और दीव	27.89
33.	दिल्ली	333.67
34.	लक्षद्वीप	47.55
35.	पुडुचेरी	314.98

[हिन्दी]

कुशल पेशेवरों की कमी

287. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. वीरेंद्र अग्रवाल

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश में कुशल व्यावसायिकों की कमी का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, तीव्र आर्थिक विकास के संदर्भ में व्यावसायिकों को सदैव ही आवश्यक कौशलों से लैस करने की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) सरकार ने कुशल व्यावसायिकों की आपूर्ति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उन्नयन-घरेलू निधिकरण से 100 तथा विश्व बैंक सहायता से 400।

(ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

(iv) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 340 मॉड्यूलों में "कौशल विकास पहल" योजना के तहत अल्पावधि मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल प्रदान करना।

(v) देश भर में सेवारहित ब्लॉकों में 1500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 5000 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए योजना आयोग से "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

गन्ना कृषकों के लिए वित्तीय पैकेज

288. श्री गिरिधारी यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना कृषकों को ऋण भार से मुक्त करने तथा उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में समर्थ बनाने हेतु गन्ना कृषकों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) संघीय बजट 2008-09 में सरकार द्वारा घोषित गन्ना किसानों समेत किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की एक स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। यह स्कीम देश में गन्ना किसानों समेत सभी किसानों के लिए लागू है। 31 मार्च, 2007 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा संवितरित सीधे कृषि ऋण और 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय जोकि 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे ऋण माफी अथवा ऋण राहत जैसा भी मामला हो, के योग्य हैं।

सीमांत और छोटे किसानों के मामले में, पूरी पात्र राशि माफ कर दी गई है। अन्य किसानों के मामले में, एक एकबारगी निपटान (ओटीएस) स्कीम है जिसके अंतर्गत किसान को पात्र धनराशि के 25% की छूट मिलेगी बशर्तें कि किसान पात्र धनराशि के शेष 75% का भुगतान करें।

वर्ष 2004 व 2006 में बैंकों द्वारा विशेष पैकेज के जरिए पुन: संरचित और पुन: निर्धारित कृषि ऋण तथा सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुन: निर्धारित अन्य ऋण भी उसी पैटर्न पर या तो माफी अथवा एकबारगी निपटान के पात्र हैं।

[अनुवाद]

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

289. श्री अबु अयीश मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं की पेंशन संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कब तक प्रभावी हो जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लेने के बाद युद्ध विधवाओं की पेंशन (अर्थात् उदारीकृत परिवार पेंशन) सहित सभी पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन निम्नलिखित को साथ जोड़कर 01.01.2006 से संशोधित की जाएगी:-

(i) 31.12.2005 को मौजूदा परिवार पेंशन।

(ii) मौजूदा परिवार पेंशन के 50% की दर पर महंगाई पेंशन।

(iii) मूल परिवार पेंशन और महंगाई पेंशन के 24% की दर पर महंगाई राहत।

(iv) मौजूदा परिवार पेंशन के 40% की दर पर फिटमेंट सेवा लाभ।

पेंशन को मंत्रालय के अनुदेशों के अधीन संबंधित पेंशन भुगतान एजेंसियों द्वारा संशोधित किया जाएगा और यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र प्रभावी किया जाएगा।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

290. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में वर्षा जल के कारण बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा अपरदन को रोकने के लिए चालू/लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन प्रत्येक परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित तथा जारी की गई धनराशि में से केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण तथा जल-भराव एवं मृदा अपरदन को रोकने और बाढ़ नियंत्रण के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ मई, 2008 से वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्षा जल के कारण बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के जिए जल संसाधन मंत्रालय में कोई लंबित परियोजनाएं नहीं हैं। दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई अधिकांश परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्रीय सहायता से ग्यारहवीं योजना में शुरू किए गए निर्माणाधीन बाढ़ प्रबंधन कार्यों/परियोजनाओं की राज्यवार संख्या तथा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान अनुमानित लागत एवं जारी की गई निधियों का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) असम और बिहार में अगस्त, 2004 की विनाशकारी बाढ़ के पश्चात्, जल संसाधन मंत्रालय ने असम और इसके पड़ोसी राज्यों तथा बिहार, पश्चिम बंगाल व पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या की जांच करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्य बल ने 31.12.2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य उपायों के साथ चरणों में ग्यारहवीं योजना के अंत तक 4982.10 करोड़ रुपये की राशि से शुरू किए जाने वाले कार्यों/स्कीमों की सिफारिश की। कार्यबल द्वारा सिफारिश की गई स्कीमों को "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" नामक राज्य क्षेत्र स्कीम के तहत शामिल किया गया है जिसे ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय योजना के तहत 8000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंत्रिमंडल द्वारा 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया।

सीएडी परियोजनाओं के कमानों में जल जमाव ग्रस्त क्षेत्र के सुधार के लिए 57700 हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 478 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं जिसमें से मार्च, 2008 तक 46466 हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 और 2008-09 की अवधि के दौरान अनुमानित लागत और जारी की गई निधि सहित चल रही बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की राज्यवार संख्या

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सं.	अनुमानित लागत	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	54.72	16.4
2.	असम	75	438.39	90.00
3.	बिहार	29	425.29	59.01
4.	जम्मू-कश्मीर	14	146.9	12.80
5.	झारखंड	1	20.12	—
6.	पंजाब	1	111.39	—
7.	मणिपुर	9	21.19	10.47
8.	नागालैंड	5	13.9	6.95
9.	उड़ीसा	72	170.42	45.90

1	2	3	4	5
10.	सिक्किम	24	86.21	15.75
11.	त्रिपुरा	11	26.57	5.00
12.	उत्तर प्रदेश	4	48.85	5.25
13.	उत्तराखंड	4	28.68	3.47
14.	पश्चिम बंगाल	8	59.46	–

[अनुवाद]

द्वितीय हरित क्रांति

291. श्री रवैम बर्मन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में द्वितीय हरित क्रांति का अभियान शुरू करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या इस परियोजनार्थ देश के अनेक भागों/राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) क्या वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यापक ब्यौरा क्या है तथा इसे किस प्रकार से लागू किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) भारत में हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुए तथा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। तथापि, विगत 10 वर्षों में कृषि में विकास दर में गिरावट का रुख दिखाई दिया और उत्पादन और उत्पादकता में लगभग स्थिर रहा। इस स्थिति से निपटने के लिए, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार तथा किसानों की आय में वृद्धि उन मुख्य क्षेत्रों में सम्मिलित है जिन्हें सरकार ने संकेन्द्रित और संयुक्त कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग की मुख्य सिफारिशों को शामिल करते हुए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई कार्यक्रम/स्कीमें पहले से ही क्रियान्वयनाधीन हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और 11वीं योजना अवधि के लिए यह 25000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ क्रियान्वयनाधीन है। इसके अलावा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' भी 11वीं योजना के दौरान 4882.48 करोड़ रु. के परिव्यय से चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य इस कार्यक्रम के जरिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन 20 मिलियन टन बढ़ाना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई और राष्ट्रीय बांस मिशन सहित कई अन्य स्कीमें भी सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा जून, 2004 में एक व्यापक ऋण पैकेज भी घोषित किया गया, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ विपदाग्रस्त किसानों और बकायादार किसानों के लिए बकाया ऋणों के पुनः निर्धारण और कृषि क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह बढ़ाना है। इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय बजट में ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम घोषित की गई है ताकि ऋण-ग्रस्तता के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके तथा वे नए संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें। वर्ष 2008-09 के लिए कृषि अनुसंधान सहित कृषि समवर्गी क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय 12865 करोड़ रु. है जो वर्ष 2007-08 की तुलना में लगभग 60% अधिक है। इन सभी स्कीमों और कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र की विकास दर में पर्याप्त वृद्धि होने तथा किसानों की आय में सुधार होने की आशा है।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

292. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री हितेन बर्मन :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ दशकों से अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट तथा सुपर फॉस्फेट जैसे रसायनिक उर्वरकों का उपयोग कई गुना बढ़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से किसानों के स्वास्थ्य को कैंसर तथा गुर्दे से संबंधित समस्याओं जैसे जोखिमों के अलावा प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन में भी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कार्बोनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची-I भाग (क) में उर्वरक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट और सुपर फास्फेट की खपत जो वर्ष 1991-92 में क्रमशः 0.32 लाख टन और 35.58 लाख टन थी वह वर्ष 2007-08 के दौरान कम होकर क्रमशः 0.30 लाख टन तथा 22.88 लाख टन रह गई। फिर भी देश में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत लगभग 110 कि.ग्रा. ही है जो कि अन्य विकासशील देशों जैसे कि श्रीलंका (119 किग्रा./हैक्टे.), पाकिस्तान (137 किग्रा./हैक्ट.) बंगलादेश (166 किग्रा./हैक्ट.) की तुलना में काफी कम है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की वजह से मृदा उत्पादकता में कमी आने और किसानों में कैंसर और किडनी संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों के सामने आने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी नहीं है। तथापि मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार कार्बनिक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ संयोजन से गौण पोशक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के मृदा जांच आधारित संतुलित व विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत करते हुए उर्वरकों के समेकित एवं संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सरकार उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रशिक्षण व फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को शिक्षित भी कर रही है।

[अनुवाद]

बागवानी का विकास

293. श्री नरहरि महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बागवानी के विकास हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु कोई योजना/योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पौध/फसलों से संबंधित उपलब्ध योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ केरल तथा मेघालय सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग (i) 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) जोकि वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड तक बढ़ा दिया गया और (ii) बागवानी के समग्र विकास के लिए वर्ष 2005-06 से शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

इन दोनों स्कीमों का उद्देश्य, क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र उन्नति करना, बागवानी उत्पादन बढ़ाना, कृषक परिवारों और अन्य के लिए पोषण सुरक्षा और आय सहायता में सुधार; बागवानी विकास के लिए बहुत से जारी और नियोजित कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण और सहक्रिया स्थापित करना; प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन विकास और प्रचार-प्रसार करना; दक्ष और अदक्ष लोगों विशेषतः बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है।

इन दोनों मिशनों का ध्यान एक आद्योपान्त दृष्टिकोण को अपनाकर तुलनात्मक लाभ लेते हुए बागवानी फसलों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से भिन्न समूह दृष्टिकोण पर है।

इन स्कीमों के तहत उत्कृष्ट कल्टीवरों की गुणवत्ताप्रद पौधे रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, क्षेत्र विस्तार, नई प्रौद्योगिकीयों को अपनाने समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, फसलोपरान्त प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) के दौरान एनएचएम स्कीम के तहत राज्य बागवानी मिशन, केरल को 17641.24 लाख रु. की सहायता प्रदान की गई और टीएमएनई

स्कीम के तहत मेघालय सरकार को 5428.00 लाख रुपये की सहायता दी गई।

[हिन्दी]

सूखे की स्थिति के संबंध में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट

294. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित देश में सूखे की स्थिति के संबंध में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर इन दो राज्यों को कोई वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) एक अन्तर्मंत्रालयी केन्द्रीय अध्ययन दल ने जनवरी, 2008 के चौथे सप्ताह में बुंदेलखण्ड क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की कुछ तहसीलों का एवं फरवरी, 2008 के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्रों का दौरा किया ताकि इन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति का अध्ययन किया जा सके जिससे वास्तविक स्थिति एवं विभिन्न मध्यावधि तथा दीर्घावधि सूखा शमन कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के माप का निर्धारण किया जा सके और वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए क्षेत्रों के उपयुक्त कृषि विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों एवं विभिन्न उपायों की संस्तुति की जा सके। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

295. **श्री सुभाष महरिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में देश में जिला-वार कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) देश में नए स्रोतों की पहचान हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) देश में जल की उपलब्धता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) पूरे देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) आंकी गयी है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट दर्ज की गई है। 1951 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5177 घन मी. थी। 2001 की जनगणना में दर्शायी गई जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1820 घन मीटर रिकार्ड की गई थी।

(ग) इस संबंध में जिलावार सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के वास्ते जल संसाधनों का संवर्धन करने की दृष्टि से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशय, पारंपरिक जल निकायों, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से जल संसाधनों का संरक्षण शामिल है।

[अनुवाद]

मछली के उतराई केन्द्र

296. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तट के साथ मछली के उतराई केन्द्र कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई मछली की मात्रा में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय तट के साथ मछली उतारने वाले केन्द्र कम नहीं हो रहे हैं। पिछले चार वर्षों यानि 2003-04 से 2006-07 तक तटवर्ती राज्यों में मत्स्य उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है और सुनामी के बाद की स्थिति के कारण कुछ छुटपुट मामलों को छोड़कर समुद्री मछली की उतराई में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के संपूर्ण तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रचलित समुद्री मत्स्य उत्पाद

(000' टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	181.60	179.50	160.00	178.10
2.	आंध्र प्रदेश	263.93	210.73	218.84	240.20
3.	उड़ीसा	116.88	121.93	122.21	128.14
4.	तमिलनाडु	373.00	307.69	307.69	387.25
5.	गुजरात	609.14	584.78	663.88	670.51
6.	महाराष्ट्र	420.01	417.77	445.34	464.09
7.	गोवा	83.76	94.81	100.91	98.97
8.	कर्नाटक	187.00	171.23	176.97	168.54
9.	केरल	608.52	601.86	558.91	598.06
10.	दमन एवं दीव	13.77	12.51	17.72	16.35
11.	लक्षद्वीप	10.03	11.96	11.96	11.75
12.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	31.06	32.60	12.05	28.60
13.	पुडुचेरी	42.80	31.50	19.27	33.61
	कुल समुद्री उत्पादन	2941.50	2778.87	2815.75	3024.17

भू-जल का इष्टतम उपयोग

297. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी सलाहकार परिषद तथा अन्य संगठनों को काम पर लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त संगठनों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भू-जल संसाधनों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार ने अभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद' का गठन किया है।

भूजल संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायतार्थ 'माडल बिल' का परिचालन ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून अधिनियमित कर सकें।
- दावाधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रादान करने एवं समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि जल सम्मेलन का आयोजना।

- भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल की तैयारी करना एवं इसका परिचालन।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना' तैयार करना एवं इसका परिचालन।
- केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की प्रदर्शनात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन।
- सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में 'डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण' संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन।
- छत के वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
- वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए स्कीम का कार्यान्वयन।

स्किम्ड मिल्क पाउडर के मूल्यों में बढ़ोत्तरी

298. **श्री परसुराम माझी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्किम्ड मिल्क पाउडर के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मिल्क पाउडर के मूल्यों में बढ़ोत्तरी से देश में इसकी कमी हो गई है;

(घ) क्या इस कमी को देखते हुए सरकार का मिल्क पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। दूध की उत्पादन, खरीद तथा प्रसंस्करण लागत में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में स्किम्ड दुग्ध पाउडर के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार के पास देश में दुग्ध चूर्ण की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं के भंडार

299. **श्री गणेश सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गेहूं के भंडार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या देश में गेहूं का भंडार चालू वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गेहूं के भंडार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) 1.1.2008 से बफर मानदंडों की तुलना में गेहूं की स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	गेहूं	
	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक स्टाक
1.1.2008	82	77.12
1.4.2008	40	58.03
1.7.2008	171	249.12
1.10.2008	110	220.25

यद्यपि, 1.1.2008 को गेहूं का वास्तविक स्टाक बफर मानदंडों से कम था लेकिन 1.4.2008 से गेहूं का स्टाक बफर मानदंडों से अधिक रहा है। ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने और सरकार द्वारा अन्य उपाय करने के कारण गेहूं की रिकार्ड खरीदरी होने के कारण हुआ है।

[अनुवाद]

खेसारी दाल संबंधी अध्ययन

300. **श्रीमती मेनका गांधी :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान से एक प्रकार की दाल 'लोखोडी' अथवा खेसारी दाल का परीक्षण करके मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का पता लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या कई राज्य इस प्रकार की दाल का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम हैं जिससे दाल के आयात को कम करने में मदद मिल सकती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने बकरी को पशु मॉडल के रूप में प्रयोग करते हुए अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है और पशु प्रयोग पर नियंत्रण एवं निरीक्षण के उद्देश्य हेतु समिति (सीपीसीएसईए) के पास अनुमोदन के लिए प्रस्ताव किया। सीपीसीएसईए ने अध्ययन करने के प्रस्ताव को अब अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) खेसारी दाल देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती है। देश में 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान खेसारी दाल का उत्पादन इस प्रकार था:-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
2002-03	3.54
2003-04	4.92
2004-05	3.04
2005-06	3.45
2006-07	3.83

सम्भव है कि खेसारी दाल का उत्पादन देश में दालों की मांग एवं घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि खेसारी दाल का वर्तमान उत्पादन दालों के कुल आयात से काफी कम है।

बी.एस.एन.एल. द्वारा इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता

301. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल द्वारा अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित आवेदकों को इंटरनेट/लैण्डलाइन कनेक्शन देने में अत्यधिक विलम्ब होता है तथा उपभोक्ता संतुष्टि के लिए प्रभावी रणनीति की कमी से विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में इसके बाजार के हिस्से में कमी हो हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में बढ़ती भावी मांग तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस मामले की जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छी इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों का उचित एवं प्रभावी उपयोग हो सके?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 की तिमाही कार्य-निष्पादन सूचक रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल की इंटरनेट और ब्रॉडबैण्ड सेवाएं अधिकांश सेवा क्षेत्रों में ट्राई द्वारा विहित गुणवत्तापरक सेवा सम्बन्धी मानकों को पूरा कर रही हैं। बीएसएनएल द्वारा इंटरनेट कनेक्शन उप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहित अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित समय के भीतर प्रदान किए जा रहे हैं। पूर्वोक्त ट्राई रिपोर्ट के अनुसार, लैण्डलाइन कनेक्शन प्रदान किए जाने के मामले में बीएसएनएल का कार्य-निष्पादन अधिकांश सेवा क्षेत्रों में 95% से अधिक है।

प्रभावी उपभोक्ता संतुष्टि नीति का अनुपालन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप बीएसएनएल इस समय लगभग 54% ब्रॉडबैंड कनेक्शनों तथा 35% इंटरनेट कनेक्शनों के बाजार शेयर के साथ अग्रणी सेवा प्रदाता है।

(घ) से (च) भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए बीएसएनएल ने वर्ष 2008-09 के लिए इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त क्षमता की योजना बनाई है। बीएसएनएल गुणवत्तापरक इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों का इष्टतम तथा कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के सतत् प्रयास कर रहा है। वहनीय इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए, बीएसएनएल ने होम प्लान 125 तथा स्टार्टअप प्लान 250 जैसी प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क योजनाएं शुरू की है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

302. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी डी एस) के पद के सृजन के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार" पर फरवरी, 2001 में मंत्री समूह की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने मार्च, 2006 में राजनैतिक दलों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। क्योंकि यह प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए सरकार परामर्श पूरा हो जाने के बाद ही रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद के सृजन पर निर्णय लेगी। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं का पत्र लिखे हैं। चार दलों ने उत्तर दिए हैं। जिन दलों ने पत्र का उत्तर नहीं दिया है उन्हें अपनी राय शीघ्र भेजने के लिए अनुस्मरण कराया गया है।

[हिन्दी]

शहतूत के पेड़ लगाना

303. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में और अधिक क्षेत्रों पर शहतूत के पेड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) देश में रेशम कीट पालन के विस्तार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने के अलावा जीविका प्रदान करने/सुधार लाने की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान शहतूत खाद्य पौधों के तहत क्षेत्र में 1.92 लाख है. (2006-07) से 2.18 लाख है. तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

खाद्य पौधों के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने, रेशम के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के जरिए राज्य सरकारों के सहयोग से ग्यारहवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम यथा-उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित कर रही है। सीडीपी के तहत पैकेज तीन प्रमुख क्षेत्रों—बीज क्षेत्र, रेशम कोष क्षेत्र और रेशम कोष के बाद के क्षेत्र को कवर

करता है तथा ये समर्थन सेवाओं के अन्य घटकों द्वारा सम्पूरित होंगे जो सभी पैकेजों के लिए समान हैं:-

- बीज क्षेत्र के तहत पैकेज में शहतूत क्षेत्र के मामले में और वन्य क्षेत्र के तहत निजी ग्रेन्यूर्स हेतु समर्थन के जरिए सार्वजनिक/निजी साझेदारी के साथ और/अथवा सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संबंधी स्कीमें होंगी।

- रेशम कोष क्षेत्र के तहत पैकेज मूलतः शहतूत और वन्य रेशम क्षेत्रों दोनों के तहत रेशम कोषों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा खेती के तहत क्षेत्र के विस्तार की ओर उन्मुख है। पैकेज आवश्यक बीमा कवरेज के साथ खाद्य पौध विकास, सिंचाई सुविधाओं, पालन गृहों के निर्माण, पालन में काम आने वाले उपकरणों/उन्नत माउंटेजेस, विसंक्रमण कारकों, बाकी पालन केन्द्रों की आपूर्ति के लिए स्कीमों का समर्थन करता है।

- रेशम कोष के बाद के क्षेत्र संबंधी पैकेज सिल्क रीलिंग और स्पिनिंग, सिल्क विविंग, सिल्क वेट प्रोसेसिंग तथा उप-उत्पाद की उपयोगिता और विपणन समर्थन संबंधी स्कीमें कवर करता है।

भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान 1476.24 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया है जिसमें से केन्द्र सरकार का अंश 661.62 करोड़ रुपये का है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीएसबी ने सीडीपी के तहत कोषों की निर्मुक्ति के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-08) के प्रथम वर्ष के दौरान सीएसबी ने सीडीपी के तहत विभिन्न स्कीमों/घटकों के कार्यान्वयन हेतु अपने हिस्से के 80.82 करोड़ रु. निमुक्त किए हैं और चालू वर्ष 2008-09 के अलग 30.76 करोड़ रु. विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त किए गए हैं।

मोबाइल टॉवर

304. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा निजी मोबाइल सेवा प्रचालकों के जीएसएम मोबाइल सेवा टॉवरों के सेकन्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए-वार) तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टॉवरों की संख्या तथा उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में बीएसएनएल के निजी दूरसंचार कंपनियों से पीछे रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों मे बीएसएनएल के नेटवर्क का विस्तार करने की काई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) समग्र देश में 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार है:-

जी एस एम सेवा प्रदाता का नाम	ग्रामीण बीटीएस की संख्या
बीएसएनएल	15140
एयरटेल	37363
एयरसेल	3153
आइडिया	12003
वोडाफोन	24178
स्पाइस	1141

तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18572 जीएसएम मोबाइल टावर प्रदान किए हैं जिनमें 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य के 1683 टॉवर भी शामिल हैं। बीएसएनएल का गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए-बार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में टॉवरों की संख्या और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में कुछ निजी दूरसंचार कंपनियों से पीछे है जो मुख्यतः पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान नेटवर्क क्षमताओं में कमी व उपस्करों के अधिप्रापण में विलम्ब के कारण है। 31.8.08 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल सहित विभिन्न सेवा

प्रदाताओं के बेतार ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। बीएसएनएल की अगले तीन वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में मोबाइल सेवाओं की कवरेज का विस्तार करने की योजना है। बीएसएनएल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने प्रचालन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 33,07,764 मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने के अनंतिम रूप से योजना बनाई है। बीएसएनएल के नेटवर्क के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,11,29,621 मोबाइल कनेक्शन काम कर रहे हैं तथा 31.8.2008 की स्थिति के अनुसार 2,68,947 गांवों को मोबाइल सेवा की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	सर्किल का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52
2.	चेन्नई दूरसंचार जिला	101
3.	कोलकाता दूरसंचार जिला	69
4.	आंध्र प्रदेश	1401
5.	असम	522
6.	बिहार	727
7.	छत्तीसगढ़	413
8.	गुजरात	1354
9.	हिमाचल प्रदेश	413
10.	हरियाणा	734
11.	जम्मू-कश्मीर	259
12.	झारखंड	211
13.	केरल	1399
14.	कर्नाटक	837
15.	मध्य प्रदेश	698
16.	महाराष्ट्र	1864
17.	पूर्वोत्तर-I	119
18.	पूर्वोत्तर-II	112
19.	उड़ीसा	622
20.	पंजाब	829
21.	राजस्थान	1683
22.	तमिलनाडु	997
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1577
24.	उत्तर प्रदेश (प.)	423
25.	उत्तरांचल	294
26.	पश्चिम बंगाल	862
	जोड़	18572

अंडमान और निकोबार दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	अंडमान	52
	जोड़	52

चेन्नई दूरसंचार जिला

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	चेन्नई दूरसंचार जिला	101
	जोड़	101

आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अदिलाबाद	63
2.	अनंतपुर	117
3.	कुडापा	61
4.	चित्तुर	82
5.	गोदावरी पूर्व	76
6.	गुंटूर	69
7.	करीमनगर	71
8.	खमाम	59
9.	कुरनूल	100
10.	कृष्णा	66
11.	महबूबनगर	62
12.	मेडक	29
13.	नालगोंडा	60
14.	नेल्लौर	69
15.	निज़ामाबाद	68
16.	प्रकासम	52
17.	आर.आर.	47
18.	श्रीकाकुलम	50
19.	विशाखापटनम	37
20.	विज़ुअनग्राम	42
21.	पश्चिम गोदावरी	71
22.	वारंगल	50
23.	हैदराबाद	0
	जोड़	1401

असम दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	बोंगाइगांव	105
2.	डिब्रूगढ़	56
3.	जोरहाट	80
4.	कामरूप	28
5.	नागांव	101
6.	सिल्चर	90
7.	तेजपुर	62
	जोड़	522

बिहार दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	45
2.	गया	61
3.	भागलपुर	44
4.	आरा	42

1	2	3
5.	सासाराम	43
6.	समस्तीपुर	34
7.	छपरा	61
8.	मुजफ्फरपुर	50
9.	मुंगेर	39
10.	सहरसा	34
11.	हाजीपुर	22
12.	माधुबनी	48
13.	बेगुसराय	27
14.	बेतिया	27
15.	किशनगंज	12
16.	दरभंगा	37
17.	कटिहार	45
18.	मोतिहारी	40
19.	खगड़िया	16
	जोड़	727

छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	बस्तर	63
2.	बिलासपुर	69
3.	दुर्ग	93
4.	रायगढ़	54
5.	रायपुर	62
6.	सरगुजा	72
	जोड़	413

गुजरात दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	89
2.	अमरेली	42
3.	भरूच	69
4.	भुज	85
5.	भावनगर	62
6.	गोधरा	75
7.	हिम्मत नगर	113
8.	जामनगर	52
9.	जूनागढ़	84
10.	मेहसाना	105
11.	नाडियाड (खेड़ा)	98
12.	पालनपुर	95
13.	राजकोट	72
14.	सुंदरनगर	71

1	2	3
15.	सूरत	85
16.	वड़ोदरा	66
17.	वालसाड़	90
	कुल	1354

हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	शिमला	108
2.	सोलन	83
3.	हमीरपुर	55
4.	मंडी	42
5.	कुल्लू	37
6.	धर्मशाला	88
	जोड़	413

हरियाणा दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अंबाला	98
2.	फरीदाबाद	34
3.	गुड़गांव	30
4.	हिसार	165
5.	जींद	55
6.	करनाल	114
7.	रेवाड़ी	110
8.	रोहतक	74
9.	सोनीपत	54
	जोड़	734

जम्मू-कश्मीर दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	जम्मू	64
2.	लेह	16
3.	रजौरी	24
4.	श्रीनगर	81
5.	उधमपुर	74
	जोड़	259

झारखंड दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	रांची	37
2.	जमशेदपुर	28
3.	धनबाद	24
4.	हजारीबाग	60

1	2	3
5.	दुमका	40
6.	डाल्टनगंज	22
	जोड़	211

केरल दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	त्रिवेन्द्रम	105
2.	कोल्लम	126
3.	पतनमतिट्टा	105
4.	अलप्पुझा	92
5.	कोट्टायम	148
6.	एरणाकुलम	210
7.	त्रिसुर	97
8.	पालक्कड	89
9.	मालाप्पुरम	109
10.	कालीकट	141
11.	कन्नूर	177
	जोड़	1399

कर्नाटक दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	बेंगलुरू	46
2.	बेलगाम	49
3.	बेल्लारी	45
4.	बीदर	22
5.	बिजापुर	62
6.	चिकमंगलूर	34
7.	दक्षिण कन्नड	112
8.	देवांगीर	46
9.	धारबाड	54
10.	गुलबर्गा	41
11.	हसन	46
12.	कोड़ागू	28
13.	कोलार	32
14.	मांड्या	22
15.	मैसूर	43
16.	रायचूर	40
17.	सिमोगा	47
18.	तुमकुर	30
19.	करवार	38
	जोड़	837

मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	16

1	2	3
2.	बेतुल	20
3.	भोपाल	27
4.	छत्तरपुर	21
5.	छिन्दवाड़ा	21
6.	दामोह	12
7.	देवास	15
8.	धार	22
9.	गुना	48
10.	ग्वालियर	16
11.	होशंगाबाद	23
12.	इन्दौर	27
13.	जबलपुर	24
14.	झाबुआ	14
15.	खंडवा	33
16.	खरगोन	46
17.	मांडला	29
18.	मन्दसौर	35
19.	मोरेना	30
20.	नरसिंगपुर	15
21.	पन्ना	6
22.	रायसेन	12
23.	राजगढ़	3
24.	रतलाम	18
25.	रेवा	11
26.	सागर	21
27.	सतना	13
28.	सेओनी	14
29.	शाहडोल	15
30.	शाजापुर	18
31.	शिवपुरी	21
32.	सिधी	11
33.	उज्जैन	18
34.	विदिशा	11
	जोड़	698

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	111
2.	अकोला	48
3.	अमरावती	49
4.	औरंगाबाद	67
5.	बीड	37
6.	भंडारा	36
7.	बुल्ढाना	39
8.	चन्द्रापुर	37

1	2	3
9.	धुले	68
10.	गडचिरोली	13
11.	गोवा	57
12.	जलगांव	53
13.	जालना	37
14.	कल्याण	71
15.	कोल्हापुर	101
16.	लातुर	40
17.	नागपुर	56
18.	नांदेड	70
19.	नासिक	114
20.	ओसमानाबाद	45
21.	परभानी	52
22.	पुणे	167
23.	रायगढ़	57
24.	रत्नगिरी	42
25.	सांगली	92
26.	सतारा	83
27.	सावंतवाडी	39
28.	सोलापुर	115
29.	वर्धा	18
30.	यवतमाल	50
	जोड़	1864

उत्तर पूर्व-I दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	मेघालय	59
2.	मिजोरम	21
3.	त्रिपुरा	39
	जोड़	119

उत्तर पूर्व-II दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	53
2.	मणिपुर	33
3.	नागालैंड	26
	जोड़	112

उड़ीसा दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	भुवनेश्वर	50
2.	कटक	91
3.	ढेकानाल	42
4.	ब्रह्मपुर	60
5.	बालासोर	55
6.	बारीपदा	37

1	2	3
7.	संबलपुर	58
8.	राउरकेला	53
9.	कोरापुट	66
10.	फुलबानी	16
11.	क्यूंझर	44
12.	बोलांगीर	26
13.	भवानीपटना	24
	जोड़	622

पंजाब दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अमृतसर	84
2.	भटिंडा	71
3.	चण्डीगढ़	11
4.	फिरोजपुर	127
5.	होशियारपुर	82
6.	जालंधर	111
7.	लुधियाना	87
8.	पठानकोट	63
9.	पटियाला	88
10.	रोपड़	45
11.	संगरूर	60
	जोड़	829

राजस्थान दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	48
2.	अलवर	81
3.	भीलवाड़ा	58
4.	बीकानेर	60
5.	बाड़मेर	80
6.	भरतपुर	57
7.	बांसवाड़ा	48
8.	बूंदी	20
9.	चूरू	60
10.	चितौड़गढ़	47
11.	जोधपुर	122
12.	झुनझुनू	76
13.	झालावाड़	20
14.	जयपुर	176
15.	जैसलमेर	38
16.	कोटा	44
17.	नागौड	112
18.	पाली	72
19.	श्रीगंगानगर	91
20.	सीकर	93

1	2	3
21.	सिरोही	103
22.	सवाई माधोपुर	65
23.	टोंक	25
24.	उदयपुर	87
	जोड़	1683

तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	कोयंबटूर	80
2.	कुन्नूर	22
3.	सीआरडीए	47
4.	कुड्डालोर	65
5.	धर्मापुरी	80
6.	इरोड़	66
7.	करैकुडी	64
8.	मदुरै	57
9.	नागरकोइल	49
10.	पांडिचेरी	11
11.	सेलम	90
12.	तंजावुर	52
13.	तिरूनेलवेली	57
14.	त्रिची	119
15.	तूतीकोरिन	40
16.	वेल्लोर	67
17.	विरुधनगर	31
	जोड़	997

उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	47
2.	आजमगढ़	76
3.	बाराबंकी	75
4.	बहराइच	62
5.	बलिया	34
6.	बांदा	35
7.	बस्ती	70
8.	देवरिया	67
9.	फरूखाबाद	46
10.	फतेहपुर	40
11.	फैजाबाद	46
12.	गौंडा	81
13.	गोरखपुर	57
14.	गाजीपुर	45
15.	हरदोई	45

1	2	3
16.	हमीरपुर	35
17.	झांसी	21
18.	जौनपुर	53
19.	कानपुर	48
20.	लखीमपुर	43
21.	लखनऊ	27
22.	मऊ	37
23.	मिर्जापुर	65
24.	उरई	21
25.	प्रतापगढ़	46
26.	रायबरेली	61
27.	शाहजहांपुर	36
28.	सीतापुर	60
29.	सुल्तानपुर	54
30.	उन्नाव	49
31.	वाराणसी	77
	जोड़	1577

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	35
2.	अलीगढ़	26
3.	बदायूं	17
4.	बरेली	22
5.	बिजनौर	39
6.	बुलंदशहर	17
7.	एटा	17
8.	इटावा	33
9.	गाजियाबाद	17
10.	मैनपुरी	20
11.	मथुरा	15
12.	मेरठ	41
13.	मुरादाबाद	30
14.	मुजफ्फरनगर	23
15.	नोएडा	9
16.	पीलीभीत	23
17.	रामपुर	14
18.	सहारनपुर	25
	जोड़	423

उत्तराखंड दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	नैनीताल	50
2.	अल्मोड़ा	50

1	2	3
3.	हरिद्वार	32
4.	देहरादून	52
5.	नई टिहरी	49
6.	श्रीनगर	61
	जोड़	294

पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1.	आसनसोल	99
2.	बेहरमपुर	59
3.	बांकुड़ा	83
4.	कोलकाता	139
5.	कूचबिहार	39
6.	गंगटोक	27
7.	जलपाईगुड़ी	37
8.	पुरुलिया	28
9.	रायगंज	56
10.	मालदा	43
11.	कृष्णानगर	51
12.	खड़गपुर	108
13.	सिलिगुड़ी	48
14.	सूरी	45
	जोड़	862

विवरण-II

31.08.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं के ग्रामीण बेतार उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.सं.	कंपनियां	ग्रामीण उपभोक्ता
1.	भारती	21,813,540
2.	रिलायंस	10,720,905
3.	वोडाफोन	16,078,928
4.	बीएसएनएल	14,944,959
5.	आइडिया	7,086,988
6.	टाटा	1,864,076
7.	एयरसेल	4,164,950
8.	एमटीएनएल	0
9.	स्पाईस	386,718
10.	बीपीएल	0
11.	एचएफसीएल	1,836
12.	श्याम	895
	जोड़	77,063,795

[अनुवाद]

हथियारों का स्थान बताने वाले राडारों की खरीद

305. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुश्मन द्वारा गोलीबारी का पता लगाने तथा उस पर काबू पाने के लिए हथियारों का स्थान बताने वाले राडारों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस प्रस्ताव पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस प्रस्ताव में निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कितना-कितना हिस्सा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार का मै. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे 28 शस्त्र खोजी राडारों की 1498.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अधिप्राप्ति करने का प्रस्ताव है।

2-जी स्पैक्ट्रम का आबंटन

306. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूसरी पीढ़ी (2-जी) स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया तथा दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 2-जी स्पैक्ट्रम के आबंटन तथा अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के मूल्य निर्धारण का निर्णय लेते समय इसकी मांग और आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) दूसरी पीढ़ी (2जी) की सेवाओं के लिए आरंभिक स्पैक्ट्रम संबंधित सेवा लाइसेंस करारों के संगत उपबंधों के अनुसार उपलब्धता के अध्यधीन, आबंटित किया जाता है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) के परामर्श से उपभोक्ता आधारित मानदंडों के आधार पर, अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के अधिकतम और कारगर उपयोग को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17.01.2008 को मौजूदा उपभोक्ता आधारित मानदंडों की घोषणा की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन औचित्य, इष्टतम उपयोग, उपभोक्ता आधारित मानदंडों को पूरा करने तथा स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन है। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की मांग करने से पहले सेवा प्रदाता आबंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग इष्टतम और कारगर ढंग से करें। मूल्य निर्धारण की समीक्षा समय-समय पर सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

भद्रा उद्वाह सिंचाई

307. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के चित्रदुर्गा तथा दावणगिरि जिलों तक जल पहुंचाने के लिए भद्रा उद्वाह सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए योजना 'ए' तथा योजना 'बी' के अंतर्गत जल का आबंटन कितना है तथा परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सर्वेक्षण करने के बाद विस्तृत तकनीकी अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित सूचना दी है:

(क) ऊपरी भद्रा परियोजना चरण-I को अगस्त, 2003 में प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि को जलमग्न होने से रोकने तथा बांध के निर्माण के लिए, संशोधित लिफ्ट स्कीम को सितम्बर, 2006 में सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है।

(ख) स्कीम ''ए'' के अधीन ऊपरी भद्रा परियोजना को जल का आबंटन 21.50 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) तथा स्कीम ''बी'' के लिए 19.00 टीएमसी है। स्कीम ''ए'' भाग के लिए परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 2006-07 के मूल्य स्तर पर 5985 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं। स्कीम के निष्पादन सहित विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस परियोजना के पूरा होने का अनंतिम वर्ष 2012-13 है।

ईएसआईसी

308. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का अपने दायरे में और स्थापनाएं तथा कामगार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान मे आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले ईएसआईसी अस्पतालों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या ईएसआईसी ने नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन तथा मामलों में देरी को दूर करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के अंतर्गत अधिक प्रतिष्ठानों तथा कामगारों को कवर करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान 97,739 अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करने के साथ 37 क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है तथा वर्ष 2008-09 के दौरान 1.96 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करने के उद्देश्य से योजना को 106 नए क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना प्रस्ताविक है। वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक 29,432 अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करने के साथ योजना को 27 नए क्षेत्रों में विस्तारित किया जाता है।

(ग) सात कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल अर्थात् दिल्ली में बसईदारापुर, रोहिणी, ओखला तथा झिलमिल, उत्तर प्रदेश में नोएडा, चंडीगढ़ में रामदरबार तथा बड़ी ब्रह्मा, जम्मू ने आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त किया है।

(घ) और (ङ) नियोक्ता एवं कर्मचारियों के विरुद्ध फाइल किए गए लम्बित मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.2008 से आम माफी योजना शुरू की गई है। अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 31.08.2008 तक की अवधि के दौरान वापस लिए गए कुल मामलों की संख्या निम्नवत् है:-

धारा 75 के अंतर्गत वापस लिए गए मामले	-87
धारा 85 के अंतर्गत वापस लिए गए मामले	-333
धारा 85 के अंतर्गत वापस लेने हेतु प्रक्रियाधीन मामले	-355

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाकघर

309. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में वर्तमान में चल रहे डाकघरों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों के कितने गांवों में अभी तक डाकघर की सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश मे नए डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) देश में 1,55,035 डाकघर कार्य कर रहे हैं (31-3-2008 की स्थिति के अनुसार) इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। इनमें से 6637 डाकघर पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे हैं इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 34,774 गांवों में डाक काउंटर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथापि, डाक का दैनिक वितरण, पत्र-पेटिकाओं से डाक का संग्रहण एवं ग्राहकों के घर-द्वार पर डाक-टिकटों/डाक लेखन सामग्रियों की बिक्री जैसी डाक सुविधाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में प्रदान की गई हैं। डाकघर रहित गांवों में मौजूदा नजदीकी

डाकघरों में माध्यम से और पंचायत संचार सेवा केंद्रों (पीएसएसके) जैसे अन्य वैकल्पिक माध्यमों के जरिए मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश भर में नए डाकघरों का खोलना एक सतत प्रक्रिया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यकता, औचित्य तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं।

विवरण-I

31-3-2008 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार डाकघर

क्र. सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघर		उप डाकघर		ईडीबीओ		ईडीबीओ		कुल		डाकघरों की कुल संख्या
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	98	6	981	1352	12	19	196	13485	1287	14862	16149
2.	असम	19	0	222	382	0	35	57	3292	298	3709	4007
3.	बिहार	30	1	367	645	18	81	17	7898	432	8625	9057
4.	छत्तीसगढ़	10	0	195	128	0	0	18	2772	223	2900	3123
5.	दिल्ली	12	0	406	4	10	9	62	68	490	81	571
6.	गुजरात	34	0	635	638	0	33	58	7515	727	8186	8913
	दमन और दीव	0	0	4	3	0	0	0	12	4	15	19
	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	3	0	0	0	34	1	37	38
7.	हरियाणा	16	0	293	178	3	11	12	2140	324	2329	2653
8.	हिमाचल प्रदेश	15	3	100	343	4	14	0	2298	119	2658	2777
9.	जम्मू-कश्मीर	9	0	175	74	11	11	32	1379	227	1464	1691
10.	झारखंड	13	0	226	209	11	17	22	2593	272	2819	3091
11.	कर्नाटक	59	0	926	803	11	24	261	7742	1257	8569	9826
12.	केरल	45	6	485	959	69	394	308	2790	907	4149	5056
	लक्षद्वीप	0	0	0	7	0	2	0	1	0	10	10
	माहे	0	0	1	0*	2	0	1	0	4	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	मध्य प्रदेश	42	0	692	323	33	33	93	7107	860	7463	8323
14.	महाराष्ट्र	59	शून्य	1107	954	10	108	108	10249	1284	11311	12595
	गोवा	2	0	45	57	0	3	7	144	54	204	258
15.	पूर्वोत्तर											
	अरुणाचल प्रदेश	1	0	17	31	0	0	0	251	18	282	300
	मणिपुर	1	0	11	42	0	0	0	643	12	685	697
	मेघालय	2	0	26	35	0	0	2	423	30	458	488
	मिजोरम	1	0	23	17	2	3	32	327	58	347	405
	नागालैंड	1	0	15	27	0	0	10	275	26	302	328
	त्रिपुरा	3	0	29	53	2	7	24	598	58	658	716
16.	उड़ीसा	35	0	519	638	9	49	16	6896	579	7583	8162
17.	पंजाब	21	0	420	325	0	8	11	3076	452	3409	3861
	चंडीगढ़	1	0	40	2	0	1	0	6	41	9	50
18.	राजस्थान	46	0	593	692	2	20	33	8930	674	9644	10318
19.	तमिलनाडु	92	0	1356	1308	27	175	334	8728	1809	10211	12020
	पांडिचेरी	1	0	23	9	0	0	13	49	37	58	95
20.	उत्तराखंड	13	0	190	181	5	73	10	2242	218	2496	2714
21.	उत्तर प्रदेश	71	0	1614	855	109	263	152	14598	1946	15716	17662
22.	पश्चिम बंगाल	45	0	945	714	81	251	38	6674	1109	7639	8748
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	10	16	1	5	0	68	12	89	101
	सिक्किम	1	0	12	10	0	0	0	186	13	196	209
	कुल	799	18	12704	12017	432	1649	1927	125489	15862	139173	155035

विवरण-II

31-3-2008 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाकघरों की संख्या

क्र सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	असम	298	3709	4007
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	282	300
3.	मणिपुर	12	685	697
4.	मेघालय	30	458	488
5.	मिजोरम	58	347	405
6.	नागालैंड	26	302	328
7.	त्रिपुरा	58	658	716
8.	सिक्किम	13	196	209
	कुल	513	6637	7150

बोनस के लिए वेतन सीमा में संशोधन

310. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औद्योगिक कामगारों को दिए जाने वाले बोनस की गणना हेतु वेतन सीमा में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार ने बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 की संख्या 45) के द्वारा परिगणना सीमा को 2500/- रुपये से बढ़ाकर 3500/- रुपये प्रतिमाह तथा पात्रता सीमा को 3500/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

(ग) और (घ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 2(13) में तथा परिभाषित सभी पात्र कर्मचारी दिनांक 1.4.2006 से बढ़ी हुई दर पर बोनस पाने के पात्र हैं। इसके अलावा, धारा 32(6) को हटा दिया गया है ताकि भवन संबंधी प्रचालनों में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को भी बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के दायरे में लाया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की धनराशि का उपयोग

311. **श्री उदय सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल क्षेत्र के धारणीय दीर्घावधि विकास हेतु विश्व बैंक से वित्तपोषण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक की धनराशि के उचित उपयोग हेतु कोई योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) भारत सरकार ने विश्व बैंक से किसी प्रकार का वित्तपोषण, विशेषतौर पर "जल क्षेत्र के स्थायी दीर्घावधि विकास" के लिए नहीं मांगा है। तथापि, विश्व बैंक ने सिंचाई एवं जल प्रबंधन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित चालू परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

जारी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्रम सं.	वित्तपोषण करने वाला अभिकरण	राज्य	परियोजनाओं के नाम	समझौते/पूरा होने की तारीख	मिलियन दाता मुद्रा में सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	विश्व बैंक	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सीआर 3635-आईएन	06.06.2002 31.1.2009	एसडीआर 80 संशोधित एसडीआर 63.420
2.	विश्व बैंक	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना एलएन 4750-आईएन	30.11.2004 31.3.2011	अमरीकी डालर 394.020
3.	विश्व बैंक	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र परियोजना एलएन 4796-आईएन	19.8.2005 31.03.2012	अमरीकी डालर 325
4.	विश्व बैंक	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना सीआर 3603 आईएन	15.3.2002 31.3.2008	एसडीआर 100.02
5.	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना सीआर 3602 आईएन	08.03.2002 31.10.2008	एसडीआर 90.471
6.	विश्व बैंक	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार और प्रबंधन परियोजना (सीआर सं. 4846 (आईबीआरडी) और सीआर. सं. 4255-आईएन (आईएन)	12.2.2007 31.7.2013	अमरीकी डालर 485
7.	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सीआर 4291-आईएन एवं 4857- आईएन	8.6.2007 31.12.2012	अमरीकी डालर 189

1	2	3	4	5	6
8.	विश्व बैंक	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना अतिरिक्त वित्तीय सीआर 4872-आईएन एवं 3635-आईएन	17.1.2008 31.1.2012	अमरीकी डालर 64
9.	विश्व बैंक	बहु-राज्यीय	जल विज्ञान परियोजना (चरण-II) सीआर 4749-आईएन	19.1.2006 31.1.2012	अमरीकी डालर 104.980

विवरण-II

पाईपलाइन परियोजनाएं

क्र.सं.	पाईपलाइन परियोजनाएं	अनुमानित लागत
1.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)-(बहुराज्यीय)	917.00 करोड़ रुपये
2.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना (नागार्जुन सागर परियोजना)	2250.00 करोड़ रुपये
3.	उड़ीसा जल क्षेत्र सुधार परियोजना (ओडब्ल्यूएसआईपी)	3493.10 करोड़ रुपये
4.	उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	127.8 मिलियन अमरीकी डालर
5.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई त्वरित विकास परियोजना	1143.00 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

312. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कामगारों को दी जा रही न्यूनतम तथा अधिकतम मजदूरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इन कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा 1999-2000 में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल नियोजन 39.07 करोड़ था, जिसमें से 36.9 करोड़ (लगभग 93%) असंगठित क्षेत्र में थे। वर्ष 2004-05 में एन एस एस ओ के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कामगारों की कुल संख्या में 45.9 करोड़ की वृद्धि हुई। इनमें से, 43.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे जो श्रम बल का 94% बैठता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का वर्षवार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया

गया है। समुचित सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, यह प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) में अधिकारियों के माध्यम से किए जाते हैं, राज्य क्षेत्र में यह अनुपालन संबंधित राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इन तंत्रों के अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने के किसी मामले का पता लगने की स्थिति में, वे मजदूरी के कम भुगतान को पूरा करने हेतु नियोजकों को सलाह देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अधिनियम में अभियोजन हेतु उपबंध हैं। इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण भी किए जाते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कामगारों की अलग-अलग श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें

(रुपये प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अकुशल	अर्ध-कुशल	कुशल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश*	58.25-111.00	—	74.00-327.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.00	60.00	65.00
3.	असम	74.35	77.22	80.60
4.	बिहार	81.00	83.00	85.00
5.	छत्तीसगढ़	102.27	106.42	110.65
6.	गोवा	93.00	99.00	105.00
7.	गुजरात	55.00	65.00	100.00
8.	हरियाणा	138.00	143.00	153.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	105.00	112.00
10.	जम्मू-कश्मीर	66.00	88.00	147.00
11.	झारखंड	67.72	101.00	122.42
12.	कर्नाटक	83.02	89.86	91.79
13.	केरल	97.52	99.02	101.12
14.	मध्य प्रदेश	93.00	99.00	106.00
15.	महाराष्ट्र	65.00	72.92	75.33
16.	मणिपुर	72.40	77.65	79.40
17.	मेघालय	70.00	75.00	85.00
18.	मिजोरम	103.00	115.00	143.00
19.	नागालैंड	66.00	70.00	75.00
20.	उड़ीसा	70.00	80.00	90.00
21.	पंजाब	100.51	104.96	111.11
22.	राजस्थान	100.00	107.00	115.00
23.	सिक्किम	100.00	115.00	130.00
24.	तमिलनाडु	74.12	95.60	102.60
25.	त्रिपुरा	47.18	47.18	83.85
26.	उत्तर प्रदेश	76.31	88.31	102.91
27.	उत्तराखंड	72.22	84.86	97.50
28.	पश्चिम बंगाल	74.33	75.31	81.50

1	2	3	4	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	130.00	140.00	168.00
30.	चंडीगढ़	136.40	142.17	153.71
31.	दादरा और नगर हवेली	102.00	108.50	115.00
32.	दमन और दीव	95.00	105.00	112.00
33.	दिल्ली	142.00	148.00	158.00
34.	लक्षदीप	71.90	77.90	83.90
35.	पुडुचेरी	78.00	—	86.00

1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र●				
के रूप में वर्गीकृत शहर		"ग"	"ख"	"ए"
		120.00	150.00	180.00

*न्यूनतम और उच्चतम श्रेणी के अनुसूचित नियोजनों के बारे में न्यूनतम मजदूरी रेंज।

●न्यूनतम मजदूरी सलाहकारी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार सभी अनुसूचित नियोजनों के संबंध में अकुशल कामगारों का न्यूनतम मजदूरी का ऊर्ध्वमुखी संशोधन। झाड़ू बुहारू एवं साफ-सफाई और पहरेदारी में कार्यरत कामगारों के अनुसूचित नियोजन के बारे में अधिसूचनाएं जारी हो गई हैं। तथापि निर्माण कार्य, गैर-कोयला खानों और माल उतारने-चढ़ाने में लगे कामगारों के संबंध में अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

विवरण-II

2006-07 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 के लागू करने संबंधी ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			प्रदान की गई प्रतिपूर्ति राशि (रु. '000)	जुर्माने की राशि (रु. '000)	
			की गई जांच	समाधन किए गए	दर्ज किए गए	निपटाये गए	लंबित	दर्ज किए गए	निर्णीत		लगाया गया	वसूल किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	केन्द्रीय क्षेत्र	15147	—	—	1706	1860	—	5692	4942	20421	—	—
	राज्य क्षेत्र											
1.	अरुणाचल प्रदेश	187	10	6	1	शून्य	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	बिहार	278336	54700	51253	20763	19177	1152	122	35	11738	696	—
3.	गोवा	582	2319	513	5	—	13	20	10	—	6	—
4.	गुजरात	115428	78024	49699	1	69	55291	3828	5267	45019	13207	4146
5.	हरियाणा	2320	389	45	218	277	990	93	155	2090	70	—
6.	महाराष्ट्र	64714	54739	45748	3	—	1402	156	90	1677	59	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	मेघालय	425	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	तमिलनाडु	94488	1154	91	1996	1298	4627	713	638	18479	221	221
9.	त्रिपुरा	6803	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	उत्तराखंड	3238	1337	663	335	255	105	508	351	2888	168	157
11.	उत्तर प्रदेश	16990	12836	5208	3639	2933	8906	1066	883	96861	188	—
12.	दमन और दीव	511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	दिल्ली	8575	7002	6333	451	513	11382	1060	612	1373	459	252
कुल उक्त (राज्य)		607744	212510	159559	29118	26382	83872	13262	12983	200546	15075	4776

नोट : आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षदीप, पुडुचेरी से सूचना प्राप्त होनी हैं।

बिना मौसम की बारिश के कारण गेहूं को क्षति

313. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 2008 में बिना मौसम की बारिश होने से पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली की मंडियों में किसानों का भारी मात्रा में गेहूं खराब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंडियों में अलग-अलग कितनी मात्रा में गेहूं खराब हुआ;

(ग) क्या इस गेहूं को बारिश से बचाने में असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि मई, 2008 में असामयिक वर्षा होने के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों में किसानों का कोई गेहूं क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैकेटों पर ब्यौरा छापना

314. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैकेटबंद वस्तुओं के पैकेट पर वजन और उसकी मियाद की तारीफ छापना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माता कंपनियों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई दांडिक कार्यवाही के स्वरूप का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 उपबंधों के अनुसार पैकेटों पर अन्य बातों के साथ-साथ पैकेज में रखी वस्तु के निवल भार और विनिर्माण अथवा पैकिंग अथवा आयात, जैसा भी मामला हो, की तारीख की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों के अनुसार समाप्ति की तारीख की घोषणा क्रमशः केवल एसपार्टमे और शिशु आहार व औषधियों के पैकेजों पर अपेक्षित होती है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन प्राधिकारी विनिर्माता पैकज आयातक, खुदरा व्यापारी के परिसरों का निरीक्षण करने के साथ-साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से नमूने लेते हैं। पैकेज में रखी वस्तुएं नियमों के उपबंधों के तहत 'निवल भार' की घोषणा न किए जाने पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार अथवा उसके बाद अपराध किए जाने पर कारावास की सजा जिसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी किया जा सकता है। इसी प्रकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंध के तहत 'समाप्ति की तारीख' की घोषणा न किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 में संशोधन

315. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विधेयक के अंतर्गत आंगनवाड़ी जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत काम कर रहे स्वयंसेवियों को कवर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी, हां। विधेयक के वर्तमान उपबंधों एवं प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विधेयक में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की किसी विशिष्ट श्रेणी का उल्लेख नहीं है। विधेयक में यथा परिभाषित सभी असंगठित कामगार, उक्त विधेयक के अंतर्गत कवर होंगे।

विवरण

विधेयक में विद्यमान उपबंधों और प्रस्तावित संशोधनों का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विद्यमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
1	2	3
1.	असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007	असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008
2.	1.(1) यह अधिनियम आंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2007 कहलायेगा।	1.(1) यह अधिनियम असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।
3.	धारा 2 की नई उपधारा	"असंगठित क्षेत्र" का अर्थ है वह उद्यम जो एक असंगठित क्षेत्र नहीं है।

1	2	3
4.	2.(1) "असंगठित क्षेत्र कामगार" का अर्थ है एक गृह आधारित कामगार, स्व-नियोजित कामगार अथवा असंगठित क्षेत्र में कोई मजदूरी कामगार।	उप-धारा को हटाया जाना।
5.	धारा 2 की नई उप-धारा (ढ)	(ढ) "असंगठित क्षेत्र कामगार" का अर्थ है एक गृह आधारित कामगार, स्व-नियोजित कामगार अथवा असंगठित क्षेत्र में कोई मजदूरी कामगार और असंगठित क्षेत्र का वह कामगार शामिल है जो निम्नलिखित के दायरे में नहीं है,- (i) कर्मचारी भविष्य निधि और और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; (ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948; (iii) सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य कानून जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।
6.	3.(1) केन्द्र सरकार विभिन्न वर्गों के असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए समय-समय पर निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है- (क) जीवन एवं अशक्तता कवर; (ख) स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ; (ग) वृद्धावस्था संरक्षण; और (घ) अन्य कोई लाभ जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। 3. केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा उप-खण्ड(1) में संदर्भित अनुसूची में संशोधन कर सकती है और उसमें असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए किसी भी कल्याण योजना को शामिल कर सकती है अथवा हटा सकती है।	3.(1) केन्द्र सरकार विभिन्न वर्गों के असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए समय-समय पर निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है बनाएगी- (क) जीवन एवं अशक्तता कवर; (ख) स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ; (ग) वृद्धावस्था संरक्षण; और (घ) अन्य कोई लाभ जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। 3. केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा उप-खण्ड(1) में संदर्भित अनुसूची में संशोधन कर सकती है और उसमें असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए किसी भी कल्याण योजना को शामिल कर सकती है अथवा हटा सकती है।
7.	4.(2) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक योजना, निम्नलिखित मामलों सहित योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मामलों में सुविधाएं उपलब्ध कराएगी- (i) योजना का कार्य-क्षेत्र; (ii) योजना के लाभार्थी; (iii) योजना के स्रोत;	4.(2) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक योजना, निम्नलिखित मामलों सहित योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मामलों में सुविधाएं उपलब्ध कराएगी- (i) योजना का कार्य-क्षेत्र; (ii) योजना के लाभार्थी; (iii) योजना के स्रोत;

1	2	3
	(iv) योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी अथवा एजेन्सियां; और (v) अन्य कोई संबंधित विषय	(iv) योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी अथवा एजेन्सियां; और (v) शिकायतों का निवारण; और (vi) अन्य कोई संबंधित विषय
8.	**अध्याय III [धारा 5(I)]: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** 5.(2) राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत: :- (क) अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है; (ख) महानिदेशक (श्रम कल्याण) - सदस्य सचिव, पदेन; और (ग) इकतीस सदस्य जिनको केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है, उनमें से- (i) सात असंगठित क्षेत्र कामगारों के प्रतिनिधि; (ii) सात असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि; (iii) सात समाज के विख्यात व्यक्तियों के प्रतिनिधि; (iv) पांच राज्य सरकारों के प्रतिनिधि; और (v) पांच केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधि।	**अध्याय III [धारा 5(I)]: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** धारा 5(2) में (क) *अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है;* केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री- अध्यक्ष; (ग) इकतीस चौंतीस सदस्य जिनको केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है, उनमें से- (i) सात असंगठित क्षेत्र कामगारों के प्रतिनिधि; (ii) सात असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि; (iii) सात समाज के विख्यात व्यक्तियों के प्रतिनिधि; (iv) पांच राज्य सरकारों के प्रतिनिधि; और (v) पांच केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधि। (vi) दो लोक सभा के और एक राज्य सभा के प्रतिनिधि।
9.	**अध्याय IV [धारा 6(I)]: राज्य सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** 6.(2) (क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है; (ख) प्रधान सचिव अथवा (श्रम)-सदस्य-सचिव, पदेन; और (ग) छब्बीस सदस्य जिनको राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है, उनमें से- (i) सात असंगठित क्षेत्र कामगारों के प्रतिनिधि; (ii) सात असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि; (iii) पांच समाज के विख्यात व्यक्तियों के प्रतिनिधि; (iv) सात संबंधित राज्य सरकारों के विभागों के प्रतिनिधि	**अध्याय IV [धारा 6(I)]: राज्य सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** 6.(2) (क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है; संबंधित राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री-अध्यक्ष; (ख) प्रधान सचिव अथवा (श्रम)- सदस्य-सचिव, पदेन; और (ग) छब्बीस अट्ठाईस सदस्य जिनको राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना जाता है, उनमें से- (i) सात असंगठित क्षेत्र कामगारों नियोक्ताओं के प्रतिनिधि; (ii) सात असंगठित क्षेत्र के कामगारों नियोक्ताओं के प्रतिनिधि; (iii) सात असंगठित क्षेत्र के कामगारों के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि; (iv) पांच समाज के विख्यात व्यक्तियों के प्रतिनिधि। सात संबंधित राज्य सरकारों के विभागों के प्रतिनिधि। (v) दो संबंधित राज्य की विभाग सभा सदस्यों के प्रतिनिधि।

1	2	3
10.	नई धारा (9)	9.(1) राज्य सरकार समय-समय पर यथा आवश्यक समझे जाने वाले कामगार सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकती है जो निम्नलिखित कार्य करेंगे: (क) असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सूचना का प्रचार; (ख) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र भरने, कार्यवाही करने व अग्रसारित करने की सुविधा प्रदान करना; (ग) जिला प्रशासन से पंजीकरण प्राप्त करना एवं असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को पहचान-पत्र वितरित करना; और (घ) असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों का विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन सहज बनाना।
11.	**अनुसूची** [धारा 3 देखें] **असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं** **योजना का नाम** 1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 3. राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना 4. महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 5. हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं 6. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना 7. कार्यशील मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना 8. मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत 9. जनश्री बीमा योजना 10. आम आदमी बीमा योजना 11. स्वास्थ्य बीमा योजना	**अनुसूची** **असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं** [धारा 3 देखें] **योजना का नाम** 1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 3. जननी सुरक्षा योजना 4. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजनाएं 5. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन 6. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन 7. मछुआरों के कल्याण तथा प्रशिक्षण और विस्तार हेतु राष्ट्रीय योजना 8. जनश्री बीमा योजना 9. आम आदमी बीमा योजना 10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

[हिन्दी]

दूध के दामों में वृद्धि

316. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में दूध के दामों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दामों में कितनी बार और कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दामों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में, विगत तीन वर्षों के दौरान, 5/- रु. की निवल वृद्धि के साथ दूध के मूल्य में पांच बार बढ़ोत्तरी हुई है। चालू वर्ष के दौरान दूध के मूल्य में एक बार 1/-रु. प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।

(ग) दूध के मूल्य में वृद्धि मुख्यत: उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन लागत में हुई वृद्धि के कारण है।

(घ) दूध की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जाती हैं। तथापि, सरकार ने घरेलू दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पाद निर्यात के लिए प्रोत्साहन बंद कर दिए हैं।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा

317. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अर्थशास्त्री एच.एस. शेरगिल द्वारा ''इकोनामिक ऑफ फूड सेल्फ सफिशिएंसी'' नामक किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में है और यदि स्थिर उत्पादन की प्रवृति को बदला नहीं गया तो वर्ष 2020 तक भारत एक आयातक देश बन सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) वर्ष 1967-68 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान अनाजों के उत्पादन की वृद्धि की चक्रवृद्धि दर लगभग 2.48% प्रति वर्ष है और वर्ष 2000-01 से 2007-08 की अवधि में यह लगभग 1.95% प्रति वर्ष है। अनाजों के उत्पादन की दीर्घावधि व मध्यावधि दर 2001 के बाद की जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि क्षेत्र के महत्व को समझती है और कृषि उत्पादन व उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई पहल और उपाय किए हैं। इन पहलों में चावल, गेहूं व दालों के उत्पादन को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्रमश: 10, 8 व 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरू किया जाना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विस्तार का कायाकल्पन तथा कृषि विपणन में सुधार आदि शामिल है यह प्रत्याशित है कि शुरू की इन नई पहलों से खाद्यान्न उत्पादन मांग से अधिक होगा।

रक्षा खरीद नीति

318. **श्रीमती जयाप्रदा :**
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रक्षा खरीद नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा उपकरण की खरीदा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु भी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और रक्षा खरीद में बिचौलियों को दूर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी)-2006 प्रख्यापित करते समय यह परिकल्पना की गयी थी कि इस अधिप्राप्ति प्रक्रिया की प्रत्येक दो वर्ष में पुनरीक्षा की जाएगी। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और फीडबैक के परिणामस्वरूप रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 सामने आई है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008, 01 सितंबर 2008 से लागू हो गयी है। संशोधित प्रक्रिया का लक्ष्य अधिप्राप्ति ढांचे को और पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाते हुए इसे सुदृढ़ करना है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 में रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इसकी प्रमुख विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है:-

(i) सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील उत्पादों के मामलों को छोड़कर, अधिप्राप्ति संबंधी सभी मामलों में प्रस्ताव हेतु अनुरोध को जारी करने के पूर्व विक्रेताओं को अग्रिम सूचना दी जानी होती है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गयी यह सूचना विक्रेताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने प्रस्तावों को तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मुहैया कराएगी।

(ii) परीक्षणों के दौरान विक्रेताओं के साथ की गयी सभी मौखिक वार्ताओं की लिखित रूप से पुष्टि की जाती है।

(iii) तकनीकी/स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्टों के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् अयोग्यता संबंधी कारणों के साथ तकनीकी/परीक्षण मूल्यांकनों के परिणाम से विक्रेताओं को अवगत कराया जाना होता है।

(iv) विक्रेताओं को अग्रिम सूचना देने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध में प्रायोगिक प्रणाली दी जानी होती है। सेना द्वारा तैयार किए गए परीक्षण निदेश को परीक्षण प्रणाली के अनुरूप जारी किया जाना होता है।

(v) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 में ऐसे मामलों जिनमें उपस्कर की अधिप्राप्ति एक सेना से अधिक के लिए की जा रही है अथवा जिनमें प्रौद्योगिकी अंतरण निहित है, के लिए अधिक व्यापक और बहु-विषयक परीक्षण टीम की पेशकश की गई है।

(vi) प्रस्ताव हेतु अनुरोध और परीक्षण निदेशों में दी गयी परीक्षण प्रणाली के साथ-साथ अपनायी गयी परीक्षण प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण समिति को अधिकृत किया गया है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006/2008 के अनुसार रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, भारत सरकार प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रति केवल मूल उपस्कर विनिर्माताओं अथवा अधिकृत विक्रेताओं अथवा सरकार द्वारा सहासताप्राप्त निर्यात एजेंसियों (उन देशों के मामले में लागू जिन देशों के कानून मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा सीधे निर्यात करने की अनुमति नहीं प्रदान करते हैं) से उनकी प्रतिक्रिया आमंत्रित करती है। इस संबंध में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006/2008 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(i) 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी संविदाओं के लिए सरकारी विभाग और बोलीदाता के बीच एक "सत्यनिष्ठा समझौता"।

(ii) विक्रेताओं के साथ बोलीपूर्व बैठकें।

(iii) सरकार से कोई संविदा प्राप्त करने के लिए विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना।

(iv) किसी विक्रेता को संविदा देने के लिए सरकार को सिफारिश करने तथा ऐसी सिफारिश के संबंध में किसी प्रकार के धन की अदायगी करने हेतु किसी व्यक्ति अथवा फर्म की नियुक्ति पर रोक लगाना।

इसके अलावा, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006/2008 में अन्य बातों के साथ-साथ दंड लगाए जाने के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है, यदि कोई विक्रेता संविदा प्राप्त करने के लिए अधिकारिक अथवा अनाधिकारिक तौर पर मध्यस्थता करने, मदद करने अथवा सरकार अथवा इसके किन्हीं प्राधिकारियों को किसी भी रूप में सिफारिश करने के लिए भारतीय अथवा विदेशी किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को नियुक्त करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

319. श्री जुएल ओराम : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्रों सहित देश में वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने कर्मचारियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कृषि कामगारों को भी कवर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जैसाकि झारखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, अब तक, लगभग 3000 स्मार्ट कार्ड लाभभोगियों को जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं। इस योजना के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों में विस्तार की संभावना है।

सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा

320. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना (एस.एस.पी.) को राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना का दर्जा देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय परियोजना के रूप में एक परियोजना को घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड इस प्रकार हैं:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां संधि के द्वारा भारत में जल का उपयोग अपेक्षित है अथवा जहां देश के हित में परियोजना की आयोजना एवं उसे शीघ्र पूरा करना आवश्यक है।

(ii) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित वे अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो लागतों के बंटवारा, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन पहलुओं आदि संबंधी अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान न होने के कारण लंबित हैं।

(iii) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अन्त: राज्यीय परियोजनाएं और जल बंटवारे के संबंध में अविवादित और जहां जल विज्ञान स्थापित है।

(ख) और (ग) जी, हां। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है। सूखा प्रवण और जनजातीय क्षेत्र के तहत परियोजना के सिंचाई घटक के लिए 90% केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने हेतु सरकदार सरोवर परियोजना पहले से ही पात्र है। परियोजना का विद्युत गृह पहले ही पूरा कर लिया गया है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत आज तक सरदार सरोवर परियोजना को 5375.3585 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है जो देश में किसी परियोजना के लिए मुहैया कराई जाने वाली सबसे अधिक केन्द्रीय सहायता है।

केन्द्रीय तार कार्यालय में परिवर्तन

321. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में केन्द्रीय तार कार्यालयों को साइबर कैफे में बदलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय तार घर तार सुविधा प्रदान करने के अलावा अन्य बीएसएनएल सेवाएं जैसे एसटीडी फोन सुविधा, फैक्स सुविधा, टेलीफोन राजस्व बिल संग्रहण, बीएसएनएल के उत्पादों जैसे रिचार्ज कूपनों, आईटीसी कार्डों की बिक्री, इंटरनेट सेवाओं आदि की भी पेशकश कर रहे हैं।

मूल्य वृद्धि

322. **श्री सुनील खां :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री ई. दयाकर राव :
श्री अधीर चौधरी :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ समय से उठाए गए उपचारात्मक कदमों के बावजूद खाद्यान्नों, दलहनों, खाद्य तेल, सब्जियों, दूध आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कोई नई योजना/कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) का विस्तार करके समाज के गरीब वर्गों के नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) दिल्ली में विभिन्न अवधियों के दौरान आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, चना दाल, तुर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, वनस्पति, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नमक, चाय, चीनी, आटा, दूध, आलू और प्याज के मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनकी इस विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट है, दिल्ली में पिछले 6 महीनों में गेहूं के खुदरे मूल्य 13 रुपए प्रति कि.ग्रा. पर स्थिर रहे। आलू के खुदरा मूल्य पिछले साल की तुलना में कम हुए हैं और अब 13 रुपए प्रति कि.ग्रा. हैं। प्याज के खुदरा मूल्य जो अक्तूबर, 2007 के दौरान 27 रुपए प्रति कि.ग्रा. ऊंचाई तक पहुंच गए थे, अब घटकर 17 रुपए प्रति कि.ग्रा. हो गए हैं। खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों में भी कमी आई है।

चालू वर्ष के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित स्तरों पर बने रहे किन्तु चावल और दालों (चना दाल छोड़कर) के मूल्यों में वृद्धि हुई। इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस में वृद्धि, आबादी और आय में वृद्धि होने के कारण बढ़ती हुई मांग, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि, खपत पद्धतियों में बदलाव, प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिवर्तन, कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि आय और रहन-सहन के स्तर में सुधार तथा भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण हुई। आलू और प्याज के मूल्यों में वृद्धि मौसमीकारकों के साथ-साथ बाढ़ के कारण फसल को नुकसान होने के परिणामस्वरूप हुई।

सरकार द्वारा अनेक सकारात्मक उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप भारत घरेलू मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने में सक्षम रहा।

(ग) और (घ) मूल्य स्थिति की समय-समय पर सचिवों की समिति और मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति जैसी उच्चस्तरीय बैठकों में समीक्षा की जाती है। सरकार ने इस वर्ष रिकार्ड 50 मिलियन टन खाद्यान्नों (27.5 मिलियन टन चावल और 22.5 मिलियन टन गेहूं) की खरीद की है। न्यूनतम बफर स्टॉक रखने के बाद भी मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए बाजार में दखल देने हेतु पर्याप्त खाद्यान्न हैं। सरकार ने घरेलू खरीद में से 5 मिलियन टन खाद्यान्नों (3 मिलियन टन गेहूं पहले ही निर्धारित किया जा चुका है) का रणनीतिक भंडार सृजित करने का निर्णय भी लिया है। यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतिवर्ष रखे जाने वाले बफर स्टॉक के अतिरिक्त है। सरकार को कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानकारी है और वह आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाती रही है। इसने अनेक कदम उठाए हैं जिनका सार नीचे दिया गया है:-

क. अल्पकालिक उपाय

1. राजकोषीय उपाय

(1) चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) और मकई तथा मक्खन व घी के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है।

(2) रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है।

2. प्रशासनिक उपाय

(1) गैर-बासमती चावल, गेहूं, खाद्य तेलों (एरण्ड तेल, नारियल तेल और तिल के तेल को छोड़कर लघु वन उत्पादों से उत्पादित तेलों को छोड़कर) और दालों (काबुली चने को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध।

(2) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं।

(3) चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों और तिलहनों के मामले में स्टॉक लिमिट आदेशों का अधिरोपण।

(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय-समय पर वृद्धि-इस समय गेहूं के लिए 1000 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य चावल के लिए 850 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' चावल के लिए 880 रुपए प्रति क्विंटल है।

(5) स्किम्ड मिल्क पाउडर पर आयात शुल्क को 29 अप्रैल, 2008 से 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(6) प्याज (इस समय 230 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) और बासमती चावल (इस समय 1200 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) के निर्यात को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रयोग।

(7) वर्ष 2002 से चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.56 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और (अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और (अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य को कायम रखा गया है।

(8) वायदा बाजार आयोग ने 23.1.2007 को तूर और उड़द की सभी संविदाओं को सूची से हटा दिया है और 23.1.2007 को बंद मूल्य पर तूर और उड़द की सभी संविदाओं की बकाया पोजीशन को बंद कर दिया है।

(9) इसी प्रकार वायदा बाजार आयोग ने 27.2.2007 को सभी तीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों को निदेश दिए हैं कि गेहूं और चावल में कोई नई भावी संविदा नहीं की जाए।

(10) वायदा बाजार आयोग ने 7.5.2008 को सोया तेल, आलू, चना और रबड़ में भावी सौदा व्यापार को 4 महीने की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया था और अब इस अवधि को 30.11.2008 तक बढ़ा दिया गया है।

(11) सरकार ने 3.7.2008 को मकई के निर्यात पर रोक लगा दी। यह रोक 15 अक्तूबर, 2008 तक लागू रहेगी।

(12) सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार सरकारी एजेंसियों (नेफेड, पी ई सी लिमिटेड, एम एम टी सी और एस टी सी) ने 2007-08 के दौरान लगभग 1.4 मिलियन मीट्रिक टन दालों के आयात का ठेका दिया है जिसमें से 14.26 लाख टन दालें पहुंच गई हैं और 11.89 लाख टन का 16.10.2008 को निपटान कर दिया गया है।

(13) वर्ष 2008-09 के दौरान सरकारी एजेंसियों ने लगभग 874140 मीट्रिक टन दालों के आयात का ठेका दिया है जिसमें से 16.10.2008 तक 348479 मीट्रिक टन पहुंच चुकी हैं।

सरकार ने 15 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर की सब्सिडी पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1 मिलियन टन खाद्य तेल वितरित करने के लिए 28.07.2008 को एक स्कीम शुरू की है। अब तक 3.12 लाख टन खाद्य तेलों के आयात के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसमें से लगभग 2.28 लाख टन खाद्य तेल जहाज पर चढ़ा दिया गया है। 13.10.2008 तक भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर 2.39 लाख टन खाद्य तेल उतारा गया है। 13.10.2008 की स्थिति के अनुसार

राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड की दर से वितरित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.43 लाख टन खाद्य तेल सुपुर्द किया जा चुका है।

(ख) मध्यकालिक उपाय:

सरकार ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलें की हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने समाज के गरीब तबके को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए नियंत्रित मूल्यों पर चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन और खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. **चावल और गेहूं** : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी की रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1.03.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के जनसंख्या के अनुमानों पर प्रक्षेपित योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी के अनुमानों के आधार पर या राज्य सरकार द्वारा वास्तव में अभिचिह्नत परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

   तदनुसार, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों के लिए खाद्यान्नों (गेहूं, चावल) का आबंटन देश में 6.52 करोड़ परिवारों की समूची स्वीकृत संख्या को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. की दर से किया जाता है।

   तथापि, गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटन केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉकों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए सामान्य मासिक आबंटन के अलावा जुलाई से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 11.45 लाख टन गेहूं और 1.54 लाख टन चावल का तदर्थ अतिरिक्त/त्यौहार आबंटन किया गया है।

2. **चीनी** : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए 1.02.2001 से केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्विपीय क्षेत्रों, जहां वैश्विक कवरेज जारी रखने की अनुमति दी गई है, को छोड़कर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभ के लिए लेवी चीनी के वितरण की प्रति व्यक्ति प्रतिमाह न्यूनतम मात्रा को 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी की आपूर्ति के लिए 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित आबादी के आधार पर लोगों को शामिल किया गया है। तदनुसार लेवी चीनी का आबंटन 1.2.2001 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियत कोटे के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अनुसूचित त्यौहार अपेक्षा के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियत वार्षिक त्यौहार कोटा के रूप में लगभग 1.00 लाख मीट्रिक टन मात्रा का आबंटन किया जाता है।

3. **खाद्य तेल** : सरकार ने 15 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर की सब्सिडी पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1 मिलियन टन खाद्य तेल वितरित करने के लिए 28.07.2008 को एक स्कीम शुरू की है। 13.10.2008 की स्थिति के अनुसार राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड की दर से वितरित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.43 लाख टन खाद्य तेल सुपुर्द किया जा चुका है।

4. **केरोसिन** : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन की चोरबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी केरोसिन (प्रयोग और अधिकतम मूल्य नियतन पर प्रतिबंध) आदेश, 1993 में प्रावधान किए हैं जिनके अनुसार व्यापारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन को केंद्र सरकार अथवा ओ एम सी एस द्वारा तय मूल्यों से अधिक मूल्यों पर नहीं बेच सकते हैं तथा केरोसिन के व्यापारी अपने भंडार स्थल सहित कारोबार स्थल पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर स्टॉक-व-मूल्य बोर्ड प्रदर्शित करेंगे। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सब्सिडी का लाभ लक्षित उपभोक्ताओं तक दक्षतापूर्वक और कम लागत पर पहुंचे और उसमें कोई लीकेज न हो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम

लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस स्कीम को प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है। प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के जरिए राज-सहायता प्राप्त केरोसिन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जबकि अन्य सभी राशनकार्ड धारियों को गैर-राजसहायताप्राप्त केरोसिन दिया जाएगा।

विवरण

दिल्ली में चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

यूनिट : (रुपए प्रति कि.ग्रा.)

मदें	वर्तमान मूल्य 15.10.08	एक सप्ताह पूर्व 8.10.08	एक माह पूर्व 15.09.08	छः माह पूर्व 15.04.08	एक वर्ष पूर्व 15.10.07	उतार-चढ़ाव (एक महीने में) 15.10.08/ 15.9.08
1	2	3	4	5	6	7
चावल	22	22	22	18	15	0
गेहूं	13	13	13	13	12	0
आटा	14	14	14	14	13	0
चना दाल	37	37	35	37.5	34	2
तूर दाल	50	50	45	42	40	5
उड़द दाल	44	44	42	39	37	2
मूंग दाल	44	45	42	38	37	2
चीनी	20	20	21	18	16	-1
दूध●	21	21	20	20	19	1
मूंगफली का तेल*	118	118	121	121	118	-3
सरसों का तेल*	79	79	79	73	62	0
वनस्पति	62	62	69	75	60	-7
चाय खुली	135	134	128.5	106	108	6.5
नमक पैक	11	11	एन.आर.	10	10	—

1	2	3	4	5	6	7
आलू	13	13	12	8	15.5	1
प्याज	17	14	14	9	22	3

@रुपए प्रति लीटर *रिफाइण्ड तेल एन. आर. - सूचित नहीं

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

[हिन्दी]

फलों में रोग

323. श्री जीवाभाई ए. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगों के फैलने के कारण कई प्रकार के फल बर्बाद हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप सरकार को कई करोड़ रुपये का घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रोगों को फैलने से रोकने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ख) जी, हां। नींबू वर्गीय फल रोग जनकों जैसे फंगस एवं बैक्टीरिया के कारण नष्ट हो जाते हैं। अंगूरों को फसलोपरान्त रोगों मुख्यतया बंच तथा बैरी रॉटस से खतरा है। फसल क्षति के मुख्य मामलों में जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख मंडल में सेब तथा खुबानी पर कॉडलिंग शलभ के तीव्र आक्रमण के कारण सेब फसल को 2006-07 के दौरान भारी नुकसान की सूचना दी गई। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में अनार पर पत्ते की जीवाण्विक ब्लाइट (तेलीय चित्ती) के सामान्य से गम्भीर प्रभाव की सूचना प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में केले की फसल पर काली चित्ती (सिगारोका) रोग के प्रभाव की सूचना थी।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने पौध संरक्षण के आधारभूत सिद्धांत के रूप में समेकित कीट प्रबंधन को अपनाया है। 77 मुख्य फसलों में कीट/रोग प्रबंधन हेतु आई.पी.एम. पैकेज पद्धतियों का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा भी अनुसंधान किया गया है और सिफारिशें की गई हैं एवं फलों में रोगों को फैलने से रोकने के लिए नियंत्रण उपाय सुझाए गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषक सहायता/सलाह केन्द्र

324. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषक सहायता/सलाह केन्द्र (किसान सहायता/सलाह केन्द्र) चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) (1) किसान काल सेन्टर (केसीसी) 21 जनवरी, 2008 से ही कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में केसीसी देश के लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कवर करते हुए 25 स्थानों पर प्रचालन में है ताकि सभी फसलों, बागवानी, मुर्गी पालन, कृषि-वानिकी,

मात्स्यिकी, पशुपालन और पशुपालन विज्ञान पर नवीनतम कृषि ज्ञान पर किसानों की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(2) राष्ट्रव्यापी सिंगल टोल फ्री न. '1551' डायल करके सभी केसीसी स्थानों तक पहुंचा जा सकता है।

(3) वर्तमान में, 144 काल सेन्टर एजेन्ट जो कृषि स्नातक होते हैं, केसीसी में लगाए गए हैं ताकि सप्ताह के सभी 7 दिन प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक 22 स्थानीय बोलियों में किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें।

(4) 31 अगस्त, 2008 तक केसीसी ने किसानों से 28,47,222 काल (सीधी काल 21, 05, 537 +आईवीआरकाल 741685) प्राप्त की हैं।

राज्यवार काल के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 21 जनवरी, 2004 से पूरे देश भर में 14 किसान काल सेंटर काम कर रहे थे। तथापि, अगस्त, 2008 से कृषि मंत्रालय ने बेहतर कवरेज के लिए पूरे देश में इन केन्द्रों को बढ़ाकर 25 करने का निर्णय लिया है।

(घ) किसान काल सेन्टर (केसीसी) के स्थानों और कवर किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

21 जनवरी 04 से 31 अगस्त 08 तक राज्यवार काल के आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	सीधा	आई.वी.आर.	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	326	3903	4229
2.	आंध्र प्रदेश	58614	39867	98481
3.	अरुणाचल प्रदेश	1180	818	1998
4.	असम	24374	7486	31860
5.	बिहार	42384	24134	66518
6.	छत्तीसगढ़	20786	10470	31256
7.	दादरा एवं नगर हवेली	72	0	72
8.	दिल्ली	31157	26835	57992
9.	गोवा, दमन एवं दीव	658	2423	3081
10.	गुजरात	182168	36595	228763
11.	हरियाणा	73259	24901	98160
12.	हिमाचल प्रदेश	38445	13428	51873
13.	जम्मू-कश्मीर	45189	7857	53046
14.	झारखंड	16298	5789	22087
15.	कर्नाटक	83506	64444	147950
16.	केरल	105540	45924	148464
17.	लक्षद्वीप	24	217	241
18.	मध्य प्रदेश	187440	40109	227549
19.	महाराष्ट्र	138827	79853	218680
20.	मणिपुर	19092	3461	22553
21.	मेघालय	5154	382	5536
22.	मिजोरम	5641	684	6325
23.	नागालैंड	1088	237	1325
24.	उड़ीसा	36972	18168	55140
25.	पंजाब	129377	40214	169591
26.	राजस्थान	232719	46499	279218

1	2	3	4	5
27.	सिक्किम	414	230	644
28.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	122133	85099	207232
29.	त्रिपुरा	11915	3659	15574
30.	उत्तर प्रदेश	366601	59584	426182
31.	उत्तराखंड	38330	17125	55455
32.	पश्चिम बंगाल	75854	34293	110147
	योग	2105537	741685	2847222
	प्रतिशतता	73.95	26.05	100

विवरण-II

अगस्त, 2008 से किसान काल सेन्टर के स्थान

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	के सी सी के पते
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., हेल्पबेल्ल, फ्लैट न.-11, प्रथम तल, खान लतीफ खान इस्टेट, एल बी स्टेडियम रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., एच/ओ मिसेज हेज (रूबू) एबभ रूबू कन्सट्रक्शन, इटानगर-7901113
3.	असम, मणिपुर, नागालैंड	गोहाटी	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., 13 ग्रीन पथ, जी.एस. रोड उलुबानी बिहाइन्ड एस बी देवरहा कॉलेज, गुवाहाटी-781007
4.	बिहार	समस्तीपुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., डिजिटल कम्प्यूटर बाजार समिति रोड, मुक्तापुर, समस्तीपुर, बिहार
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., शोप न 0-5, गुरूनानक हाल के पीछे, श्याम नगर इनसाइड गुरूनानक द्वार, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
6.	दिल्ली	पीतमपुरा	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., सी-123, सातवां तल, पीपी टावर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
7.	गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	अहमदाबाद	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., यू एल-17/18/21 फैयरडील हाउस, अपोजिट जवियर्स लेडीज हॉस्टल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
8.	हरियाणा, पंजाब एवं चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., एस सी ओ 315-316, द्वितीय तल सेक्टर 35 बी चण्डीगढ़।

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., केबिन 202, पीसी चैम्बर, दी माल शिला हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., 91-ए, गांधी नगर जम्मू-180001
11.	झारखंड	रांची	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., प्रथम एवं द्वितीय तल, जय बाला जी भवन, लोह कोठी, रातू रोड, रांची, 834005
12.	कर्नाटक	बंगलौर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., तिरूपति बालाजी टावर, फ्लैट नं.-4 बिल्डिंग नं.-35/13, लंगफोर्ड रोड क्रास, बंगलौर-560025
13.	केरल एवं लक्षद्वीप	त्रिचुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., मिनर्वा एकेडमी, तृतीय तल, रोहिनी पलाजा मस्जिद रोड, कोलकता, त्रिचुर-680021
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., के/आफ मेसर्स बिज प्रोक्सी सोलुसन, तृतीय तल, समदरिया यात्री निवास, ओल्ड शीला टाकिज, सिविल लाइन, जबलपुर, मध्य प्रदेश
15.	महाराष्ट्र, गोवा	नागपुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., 115, गुप्ता सदन, सी.ए. रोड, नागपुर-440008.
16.	मेघालय	शिलांग	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., द्वितीय तल श्री एस. घोष का मकान, जेल रोड, शिलांग-793001
17.	मिजोरम	आइजोल	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., बी-5, रामिहरवेंज, बिशप रोड, आइजोल-796007
18.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., 34 जयदेव नगर, नागेश्वर टंगी एच बी कालोनी, लंविस रोड, भुवनेश्वर-751002
19.	राजस्थान	जयपुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., यू-5, कृष्णा अपार्टमेन्ट, सी-4, हाथी बाबू मार्ग बनी पार्क, जयपुर, जयपुर-302016, दूरभाष-09414223450
20.	सिक्किम	वेओरली	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., तृतीय तल, 5 वेज, वेओरली-737102
21.	तमिलनाडु, पांडिचेरी	कोयम्टूर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., अवाया इन्फोसिस्टमस, नं.-340 अबी कॉल टैक्सी बिल्डिंग, कर्नाटक बैंक के नजदीक, डी.बी. रोड, आर.एस.पुरम, कोयम्बटूर-641002
22.	त्रिपुरा	अगरतल्ला	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., बिपानी बिटान, दुर्गा चौमुहानी, त्रिपुरा वेस्ट, अगरतला-799002

1	2	3	4
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., 508-ए, साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क यू पी एस आई आई डी सी काम्पलेक्स, ए-1/4 लखनपुर, कानपुर-208024 उत्तर प्रदेश
24.	उत्तराखंड	देहरादून	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., के/ऑफ मैसर्स सानषीइनफोटीच 43/1 मजरी मती, राजेश्वरी नर्सरी के सामने, देहरादून-248002
25.	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	कोलकता	मैसर्स केयरटेल इन्फोटेक लि., 12ए, सी ए एम सी स्ट्रीट, द्वितीय तल यूनिट 2ए कोलकता-700017, दूरभाष-09830186544

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात में गिरावट

325. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश के कुल निर्यात में वस्त्र के हिस्से में भारी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश से वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के लिए वस्त्र निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 25.06 बिलियन अमरीकी डालर था जिसकी तुलना में निर्यात निष्पादन अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 22 बिलियन अमरीकी डालर का था। यद्यपि, निर्यात की उपलब्धियां वर्ष 2007-08 के निर्धारित लक्ष्य से कम थी फिर भी, 2006-07 के निर्यात निष्पादन की तुलना में इसमें 2.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण आंशिक रूप से वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय रुपए में 13% से अधिक की मजबूती हो सकती है जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण घाटा हुआ। इसके अलावा, इसमें इस तथ्य ने भी सहयोग किया कि विदेश स्थित कुछ प्रमुख बाजारों में वस्त्र और कपड़ा (टी एंड सी) उत्पादों के उठान में आम मंदी आ गई थी।

(ग) और (घ) देश के कुल निर्यात में वस्त्र का हिस्सा 2006-07 में 15.16% से आंशिक रूप से घटकर 2007-08 में 13.5% हो गया। देश से वस्त्र के निर्यात को बढ़ाने और देश के वस्त्र क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, सरकार ने समय-समय पर निम्नलिखित अनेक उपाय किए हैं:-

1. प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एंव निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और संदूषण में कमी करने में सफलता मिली है।

2. संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए योजना को और अधिक अनुकूल बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

3. वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान

करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

4. बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

5. कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क को कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) लगता है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

6. सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

7. सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

8. सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रोत्साहित किया जा सके।

9. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

10. सरकार ने वस्त्र निर्यातकों को बढ़ी हुई डीईपीबी एवं शुल्क वापसी दरों, घटी हुई ईसीजीसी प्रीमियम, ऋण दरों पर सहायता, विभिन्न सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले सेवा कर की वापसी आदि जैसी अनेक राहतें प्रदान की हैं।

11. वस्त्र उद्योग के लिए कुशल और अर्द्धकुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण देश में अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी) स्थापित किये गये हैं।

12. विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने के बदलते हुए व्यापार शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:-

- अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्किंग की फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के एक संस्थान की स्थापना ।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और बैंचमार्किंग के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

326. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस संबंध में राज्य स्तर पर कार्यान्वयन तंत्र तथा राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (आर के बी वाई) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध है। वर्तमान में स्कीम 23 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक आयोजित करके और विस्तार एवं प्रचार कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता का सृजन करके सरकार और कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रयास किए जाते हैं ताकि शेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को स्कीम में कवरेज के तहत लाया जा सके।

(ख) आर के बी वाई के कार्यान्वयन का निम्नलिखित कदम शामिल हैं:-

(i) स्कीम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एस एल सी सी आई) का गठन करें।

(ii) फसल मौसम के शुरू होने के पहले कार्यान्वयन राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्कीम के कार्यान्वयन को अधिसूचना करता है।

(iii) यह अधिसूचना बैंको सहित सभी संबंधित एजेन्सियों को परिचालित की जाती है।

(iv) जमीनी स्तर पर बैंक बीमा प्रस्तावों एवं प्रीमियम को एकत्र करतें हैं और भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि० (ए आई सी) को हस्तांतरित करते हैं।

(v) फसल मौसम के अंत में राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर ए आई सी दावों का हिसाब लगाती है और भुगतान योग्य दावों का निपटान करती है।

गत 17 फसल मौसमों के दौरान स्कीम का राज्य-वार निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रबी 1999-00 से रबी 2007-08 (13 अक्तूबर, 2008 तक) 17 मौसमों के लिए एन ए आई एस—व्यवसाय सांख्यिकी

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	कवर किए गए किसान	क्षेत्र (है. में)	बीमित राशि	प्रीमियम	राज-सहायता	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	भुगतान योग्य दावे	लाभान्वित किसान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	16773224	26044548.24	2499711.49	70281.10	8321.88	176075.65	174930.64	1145.01	3146809
2.	असम	104171	78943.93	10494.45	262.84	30.95	423.18	129.60	293.58	20033
3.	बिहार	2959932	3525512.44	448027.14	10077.69	1077.03	98268.59	51802.83	46465.76	1200101
4.	छत्तीसगढ़	4928071	10366867.53	325334.04	8425.57	548.63	17462.54	17459.11	3.43	992683
5.	गोवा	6271	10499.48	224.41	3.93	1.09	2.25	2.25	0.00	698
6.	गुजरात	8356618	19892232.39	1610180.95	68370.46	4192.74	256119.87	253729.85	2390.01	2827802
7.	हरियाणा	529467	601513.33	53359.63	1456.13	43.13	3111.81	1759.62	1352.19	112898
8.	हिमाचल प्रदेश	146300	104168.93	9066.51	196.62	35.92	596.09	596.09	0.00	70055
9.	जम्मू-कश्मीर	20769	28061.80	1680.78	32.85	2.31	10.22	10.21	0.00	1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	झारखंड	3003932	1442080.82	90648.38	2291.79	131.56	13307.18	13107.80	199.39	754715
11.	कर्नाटक	7835469	13416106.00	883017.70	28511.47	1797.08	125635.37	125564.42	70.96	3500635
12.	केरल	289827	245711.86	37865.50	794.09	153.83	2048.08	1507.31	540.77	59714
13.	मध्य प्रदेश	14472280	38483362.66	1395464.29	41754.52	1849.23	60530.06	51978.89	8551.17	2871799
14.	महाराष्ट्र	19051618	18834563.74	1080725.84	40043.48	4678.94	100777.68	100777.69	0.00	5532599
15.	मेघालय	15108	17743.19	1633.43	99.94	19.42	31.42	31.41	0.00	1357
16.	उड़ीसा	8334776	8565348.31	816427.45	20391.17	3153.56	45058.68	44671.37	387.31	1534928
17.	राजस्थान	9795170	21536767.40	978265.91	26692.71	487.73	84711.96	84301.86	410.50	2330063
18.	सिक्किम	1431	842.19	150.31	1.66	0.35	1.28	1.28	0.00	86
19.	तमिलनाडु	1565868	2492231.97	257579.13	5554.85	1083.99	43553.89	41943.56	1610.33	570407
20.	त्रिपुरा	11108	6586.95	1183.64	36.36	4.31	52.59	47.02	5.57	2803
21.	उत्तर प्रदेश	11076357	15530397.36	1160693.26	24017.29	2414.83	63540.08	53144.30	10395.78	2962422
22.	उत्तराखंड	38205	97787.19	13783.70	228.60	18.59	587.52	587.52	0.00	22499
23.	पश्चिम बंगाल	6131357	3137529.30	479599.72	12946.48	1976.90	42713.67	41826.46	887.21	1247782
24.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1026	1534.00	124.77	2.88	0.57	0.63	0.61	0.02	59
25.	पांडिचेरी	22937	33621.77	4674.73	88.72	13.47	177.79	149.79	28.00	4645
	कुल	115521292	184494562.78	12159927.18	362563.20	32038.01	1134798.07	1060061.08	74736.99	29768979

टिप्पण : रबी 2007-08 के दावे प्रक्रियाधीन है और विभिन्न राज्यों से जानकारी दी जा रही है।

कोसी नदी पर नियंत्रण

327. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

डा. शफीकुर्रहमान बर्क :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल सरकार से कोसी नदी में बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से जल संसाधन विशेषज्ञों की केन्द्रीय समिति से तकनीकी सिफारिश प्राप्त करने का अनुरोध किया है ताकि कोसी में कटाव को बंद किया जा सके और कोसी के बहाव को बदलने हेतु पायलट चैनल का निर्माण किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) समस्या के स्थायी समाधान हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 14-18 सितम्बर, 2008 तक नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान नेपाल सरकार के साथ इस मामले को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर उठाया है। भारत और नेपाल ने कोसी की बाढ़ द्वारा हुई प्रलय को देखते हुए वर्तमान में और साथ ही दीर्घावधि में जल संबंधी मुद्दों पर सहयोग के महत्व को माना। मामले पर बाद में हाल ही में 29 सितम्बर-1 अक्तूबर, 2008 तक काठमांडू (नेपाल) में आयोजित जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) की तीसरी बैठक में चर्चा की गई। जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति ने मुद्दों को पहचानने, वार्षिक कार्य योजनाओं को बनाने एवं अनुमोदित करने और उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वर्तमान "कोसी और गंडक परियोजनाओं संबंधी संयुक्त समिति" को वित्तीय एवं कार्यात्मक अधिकार देने का निर्णय लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार एवं नेपाल सरकार नेपाल में बराहक्षेत्र पर एक कोसी उच्च बांध बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जिसके लिए सप्त कोसी उच्च बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने एवं इसके अन्वेषण के लिए अगस्त, 2004 में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय (जेपीओ) स्थापित किया गया है। जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में संयुक्त परियोजना कार्यालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

आलू के मूल्य में गिरावट

328. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री संतोष गंगवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में आलू के दामों में भारी गिरावट आई है जिसके कारण किसानों को भारी घाटा हुआ है और उन्हें उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने और किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलना सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 तक आलू के मासिक थोक मूल्य सूचकांक में प्रवृत्ति दर्शाती है कि आलू के मूल्यों में जनवरी 2008 से जून 2008 तक गिरावट आयी तथा उसके बाद इसमें वृद्धि होनी जारी रही। यह नीचे दी गयी है।

जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 तक आलू के थोक मूल्य सूचकांक (1993-94=100)

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
आलू	246.7	216.6	226.1	214.9	214.1	211.3	231.0	231.7	241.5

आलू के मूल्य आलू उपलब्धता तथा मांग के अनुसार घटते-बढ़ते रहते हैं। मूल्य गिरने लगते हैं, जब नयी फसल बाजार में आती है। हिमाचल प्रदेश में आलू की उत्पादन लागत जो देश में उच्चतम है; वर्ष 2002-03 में 666.43 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर वर्ष 2005-06 में 483.40 रुपये प्रति क्विंटल रही।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र

329. श्री के.एस. राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित रक्षा खरीद नीति की मुख्य बातें क्या हैं और रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु क्षतिपूर्ति नीति में क्या परिवर्तन सुझाए/किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा रक्षा क्षतिपूर्ति हेतु पात्र निजी अद्योगों के पंजीकरण हेतु गठित समिति, यदि कोई हो, की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचान क्षतिपूर्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में डीआरडीओ हेतु नए लक्ष्य निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 का प्रख्यापन करते समय, यह परिकल्पना की गई थी कि अधिप्राप्ति की समीक्षा प्रत्येक दो वर्षों में की जाएगी। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव और जानकारी का परिणाम है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008, 01 सितम्बर, 2008 से प्रभावी हुई है। संशोधित प्रक्रिया का उद्देश्य, अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाकर उसे सुदृढ़ करना है।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भगीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 में अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति नीति सहित किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(i) प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को आत्मसात करने के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनी को शामिल करना।

(ii) एल-1 विक्रेता के सेनाओं की मांगें पूरी करने में असमर्थ रहने की स्थिति में मात्राओं का प्रभाजन।

(iii) क्षतिपूर्ति जमाओं की बैंकिंग।

(iv) उत्पाद के स्वदेशी अंश के 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में संयुक्त उद्यम कम्पनी को क्षतिपूर्ति की पेशकश से छूट दी गई है।

(v) रक्षा क्षतिपूर्ति के लिए पात्र बनने हेतु क्षतिपूर्ति कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निजी उद्योग हेतु औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा से छूट दे दी गई है। लाइसेंस की अब केवल तभी जरूरत होगी यदि ऐसा औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी रक्षा उद्योग के लिए दिशा-निर्देशों/लाइसेंस अपेक्षाओं के अंतर्गत अनुबंधित हो।

(vi) विदेशी विक्रेताओं की क्षतिपूर्ति दायित्वों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए रक्षा उत्परदों की सूची डी पी पी-2008 में जोड़ी गई है।

रक्षा क्षतिपूर्ति हेतु योग्य होने के लिए निजी उद्योगों के पंजीकरण के संबंध में सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है।

क्षतिपूर्ति नीति के संशोधित उपबंधों की दृष्टि से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। तथापि, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 की क्षतिपूर्ति नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षतिपूर्तियों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के साथ परामर्श हेतु प्रावधान है।

बीपीएल दरों पर खाद्यान्नों का निर्यात

330. श्री अमिताभ नन्दी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम बीपीएल दरों से भी कम दर पर खाद्यान्नों का निर्यात कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी आयातकों को खाद्य राजसहायता में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित विभिन्न श्रेणियों के खाद्यान्नों की मात्रा, दर और कीमत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को कम निर्यात मूल्य के कारण प्रति वर्ष-वार कितना घाटा उठाना पड़ा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के परियोजनार्थ गेहूं और चावल का कोई निर्यात/बिक्री नहीं की गई है।

[हिन्दी]

भू-जल का अंधाधुंध दोहन

331. श्री हंसराज ग. अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भू-जल के अंधाधुंन दोहन को रोकने के लिए भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके अंतर्गत साफ्ट ड्रिंक्स और बोतलबंद पानी के विनिर्माताओं पर अपने उत्पाद हेतु भू-जल का दोहन करने पर रोक लगाने हेतु कोई प्रावधान किया जा रहा है;

(घ) क्या सिंचाई और घरेलू प्रयोजनों के लिए भू-जल के प्रयोग करने हेतु कोई उपकर लगाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव ईंधन के उत्पादन हेतु खाद्यान्नों का प्रयोग

332. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शार्म-एल-शेख, मिश्र में हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न शिखर सम्मेलन, 2008 में जैव ईंधन के उत्पादन हेतु खाद्यान्न के बढ़ते प्रयोग पर चिंता प्रकट की है जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और गरीबों के लिए यह अवहनीय बन जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जैव ईंधनों के लिए खाद्यान्नों का किस हद तक प्रयोग किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि के धन का निवेश

333. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का पैसा स्टॉक/शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्षों के दौरान निवेश के लिए प्रस्तावित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे कितनी आय होने की संभावना है; और

(ग) ईपीएफ अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या पहल की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने निधि प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा लाकर अधिकतम आय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मदें

334. **श्री महावीर भगोरा :**
श्री अनन्त नायक :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से इस समय संवितरित की जा रही मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी उक्त मदों की प्रमात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उचित दर दुकानों के माध्यम से पहले ही से संवितरित की जा रही मदों से इतर अन्य वस्तुएं संवितरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) फिलहाल केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उचित दर दुकानों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए गेहूं, चावल, मोटे अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों के आधार पर पात्र गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। पिछले तीन वर्षों 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल के ब्यौरे सलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इतर वस्तुओं के वितरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पूर्व में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उचित दर दुकानों के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी करने के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर आयातित तेलों का आबंटन किया है।

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उचित दर दुकानों को व्यवहार्य बनाने के लिए उनके मालिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अतिरिक्त इतर वस्तुएं बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें संलग्न विवरण-IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं को उचित दर दुकानों के माध्यम से बेच रही हैं।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं का आवंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल का आबंटन			गेहूं का आबंटन		
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3819.444	3819.444	3819.445	153.672	81.152	65.379
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.466	92.054	92.121	9.78	11.59	11.427
3.	असम	1418.636	1460.52	1081.116	337.024	254.226	264.411
4.	बिहार	2267.745	2856.247	1886.328	2662.956	1132.097	881.703
5.	छत्तीसगढ़	1395.468	1479.678	773.92	437.964	120.65	51.496

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दिल्ली	342.524	350.16	238.368	825.772	486.296	509.813
7.	गोवा	93.479	91.226	22.568	40.777	11.532	9.614
8.	गुजरात	1284.479	1471.508	596.808	2379.933	824.374	533.227
9.	हरियाणा	249.545	366.365	69.72	1093.231	463.72	382.197
10.	हिमाचल प्रदेश	323.016	270.354	251.16	204.816	172.683	226.336
11.	जम्मू-कश्मीर	537.808	548.544	551.172	218.996	243.26	272.423
12.	झारखंड	761.668	847.078	714.381	460.124	348.394	343.355
13.	कर्नाटक	2701.908	2485.814	2335.429	617.175	367.874	311.602
14.	केरल	1902.3	1926.885	876.06	559.288	330.183	308.547
15.	मध्य प्रदेश	960.316	1142.37	443.768	3304.512	1614.274	1363.258
16.	महाराष्ट्र	2740.316	2943.486	1369.056	4704.868	2071.718	1511.627
17.	मणिपुर	86.84	99.472	96.635	20.264	11.588	11.022
18.	मेघालय	114.108	114.108	130.112	7.776	7.696	10.305
19.	मिजोरम	88.58	61.862	75.423	12.12	10.36	9.624
20.	नागालैंड	99.717	94.37	94.284	54.763	34.714	36.603
21.	उड़ीसा	2501.144	2379.948	1762.86	351.112	155.734	137.207
22.	पंजाब	327.936	515.914	39.372	1341.84	353.032	240.653
23.	राजस्थान	654.609	1023.19	215.28	3042.547	1335.72	1059.688
24.	सिक्किम	36.852	39.337	41.283	7.2	5.35	4.509
25.	तमिलनाडु	5710.356	5710.356	4753.809	120	95.58	94.072
26.	त्रिपुरा	255.192	273.798	237.96	47.94	26.96	25.251
27.	उत्तर प्रदेश	5593.124	6248.499	3020.884	5386.128	2080.878	1529.806
28.	उत्तराखंड	332.982	353.64	219.9	209.741	143.302	121.641

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	पश्चिम बंगाल	3158.441	4013.796	1397.976	2941.279	1603.714	1625.228
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	34.632	22.964	23.124	10.956	5.946	6.12
31.	चण्डीगढ़	23.08	25.816	3.42	62.072	9.39	0.708
32.	दादरा व नगर हवेली	10.827	11.774	10.668	3.033	1.596	1.144
33.	दमन व दीव	9.532	9.852	2.256	1.568	0.728	0.444
34.	लक्षद्वीप	3.672	3.721	4.537	0.228	0.433	0.3
35.	पांडिचेरी	47.112	83.112	63.552	1.2	2.05	2.25
	जोड़	39988.855	43237.262	27314.755	31632.658	14418.794	11962.990

विवरण-II

चीनी मौसम 2005-06 से 2007-08 तक लेवी चीनी के वर्षवार और राज्यवार आबंटन

(हजार टन में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	117.48	124.30	124.26
बिहार	7.48	77.54	84.6
चंडीगढ़	0.95	1.01	0.9
छत्तीसगढ़	26.84	42.95	54.12
दिल्ली	35.84	36.38	36.49
दादरा और नगर हवेली	0.60	0.60	0.60
गुजरात	73.08	75.40	75.35
(क) गोवा	1.59	1.59	1.58
(ख) दमन और दीव	0.14	0.53	0.6
हरियाणा	11.91	21.15	31.16
हिमाचल प्रदेश	55.88	56.01	56.74
झारखंड	0.16	0.15	0.12
कर्नाटक	69.00	82.71	109.64
केरल	50.48	49.35	52.92
महाराष्ट्र	106.55	148.70	171.89
मध्य प्रदेश	156.67	155.98	155.53
उड़ीसा	107.36	108.50	106.99
(क) पांडिचेरी	2.20	2.18	2.12
(ख) कराईकल	0.65	0.63	0.63

1	2	3	4
(ग) माहे	0.02	0.02	0.02
(घ) यमन	0.15	0.14	0.14
पंजाब	6.66	15.67	20.77
राजस्थान	24.00	55.37	97.05
तमिलनाडु	98.09	125.39	136.74
उत्तर प्रदेश	386.30	365.48	412.02
उत्तरांचल	73.03	72.81	73.28
पश्चिम बंगाल	176.01	178.45	169.62
भूटान	3.80	3.80	3.80
सिक्किम	3.95	4.34	4.68
भारतीय खाद्य निगम	428.01	422.57	427.57
जोड़	2024.8	2229.69	2411.93

विवरण-III

2005-06, 2006-07 और 2007-08 (प्रथम तीन तिमाही) में राज्यवार राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का आबंटन

(मीटरी टन)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2008-09 (प्रथम तीन तिमाही)	2007-08	2006-07	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4362	5816	5816	5816
2.	आंध्र प्रदेश	387868	517158	517158	517158
3.	अरुणाचल प्रदेश	6942	9257	9257	9257
4.	असम	193505	258007	258007	258007
5.	बिहार	485572	647430	647430	647430
6.	चण्डीगढ़	8166	13067	13067	13067
7.	छत्तीसगढ़	110203	146938	146938	146938
8.	दादरा व नगर हवेली	2086	2782	2782	2782
9.	दमन व दीव	1588	2118	2118	2118
10.	दिल्ली	126363	168484	168484	168484
11.	गोवा	14409	19212	19212	19212
12.	गुजरात	557819	743759	743759	743759
13.	हरियाणा	109214	145619	145619	145619
14.	हिमाचल प्रदेश	37902	50537	50537	50537
15.	जम्मू-कश्मीर	50711	76044	76044	76044
16.	झारखंड	158381	211175	211175	211175
17.	कर्नाटक	346108	461478	461478	461478
18.	केरल	162231	216308	216308	216308
19.	लक्षद्वीप	795	795	795	795
20.	मध्य प्रदेश	366456	488609	488609	488609
21.	महाराष्ट्र	957657	1276876	1276876	1276876
22.	मणिपुर	14930	19907	19907	19907
23.	मेघालय	15300	20401	20401	20401
24.	मिजोरम	4662	6217	6217	6217
25.	नागालैंड	9984	13312	13312	13312
26.	उड़ीसा	236232	314977	314977	314977

1	2	3	4	5	6
27.	पांडिचेरी	9192	12257	12257	12257
28.	पंजाब	177894	237192	237192	237192
29.	राजस्थान	299184	398913	398913	398913
30.	सिक्किम	4186	5582	5582	5582
31.	तमिलनाडु	419196	558929	558929	55892
32.	त्रिपुरा	23124	30832	30832	30832
33.	उत्तर प्रदेश	931329	1241772	1241772	1241772
34.	उत्तराखंड	67386	89849	89849	89849
35.	पश्चिम बंगाल	564077	752103	752103	752103
	कुल आबंटन	6865014	9163712	9163712	9163712

विवरण-IV

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए वितरित किए जा रहे गेहूं, चावल, मोटे अनाज, चीनी और मिट्टी के तेल से इतर वस्तुओं को दर्शाने वाला विवरण (संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित)

(30.9.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वस्तु/जिन्स का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	पुष्ट गेहूं का आटा, आयोडीन युक्त नमक, मलका दाल, हल्दी, पी ऑयल उड़द दाल, मूंग दाल, पामोलिन तेल
2.	अरुणाचल प्रदेश	खाद्य तेल, दालें, वनस्पति घी, दूध का पाउडर, बेबी फूड, शुष्क सैल, माचिस, सभी प्रकार के साबुन, अखबार के कागज, पेपर बोअर और स्ट्रा बोअर सहित कागज, हरीकेन लालटेन, लीड लिखने की पैंसिल, अभ्यास पुस्तिका, मक्खन, चाय पत्ती, धगा
3.	असम	1. राज्य जोनल कोटे के अधीन आयोडीनयुक्त नमक
4.	बिहार	उचित दर दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से इतर कोई वस्तु नहीं बेची जाती
5.	छत्तीसगढ़	आयोडीनयुक्त अमृत नमक
6.	दिल्ली	राजसहायताप्राप्त दरों पर उचित दर दुकानों के जरिए कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं बेची जाती
7.	गोवा	तालुक मोरमुगाव, गोवा चीनी (खुला बाजार), तूर दाल, मसूर दाल, वरताना, हारबर, चना दाल, गुड़, रवा, आंटा, मैदा तालुक सनगुइम, गोवा प्याज, आलू, ब्रांडयुक्त पैकेटों में चाय पाउडर, आयोडीनयुक्त नमक, पामोलीन तेल, वनस्पति घी के पैकेट, चीनी, रवा, मैदा, आटा, तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल आदि
8.	गुजरात	आयोडीनयुक्त नमक, खाद्य तेल
9.	हरियाणा	राज्य सरकार ने सभी जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से इतर वस्तुएं अर्थात् दालें, कापियां, वनस्पति तेल, मोमबत्ती, माचिस, नमक और साबुन उचित दर दुकानों के जरिए बेचे जाएं और इस संबंध में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	दाल मलका, दाल चना, उड़द साबुत, सरसों तेल, रिफाइन्ड तेल, आयोडीनयुक्त नमक
11.	जम्मू-कश्मीर	उचित दर दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से इतर वस्तुएं नहीं बेची जातीं।
12.	झारखंड	आयोडीनयुक्त नमक
13.	कर्नाटक	1. सुरूचि आयोडीनयुक्त ब्रांड का नमक, जो क्रिस्टल (साधारण) और फ्री फ्लो है। 2. कंडोम
14.	केरल	मूंग, धुली उड़द दाल, उड़द दाल छिल्का, बीजी बोल्ड, लोभिया, तूर दाल, मटर, मिर्च, धनिया, जीरा, सरसों, मैथी, सबारी चाय, सबारी पाम तेल एक लिटर, फ्री फ्लो नमक एक किलोग्राम, क्रिस्टल नमक एक किलोग्राम
15.	मध्य प्रदेश	उचित दर दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से इतर वस्तुएं नहीं बेची जातीं।
16.	महाराष्ट्र	सूचना नहीं
17.	मणिपुर	सूचना नहीं
18.	मेघालय	सूचना नहीं
19.	मिजोरम	शून्य
20.	नागालैंड	सूचना नहीं
21.	उड़ीसा	सरकार ने उचित दर दुकानों के मालिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुएं बेचने की अनुमति दी है। उचित दर दुकानों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथ चलाने की अनुमति दी गई है।
22.	पंजाब	सूचना नहीं
23.	राजस्थान	आयोडीनयुक्त नमक
24.	सिक्किम	राज्य में उचित दर दुकानों को सभी उपभोक्ता वस्तुएं बेचने की अनुमति है तथापि, उनके द्वारा बेची गई अतिरिक्त वस्तुओं/जिन्सों के लिए कोई राजसहायता प्रदान नहीं की जाती है।
25.	तमिलनाडु	तूर दाल, उड़द दाल, पाम तेल, रवा, मैदा
26.	त्रिपुरा	आटा (गेहूं से होल मील आटा बनाया जाता है), आयोडीनयुक्त नमक, एक किलोग्राम की पोली पैकेट.
27.	उत्तर प्रदेश	सूचना नहीं
28.	उत्तरांचल	साबुन, टूथपेस्ट, तेल, दालें, आयोडीनयुक्त नमक, चायपत्ती, ओ.आर.एस. टेबलेट, कंडोम और सफाई नैपकीन
29.	पश्चिम बंगाल	सरसों तेल, आयोडीनयुक्त नमक
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	उचित दर दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से इतर वस्तुएं नहीं बेची जातीं।
31.	चण्डीगढ़	किराना व्यापारियों को उचित दर दुकानें दी जाती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के अलावा टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, चायपत्ती, नमक, माचिस आदि जैसी दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं भी बेच रहे हैं।

1	2	3
32.	दादरा व नगर हवेली	उचित दर दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से इतर वस्तुएं नहीं बेची जातीं।
33.	दमन व दीव	सूचना नहीं
34.	लक्षद्वीप	सूचना नहीं
35.	पांडिचेरी	तूर दाल, काला चना दाल, धनिया, मिर्च, आयोडीनयुक्त नमक, हल्दी, पाम तेल

[अनुवाद]

सीमापार से घुसपैठ में बढ़ोतरी

335. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह: माह के दौरान सीमा-पार से घुसपैठ की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि में कितने घुसपैठिये मारे गए और कितने गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी शस्त्रों से लैस आतंकवादियों ने मोर्चा जमा लिया है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सीमापार से घुसपैठ रोकने के संबंध में समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्वयन स्थिति सहित सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर में अप्रैल-सितम्बर 2007 की अवधि के दौरान 419 घुसपैठियों के मुकाबले अप्रैल-सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान में 243 घुसपैठिये घुसे थे।

(ग) अप्रैल-सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर में 193 आतंकवादी मारे गए हैं तथा 157 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जम्मू-कश्मीर में सेना की घुसपैठ रोकने की रणनीति में बहु-स्तरीय प्रबंधन की परिकल्पना की गई है जिसमें सैनिक तैनाती का अग्रणी स्तर, अत्याधुनिक निगरानी यंत्रों की तैनाती, नियंत्रण रेखा बाड़ तथा बाड़ के साथ-साथ द्वितीय स्तर की तैनाती शामिल है। राज्य सरकार तथा स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का निकट समन्वय विद्यमान रहता है तथा संक्रियात्मक और आसूचना दोनों कार्यों के लिए समस्त एजेंसियों के जरिये उच्च दर्जे की सहकार्यशीलता हासिल की गई है। पिछले कई वर्षों से आतंवादियों के घुसपैठ स्तर को कम करने में इस रणनीति की कारगरता सुस्थापित रही है। घुसपैठ की प्रवृत्तियों की विभिन्न स्तरों पर मानीटरी की जा रही है तथा घुसपैठ को कम से कम करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जाती है।

[हिन्दी]

जटरोफा का उत्पादन

336. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड (एनओवीओडी) ने बायो डीजल के प्रमुख स्रोत के रूप में जटरोफा का उत्पादन करने के लिए उसे नेटवर्क में शामिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बोर्ड द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त बोर्ड ने अब तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोबोड) बोर्ड, तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम 1983 के प्रावधानों के संदर्भ में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में गठित एक वैधानिक निकाय है। नोबोर्ड बोर्ड को जटरोफा सहित वृक्षीय तिलहनों के समेकित विकास (टी बी ओ) की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड अपने विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों जैसे सर्वोत्कृष्ट पौधरोपण साम्रगी और माडल पौधेरौपण, अनुसंधान और विकास, जागरूकता आदि के माध्यम से देश में जटरोफा को प्रोत्साहित कर रहा है। बोर्ड ने देश के 22 संभावित राज्यों में लगभग 11761 हैक्टेयर क्षेत्र में जटरोफा नर्सरी लगाने और माडल पौधरोपण का कार्य शुरू किया है। ये पौधरोपण भविष्य में बायो-डीजल उत्पादन के लिए जटरोफा के बड़े स्तर पर पौधरोपण करने के लिए मूल सामग्री उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा देश में विभिन्न अनुसंधान योग्य मुद्दों के समाधान के लिए 60 से अधिक अनुसंधान और विकास संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एक "टी बी ओ-जटरोफा के समेकित विकास पर राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क" भी कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 2399 उत्कृष्ट पौधारोपण सामग्री (कॅंडिडेट प्लस ट्रीज-सी पी टी) को चिन्हित किया गया है और 505 जर्म प्लास्म लाइन्स हिम परिरक्षित की गई है। कुल 1345 बीज नमूनों को तेल मात्रा और वसा अम्ल संरचना के लिए विश्लेषित किया गया है। पैकेज और पद्धतियों के मानकीकरण, व्यापक स्तर पर बहुलीकरण, जेनोटाइप/वैरायटल इवैल्युएशन ट्रायल्य, हाइब्रिडाइजेशन आदि में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है।

भूजल पुनर्भरण योजना

337. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा देश के कुछ क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना में शामिल किए गए क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा इन पर कितना व्यय हुआ है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में "डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम के लिए 1798.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। लाभग्राही किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 1499.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मल्टीपल वॉयस मोबाइल्स

338. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय बाजारों में इस प्रकार के कुछ चीनी मोबाइल बेचे जा रहे हैं जिनमें एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आठ अलग-अलग आवाज में बात कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस प्रकार के मोबाइलों की तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) आयात निर्यात नीति में शून्य प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क आधार पर मोबाइल हैंडसेटों का आयात करने की स्वतंत्र अनुमति है और इन मोबाइल हैंडसेटों में कतिपय मूल्यवर्धित विशेषताएं हो सकती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव का प्रयाण

339. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव के लिए रूस को अतिरिक्त लागत का भुगतान करने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते के समय एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या कीमत तय की गई थी और अब सरकार किस कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हो गई है; और

(घ) अतिरिक्त लागत का भुगतान करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विमान वाहक के अधिग्रहण हेतु 974 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर जनवरी 2004 में मरम्मत और पुनर्सज्जा, संभारिकी सहायता, प्रशिक्षण आदि से संबंधित संविदाएं तथा अनुपूरक करार किए गए थे। रूसी पक्ष ने एक संशोधित मास्टर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसमें परियोजना में विलम्ब तथा कार्य क्षेत्र में ऐसी वृद्धि जिनकी मूलरूप से परिकल्पना नहीं की गई थी, के कारण विमान वाहक की मरम्मत तथा पुनर्सज्जा हेतु मूल्य में वृद्धि का उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

कृषकों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देना

340. श्री नरहरि महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने का कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त से जुड़ी सार्वजनिक एजेन्सियों, उन्हें आबंटित और उनके द्वारा खर्च किए गए अनुदानों का वर्ष-वार, श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि संबंधी आगतों के ऐसे डीलरों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने का है जिनका स्वार्थ अत्यधिक रसायन कीटनाशकों, ट्रांसजेनिक बीजों आदि को प्रोत्साहन देने में निहित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) मई, 2005 में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" का उद्देश्य जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रचार के लिए एक नए सांस्थानिक प्रबंध के प्रोत्साहन द्वारा राज्य सरकारों को अपनी विस्तार प्रणाली का पुनरुद्धार करने के प्रयत्नों को समर्थन देना है। जिला स्तर पर एटीएमएएस/एटीएमए जैसे निकायों द्वारा कृषि ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में 562 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीकेएस) का एक नेटवर्क स्थापित किया है जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी निर्धारण, परिष्करण एवं प्रौद्योगिकी/उत्पादों का प्रदर्शन है। केवीके कृषि विश्वविद्यालयों (एयू), आईसीएआर संस्थानों, गैर-सरकार सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, मान्य विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थानों के अधीन स्वीकृत किए जाते हैं।

डीएसी की किसान कॉल सेंटर स्कीम के अंतर्गत जनवरी, 2004 से किसान कॉल सेन्टर किसानों को एक राष्ट्रव्यापी टोल फ्री नं. 1551 करके डॉयल करने के द्वारा कृषि एवं संबंधित विषयों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। किसान कॉल सेंटर स्कीम से संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं में टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेन्टस् इण्डिया लि. एवं भारत संचार निगम लि. शामिल हैं।

एटीएमए स्कीम के अंतर्गत राज्यवार एवं वर्षवार जारी निधि एवं व्यय का ब्यौरा विवरण-I में, केवीकेएस को जारी राज्यवार एवं वर्षवार निधि का ब्यौरा विवरण-II में एवं केसीसी स्कीम के अंतर्गत जारी वर्षवार निधि का ब्यौरा विवरण-III में है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विक्रेताओं को कीटनाशकों के लिए लाइसेंस दिया जाता है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण कीटनाशकों के नमूनों को लेने के द्वारा निरीक्षण के लिए समुचित साधन उपलब्ध कराता है। सरकारों ने देश में समग्र फसल उत्पाद कार्यक्रमों में समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) को आधारभूत सिद्धांत एवं पौध सुरक्षा रणनीति के मुख्य आधार के रूप में अपनाया है।

भारत सरकार ने आईपीएम कार्यक्रमों की परिधि के अंतर्गत 28 राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश में 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों के अधिदेश में कीट/रोग मानीटरिंग/जैव नियंत्रण कारकों/जैव कीटनाशकों का उत्पादन एवं निर्मुक्ति, जैव नियंत्रण कारकों का परिरक्षण तथा प्रशिक्षण द्वारा आईपीएम में मानव संसाधन विकास करना है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के लिए विस्तार सुधार स्कीम के तहत निर्मुक्त और व्यय की गई निधि का ब्यौरा (2005-06 से आगे)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्ति 2005-06	व्यय 2005-06	1.04.06 को अ.ब.	निर्मुक्ति 2006-07	कालम 5 व 6 का योग	व्यय 2006-07	1.04.07 को अ.ब.	निर्मुक्ति 2007-08	व्यय 2007-08	1.04.08 को अ.ब.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	223.00	142.12	80.88	467.00	547.88	378.18	169.70	2470.64	985.25	1655.09
2.	बिहार	176.00	47.47	128.53	239.10	367.63	181.03	186.60	1463.00	1241.96	407.64
3.	छत्तीसगढ़	125.00	102.44	22.56	110.00	132.56	131.16	1.40	422.24	233.90	189.74
4.	गोवा	27.00	3.86	23.14	0.00	23.14	11.40	11.74	18.76	0	30.50
5.	गुजरात	116.00	14.67	101.33	194.00	295.33	32.75	223.96	311.21	224.00	311.17
6.	हरियाणा	123.00	13.90	109.10	116.00	255.10	105.76	119.84	285.84	172.11	233.57
7.	हिमाचल प्रदेश	122.00	122.00	0.00	183.00	183.00	218.05	-35.05	372.75	337.70	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	3.98	100.02		72.56	27.46
9.	झारखंड	163.00	117.00	46.00	157.00	203.00	147.91	55.09	557.73	158.22	454.60
10.	कर्नाटक	180.00	0.00	180.00	155.00	355.00	93.34	241.66	339.00	192.71	387.95
11.	केरल	80.00	0.00	80.00	117.00	197.00	0.00	197.00	125.00	24.56	297.44
12.	महाराष्ट्र	231.00	9.19	221.81	383.00	604.81	489.23	115.58	1283.14	965.96	432.76
13.	मध्य प्रदेश	200.00	27.57	172.43	294.00	466.43	85.99	380.44	612.23	505.55	487.12
14.	उड़ीसा	255.00	245.63	9.37	419.00	428.37	258.37	170.00	1233.16	1033.89	369.27
15.	पंजाब	159.00	30.08	128.92	133.00	261.92	100.55	161.37	427.60	306.64	282.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	राजस्थान	231.00	70.50	160.50	242.00	402.50	181.73	220.77	1152.97	879.67	494.07
17.	तमिलनाडु	128.00	0.00	128.00	263.00	391.00	124.78	266.22	679.14	405.45	539.91
18.	उत्तर प्रदेश	547.00	4.42	542.58	601.00	1143.58	488.05	655.53	2135.03	1731.63	1058.93
19.	उत्तराखंड	149.00	14.72	134.28	182.00	316.28	90.56	255.72	262.25	156.93	331.04
20.	पश्चिम बंगाल	92.00	42.99	49.01	193.00	242.01	235.11	6.90	635.10	547.86	94.14
21.	असम	160.00	17.52	142.38	0.00	142.38	141.38	1.00	0.00	0.00	1.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	73.00	25.00	48.00	126.00	174.00	57.59	116.41	142.25	171.09	87.57
23.	मणिपुर	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.58	53.32	40.26
24.	नागालैंड	61.00	61.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	मेघालय	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	मिजोरम	49.50	34.00	15.50	118.60	134.10	33.60	100.50	46.55	136.75	10.30
27.	त्रिपुरा	22.00	2.56	19.44	0.00	19.44	17.83	1.61	94.66	1.61	94.66
28.	सिक्किम	39.00	7.95	31.05	65.00	96.05	64.79	31.26	83.09	47.42	66.93
29.	दिल्ली	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	1.84	14.16
30.	पांडिचेरी	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	20.75	0.00	36.75
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.00	0.00	0.00	18.00	18.00	2.85	15.15	11.88	15.29	11.74
32.	लक्षद्वीप	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन एवं दीव	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	मैनेज	366.56	40.44	326.12	0.00	326.12	316.98	9.14	300.00	165.97	143.17
36.	डीओई	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.21	1.21	0.00
	कुल	4390.06	1270.13	3036.93	4826.70	7863.63	4043.45	3781.56	15580.76	10771.05	8591.27

टिप्पण: केन्द्र शासित प्रदेशों (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव) के पास 31.3.06 तक पड़ा अनुपयोगित शेष स्वतः समाप्त हो गया।

विवरण-II

केवीके को राज्यवार एवं वर्षवार निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	वर्ष			योग
		2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45.90	41.35	39.00	126.25
2.	आंध्र प्रदेश	1002.39	888.04	917.66	2808.09
3.	अरुणाचल प्रदेश	76.58	150.05	324.00	550.63
4.	असम	424.66	898.20	1048.45	2371.31
5.	बिहार	1084.29	1257.04	1411.63	3752.96
6.	छत्तीसगढ़	424.79	382.89	436.34	1244.02
7.	दिल्ली	25.85	37.10	39.00	101.95
8.	गोवा	75.44	52.10	72.75	200.29
9.	गुजरात	796.70	1080.35	1519.37	3396.42
10.	हरियाणा	799.54	761.47	769.23	2330.24
11.	हिमाचल प्रदेश	728.62	697.65	761.03	2187.30
12.	जम्मू-कश्मीर	787.69	629.95	659.07	2076.71
13.	झारखंड	856.93	1704.33	1235.46	3796.72
14.	कर्नाटक	976.34	1220.61	1262.23	3459.18
15.	केरल	687.55	483.51	588.48	1759.54
16.	लक्षद्वीप	33.90	22.35	20.75	77.00
17.	मध्य प्रदेश	1838.10	1628.27	2060.60	5526.97
18.	महाराष्ट्र	1411.75	1442.63	1204.45	4058.83
19.	मणिपुर	312.50	334.60	391.48	1038.58
20.	मेघालय	110.02	85.35	155.75	351.10
21.	मिजोरम	445.02	641.09	267.10	1353.21
22.	नागालैण्ड	161.70	334.15	510.32	1006.17
23.	उड़ीसा	994.35	1292.77	1262.88	3550.00
24.	पांडिचेरी	90.77	77.75	75.95	244.47
25.	पंजाब	774.72	692.15	783.43	2250.30
26.	राजस्थान	1678.72	1498.74	1401.04	4578.50
27.	सिक्किम	59.20	43.85	135.00	238.05
28.	तमिलनाडु	1400.02	1538.75	1264.99	4203.76
29.	त्रिपुरा	103.70	67.60	110.90	282.20
30.	उत्तर प्रदेश	4075.54	3417.00	3308.10	10800.64
31.	उत्तराखंड	1315.65	821.76	1021.91	3159.32
32.	पश्चिम बंगाल	706.97	1238.34	1042.01	2987.32
	योग	24305.88	25461.79	26100.36	75868.03

विवरण-III

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक किसान कॉल केन्द्र स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्मुक्त राशि
1	2	3
1.	2005-06	358.13

1	2	3
2.	2006-07	484.69
3.	2007-08	407.36

[हिन्दी]

रोजगार सृजन हेतु आईएलओ सहायता

341. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 तक सभी को रोजगार मुहैया कराने के निर्धारित लक्ष्य के मद्देनजर देश में रोजगार अवसर पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोजगार सृजन में वार्षिक वृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) देश में रोजगार अवसरों को सृजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) से सहायता मांगने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, आई एल ओ के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार नीति को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त नीति निर्माण में रोजगार सृजन को मुख्य धारा में लाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक व्यापक तथा सघन विकास पर आधारित एक नवीन संकल्पना के लिए नीतियों के पुनर्निर्माण के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना तथा न केवल रोजगार वृद्धि को तेज करने, बल्कि कम मजदूरी पाने वालों की मजदूरी बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां भी तैयार करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं योजना के दस्तावेज में यह आकलन किया जाता है कि चालू दैनिक स्थिति पर 58 मिलियन रोजगार अवसरों के 11वीं योजनावधि में सृजित किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विभिन्न विशेष रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार है: स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), 2005।

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में प्रगति

342. श्री सुभाष महरिया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की चालू प्रमुख ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को धनराशि आबंटित करने में कितने प्रतिशत प्रगति हुई है;

(ग) क्या राजस्थान सहित कई राज्यों ने उक्त परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएं हैं— राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) योजना, सामान्य सेवा केन्द्र योजना (सीएससी), राज्य आंकड़ा केन्द्र (एसडीसी) योजना, क्षमता निर्माण (सीबी) योजना तथा ई-जिला योजना। राज्य सरकारें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के कुल पर्यवेक्षण के अंतर्गत इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। ये योजनाएं राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन योजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-I में देखी जा सकती है तथा इनकी विस्तृत स्थिति सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट www.mit.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ई-शासन शीर्ष के अंतर्गत कुल आबंटन और धनराशि का इस्तेमाल संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) कई राज्यों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राजस्थान सहित सभी राज्यों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत स्थिति सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट www.mit.gov.in पर उपलब्ध है।

विवरण-I

एनईजीपी की स्थिति (30 सितम्बर, 08 के अनुसार)

(राशि-करोड़ रुपए)

I. सीएससी योजना

स्वीकृत कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल सीएससी की संख्या	स्वीकृत की गई कुल राशि	जारी की गई कुल राशि (सू.प्रौ.वि. का अंश)	स्थापित किए गए सीएससी की संख्या
27	108363	1603.08	198.08	17,775

II. स्वान योजना

स्वीकृत कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत की गई कुल राशि	जारी की गई कुल राशि (सू.प्रौ.वि. का अंश)	टिप्पणी
33	2721.9	478.17	स्वान पांच राज्यों में चालू है; अन्य राज्यों में योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

III. एसडीसी योजना

स्वीकृत कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत की गई कुल राशि	जारी की गई कुल राशि (सू.प्रौ.वि. का अंश)	टिप्पणी
23	1076.66	84.06	योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

IV. क्षमता निर्माण योजना

स्वीकृत कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत की गई कुल राशि	जारी की गई कुल राशि (सू.प्रौ.वि. का अंश)	टिप्पणी
35	62.9	52.13	योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

V ई-जिला योजना

स्वीकृत कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल जिलों की संख्या जहां प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं	स्वीकृत की गई कुल राशि	जारी की गई कुल राशि (सू.प्रौ.वि. का अंश)	टिप्पणी
14	35	108.65	50.71	योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण-II

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 तक ई-शासन के लिए आबटंन और व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2005-06	300.00	299.87
2006-07	425.45	433.84
2007-08	552.40	547.82
2008.09•	800.00	45.52 (30.9.08 के अनुसार)

[अनुवाद]

बोतलबंद पानी की गुणवत्ता नियंत्रण

343. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बोतलबंद/मिनरल पानी के उत्पादन में लगी कंपनियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) देश में मिनरल पानी का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानक तय किए गए हैं;

(ग) क्या बोतलबंद/मिनरल पानी की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किसी विनायम की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त मानकों का उल्लंघन करने पर कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) आई एस 14543 : 2004 के अनुसार आई एस आई चिह्नांकित पैकबंद पेयजल और आई एस 13428 : 2005 के अनुसार पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों (लाइसेंसों) की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के उत्पादन के लिए मानदण्ड भारतीय मानक आई एस 13428 : 2005 में निहित हैं। ये मानदण्ड कीटनाशक अवशिष्टों सहित भौतिक, रसायनिक और विषैले की सह्य सीमाओं से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल और पैकबंद पेयजल को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमशः सा.का.नि. 759 (अ) तथा सा.का.नि. 760 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 2000 के द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया था। इसमे यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति बोतलबंद/खनिज जल का विनिर्माण, बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शन केवल भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न के तहत ही करेगा अन्यथा नहीं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के किसी प्रकार के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी तरफ से एक सुपरिभाषित प्रमाणन, स्कीम, जिसमें लाइसेंसधारियों के परिसरों की निगरानी की जाती है, उत्पाद की अनुरूपता की जांच करने के लिए फैक्टरी और बाजार से नमूने लिए जाते हैं, के जरिए अपने लाइसेंसधारियों द्वारा विनिर्मित पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल और पैकबंद पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त मानदण्डों के उल्लंघन के लिए जिन कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनकी सख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

राज्य	लाइसेंसों की संख्या	
	पैकेजबंद पेयजल	पैकेजबंद प्राकृतिक खनिज जल
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	–
आंध्र प्रदेश	456	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	20	–

1	2	3
बिहार	17	–
चण्डीगढ़	–	–
छतीसगढ़	25	–
दादरा और नगर हवेली	03	–
दमन और दीव	04	–
दिल्ली	52	–
गोवा	12	–
गुजरात	178	01
हरियाणा	47	–
हिमाचल प्रदेश	06	08
झारखंड	16	–
जम्मू-कश्मीर	10	–
कर्नाटक	140	–
केरल	38	–
लक्षद्वीप	–	–
मध्य प्रदेश	50	–
महाराष्ट्र	197	–
मणिपुर	04	–
मेघालय	02	–
मिजोरम	–	–
नागालैण्ड	01	–
उड़ीसा	27	–
पांडिचेरी	02	–
पंजाब	22	–
राजस्थान	35	–
सिक्किम	01	–
तमिलनाडु	439	–
त्रिपुरा	02	–
उत्तर प्रदेश	78	01
उत्तराखंड	12	02
पश्चिम बंगाल	50	–
योग	1948	12
कुल योग	1960	

विवरण-II

उत्पाद	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल, 2008 से 14 अक्तूबर, 2008 तक
पैकेजबंद पेयजल	253	158	384	184
पैकेजबंद प्राकृतिक खनिज जल	04	01	03	–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों का आयात

344. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान और अधिक खाद्यान्नों का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आयात के लिए खाद्यान्नों की प्रस्तावित मात्रा सहित उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे उक्त खाद्यान्नों का आयात करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का संवितरण

345. श्री गणेश सिंह :
श्री तथागत सत्पथी :
श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरोसिन सहित खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की मांग, आबंटन तथा उठान का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात तथा उड़ीसा सहित कई राज्यों को उनकी मांग तथा आबंटन मानकों से भी कम आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जिंसवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्न:

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर नहीं होता है बल्कि आबंटन के स्वीकृत मानदंडों के आधार पर होता है। इस प्रकार अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्नों का आबंटन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अथवा प्रत्येक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहचान किए गए परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। तथापि, गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

इसके अलावा, केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टाक में गिरावट होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय पूल के स्टाक से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के आबंटनों को युक्तिसंगत बनाया जाए जिसे पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए उठान के आंकड़ों के साथ संबद्ध करके क्रमशः जून, 2006 और अप्रैल, 2007 से क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों से मांग की तुलना में चावल की कम खरीदारी को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए 2008-09 हेतु चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए औसत उठान के आधार पर किया गया है। यह निर्णय जम्मू व कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और असम के सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर गुजरात और उड़ीसा राज्य सहित सभी राज्यों के लिए एक समान रूप से लागू किया गया है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए आबंटन गुजरात और उड़ीसा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बिना किसी प्रकार की कमी किए पात्रता के अनुसार बनाए रखा गया है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए सरकार ने निम्नलिखित आबंटन किए हैं:-

(i) सितम्बर 2006 से मार्च, 2008 तक की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए 17.65 लाख टन गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया है। 2007

के दौरान त्यौहारों के लिए 1.22 लाख टन गेहूं और 0.15 लाख टन चावल का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया था।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के प्रति विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2008 तक) के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन 9,52,500 टन गेहूं और 1,18,000 टन चावल का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

(iii) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए त्यौहार मौसम 2008 हेतु गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर 36000 टन चावल और 1,92,000 टन गेहूं का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन जारी किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आबंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे सलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

चीनी: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्धारित कोटे के आधार पर आबंटन किया जाता है। चूंकि लेवी दायित्व को कम करके 1.2.2001 से घरेलू उत्पादन के 10% पर कर दिया गया है इसलिए लेवी आबंटन के लिए चीनी की उपलब्धता घरेलू उत्पादन के स्तर पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। इस प्रकार कम उत्पादन के वर्षों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित लेवी कोटे के अनुसार लेवी चीनी की आपूर्ति करना संभव नहीं होता है।

जहां तक गुजरात और उड़ीसा का संबंध है, उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे के आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है।

पिछले तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए लेवी चीनी आबंटन के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक उठान के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मिट्टी का तेल: भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उसका वितरण किया जा सके। इसके अलावा, यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वे अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर इसका वितरण करें। प्रति कार्डधारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मिट्टी के तेल के वितरण का मापदंड प्रत्येक राज्य का अलग-अलग होता है और इसका निर्णय राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लिया जाता है।

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन खाना पकाने और प्रदीपन के लिए पूर्वकाल के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार 2001-02 से 2003-04 तक प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए केरोसीन का आबंटन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया गया था। हालांकि वर्ष 2004-05 के लिए प्रारंभिक आबंटन अब तक अपनाए गए मानदंड पर आधारित था, फिर भी तात्कालिक आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त आबंटन किए गए थे। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक आबंटन को वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आबंटन सहित, वर्ष 2004-05 के स्तर पर बनाए रखा गया है। वर्ष 2008-09 की पहली, दूसरी और तीसरी तीमाही के लिए आबंटन को भी 2005-06 के स्तर पर बनाए रखा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित मिट्टी के तेल और उसके उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-V और VI में दिया गए हैं।

मिट्टी के तेल के आबंटन को बढ़ाए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिसम्बर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के माध्यम से, देश में मिट्टी के तेल की मांग का व्यापक अध्ययन करवाया। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की आपूर्ति केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक ही सीमित रखने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, दीर्घकालीन मूल्य नीति बनाए जाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया था ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने/तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से उसके मूल्य एवं कराधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की जा सके। समिति ने

17.2.2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मिट्टी के तेल पर राजसहायता केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक ही सीमित रखने की सिफारिश की। सरकार ने डॉ. रंगराजन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 'सिद्धांत रूप में' यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल पर राजसहायता को केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक ही सीमित रखा जाए।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005-06 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,086.129	2,266.740	620.247	3973.116	1101.87	1507.07	608.56	3217.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.560	69.750	12.936	111.246	25.52	43.25	12.4	81.17
3.	असम	625.416	955.140	175.104	1755.66	595.48	444.58	181.09	1221.15
4.	बिहार	2,166.651	2,291.520	472.533	4930.704	672.01	25.55	421.06	1118.62
5.	छत्तीसगढ़	532.812	1,045.800	254.820	1833.432	536.803	52.25	229.189	818.242
6.	दिल्ली	148.464	996.516	23.316	1168.296	145.19	302.61	22.15	469.95
7.	गोवा	10.221	118.296	5.739	134.256	3.804	6.103	2.447	12.354
8.	गुजरात	618.063	2,787.564	258.785	3664.412	471.11	178.29	192.34	841.74
9.	हरियाणा	242.516	1,014.204	86.056	1342.776	195.25	18.07	76.89	290.21
10.	हिमाचल प्रदेश	116.648	348.900	62.284	527.832	95.56	179.07	55.6	330.23
11.	जम्मू-कश्मीर	220.335	447.720	88.749	756.804	225.77	346.96	73.09	645.82
12.	झारखंड	700.224	216.300	305.268	1221.792	380.91	21.16	282.63	684.7
13.	कर्नाटक	876.317	2,035.014	407.752	3319.083	875.69	877.57	378.35	2131.61
14.	केरल	445.560	1,808.940	207.088	2461.588	436.973	323.932	200.722	961.627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मध्य प्रदेश	1,195.315	2,535.372	534.141	4264.828	1217.046	153.02	509.58	1879.646
16.	महाराष्ट्र	1,914.468	4,700.880	829.836	7445.184	1647.21	127.48	736.41	2511.1
17.	मणिपुर	37.780	47.460	21.864	107.104	33.93	14.89	13.56	62.78
18.	मेघालय	53.568	45.024	23.292	121.884	54.7	22.61	22.72	100.03
19.	मिजोरम	18.279	72.020	10.401	100.7	17.65	55.89	10.01	83.55
20.	नागालैंड	35.817	102.400	16.263	154.48	35.61	94.66	16.44	146.71
21.	उड़ीसा	1,261.907	1,155.564	434.785	2852.256	797.408	109.77	450.493	1357.671
22.	पंजाब	164.067	1,473.240	32.469	1669.776	71.11	8.84	18.24	98.19
23.	राजस्थान	593.382	2,763.756	340.018	3697.156	469.57	204.17	300.57	974.31
24.	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.05	24.04	4.32	42.41
25.	तमिलनाडु	1,397.697	3,787.980	6440.679	5830.356	1391.6	1663.797	657.63	3713.027
26.	त्रिपुरा	95.364	179.232	28.536	303.132	92.77	66.96	28.53	188.26
27.	उत्तर प्रदेश	2,945.106	6,494.460	1,539.686	10979.252	2560.263	40.166	1438.289	4038.718
28.	उत्तराखंड	162.413	333.552	46.759	542.724	166.282	53.316	34.615	254.213
29.	पश्चिम बंगाल	1,447.969	4,089.180	562.571	6099.72	1294.459	1029.41	454.3	2778.169
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.428	36.360	1.800	45.588	1.81	15.79	0.53	18.13
31.	चण्डीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	5.192	7.140	1.528	13.86	1.67	0.89	0.72	3.28
33.	दमन और दीव	1.236	9.420	0.444	11.1	0.44	0.15	0.22	0.81
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.360	0.168	3.9	0.47	2.98	0.33	3.78
35.	पांडिचेरी	22.862	12.200	12.250	48.312	12.53	5.2	7.91	25.64
	जोड़	19,200.962	44,353.332	8,067.219	71,621.513	15,642.518	8,020.494	7,442.335	31,105.347

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006-07 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	2,194.220	654.288	3900.596	1054.631	1497.672	656.771	3209.074
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	62.148	15.972	103.644	16.264	35.045	9.069	60.378
3.	असम	476.700	943.830	294.216	1714.746	479.337	760.534	272.045	1511.916
4.	बिहार	2,019.013	1,307.240	662.091	3988.344	448.589	9.257	566.332	1024.178
5.	छत्तीसगढ़	483.688	821.390	295.250	1600.328	521.047	33.377	313.059	867.483
6.	दिल्ली	148.464	664.676	23.316	836.456	146.481	378.265	22.884	547.63
7.	गोवा	5.460	91.190	6.108	102.758	4.4	18.67	3.94	27.01
8.	गुजरात	540.630	1,444.404	310.848	2295.882	493.911	108.286	259.993	862.19
9.	हरियाणा	221.151	499.540	109.394	830.085	202.689	4.739	102.921	310.349
10.	हिमाचल प्रदेश	46.831	319.400	76.806	443.037	45.312	247.94	77.244	370.496
11.	जम्मू-कश्मीर	205.077	482.720	104.007	791.804	209.473	351.349	98.433	659.255
12.	झारखंड	700.224	189.980	305.268	1195.472	427.972	13.912	299.266	741.15
13.	कर्नाटक	768.116	1,594.222	491.350	2853.688	768.531	851.32	465.2	2085.051
14.	केरल	404.277	1,604.460	248.331	2257.068	401.026	375.769	249.313	1026.108
15.	मध्य प्रदेश	1,064.538	1,041.946	650.160	2756.644	1049.59	136.652	603.987	1790.229
16.	महाराष्ट्र	1,911.084	2,270.900	833.220	5015.204	1637.217	169.94	698.753	2505.91
17.	मणिपुर	48.552	41.328	21.180	111.06	37.784	22.171	18.411	78.366
18.	मेघालय	53.508	44.944	23.352	121.804	53.435	38.895	23.352	115.682
19.	मिजोरम	17.640	43.662	10.920	72.222	17.64	40.158	11.246	69.044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	नागालैंड	32.112	77.004	19.968	129.084	37.656	87.041	22.976	147.673
21.	उड़ीसा	1,165.976	838.990	530.716	2535.682	676.998	137.985	433.288	1248.271
22.	पंजाब	138.228	672.410	58.308	868.946	62.856	53.848	33.563	150.267
23.	राजस्थान	635.306	1,337.890	385.714	2358.91	516.874	160.975	348.024	1025.874
24.	सिक्किम	11.766	26.447	6.474	44.687	11.766	25.948	6.474	44.188
25.	तमिलनाडु	1,259.232	3,763.560	783.144	5805.936	1159.002	1505.038	775.366	3439.406
26.	त्रिपुरा	95.364	176.858	28.536	300.758	83.159	116.723	25.458	225.34
27.	उत्तर प्रदेश	2,766.663	3,842.700	1,720.014	8329.377	2481.039	325.775	1692.331	4499.145
28.	उत्तराखंड	149.511	287.770	59.661	496.942	134.665	102.36	47.404	284.429
29.	पश्चिम बंगाल	1,522.066	3,473.760	621.684	5617.51	1044.249	838.775	515.641	2398.665
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.040	22.070	1.800	28.91	2.64	13.67	0.82	17.13
31.	चण्डीगढ़	2.512	31.806	0.888	35.206	0.21	0	0.07	0.28
32.	दादरा और नगर हवेली	4.948	6.650	1.772	13.37	2.54	1.52	0.38	4.44
33.	दमन और दीव	1.044	8.900	0.636	10.58	0.46	0.25	0.37	1.08
34.	लक्षद्वीप	0.295	3.698	0.161	4.154	0.24	2.83	0.16	3.23
35.	पांडिचेरी	21.564	50.050	13.548	85.162	9.59	1.81	7.14	18.54
	जोड़	18,044.192	30,282.763	9,369.101	57,656.056	14,239.274	8,468,499	8,661.684	31,369.457

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2007-08 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	2,178.448	654.288	3884.824	1104.534	1835.017	698.399	3637.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	62.052	15.972	103.548	18.009	47.143	10.857	76.009
3.	असम	475.470	574.611	295.446	1345.527	480.797	616.97	298.027	1395.794
4.	बिहार	1,719.804	28.239	1,019.988	2768.031	744.97	7.999	872.397	1625.366
5.	छत्तीसगढ़	472.688	50.784	301.944	825.416	438.525	33.956	308.14	780.621
6.	दिल्ली	125.874	576.401	45.906	748.181	128.706	533.522	39.361	701.589
7.	गोवा	5.460	20.614	6.108	32.182	5.431	19.392	5.037	29.86
8.	गुजरात	524.468	273.387	332.180	1130.035	486.161	102.757	293.573	882.491
9.	हरियाणा	208.572	120.525	122.820	451.917	197.852	1.333	116.987	316.172
10.	हिमाचल प्रदेश	133.138	261.618	82.740	477.494	123.533	252.51	80.022	456.065
11.	जम्मू-कश्मीर	201.696	514.511	107.388	823.595	201.488	436.854	107.711	746.053
12.	झारखंड	653.401	52.244	352.091	1057.736	491.574	12.537	323.037	827.148
13.	कर्नाटक	770.384	1,372.755	503.892	2647.031	762.887	658.628	484.189	1905.704
14.	केरल	402.348	531.999	250.260	1184.607	402.407	497.499	250.886	1150.792
15.	मध्य प्रदेश	1,028.814	125.550	652.662	1807.026	1024.311	101.325	629.096	1754.732
16.	महाराष्ट्र	1.682.633	176.379	1,021.671	2880.683	1412.696	120.662	866	2399.358
17.	मणिपुर	47.166	37.925	22.566	107.657	45.265	34.433	21.447	101.145
18.	मेघालय	47.376	63.557	29.484	140.417	46.049	59.732	28.978	134.759
19.	मिजोरम	17.640	56.487	10.920	85.047	19.489	54.003	11.62	85.112
20.	नागालैंड	32.112	78.807	19.968	130.887	32.488	77.18	21.434	131.102
21.	उड़ीसा	1,165.572	203.375	531.120	1900.067	1004.95	165.491	457.078	1627.519
22.	पंजाब	131.123	83.489	65.416	280.025	70.511	50.865	37.805	159.181
23.	राजस्थान	592.532	290.948	391.488	1274.968	536.069	239.832	367.385	1143.286
24.	सिक्किम	11.304	27.552	6.936	45.792	11.3	28.109	6.94	46.349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	तमिलनाडु	1,259.232	2,805.505	783.144	4847.881	1265.54	1652.474	794.61	3712.624
26.	त्रिपुरा	77.962	139.311	45.938	263.211	81.585	127.097	41.252	249.934
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	65.510	1,719.480	4550.69	2495.95	52.23	1667.59	4215.77
28.	उत्तराखंड	145.656	132.369	63.516	341.541	133.14	95.277	55.633	284.05
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	847.940	621.684	3023.204	1339.998	780.491	531.52	2652.009
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.040	22.404	1.800	29.244	3.327	13.444	1.295	18.066
31.	चण्डीगढ़	2.940	0.300	0.888	4.128	3.051	0.119	1.213	4.383
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	5.092	2.196	11.812	0.423	0.781	0.243	1.447
33.	दमन और दीव	1.044	1.020	0.636	2.7	0.293	0.229	0.177	0.699
34.	लक्षद्वीप	0.713	3.660	0.464	4.837	0.971	3.76	0.632	5.363
35.	पांडिचेरी	21.564	30.690	13.548	65.802	10.612	5.524	6.54	22.676
	जोड़	17,365.142	11,816.058	10,096.545	39,277.745	15,124.892	8,719.175	9,437.111	33,281.178

विवरण-IV

चीनी मौसम 2005-06 से 2007-08 तक वर्षवार एवं राज्यवार लेवी चीनी का आबंटन

(मात्रा हजार टन)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	117.48	124.30	124.26
बिहार	7.48	77.54	84.6
चंडीगढ़	0.95	1.01	0.9
छत्तीसगढ़	26.84	42.95	54.12
दिल्ली	35.84	36.38	36.49
दादरा और नगर हवेली	0.60	0.60	0.60
गुजरात	73.08	75.40	75.35
(क) गोवा	1.59	1.59	1.58
(ख) दमन और दीव	0.14	0.53	0.6
हरियाणा	11.91	21.15	31.16
हिमाचल प्रदेश	55.88	56.01	56.74
झारखंड	0.16	0.15	0.12
कर्नाटक	69.00	82.71	109.64

1	2	3	4
केरल	50.48	49.35	52.92
महाराष्ट्र	106.55	148.70	171.89
मध्य प्रदेश	156.67	155.98	155.53
उड़ीसा	107.36	108.50	106.99
(क) पांडिचेरी	2.20	2.18	2.12
(ख) कराईकल	0.65	0.63	0.63
(ग) महे	0.02	0.02	0.02
(घ) यनम	0.15	0.14	0.14
पंजाब	6.66	15.67	20.77
राजस्थान	24.00	55.37	97.05
तमिलनाडु	98.09	125.39	136.74
उत्तर प्रदेश	386.30	365.48	412.02
उत्तराखंड	73.03	72.81	73.28
पश्चिम बंगाल	176.01	178.45	169.62
भूटान	3.80	3.80	3.80
सिक्किम	3.95	4.34	4.68
भारतीय खाद्य निगम	428.01	422.57	427.57
जोड़	2024.8	2229.69	2411.93

विवरण-V

2005-06 से 2007-08 तक मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन

(आंकड़े टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5816	5816	5816
2.	आंध्र प्रदेश	517158	517158	517158
3.	अरुणाचल प्रदेश	9257	9257	9257
4.	असम	258007	258007	258007
5.	बिहार	647430	647430	647430
6.	चण्डीगढ़	13067	13067	13067
7.	छत्तीसगढ़	146938	146938	146938
8.	दादरा और नगर हवेली	2782	2782	2782
9.	दमन और दीव	2118	2118	2118
10.	दिल्ली	168484	168484	168484
11.	गोवा	192127	19212	19212
12.	गुजरात	743759	743759	743759
13.	हरियाणा	145619	145619	145619
14.	हिमाचल प्रदेश	50537	50537	50537
15.	जम्मू-कश्मीर	76044	76044	76044
16.	झारखंड	211175	211175	211175
17.	कर्नाटक	461478	461478	461478
18.	केरल	216308	216308	216308
19.	लक्षद्वीप	795	795	795
20.	मध्य प्रदेश	488609	488609	488609
21.	महाराष्ट्र	1276876	1276876	1276876
22.	मणिपुर	19907	19907	19907
23.	मेघालय	20401	20401	20401
24.	मिजोरम	6217	6217	6217

1	2	3	4	5
25.	नागालैण्ड	13312	13312	13312
26.	उड़ीसा	314977	134977	314977
27.	पांडिचेरी	12257	12257	12257
28.	पंजाब	237192	237192	237192
29.	राजस्थान	398913	398913	398913
30.	सिक्किम	5582	5582	5582
31.	तमिलनाडु	558929	558929	558929
32.	त्रिपुरा	30832	30832	30832
33.	उत्तर प्रदेश	1241772	1241772	1241772
34.	उत्तराखंड	89849	89849	89849
35.	पश्चिम बंगाल	752103	752103	752103
	कुल आबंटन	9163712	9163712	9163712

विवरण-VI

2005-06 से 2007-08 तक मिट्टी के तेल का राज्यवार उठान

(आंकड़े टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08 (पी)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6582*	5971*	5623*
2.	आंध्र प्रदेश	509495*	524075*	517712*
3.	अरुणाचल प्रदेश	9102	9141*	9340
4.	असम	257174	257937	262766*
5.	बिहार	647190	644582	662623*
6.	चण्डीगढ़	11619	10478	8912
7.	छत्तीसगढ़	145850	145420	145329
8.	दादरा और नगर हवेली	2646	2540	2674
9.	दमन और दीव	1928	2031	2061
10.	दिल्ली	157365	160786	164729
11.	गोवा	19179	19188	19089
12.	गुजरात	744499*	747385*	743877
13.	हरियाणा	144513	145447	145816
14.	हिमाचल प्रदेश	47904	48936	47499
15.	जम्मू-कश्मीर	71315	74536	69757*
16.	झारखंड	211960*	210416	210867
17.	कर्नाटक	461576*	463239*	462219*
18.	केरल	215615	216657*	216327
19.	लक्षद्वीप	532	858*	532
20.	मध्य प्रदेश	484609	488029	484753
21.	महाराष्ट्र	1272009	1280062*	1271373
22.	मणिपुर	19729	19467	19296
23.	मेघालय	20265	19678	20505
24.	मिजोरम	6206	6215	6220
25.	नागालैण्ड	13298	13599*	13325

1	2	3	4	5
26.	उड़ीसा	312171	316043*	311581
27.	पांडिचेरी	12344*	12253	12247
28.	पंजाब	235267	236044	235216
29.	राजस्थान	392790	399988*	400254*
30.	सिक्किम	5559	5589*	5888
31.	तमिलनाडु	568456*	569629*	563892*
32.	त्रिपुरा	30514	30641	30713
33.	उत्तर प्रदेश	1241148	1242373*	1241151
34.	उत्तराखंड	86009	93790*	89339
35.	पश्चिम बंगाल	748342	751894	750418*
	कुल उठान	9114760	9174917	9153923

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए अतिरिक्त आबंटन सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का उठान आईपीआर के अनुसार।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उठाने में कोताही

346. श्रीमती मेनका गांधी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणली के अर्न्तगत दिल्ली सरकार वितरण हेतु खाद्यान्नों का अपना कोटा नहीं उठा पाई है जिससे गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के आबंटन में कटौती हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) 2006-07 और 2007-08 के दौरान चावल की खरीदारी विभिन्न राज्यों से कुल मांग की तुलना में कम होने की बात को देखते हुए 2008-09 के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल के आबंटन को 2006-07 और 2007-08 के दौरान इस औसत उठान के आधार पर कर दिया गया है। गेहूं के गरीबी रेखा से ऊपर के आबंटन को 2007-08 के दौरान इस श्रेणी के लिए सामान्य आबंटन (तदर्थ अतिरिक्त आबंटनों को छोड़कर) पर बनाए रखा गया है।

2006-07, 2007-08 और 2008-09 (अगस्त, 08 तक) के दौरान दिल्ली के संबंध में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन चावल और गेहूं के आबंटन और उठान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े हजार टन)

वर्ष		आबंटन गरीबी रेखा से ऊपर	उठान गरीबी रेखा से ऊपर
2006-07	चावल	298.956	95.786
	गेहूं	365.720	282.479
2007-08	चावल	187.164	165.729
	गेहूं	389.237	367.783
2008-09 (अगस्त, 08 तक)	चावल	45.204	45.266
	गेहूं	130.116	133.665

त्यौहार मौसम 2008 के दौरान मुद्रास्फीति के रूझान को रोकने के लिए सरकार ने खुदरा उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु सितम्बर और अक्तूबर, 2008 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन दिल्ली के लिए 50,000 टन गेहूं रिलीज किया है। अक्तूबर-नवम्बर, 2008 के लिए बल्क उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु दिल्ली के लिए 50,000 टन और गेहूं रिलीज किया गया है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष

347. श्री बसुदेव आचार्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गयी है और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार प्रचालकों को यूएसओ निधि की कुल कितनी राशि आबंटित की गयी है और उनमें से कितनी निधियों का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास यूएसओ निधि की बड़ी राशि अनुप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) के लिए आबंटन व निर्धारित लक्ष्य की कुल राशि 2000 करोड़ रु. है

(ख) चालू वर्ष के दौरान 30 सितंबर, 2008 तक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा दी गई और दूरसंचार प्रचालकों द्वारा उपयोग की गई कुल राशि 357 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) लेवी सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% लिया जाता है, इनमें इंटरनेट, वॉयस मेल, ई-मेल इत्यादि जैसी शुद्ध मूल्यवर्द्धित सेवाओं के प्रदाता शामिल नहीं हैं। इस लेवी को भारत की समेकित निधि में जमा कराया जाता है। यूएसओ निधि को संसद के अनुमोदन से बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया जाता है। यूएसओ निधि के प्रारंभ से इसके एकत्रित, आबंटित और खर्च की गई राशियों का विवरण संलग्न है।

विवरण

यूएसओ निधि की स्थिति

दूरसंचार विभाग के अनुसार यूएसएल का संग्रह और यूएसओ निधि का वितरण

(करोड़ रु.)

वर्ष	सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएसएल) के रूप में एकत्रित राशियां	आबंटित और वितरित की गई राशियां	वर्ष के अंत में अंत शेष
2002-03	1653.61	300.00	1353.61
2003-04	2143.22	200.00	3296.83
2004-05	3457.73	1314.59	5439.97
2005-06	3533.29	1766.85	7206.41
2006-07	4211.13	15.00.00	9917.54
2007-08	5405.46	1290.00	14033.00
कुल	20404.44	6388.52	

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

348. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लैंडलाल/डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन मुहैया करवाए गए हैं; और

(ख) देश में ऐसे गांवों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें अभी टेलीफोन कनेक्शन मुहैया करवाए जाने बाकी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) तथा चालू वर्ष 2008-09 (31.08.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31 अगस्त, 2008 की स्थिति के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 5,93,601 बसे हुए गांवों में से, 5,30,624 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। सुविधारहित गांवों का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.08.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	यूएसओ के निविदा के अनुसार प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल संख्या	वर्ष 2005-06 के दौरान प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदान किए गए वीपीटी की सं.	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदान किए गए वीपीटी की सं.	वर्ष 2008-09 (31.08.2008 तक) के दौरान प्रदान की गई वीपीटी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1074	407	190	68	10
3.	असम	8931	3185	5117	352	41
4.	बिहार	0	0	0	0	0
5.	झारखंड	1694	42	668	740	65
6.	गुजरात	4144	2209	1144	691	4
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1002	234	572	64	57
9.	जम्मू-कश्मीर	1775	239	873	231	63
10.	कर्नाटक	0	0	0	0	0
11.	केरल	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11894	7477	4088	238	12
13.	छत्तीसगढ़	5043	1711	1143	471	0
14.	महाराष्ट्र	6441	2830	2555	538	24

1	2	3	4	5	6	7
15.	पूर्वोत्तर-I	2128	44	147	249	3
16.	पूर्वोत्तर-II	1550	37	187	511	79
17.	उड़ीसा	4899	0	515	1037	200
18.	पंजाब	0	0	0	0	0
19.	राजस्थान	12386	5913	3996	1283	312
20.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0	0	0
23.	उत्तरांचल	3881	359	1087	715	54
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	जोड़	66822	24687	22282	7188	924

विवरण-II

उन गांवों की संख्या जहां अभी भी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं (31.08.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की संख्या	31.08.2008 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधारहित शेष गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	321
2.	आंध्र प्रदेश	26613	5940
3.	असम	25124	2304
4.	बिहार	39032	2412
5.	झारखंड	29354	2757
6.	गुजरात	18159	3177
7.	हरियाणा	6764	395
8.	हिमाचल प्रदेश	17495	1493
9.	जम्मू-कश्मीर	6417	712
10.	कर्नाटक	27481	1056
11.	केरल	1372	0
12.	मध्य प्रदेश	52117	2328
13.	छत्तीसगढ़	19744	2559

1	2	3	4
14.	महाराष्ट्र	41442	6184
15.	पूर्वोत्तर-I	7347	3194
16.	पूर्वोत्तर-II	7456	3583
17.	उड़ीसा	47529	8526
18.	पंजाब	12301	301
19.	राजस्थान	39753	5465
20.	तमिलनाडु	15492	682
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	76993	6536
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	20949	1481
23.	उत्तरांचल	15761	3182
24.	पश्चिम बंगाल	38405	7102
	जोड़	593601	71690*

* इनमें से 8713 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदान किए गए हैं।

एमटीएनएल और बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी

849. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लैंडलाईन और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की बाजार हिस्सेदारी क्या है;

(ख) क्या उक्त दूरसंचार कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बढ़ गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी किए गए/किये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) 31.8.2008 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शनों में एमटीएनएल और बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई है :-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लैंडलाइन टेलीफोन	मोबाइल टेलीफोन
बीएसएनएल	78.82%	14.14%
एमटीएनएल	9.32%	1.28%
जोड़	88.14%	15.42%

(ख) और (ग) एमटीएनएल और बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी में निम्नलिखित कारणों से कमी आई है:-

(i) एमटीएनएल के मामले में, दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में विक्रेताओं द्वारा 750 हजार लाइनें चालू न करने के कारण इसके जीएसएम मोबाइल नेटवर्क में क्षमता संबंधी अड़चनें थीं। इसी प्रकार, पिछले दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा जीएसएम मोबाइल नेटवर्क में पर्याप्त क्षमता नहीं जोड़ी जा सकी क्योंकि मोबाइल उपस्कर की प्रापण संबंधी निविदा न्यायाधीन थी और उपस्करों की अपूर्ति में बिलम्ब हुआ था।

(ii) अत्यधिक संख्या में लैंडलाइन फोनों को वापस करना तथा मोबाइल फोनों को तरजीह देना।

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जा रहे मोबाइल और लैंडलाइन फोनों के लिए उपभोक्ताओं की पसंद।

(घ) एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) बीएसएनएल द्वारा 30 मिलियन लाइनों के जीएसएम मोबाइल उपस्कर हेतु आदेश दे दिया गया है जो वर्ष 2008-09 के दौरान जीएसएम मोबाइल कनेक्शनों की विस्तार संबंधी आवश्यकता को पूरा करेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने अगले तीन वर्षों के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 93 मिलियन

अतिरिक्त जीएसएम मोबाइल लाइनों हेतु निविदा आमंत्रित की है।

(iii) एमटीएनएल, दिल्ली के जीएसएम नेटवर्क का मार्च, 2008 में कोर नेटवर्क की संवर्द्धित क्षमता के साथ 750 हजार लाइनों तक विस्तार किया गया है। शीघ्र ही मुंबई में भी 500 हजार जीएसएम क्षमता जोड़ी जा रही है।

(iv) बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क के विस्तार, सेवाओं में सुधार, उपभोक्ता सेवा, मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने, प्रशुल्कों में संशोधन, ब्रॉडबैंड और आईपीटीवी आदि की शुरूआत करने के माध्यम से अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए काफी उपाय कर रहे हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- जैसाकि अपेक्षित हो केबल, ड्रॉप वायर आदि बदलकर परंपरागत पीएसटीएन नेटवर्क में सुधार करना।
- सेवा संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी एक्सचेंजों को डिजीटल बनाया गया है।
- दोष दर कम करने के लिए सतत आधार पर आउटडोर नेटवर्क का पुन: स्थापन किया जा रहा है।
- दोष कम करने के लिए नये आरएसयू/डीएलसी प्रदान किए जा रहे हैं।
- एमटीएनएल और बीएसएनएल अपने नेटवर्क में 3जी सेवा भी शुरू कर रहे हैं।
- कवरेज में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त बीटीएस संस्थापित किए जाने की योजना है।
- एमटीएनएल की वर्तमान वर्ष में एकीकृत बिलिंग और सीआरएम चालू करने की योजना है। इस प्रणाली द्वारा उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक बिल दिया गया है। इस प्रणाली में उपभोक्ता के सेवा, प्रशुल्क, शिकायत समाधान आदि के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकेगा।
- एमटीएनएल और बीएसएनएल उभरते रुझानों के अनुरूप पीएसटीएन और मोबाइल दोनों उपभोक्ताओं के लिए समाचार, गीत, ज्योतिष, ई-टिकटिंग, एसएमएस, वॉयस एसएमएस इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, आईपीटीवी आदि जैसी अनेक मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- पीसीओ धारकों को अपनी सेवा के तहत बनाए रखने और नये पीसीओ फ्रेंचाइजी को आकर्षित करने के लिए लैंडलाइन और सेल्यूलर आधारित पीसीओ दोनों में नयी प्रशुल्क योजनाएं शुरू की गई हैं।
- एमटीएनएल और बीएसएनएल संचार हाट, ग्राहक सेवा केन्द्र खोलकर और विक्रेताओं और एजेंटों को नियुक्त कर भी अपने उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं, और निगमित उपभोक्ताओं का वे विशेष ध्यान रख रहे हैं।
- विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रशुल्क ताकि उन्हें उपभोक्ता अनुकूल और समाज के विभिन्न वर्गों के अनुकूल बनाया जा सके।
- एमटीएनएल ने कम प्रशुल्क पर आईएसडी कॉल प्रदान करने के लिए वीओआईपी सेवाएं शुरू की है। 31.08.2008 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में लगभग 2000 वीओआईपी कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न आधारित योजनाओं का विफल होना

350. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों (बीपीएल) के लिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्र तथा राज्य सरकार के आधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण ये योजनाएं अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के स्थान पर गरीब लोगों को सीधे सहायता करने के लिए कोई अन्य योजना बनाई है/बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के गरीब वर्गों को वाजिब मूल्यों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए एक प्रबंधन प्रणाली के रूप में समाने आई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य समाज के लक्षित गरीब वर्गों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करना है।

पिछले 9 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणियों के तहत खाद्यान्नों का उठान 2000-01 में 60.39% से बढ़कर 2008-09 (जुलाई, 2008 तक) में 91.06% हो गया है। इससे यह पता चलता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को बहुत सहायता मिलती रही है और इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम रही है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने और 4.96 लाख उचित दर दुकानों के व्यापक नेटवर्क के जरिए पात्र परिवारों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने के जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सक्षमता में सुधार करके इसे मजबूत करने के लिए लगातार पग उठा रही है। सरकार ने कुछ समय पहले कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) और ओआरजी मार्ग द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन कराया था। 2005 में प्राप्त हुई उनकी मूल्यांकन रिपोर्टों में कुछ कमियां बताई गई थीं। इन रिपोर्टों को देखते हुए तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों में लीकेज और विपथन को रोकने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से परामर्श करते हुए केन्द्र सरकार ने 2006 में 9 सूत्री कार्ययोजना तैयार की थी। इसमें अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम शामिल करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने, कदाचार में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने, उचित दर दुकानों के कार्यकरण में पंचायती राजसंस्थाओं को शमिल करने, उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों को प्रदर्शित करने, उचित दर दुकानों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की द्वार पर सुपुर्दगी करने आदि जैसे उपाय शामिल हैं। यह कार्ययोजना जुलाई, 2006 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है और उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियों द्वारा इसकी कड़ी मानीटरिंग की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, अब तक 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यह सूचित किया है कि 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी 23.69 करोड़ राशन कार्डों के प्रति जुलाई, 2006 से अब तक 99.36 लाख जाली/अपात्र कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं।

सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए हैं। एक संशोधित नागारिक अधिकार पत्र जारी किया गया है और जुलाई, 2007 से क्रियान्वित किया जा रहा है। उचित दर दुकानों को आबंटित खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने और राशन कार्डधारकों का इनका वितरण करने के लिए अप्रैल, 2008 से मासिक प्रमाण-पत्र लागू किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के संचलन की मानीटरिंग करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग पायलट आधार पर शुरू किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं के आटे का वितरण करने के संबंध में नीतिगत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि गरीब परिवारों को लाभ मिले। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार सह जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में 4.96 लाख उचित दर दुकानों के व्यापक नेटवर्क के जरिए प्रचालित की जाती है और उचित दर दुकानों के कार्यों की मानीटरिंग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती है, लक्षित सार्वजनिक वितरण

प्रणाली की कार्यप्रणाली में कदाचार के संबंध में केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई जाने वाली शिकायतों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया जाता है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश दिए हैं कि जिन व्यक्तियों के पास जाली अथवा नकली कार्ड पाया जाता है और जो सरकारी कर्मचारी अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(ग) और (घ) वर्तमान में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभभोगियों को स्मार्ट कार्ड पर आधारित खाद्यान्नों की सुपुर्दगी से संबंधित एक पायलट परियोजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का खाद्य राजसहायता के सीधे नकद अंतरण से संबंधित एक अन्य पायलट योजना तैयार की जा रही है। पहली योजना को हरियाणा और चंडीगढ़ में और दूसरी योजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

डीआरडीओ से वैज्ञानिकों का बड़ी संख्या में पलायन

351. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री हेमंत खंडेलवाल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो सशस्त्र सेना हेतु अत्याधुनिक शस्त्रों के विकास कार्य में जुटा है, कुछ समय से बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के पलायन की समस्या से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान डीआरडीओ से त्यागपत्र देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़ी संख्या में पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन युवा वैज्ञानिकों के पलायन की समस्या का सामना कर रहा है।

(ख) गत तीन वर्ष (2005-2007) के दौरान 785 वैज्ञानिकों ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से त्यागपत्र दे दिया है।

(ग) छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने वैज्ञानिकों के लिए अनेक प्रोत्साहनों की सिफारिश की है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने उच्च योग्यताएं जैसी पी एच डी, एम टैक आदि प्राप्त करने हेतु अध्ययन छुट्टी मुहैया कराके कैरियर संवर्धन, देश तथा विदेश के अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों में सम्मेलनों/संगोष्ठियों/परिसंवादों/अल्प तथा दीर्घकालिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु वैज्ञानिकों को प्रायोजित करके, युवा वैज्ञानिकों को परामर्श देकर, बेहतर कार्य परिवेश तथा रिहायशी कैम्पसों में सामाजिक जीवन का निर्माण करके पलायन को रोकने हेतु प्रयास किए हैं।

[अनुवाद]

फसलोपरांत हुई बर्बादी

352. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री के.एस. राव :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न फसलों, फलों और सब्जियों की फसल कटाई के बाद हुई बर्बादी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बर्बादी के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बर्बादी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग ने खाद्य फसलों, फलों एवं सब्जियों की बर्बादी से संबंधित कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में किए गए भारतीय कृषकों की दशा, सहस्राब्दी अध्ययन के अनुसार फसलोपरान्त हानियों के मुख्य कारण फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी का अभाव एवं समेकित परिवहन, भंडारण तथा विपणन सुविधाओं इत्यादि का न होना है।

(ग) विपणन के विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों और फलों तथा सब्जियों का हानियों से संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 2003 के दौरान सभी राज्यों को परिचालित मॉडल अधिनियम के अनुसार

कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) (एपीएमसी अधिनियम) में संशोधन के माध्यम से कृषि विपणन सुधार संबंधी कार्रवाई शुरू की है। प्रत्यक्ष विपणन, संविदा कृषि के जरिए विपणन श्रृंखला को कम करने और अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए विपणन अवसंरचना में सुधार करने तथा आधुनिक वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ मंडियों की स्थापना पर बल दिया गया है। मंत्रालय ने विपणन अवसंरचना के विकास, किसानों और अन्य विपणन भागीदारों के लिए भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्रमशः कृषि विपणन अवसंरचना श्रेणीकरण और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम, ग्रामीण गोदाम स्कीम को भी कार्यान्वित किया है। किसानों द्वारा यथोचित विपणन निर्णय लेने के लिए मंडी सूचना का होना महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने किसानों को मंडी सूचना का प्रसारण करने के लिए मार्च, 2000 से केन्द्र क्षेत्रीय मंडी अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एग्मार्कनैट) स्कीम भी शुरू की है।

बागवानी फसलों के लिए सरकार ने दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की है। वर्ष 2001-02 के दौरान 'पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन' शुरू किया जाता है जो 2003-04 के दौरान हिमालयी राज्यों जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड तक बढ़ा दी गई। बाकी राज्यों के लिए 2005-06 के दौरान 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' शुरू किया गया है। दोनों ही स्कीमें शीत भंडारगृह सुविधाओं समेत फसलोपरान्त अवसंरचनाओं के सृजन हेतु पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत के 33.33% की दर से 60.00 लाख रुपये प्रति इकाई की सीमा तक एवं अन्य राज्यों में परियोजना लागत के 25% की दर से 50.00 लाख रुपये प्रति इकाई की अधिकतम सीमा तक पश्च अन्त राजसहायता के रूप में सहायता दी जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन में एक नया घटक शामिल किया जाता है ताकि देश में आधुनिक टर्मिनल बाजारों की स्थापना की जा सके जिनमें आधुनिकतम शीत श्रृंखला एवं अन्य अवसंरचनाएं होंगी तथा ये सीधे फार्म गेट से उपभोक्ता/प्रसंस्कर्ता/निर्यातक तक एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को स्थापित करने में मददगार होंगे।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) इन्हीं मानदण्डों वाली 'बागवानी उत्पादों हेतु शीत भंडारगृह/भंडारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता' स्कीम एवं कुल परियोजना लागत के 20% की दर से पूर्वोत्तर/पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र के राज्यों में 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा और अन्य राज्यों में 25.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक पश्च अन्त राजसहायता उपलब्ध कराने वाली 'उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंधन द्वारा वाणिज्यिक बागवानी विकास' उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंधन द्वारा वाणिज्यिक बागवानी विकास' स्कीम के द्वारा बागवानी उत्पादों की हानियों को कम करने में सहायक कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उपर्युक्त उपाय कृषि उत्पाद में फसलोपरान्त हानियों को कम करने में सहायक होंगे।

साइबर फॉरेंसिक हेतु संसाधन केन्द्र की स्थापना

353. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में साइबर अपराध के विरूद्ध प्रावधानों को मजबूत करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में साइबर फॉरेंसिक हेतु संसाधन केन्द्र (आर.सी.सी.एफ) की स्थापना की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आर.सी.सी.एफ. देश में साइबर अपराध के मामले में कानून लागू करने वाली एजेन्सियों की सहायता करने में किस हद तक समर्थ हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराधों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है।

देश में साइबर अपराध के विरूद्ध प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने संसद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साइबर अपराध के नए रूपों के लिए भी प्रावधान है जैसेकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक चेष्टाओं वाली सामग्रियों का प्रकाशन, वीडियो दृश्यरतिकता, सेवा प्रदाताओं द्वारा गोपनीयता भंग करना तथा आंकड़े प्रकट करना, प्रतिरूपण के जरिए ई-वाणिज्य धोखाधड़ी जिसे आमतौर पर फिशिंग के रूप

में जाना जाता है, पहचान की चोरी तथा संचार सेवा के जरिए अप्रिय संदेश भेजना।

(ग) से (ङ) साइबर फॉरेंसिक के लिए एक संसाधन केन्द्र (आरसीसीएफ) सी-डैक, तिरूवनन्तपुरम में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य साइबर फॉरेंसिक टूल किट का विकास करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए साइबर फॉरेंसिक में अनुसंधान और विकास कार्य करना तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण देना शमिल है। केन्द्र ने साइबर फॉरेंसिक के लिए कई साधनों का विकास किया है जिसमें डिस्क फॉरेंसिक, नेटवर्क फॉरेंसिक तथा युक्ति फॉरेंसिक शामिल हैं। साइबर फॉरेंसिक टूलकिट जिसे साइबर चेक सुइट का नाम दिया गया है, का केन्द्र द्वारा स्वयं ही विकास किया गया है तथा इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जारी किया गया है।

टूलकिट की बड़ी संख्या में प्रतियां देश में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वितरित की गई हैं जिसमें राज्यों में स्थापित किए गए साइबर अपराध जांच कक्ष, फॉरेंसिक शमिल हैं। साइबर अपराध जांच, कक्ष, फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं, सुरक्षा एजेंसियां, सीबीआई, सेना साइबर सुरक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शामिल है।

केन्द्र ने साइबर फोरेंसिक पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए 20 से अधिक आधारभूत और उन्नत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

केन्द्र साइबर अपराध के मामलों के विश्लेषण में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग देने में सक्रिय रूप में संलग्न है। 200 से अधिक मामले प्रस्तुत किए गए हैं।

दालों का उत्पादन

354. श्रीमती जयाप्रदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में दालों का उत्पादन घटा है;

(ख) यदि हां, तो देश में दालों के उत्पादन में आयी गिरावट के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने तथा इनके आयात से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी नहीं। दालों का घरेलू उत्पादन वर्ष 2005-06 के दौरान 13.39 मिलियन टन था जो वर्ष 2006-2007 के दौरान बढ़कर 14.20 मिलियन टन तथा वर्ष 2007-08 (चौथे अग्रिम अनुमान) के दौरान बढ़कर 15.11 मिलियन टन हो गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में दिनांक 1.4.2004 से एक केन्द्रीय प्रायोजित "तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम" (आइसोपॉम) कार्यान्वयन के अधीन है। इस स्कीम के तहत ब्रीडर बीज की क्रय, मूल बीज के उत्पादन, बीज मिनीकिटों के वितरण, ढांचागत विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शन, एकीकृत कीट प्रबन्धन, खरपतवारनाशी, छिड़काव सिंचाई सेटों के वितरण तथा दालों के उत्पादन तथा उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पुनः, देश में रबी 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात वर्ष 2011-12 तक अन्तर्फसल उत्पादन तथा चावल की बंजर भूमि के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि तथा दालों के अन्तर्गत 4.47 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर दालों के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि करना है।

शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा

355. श्री जुएल ओराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुष्क और अर्द्ध-शुष्क जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गयी केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तय किये गये मानदण्डों के अनुसार अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययनों पर आधारित शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के तहत आने वाले राज्य वार जिलों ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास जिसमें शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं, के लिए एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की है। प्राधिकरण देश की शुष्क और वर्षा के लिए व्यवस्थित उन्नयन और प्रबन्धन से संबंधित अति आवश्यक जानकारियों को उपलब्ध करवाने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार देश में कृषि के विकास जिसके अतंर्गत शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों को निधियां भी उपलब्ध करवाई जाती है, के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें लागू कर रहा है:

प्रमुख स्कीमों के नाम है:

(i) पनधारा कार्यक्रम

- वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआर)
- नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी एंड एफपीआर) के स्रवणों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण
- झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं (डब्ल्यूडीपीएससीए)
- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)
- समेकित बंजर भूमि विकास कार्य (आईडब्ल्यूडीपी)
- मरू भूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

(iv) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

विवरण

शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के अतंर्गत आने वाले राज्यवार जिले

क्र.सं.	राज्य	जिला	शुष्क/अर्ध-शुष्क
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर	शुष्क
2.	गुजरात	बनासकंथा	शुष्क
3.		जामनगर	शुष्क
4.		कच्छ	शुष्क
5.		पोरबन्दर	शुष्क
6.		राजकोट	शुष्क
7.		सुरेन्द्रनगर	शुष्क
8.	हरियाणा	भिवानी	शुष्क
9.		फतेहाबाद	शुष्क
10.		हिसार	शुष्क
11.		महेन्द्रगढ़	शुष्क
12.		सिरसा	शुष्क
13.	कर्नाटक	बागल	शुष्क
14.		बेलारी	शुष्क
15.		बीजापुर	शुष्क
16.		कोपाल	शुष्क
17.	पंजाब	भटिंडा	शुष्क
18.		फरीदकोट	शुष्क
19.		फिरोजपुर	शुष्क

1	2	3	4
20.		मनसा	शुष्क
21.		मुकत्सर	शुष्क
22.	राजस्थान	बाडमेर	शुष्क
23.		बीकानेर	शुष्क
24.		चुरू	शुष्क
25.		गंगानगर	शुष्क
26.		जैसलमेर	शुष्क
27.		जालोर	शुष्क
28.		जोधपुर	शुष्क
29.		झुंझुनु	शुष्क
30.		नागोर	शुष्क
31.		पाली	शुष्क
32.		सीकर	शुष्क
33.		सिरोही	शुष्क
34.	आन्ध्र प्रदेश	अदिलाबाद	अर्ध-शुष्क
35.		चित्तूर	अर्ध-शुष्क
36.		गंटूर	अर्ध-शुष्क
37.		हैदराबाद	अर्ध-शुष्क
38.		कडप्पा	अर्ध-शुष्क
39.		करीमनगर	अर्ध-शुष्क
40.		खम्मम	अर्ध-शुष्क
41.		कृष्णा	अर्ध-शुष्क
42.		कुरनुल	अर्ध-शुष्क

1	2	3	4
43.		महबुबनगर	अर्ध-शुष्क
44.		मेडक	अर्ध-शुष्क
45.		नालगोंडा	अर्ध-शुष्क
46.		नैल्लोर	अर्ध-शुष्क
47.		निजामाबाद	अर्ध-शुष्क
48.		प्रकाशम	अर्ध-शुष्क
49.		रंगारेड्डी	अर्ध-शुष्क
50.		वारंगल	अर्ध-शुष्क
51.		वेस्ट गोदावरी	अर्ध-शुष्क
52.	दिल्ली	मध्य	अर्ध-शुष्क
53.		पूर्वी दिल्ली	अर्ध-शुष्क
54.		नई दिल्ली	अर्ध-शुष्क
55.		उत्तर दिल्ली	अर्ध-शुष्क
56.		उत्तर-पूर्वी दिल्ली	अर्ध-शुष्क
57.		उत्तर-पश्चिम दिल्ली	अर्ध-शुष्क
58.		दक्षिण दिल्ली	अर्ध-शुष्क
59.		दक्षिण-पश्चिम दिल्ली	अर्ध-शुष्क
60.		पश्चिम दिल्ली	अर्ध-शुष्क
61.	गुजरात	अहमदाबाद	अर्ध-शुष्क
62.		अमरेली	अर्ध-शुष्क
63.		आनन्द	अर्ध-शुष्क
64.		भड़ौच	अर्ध-शुष्क
65.		भावनगर	अर्ध-शुष्क

1	2	3	4
66.		दाहोद	अर्ध-शुष्क
67.		गांधीनगर	अर्ध-शुष्क
68.		जूनागढ़	अर्ध-शुष्क
69.		खेड़ा	अर्ध-शुष्क
70.		मेहसाना	अर्ध-शुष्क
71.		नर्मदा	अर्ध-शुष्क
72.		नवसारी	अर्ध-शुष्क
73.		पंचमहल	अर्ध-शुष्क
74.		पाटन	अर्ध-शुष्क
75.		साबरकंथा	अर्ध-शुष्क
76.		सूरत	अर्ध-शुष्क
77.		तापी	अर्ध-शुष्क
78.		वदोदरा	अर्ध-शुष्क
79.	हरियाणा	फरीदाबाद	अर्ध-शुष्क
80.		गुड़गांव	अर्ध-शुष्क
81.		झज्जर	अर्ध-शुष्क
82.		जींद	अर्ध-शुष्क
83.		कैथल	अर्ध-शुष्क
84.		करनाल	अर्ध-शुष्क
85.		मेवात	अर्ध-शुष्क
86.		पलवल	अर्ध-शुष्क
87.		पानीपत	अर्ध-शुष्क
88.		रिवाड़ी	अर्ध-शुष्क
89.		रोहतक	अर्ध-शुष्क
90.		सोनीपत	अर्ध-शुष्क
91.	कर्नाटक	बंगलौर ग्रामीण	अर्ध-शुष्क
92.		बंगलौर शहरी	अर्ध-शुष्क
93.		चामराजनगर	अर्ध-शुष्क
94.		चिकबालपुर	अर्ध-शुष्क
95.		चित्रदुर्गा	अर्ध-शुष्क
96.		देवनगर	अर्ध-शुष्क
97.		धारवाड़	अर्ध-शुष्क
98.		गडग	अर्ध-शुष्क
99.		गुलबाग	अर्ध-शुष्क
100.		हसन	अर्ध-शुष्क
101.		हवेरी	अर्ध-शुष्क
102.		कोलार	अर्ध-शुष्क
103.		मंडया	अर्ध-शुष्क
104.		मैसूर	अर्ध-शुष्क
105.		रायचूर	अर्ध-शुष्क
106.		रमनागारा	अर्ध-शुष्क
107.		तुमकुर	अर्ध-शुष्क
108.	मध्य प्रदेश	बारवानी	अर्ध-शुष्क
109.		भिंड	अर्ध-शुष्क
110.		दतिया	अर्ध-शुष्क
111.		देवास	अर्ध-शुष्क

1	2	3	4
112.		धार	अर्ध-शुष्क
113.		ग्वालियर	अर्ध-शुष्क
114.		झबुआ	अर्ध-शुष्क
115.		खंडवा (पूर्वी निमर)	अर्ध-शुष्क
116.		खरगोन (पश्चिम निमर)	अर्ध-शुष्क
117.		मंडसौर	अर्ध-शुष्क
118.		मूरैना	अर्ध-शुष्क
119.		नीमच	अर्ध-शुष्क
120.		रतलाम	अर्ध-शुष्क
121.		शाजपुर	अर्ध-शुष्क
122.		सिहोपुर	अर्ध-शुष्क
123.		शिवपुरी	अर्ध-शुष्क
124.		उज्जैन	अर्ध-शुष्क
125.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	अर्ध-शुष्क
126.		अकोला	अर्ध-शुष्क
127.		अमरावती	अर्ध-शुष्क
128.		औरंगाबाद	अर्ध-शुष्क
129.		बीड	अर्ध-शुष्क
130.		बुलदाना	अर्ध-शुष्क
131.		धुले	अर्ध-शुष्क
132.		हिंगोली	अर्ध-शुष्क
133.		जलगांव	अर्ध-शुष्क
134.		जलना	अर्ध-शुष्क

1	2	3	4
135.		कोल्हापुर	अर्ध-शुष्क
136.		लातुर	अर्ध-शुष्क
137.		मुम्बई शहर	अर्ध-शुष्क
138.		मुम्बई सब अरबन	अर्ध-शुष्क
139.		नांदेड	अर्ध-शुष्क
140.		नन्दुरबार	अर्ध-शुष्क
141.		नासिक	अर्ध-शुष्क
142.		ओसमानाबाद	अर्ध-शुष्क
143.		परभनी	अर्ध-शुष्क
144.		पुणे	अर्ध-शुष्क
145.		सांगली	अर्ध-शुष्क
146.		सतारा	अर्ध-शुष्क
147.		सोलापुर	अर्ध-शुष्क
148.		वासिम	अर्ध-शुष्क
149.		यवतमल	अर्ध-शुष्क
150.	पंजाब	अमृतसर	अर्ध-शुष्क
151.		जालंधर	अर्ध-शुष्क
152.		लुधियाना	अर्ध-शुष्क
153.		मोगा	अर्ध-शुष्क
154.		पटियाला	अर्ध-शुष्क
155.		संगरुर	अर्ध-शुष्क
156.	राजस्थान	अजमेर	अर्ध-शुष्क
157.		अलवर	अर्ध-शुष्क

1	2	3	4
158.		बांसवाड़ा	अर्ध-शुष्क
159.		बारन	अर्ध-शुष्क
160.		भरतपुर	अर्ध-शुष्क
161.		भीलवाड़ा	अर्ध-शुष्क
162.		बूंदी	अर्ध-शुष्क
163.		चित्तोड़गढ़	अर्ध-शुष्क
164.		दोसा	अर्ध-शुष्क
165.		धोलपुर	अर्ध-शुष्क
166.		डूंगरपुर	अर्ध-शुष्क
167.		हनुमानगढ़	अर्ध-शुष्क
168.		जयपुर	अर्ध-शुष्क
169.		झालावाड़	अर्ध-शुष्क
170.		करौली	अर्ध-शुष्क
171.		कोटा	अर्ध-शुष्क
172.		प्रतापगढ़	अर्ध-शुष्क
173.		राजसमंद	अर्ध-शुष्क
174.		सवाई माधोपुर	अर्ध-शुष्क
175.		टौंक	अर्ध-शुष्क
176.		उदयपुर	अर्ध-शुष्क
177.	तमिलनाडु	अरियालुर	अर्ध-शुष्क
178.		चैन्नई	अर्ध-शुष्क
179.		कोयम्बटुर	अर्ध-शुष्क
180.		कुड्डेलोर	अर्ध-शुष्क
181.		धर्मापुरी	अर्ध-शुष्क
182.		डिंडीगुल	अर्ध-शुष्क
183.		इरोड	अर्ध-शुष्क
184.		कांचीपुरम	अर्ध-शुष्क
185.		कन्याकुमारी	अर्ध-शुष्क
186.		करूर	अर्ध-शुष्क
187.		मदुरै	अर्ध-शुष्क
188.		नागापट्टनम	अर्ध-शुष्क
189.		नामाक्कल	अर्ध-शुष्क
190.		पैराम्बलूर	अर्ध-शुष्क
191.		पुडुकोट्टल	अर्ध-शुष्क
192.		रामनाथपुरम	अर्ध-शुष्क
193.		सेलम	अर्ध-शुष्क
194.		शिवगंगा	अर्ध-शुष्क
195.		तंजौर	अर्ध-शुष्क
196.		थेनी	अर्ध-शुष्क
197.		थ्रिवलुर	अर्ध-शुष्क
198.		थ्रिवरूर	अर्ध-शुष्क
199.		थूथुकुडी	अर्ध-शुष्क
200.		तिरूचिपरापल्ली	अर्ध-शुष्क
201.		तिरूनेलवेली	अर्ध-शुष्क
202.		तिरूपुर	अर्ध-शुष्क
203.		तिरूवन्नमलैई	अर्ध-शुष्क

1	2	3	4
204.		वैल्लोर	अर्ध-शुष्क
205.		विल्लुपुरम	अर्ध-शुष्क
206.		विरूधनगर	अर्ध-शुष्क
207.	उत्तर प्रदेश	आगरा	अर्ध-शुष्क
208.		अलीगढ़	अर्ध-शुष्क
209.		इलाहाबाद	अर्ध-शुष्क
210.		औरैया	अर्ध-शुष्क
211.		बादौन	अर्ध-शुष्क
212.		बागपत	अर्ध-शुष्क
213.		बांदा	अर्ध-शुष्क
214.		बुलन्दशहर	अर्ध-शुष्क
215.		चित्रकुट	अर्ध-शुष्क
216.		ईटा	अर्ध-शुष्क
217.		ईटावा	अर्ध-शुष्क
218.		फतेहपुर	अर्ध-शुष्क
219.		फिरोजाबाद	अर्ध-शुष्क
220.		गाजियाबाद	अर्ध-शुष्क
221.		हमीरपुर	अर्ध-शुष्क
222.		हरदोई	अर्ध-शुष्क
223.		जालोन	अर्ध-शुष्क
224.		जौनपुर	अर्ध-शुष्क
225.		झांसी	अर्ध-शुष्क
226.		कन्नौज	अर्ध-शुष्क
227.		कानपुर देहात	अर्ध-शुष्क
228.		कानपुर नगर	अर्ध-शुष्क
229.		कौसम्बी	अर्ध-शुष्क
230.		ललितपुर	अर्ध-शुष्क
231.		महामाया नगर	अर्ध-शुष्क
232.		माहोबा	अर्ध-शुष्क
233.		मैनपुरी	अर्ध-शुष्क
234.		मथुरा	अर्ध-शुष्क
235.		मेरठ	अर्ध-शुष्क
236.		मुज्जफरनगर	अर्ध-शुष्क
237.		प्रतापगढ़	अर्ध-शुष्क
238.		रायबरेली	अर्ध-शुष्क
239.		संत रविदास नगर	अर्ध-शुष्क
240.		शाहजहांपुर	अर्ध-शुष्क
241.		उन्नाव	अर्ध-शुष्क

एस.टी.डी. काल दरों में कटौती

356. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों के लिए एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की एस.टी.डी. कॉल दरें पश्चिमी देशों की तुलना में काफी अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अरब देशों के लिए एसटीडी दरों को घटाने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह अन्य देशों के लिए निर्धारित दरों के बराबर हों; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) अरब देशों के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल की आईएसडी (अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग) दरें कुछ पश्चिमी देशों नामत: सयुंक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.), कनाडा और ब्रिटेन (यू.के.) की तुलना में अधिक हैं। तथापि, यूरोप के अन्य पश्चिमी देशों (बीएसएनएल हेतु यू.के. और एमटीएनएल हेतु यू.के. स्थिर फोन को छोड़कर) के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल की आईएसडी दरें अरब देशों के बराबर हैं।

(ख) आईएसडी कॉल दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अरब देशों के लिए उच्च कॉलिंग दर का कारण इन देशों को की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय काल के लिए देय उच्च समापन और संवहन प्रभार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यू.के. (ब्रिटेन) के लिए समापन और संवहन प्रभार 0.33 रू से 1.70 रु. प्रति मिनट अलग-अलग है जबकि यही प्रभार अरब देशों के लिए 1.79 रु से 7.00 रु. प्रति मिनट है।

(ग) इस समय, भारत से अरब देशों के लिए आईएसडी कॉल दरों को घटाने का बीएसएनएल और एमटीएनएल का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बीएसएनएल की आईएसडी कॉल दरें

देश की श्रेणी	पल्स से. में	प्रति मिनट रु.*
यूएसए, कनाडा, यू.के., श्रीलंका	10	6.00
यूरोप (यू.के. को छोड़कर), सिंगापुर, थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और हांगकांग, कुवैत, बहरीन, यू.ए.ई. ओमान, कतर	7.5	8.00
शेष विश्व	6	10.00

एमटीएनएल की आईएसडी कॉल दरें

देश	पल्स से. में	प्रति मिनट रु.*
यू.एस.ए., यू.के. (स्थिर), कनाडा और 001 अभिगम वाले सभी देश, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, इंडोनिशिया, थाइलैंड	9.5	6.30
यू.के. (मोबाइल), यूरोप, अफ्रीका, खाड़ी देश, सार्क, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस आइलैंड और न्यूजीलैंड	6.5	9.20
शेष विश्व	3.3	18.20

*1.00 रु. यूनिट कॉल दर पर आधारित, अलग यूनिट कॉल दरों के लिए तदनुसार राशि प्रभारित की जाएगी।

[हिन्दी]

आयुध डिपुओं में हथियारों की चोरी

357. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शस्त्रागारों/आयुध डिपुओं में हथियारों की चोरी की घटनाएं बार-बार घटित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी घटना-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने मूल्य के हथियार चोरी हुए हैं;

(ग) क्या चोरी किए गए हथियारों को असामाजिक तत्वों को बेचे जाने संबंधी खबरें प्रकाश में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) देश में शस्त्रागारों/आयुध डिपुओं में शस्त्रों की चोरी की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पशु गणना

358. **श्री रामदास आठवले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियमित आधार पर पशु गणना करवाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत में किस वर्ष अंतिम बार पशु गणना की गई थी;

(ग) देश में दर्ज पशुओं विशेषकर दुधारू और संकर प्रजाति के पशुओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा पशुधन की संख्या बढ़ाने और उनकी नस्ल सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) अगली पशु गणना कब किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) पिछली संगणना यानि 17वीं पशुधन संगणना को 15 अक्टूबर, 2003 की संदर्भ तारीख के साथ आयोजित किया गया था। इस समय, 15 अक्टूबर, 2007 की संदर्भ तारीख के साथ 18वीं पशुधन संगणना की जा रही है।

(ग) 17वीं पशुधन संगणना के आधार पर वर्ण संकरित और दुधारू गोपशु की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) पशुपालन विभाग गोपशु और भैंसों के प्रजनन और स्थानीय गैर प्रजातीय गोपशु के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए एक प्रावधान है।

राज्य/प्रजनन एजेंसियों को उनके प्रजनन कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए आपूर्ति के लिए गुणवत्ता सांड उत्पादन करने के लिए विभाग के छः राज्यों में स्थित सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों मे होलस्टीन फ्रीजियन (एच एफ), जर्सी, थारपरकर, रेड सिंधी, एच एफ X थारपरकर, जर्सी X रेड सिंधी वर्ण संकरित गोपशु, सूर्ती और मुर्रा भैंस नस्लों को रखा जा रहा है।

केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजनाओं के अंतर्गत विभाग की चार यूनिटें हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के उच्च पैदावार वाले पशुओं को उनके प्रजनन नस्ल में पंजीकृत कर रहे हैं। इन पंजीकृत पशुओं और उनके बच्चों का उनके प्रजनन कार्य निष्पादन के लिए मानिटरिंग की जाती है। सी एच आर एस द्वारा निम्नलिखित नस्लों को पंजीकृत किया जाता है नामतः गोपशु के गिर, ओंगले, थारपरकर, रती, कगेयम और हरियाणा नस्ल और भैंस के मुर्रा, सूर्ती, जाफराबादी और महसानी नस्ल।

हैस्सरघट्टा, बंगलौर में स्थिर केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हिमित वीर्य उत्पादन और देश में विभिन्न प्रजनन एजेंसियों को इसे वितरित करने के लिए उत्कृष्ट सांडों का रखरखाव करते हैं। प्रतिवर्ष विभिन्न प्रजनन एजेंसियों को लगभग 10 से 13 लाख हिमित वीर्य की खुराकों की आपूर्ति की जाती है।

(ङ) अगली संगणना यानि 19वीं पशुधन संगणना 15 अक्टूबर, 2012 की संदर्भ तारीख से आयोजित किए जाने की संभावना है।

विवरण

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल गोपशु गोपशु	वर्णसंकरित गोपशु	दुधारू गोपशु
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3900	1107	2409
2.	अरुणाचल प्रदेश	458	13	116
3.	असम	8440	440	2195
4.	बिहार	10729	1274	3408
5.	गोवा	76	12	23
6.	गुजरात	7424	639	2437
7.	हरियाणा	1540	573	572
8.	हिमाचल प्रदेश	2236	677	812
9.	जम्मू और कश्मीर	3084	1320	1141
10.	कर्नाटक	9539	1602	3404

1	2	3	4	5
11.	केरल	2122	1735	943
12.	मध्य प्रदेश	18913	317	5840
13.	महाराष्ट्र	16303	2776	4921
14.	मणिपुर	418	69	101
15.	मेघालय	767	23	229
16.	मिजोरम	36	9	11
17.	नागालैंड	451	243	137
18.	उड़ीसा	13903	1063	3621
19.	पंजाब	2039	1531	864
20.	राजस्थान	10854	464	4483
21.	सिक्किम	159	80	60
22.	तमिलनाडु	9141	5140	3694
23.	त्रिपुरा	759	57	240
24.	उत्तर प्रदेश	18551	1634	5544
25.	पश्चिम बंगाल	18913	1119	5782
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	64	13	21
27.	चण्डीगढ़	6	5	4
28.	दादरा और नगर हवेली	50	1	11
29.	दिल्ली	92	58	54
30.	लक्षद्वीप	4	2	2
31.	पांडिचेरी	78	63	35
32.	दमन और दीव	4	0.08	1
33.	छत्तीसगढ़	8882	253	2379
34.	उत्तरांचल	2188	228	694
35.	झारखंड	7659	145	1899
	अखिल भारत	185182	24686	58087

[अनुवाद]

फाल्कन अवाक्स के अर्जन में विलम्ब

359. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुप्रतीक्षित इस्त्रायली फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कन्ट्रोल सिस्टम (अवाक्स) की आपूर्ति में एक बार फिर विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) मौजूदा सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार भारत को तीन एयरबॉर्न वार्निंग एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम (अवॉक्स) की सुपुर्दगी फरवरी, 2009, सितंबर, 2009 और अप्रैल, 2010 में किए जाने की संभावना है।

(ख) विलंब का मुख्य कारण प्रथम आशोधित वायुयान का रूस से इजरायल में देर से पहुंचना है। उड़ान परीक्षण की प्रगति भी धीमी रही है क्योंकि अपेक्षित कल-पुर्जे रूस से समुद्री मार्ग द्वारा भेजे जाने हैं।

[हिन्दी]

रक्षा कर्मियों के लिए वेतन और भत्ता

360. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात और कठिनाइयों का सामना

कर रहे सशस्त्र बल कार्मियों को वर्तमान में भुगतान किये जा रहे वेतन और भत्ते काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम वेतन और भत्ते इन सैन्य कर्मियों के मनोबल को गिरा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सशस्त्र बल कर्मियों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण, सीमावर्ती क्षेत्रों में सेनाओं की तैनाती के दौरान उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों सहित समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र सेना कार्मियों को फील्ड क्षेत्र भत्ता, अत्यधिक सक्रिय फील्ड क्षेत्र भत्ता, संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता, सियाचिन भत्ता, विशेष प्रतिपूरक प्रतिविद्रोहिता भत्ता, उच्च तुंगता (प्रतिकूल मौसम) भत्ता आदि जैसे अनेक भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

उपर्युक्त समस्त भत्तों को दोगुणा करने तथा इन्हें संशोधित वेतन बैंडों पर देय महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत तक बढ़ने पर स्वतः संशोधित हो जाने के प्रावधान के साथ मुद्रास्फीति के असर से मुक्त रखने की छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सेनाओं ने सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सी पी सी) की सिफारिशों से उत्पन्न कतिपय मुद्दों का उल्लेख किया गया है। सरकार ने अधिकांश मुद्दों पर निर्णय ले लिया है। तत्पश्चात, सेनाओं द्वारा सेना अफसरों को उच्च ग्रेड वेतन प्रदान करने, लेफ्टिनेंट कर्नल तथा समतुल्य को वेतन बैंड-4 में रखने, अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी लाभों को बहाल करने तथा प्रधान स्टॉक अफसर, महानिदेशक, नियंत्रक जैसे पदों को धारित करने वाले लेफ्टिनेंट जनरलों तथा समतुल्य अफसरों के लिए एच ए जी + वेतन बैंड मुहैया कराने जैसे कुछ और मुद्दे उठाए गए हैं।

सरकार ने निर्णय लिया है कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके सेनाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेंगे तथा सिफारिशें देंगे।

[अनुवाद]

टीयूएफएस के अंतर्गत प्रोत्साहन

361. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कताई उद्योग सहित वस्त्र उद्योग अन्य समस्याओं के अलावा ब्याज दरों में हुई वृद्धि के कारण घोर संकट का सामना का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वस्त्र और कताई उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां सुनिश्चत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत (टीयूएफएस) प्रोत्साहन राशि देश के वस्त्र उद्योगों को नियमित रूप से जारी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों से वस्त्र और कताई उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रोत्साहन राशि राज्यों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वस्त्र उद्योग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) इस योजना के तहत निधियां उद्योग के पहचान किए गए क्षेत्रों को प्रमुख एजेंसियों/सहयोजित संस्थाओं के माध्यम से इस योजना और संबंधित वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय मानदंडों के अनुरूप परियोजनाओं के लिए रिलीज की जाती हैं। 2005-06 के दौरान जारी की गई निधियां नीचे दी गई है:-

(राशि करोड़ रु.)

वर्ष	जारी की गई निधि
2005-06	485
2006-07	823.92
2007-08	1143.37
2008-09	1036.51

विवरण

विगत पूर्व में भारतीय वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

1. प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है।

2. संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अनुकूल बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

3. वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए, अगस्त, 2005 में सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

4. बजट 2004-05 मे, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी।

5. सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8.9% की ब्याज दर पर ऋण देने के अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

6. निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

7. सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

8. सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रोत्साहित किया जा सके।

9. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

10. तकनीकी वस्त्रों का सवर्धन करने के लिए, सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है जिसका लक्ष्य तकनीकी वस्त्र इकाइयों का बेसलाइन सर्वेक्षण करना और 11वी योजनावधि के लिए 48 करोड़ रु. के कुल व्यय से एग्रोटेक, बिल्डटेक, मेडीटेक और जियोटेक प्रत्येक के लिए एक-एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

362. **श्री महावीर भगोरा :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन

एक्सचेंज स्थापित करने हेतु राज्यों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार ने देश में शेष एक्सचेंजों की स्थापना के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमटीएनएल में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है:-

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	एक्सचेंजों की संख्या (सभी पीएसटीएन, जीएसएम, सीडीएमए सहित)	
	दिल्ली	मुंबई
31.03.2006	336	186
31.03.2007	336	198
31.03.2008	242	206
30.09.2008	343	206

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल में कार्यरत एक्सचेंजों का ब्यौरा सलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमटीएनएल में स्थापित किए गए एक्सचेंजों की संख्या:-

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	एक्सचेंजों की संख्या (सभी पीएसटीएन, जीएसएम, सीडीएमए सहित)	
	दिल्ली	मुंबई
2005-06	3	10
2006-07	0	15
2007-08	6	8
2008 (30.09.2008 तक)	1	2

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल में स्थापित किए गए एक्सचेंजों का ब्यौरा सलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अधिकांश मामलों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के पास पर्याप्त लैंडलाइन स्विचन क्षमता उपलब्ध है। आवश्यकता के आधार पर नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं और इनमें निरंतर वृद्धि की जा रही है। तथापि, वर्ष 2008-09 के लिए एमटीएनएल में दिल्ली और मुंबई इकाइयों का स्विचन चालू करने का अनंतिम कार्यक्रम क्रमशः संलग्न विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल में कार्यरत एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किलों के नाम	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	31.03.2007 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	31.09.2008 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49	49	50	48
2.	आंध्र प्रदेश	3568	3677	4003	4059

1	2	3	4	5	6
3.	असम	598	598	597	600
4.	बिहार	1163	1202	1223	1231
5.	छत्तीसगढ़	633	625	625	625
6.	गुजरात	3231	3220	3218	3223
7.	हरियाणा	1116	1207	1274	1281
8.	हिमाचल प्रदेश	970	1005	1062	1082
9.	जम्मू-कश्मीर	365	371	372	370
10.	झारखंड	457	476	479	483
11.	कर्नाटक	2710	2723	2727	2740
12.	केरल	1224	1240	1241	1243
13.	मध्य प्रदेश	2789	2791	2686	2558
14.	महाराष्ट्र	4949	4950	4942	4937
15.	पूर्वोत्तर-I	276	322	330	337
16.	पूर्वोत्तर-II	217	221	223	221
17.	उड़ीसा	1150	1154	1159	1161
18.	पंजाब	1554	1553	1542	1539
19.	राजस्थान	2347	2338	2335	2323
20.	तमिलनाडु	2043	2077	2086	2047
21.	उत्तरांचल.	453	454	455	456
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2292	2300	2296	2298
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	976	977	977	975
24.	पश्चिम बंगाल	1371	1383	1385	1385

1	2	3	4	5	6
25.	कोलकाता	550	555	550	552
26.	चेन्नई	331	340	321	324
	जोड़ (बीएसएनएल)	37382	37808	38158	38098

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किलों के नाम	राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				निम्न वर्षों के दौरान स्थापित एक्सचेंजों की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	30.9.08 तक	2005-06	2006-07	2007-08	30.9.08 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	109	326	56	12
3.	असम	–	–	–	–	0	0	0	0
4.	बिहार	–	–	–	–	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	2	1	0	0
6.	गुजरात	–	–	–	–	0	4	3	3
7.	हरियाणा	–	–	–	–	2	11	6	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	0	1	3	4	0
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	3	4	1	0
10.	झारखंड	–	–	–	–	21	19	3	2
11.	कर्नाटक	–	–	–	–	3	15	12	11
12.	केरल	–	–	–	–	13	13	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	7	4	3	1
14.	महाराष्ट्र	12	15	24	23	11	9	12	4
15.	पूर्वोत्तर-I	–	–	–	9	1	0	3	0
16.	पूर्वोत्तर-II	–	–	–	–	0	0	0	0
17.	उड़ीसा	12	5	3	3	12	5	5	2
18.	पंजाब	–	–	–	–	0	0	0	0
19.	राजस्थान	12	4	1	1	12	4	1	1
20.	तमिलनाडु	–	–	–	–	9	4	5	1
21.	उत्तरांचल	–	–	–	–	3	1	1	1
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	38	2	0	0	38	2	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2	0	1	1	2	0	1	1
24.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	0	0	0	0
25.	कोलकाता	3	11	21	46	3	11	21	46
26.	चेन्नई	–	–	–	–	0	0	0	0
	जोड़ (बीएसएनएल)	80	39	50	83	252	436	141	86

विवरण-III

वर्ष 2008-09 के लिए एमटीएनएल दिल्ली का स्विचन चालू करने संबंधी कार्यक्रम

क्षेत्र	स्थान	प्रस्तावित क्षमता	मूल एक्सचेंज
1	2	3	4
मध्य	काली बाड़ी	5000	जेपी (डी-4/डी-6)
	साऊथ ब्लॉक	3000	मुख्य
नेहरू प्लेस	तुगलकाबाद एक्सटेंशन	5000	एनपी (डी-6)

1	2	3	4
यमुना पार	वसुंधरा एन्कलेव	6000	एलएन (डी-6)
ट्रांस यमुना	विवेक विहार	4000	के के डी (डी-2)
	कॉमन वेल्थ	5000	एलएन (डी-6)
	मयूर विहार फेज-II आरएसयू	29000	एलएन (डी-4)
जनक पुरी	शादीपुर आरएसयू	10000	के.बी. (डी-7)
रजौरी गार्डन	कर्मपुरा	8000	आरजी (डी-6)
	राजोकरी	2000	बीसीपी (डी-2)
उत्तर	सरस्वती विहार आरएसयू	24000	एसएन (डी-5)
	रोहिणी सेक्टर 24/25	3000	आरएचएन (डी-2)
	बवाना सेक्टर-1	5000	बीडीएल (डी-1)
	बुराड़ी	10000	एसएन (डी-8)

विवरण-IV

वर्ष 2008-09 के लिए एमटीएनएल मुंबई का स्विचन चालू करने संबंधी कार्यक्रम

सेवा	क्रमांक	नाम	क्षमता
1	2	3	4
लैंडलाइन	1.	बी के सी (मुख्य)	2 हजार
	2.	पहाड़ी गोरेगांव	5 हजार
	3.	वनाश्री	2 हजार
	4.	संपाडा	5 हजार
	5.	देवीदास लेन	5 हजार
	6.	रहेजा एक्जोटिका	2 हजार
	7.	गोविन्द उद्योग	4 हजार
	8.	ओबराय माल	2 हजार
	9.	लल्लू भाई कंपाउंड, गोवांडी	2 हजार
	10.	नटवर लाल कंपाउंड, गोवांडी	2 हजार
	11.	ऐरोली रेलवे स्टेशन	9 हजार
	12.	नेपच्यून	3 हजार
	13.	महापा स्टोर्स	3 हजार
जीएसएम	1.	फाउंटेन एमएससी	250 हजार
	2.	कम्बाला हिल एमएससी	250 हजार

1	2	3	4
	3.	बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स एमएससी	250 हजार
	4.	घाटकोपर एमएससी	250 हजार
सीडीएमए	1.	शून्य	शून्य

कृषि योग्य भूमि

363. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर औद्योगिकीकरण और विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) के उद्देश्य से भूअर्जन के कारण देश में घटती जा रही कृषि योग्य भूमि को बचाने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि योग्य भूमि के घटने के कारण खाद्यान्नों की भारी कमी हो सकती है जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि राजय सरकार के दायरे में आती है इसलिए विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) सहित कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए बदलने को रोकने के लिए उचित विधान लाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं प्रक्रियाओं के अनुसार एसईजैड के लिए जमीन की खरीद की जाती है।

(ग) और (घ) हालांकि गैर कृषि उपयोगों के तहत भूमि में वृद्धि हुई है फिर भी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण देश में 'निवल बुवाई क्षेत्र' लगभग वही है अर्थात् 141 मिलियन हे.।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं हेतु उपलब्ध जल की मात्रा

364. श्री सुभाष महरिया :
श्री अधीर चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं हेतु देश की नदियों में उपलब्ध जल की औसत मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन नदियों में जल स्तर प्रत्येक वर्ष धीरे-धीरे घट रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) आंकी गई है। अनुमान है कि स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण लगभग 1123 बीसीएम जल का इस्तेमाल सिंचाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। उपलब्ध जल का बेसिनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(ख) नदी में भिन्न-भिन्न स्थानों पर जल स्तर में समय-समय पर अंतर आता रहता है जो कि प्रवाह पर निर्भर करता है और ऐसा वर्षा एवं हिमगलन आदि के कारण होता है। जल स्तर संबंधी आंकड़े कोई विशेष गिरावट का रूझान नहीं दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नदी बेसिनवार औसत वार्षिक जल उपलब्धता

यूनिट : बिलियन घनमीटर (बीसीएम)

क्र. सं.	नदी बेसिन	औसत वार्षिक जल उपलब्धता
1	2	3
1.	सिन्धु	73.31

1	2	3
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र-बराक	
3.	क. गंगा उप-बेसिन	525.02
4.	ख. ब्रह्मपुत्र एवं बराक उप-बेसिन	585.60
5.	गोदावरी	110.54
6.	कृष्णा	78.12
7.	कावेरी	21.36
8.	पेन्नार	6.32
9.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.52
10.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.46
11.	महानदी	66.88
12.	ब्राह्मणी एवं बैतरनी	28.48
13.	सुबर्णरेखा	12.37
14.	साबरमती	3.81
15.	माही	11.02
16.	लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15.10
17.	नर्मदा	45.64
18.	तापी	14.88
19.	तापी से तादरी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	87.41
20.	तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.53
21.	राजस्थान की मरुभूमि में अंतर्देशीय जल निकास का क्षेत्र	नगण्य
22.	बंगलादेश और म्यांमार में प्रवेश करने वाले लघु नदी बेसिन	31.00
23.	कुल (राष्ट्रीय)	1869.37

दूध की मांग और आपूर्ति की स्थिति

365. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध की कुल मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्यवार कुल कितनी निधियां आबंटित की गई है; और

(घ) डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किस हद तक इन निधियों का उपयोग किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) दूध की कुल मांग और आपूर्ति पर सूचना नहीं रखी जा रही है। तथापि वर्ष 2006-07 के दौरान देश में अनुमानित दूध उत्पादन 100.9 मिलियन टन था।

(ख) दूध की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है:-

(1) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(2) गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(3) सहकारिताओं को सहायता

(4) डेयरी पूंजीगत उद्यम कोष

(5) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(6) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, और

(7) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी उद्योग के संवर्धन के लिए आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण-I से V में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण और "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी)" के अंतर्गत उपयोग की गई धनराशि (31.3.2008 तक)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि				मार्च, 2008 तक उपयोग की गई कुल धनराशि
		2005-06	2006-07	2007-08	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	135.00	288.45	298.33	721.78	425.73
3.	बिहार	100.00	237.55	0.00	337.55	76.64
4.	झारखंड	146.89	20.00	107.64	274.53	161.65
5.	हरियाणा	153.83	657.35	200.00	1011.18	849.97
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	39.00	340.05	379.05	189.00
7.	केरल	329.44	240.00	465.25	1034.69	981.16
8.	कर्नाटक		72.00	0.00	72.00	72.00
9.	मध्य प्रदेश	369.21	100.59	285.00	754.80	569.80
10.	छत्तीसगढ़	0.00	50.00	100.00	150.00	0.00
11.	महाराष्ट्र	500.10	72.00	200.00	772.10	584.45
12.	मणिपुर	0.00	160.00	200.00	360.00	160.00
13.	मेघालय	65.00	30.00	0.00	95.00	95.00
14.	मिजोरम	74.29	90.00	139.70	303.99	303.99
15.	नागालैण्ड	256.21	162.70	35.00	453.91	453.91

1	2	3	4	5	6	7
16.	उड़ीसा	817.68	104.61	302.56	1224.85	1165.40
17.	राजस्थान	322.55	0.00	310.00	632.55	271.57
18.	सिक्किम	350.61	140.21	75.30	566.12	490.79
19.	तमिलनाडु	0.00	356.47	125.00	481.47	330.71
20.	त्रिपुरा	0.00	40.00	90.00	130.00	40.00
21.	उत्तर प्रदेश	166.32	19.00	100.00	285.32	153.45
22.	उत्तरांचल	201.12	467.98	0.00	669.10	581.24
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	70.83	70.83	0.00
	कुल	3988.25	3347.91	3456.00	10792.16	7956.46

विवरण-II

गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06 के दौरान जारी की गई धनराशि	2006-07 के दौरान जारी की गई धनराशि	2007-08 के दौरान जारी की गई धनराशि	कुल जारी की गई धनराशि	31.3.2008 तक उपयोग की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	8.520	20.000	0.000	28.520	0.000
2.	आंध्र प्रदेश	65.500	83.750	99.630	248.880	168.130
3.	बिहार	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	हरियाणा	238.525	234.772	125.330	598.627	468.880
5.	हिमाचल प्रदेश	0.000	38.779	2.402	41.181	38.780
6.	कर्नाटक	53.850	196.130	69.890	319.870	167.380
7.	केरल	368.040	460.430	309.440	1137.910	1089.840

1	2	3	4	5	6	7
8.	मध्य प्रदेश	193.980	177.150	161.770	532.900	344.890
9.	महाराष्ट्र	494.500	442.580	200.600	1137.680	576.340
10.	मिजोरम	22.470	0.000	22.470	44.940	22.470
11.	नागालैण्ड	13.970	9.440	0.000	23.410	23.410
12.	उड़ीसा	271.120	114.010	0.000	385.130	385.130
13.	पंजाब	87.110	50.000	81.250	218.360	195.000
14.	राजस्थान	197.120	70.400	286.965	554.485	388.740
15.	सिक्किम	47.280	20.000	17.280	84.560	67.280
16.	उत्तर प्रदेश	341.485	322.685	203.820	867.990	676.460
17.	तमिलनाडु	111.500	106.180	0.000	217.680	217.680
18.	पांडिचेरी	19.300	0.000	50.000	69.300	19.300
19.	पश्चिम बंगाल	162.760	0.000	75.200	237.960	159.900
20.	गोवा	91.480	0.000	40.000	131.480	91.480
21.	गुजरात	251.250	113.280	342.420	706.950	514.530
22.	मणिपुर	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000
	कुल	3039.760	2464.581	2088.467	7592.808	5615.620

विवरण-III

सहकारिताओं को सहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि की तुलना में 31.3.2008 तक राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	2005-06 के दौरान जारी की गई धनराशि	2006-07 के दौरान जारी की गई धनराशि	2007-08 के दौरान जारी की गई धनराशि	कुल जारी की गई धनराशि	31.3.2008 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	250.00	285.00		535.00	525.00

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	165.00		188.57	353.57	75.00
हरियाणा	100.00	145.00	94.51	339.51	339.51
महाराष्ट्र	38.00			38.00	0.00
पश्चिम बंगाल			46.92	46.92	0.00
पंजाब		20.00		20.0	20.00
तमिलनाडु	175.00		175.00	350.00	350.00
कुल	728.00	450.00	505.00	1683.00	1309.51

विवरण-IV

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम-""डेयरी/कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष" के अंतर्गत 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	*2005-06 के दौरान जारी की गई धनराशि डेयरी	*2006-07 के दौरान जारी की गई धनराशि डेयरी	*2007-08 के दौरान जारी की गई धनराशि डेयरी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2596000	0	2250000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	300000	0
3.	असम	13716030	20934210	41580276
4.	बिहार	0	0	596500
5.	छत्तीसगढ़	300000	0	500000
6.	गोवा	0	0	1595000
7.	गुजरात	649720	158900	0
8.	हिमाचल प्रदेश	300000	1391500	3135000
9.	जम्मू-कश्मीर	530000	814000	6573500
10.	झारखंड	657000	392500	2360000
11.	कर्नाटक	20255500	6237100	20899900
12.	केरल	6947070	10991325	10629370
13.	मध्य प्रदेश	2805500	16755000	11800000
14.	महाराष्ट्र	11685900	32009100	125907900
15.	मणिपुर	655000	440000	9627000
16.	मेघालय	0	120000	241900
17.	मिजोरम	10300000	13650000	11050000
18.	उड़ीसा	4204100	4848500	8997800
19.	पंजाब और हरियाणा	1295900	0	2591000
20.	राजस्थान	4911300	28171000	16058700
21.	सिक्किम	1347373	2498889	0

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	247000	0	13305000
23.	त्रिपुरा	3192000	8736200	23338500
24.	उत्तर प्रदेश	2687900	0	4149000
25.	उत्तरांचल	8241300	9825600	15533200
26.	पश्चिम बंगाल	0	1100000	10869000
	कुल	97524593	159383824	343588546

*इस विवरणी में लाभार्थियों को ब्याजमुक्त ऋण जारी करने के लिए राज्यों में भाग लेने वाले बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर निधियों की राशि दर्शाई गई है।

टिप्पणी : भारत सरकार लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड को परिक्रामी निधि के रूप में रखने के उद्देश्य से जारी निधियों। यद्यपि इस योजना को 2004-05 में मंजूर किया गया था, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2005-06 में पहली बार निधियां जारी की गई थी।

**11वीं पंचवर्षीय योजना से डेयरी उद्यम के लिए एक अलग योजना बनाई गई है।

विवरण-V

एन पी सी बी के अंतर्गत जारी एवं उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शुरुआत से जारी की गई धनराशि 2000-01 से 2007-08	कुल खर्च न किया गया बकाया	2007-08 तक प्रयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4680.6	129.12	4551.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	541.3	207	334.30
3.	असम	549	240	309.00
4.	बिहार	499.8	302.8	197.00
5.	छत्तीसगढ़	1854.35	424.82	1429.53
6.	गुजरात	1122.95	500	622.95
7.	गोवा	156	0	156.00
8.	हरियाणा	1683.5	0	1683.50
9.	हिमाचल प्रदेश	1368.27	0	1368.27
10.	जम्मू-कश्मीर	135.91	43.76	92.15
11.	झारखंड	200	0	200.00
12.	कर्नाटक	1766.49	0	1766.49
13.	केरल	2284.749	0	2284.75
14.	मध्य प्रदेश	3209.51	0	3209.51
15.	महाराष्ट्र	1360	493.11	866.89
16.	मणिपुर	85.11	0	85.11
17.	मेघालय	289.06	103.34	185.72
18.	मिजोरम	413.39	150	263.39
19.	नागालैंड	937.95	30	907.95
20.	उड़ीसा	2778.8	0	2778.80
21.	पंजाब	1883.1	100.05	1783.05
22.	राजस्थान	1049.3	0	1049.30
23.	सिक्किम	418.8	42.42	376.38

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	3027.82	572.86	2454.96
25.	त्रिपुरा	505.87	0	505.87
26.	उत्तर प्रदेश	2304.151	404.13	1900.02
27.	उत्तरांचल	1711.45	51.33	1660.12
28.	पश्चिम बंगाल	2870.78	770.43	2100.35
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00
30.	चण्डीगढ़	0	0	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	27.76	0	27.76
32.	दिल्ली	0	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0	0.00
34.	पांडिचेरी	105.35	3.78	101.57
35.	दमन और दीव	0		0.00
	कुल	39821.12	4568.95	35252.17

टिप्पणी : चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल) को विशेष पशुधन और मात्स्यिकी प्रस्ताव के अंतर्गत जारी की गई 6391.14 लाख रुपए तक की धनराशि को शामिल नहीं किया गया है।

जल संचयन और संरक्षण

366. श्री के. सुब्बारायण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जल संचयन तथा जल संभरण और ड्रिप सिंचाई संरक्षण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) छोटे और मझोले किसानों सहित किसानों को इन कदमों का लाभ किस प्रकार उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्षा जल संचयन, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- देश में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- डगवेलों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में भूजल संसाधन के संवर्धन के लिए "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को बनाने में सक्षम बनाने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअलों/गाइडों को बनाना उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करना।
- भूजल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए उचित कानून अधिनियमित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए 'माडल बिलों' का परिचालन।
- "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना" बनाना और इसे राज्य सरकारों को परिचालित करना।
- जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- जल सरंक्षण पद्धतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लक्ष्य वाला किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम।
- 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया।

श्रम आधारित केन्द्रीय योजना

367. श्री दुष्यंत सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई श्रम आधारित केन्द्रीय योजना लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) योजना स्कीमों का वर्गीकरण उनकी श्रम गहनता के आधार पर नहीं किया जाता है। तथापि, श्रम और रोजगार मंत्रालय की निर्धारित योजना स्कीमों का श्रमिकों पर सदैव लाभकारी प्रभाव रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मंत्रालय की स्कीमों पर परिव्यय 2007-08 बजट अनुमान, 2007-08 संशोधित अनुमान, 2008-09 बजट अनुमान क्रमशः 345 करोड़ रुपये, 1250 करोड़ रुपये तथा 800 करोड़ रुपये रहा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गयी महत्वपूर्ण नई योजना स्कीम में वर्ष 2008-09 के दौरान 250 करोड़ रुपये परिव्यय सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में एच.आई.वी. संक्रमण

368. **श्री गणेश सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में कुछ सैनिक एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके इलाज हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं में एच आई वी पोजिटिव/एड्स के मामले सामने आए हैं। पिछले एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के एच आई वी पोजिटिव/एड्स के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	कुल
2007	361
2008 (अगस्त तक)	267

सशस्त्र सेनाओं ने चुनिंदा सैन्य अस्पतालों में 10 इम्यूनो डिफिशॅन्सी केंद्र (आई डी सी) स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में एक चिकित्सक, त्वचाविज्ञानी, रोगविज्ञानी तथा एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ की देखरेख में सशस्त्र सेनाओं के सभी एच आई वी पोजिटिव व्यक्तियों की जांच, उपचार तथा उसके बाद की देखभाल की व्यवस्था है। इन केंद्रों में एच आई वी/एड्स के मामलों का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा सुविधाओं की व्यवस्था है। इन केंद्रों में पीड़ित व्यक्ति के सेवा में रहने तक मुफ्त एंटी-रिट्रोवायरल थिरेपी मुहैया कराई जाती है तथा तदुपरांत इन दवाओं की आपूर्ति भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से की जाती है। बीमारी के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ-साथ मरीजों, उनके संबंधियों की नियमित रूप से बाद की देखभाल की जाती है।

[अनुवाद]

भूमिगत जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु परामर्शदात्री परिषद

369. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत जल के कृत्रिम पुनर्भरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने हेतु परामर्शदात्री परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परिषद द्वारा क्या कार्य शुरू किए गए हैं; और

(ग) देश में भूमिगत जल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार काउन्सिल" का गठन किया है। इस सलाहकार काउन्सिल में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योगों और विख्यात विषय विशेषज्ञों/किसानों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सलाहकार काउन्सिल ने अपनी कार्यसूची पर कार्रवाई करने के लिए जुलाई, 2006 और सितम्बर, 2007 में बैठकें आयोजित की हैं।

(ग) देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(i) राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस का गठन।

(ii) भूजल संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल तैयार करना और उनका परिचालन करना ताकि वे क्षेत्र विशेष पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iv) "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना" बनाना और उसका परिचालन।

(v) जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर जन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(vi) 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1180 अतिदोहित/संकटपूर्ण/अर्द्ध संकटपूर्ण क्षेत्रों में "डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम का क्रियान्वयन।

(vii) "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में 165 प्रायोगिक पुनर्भरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(viii) प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

बी.एस.एन.एल. द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना

370. श्री वसुदेव आचार्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देश में ब्रॉडबैंड उपकरण के विनिर्माण हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. ने संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से अपनी सात विनिर्माण इकाईयों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल ने दूरसंचार फैक्ट्री, कोलकाता में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता परिसर उपस्कर (एडीएसएल 2+सीपीई) के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम लगाने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

(ग) सभी सात विनिर्माण इकाइयां प्रचालनरत हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में धीमी वृद्धि

371. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज (नैसकॉम) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में वृद्धि अनुमानित वृद्धि से कम रहेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिकार्ड की गई 30% से अधिक की औसत विकास दर की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान विकास दर घटकर 21-24% हो गई है। वैश्विक बाजार में आई वित्तीय मंदी का सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ सहित कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। किन्तु, उद्योग का लक्ष्य वर्ष 2010 तक 60 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात राजस्व हासिल करना है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा आत्महत्या

372. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री के. सुब्बारायण :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री अनन्त नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पुनर्वास पैकेज देने और ऋण माफ करने के बावजूद देश भर में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण या आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) किसानों द्वारा आत्महत्या की सूचना मुख्यतया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों से मिली है। किसानों द्वारा आत्महत्या के कुछ मामलों की सूचना गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों से भी मिली है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों की सूचनानुसार किसानों द्वारा आत्महत्या के कारण मुख्य रूप से फसल विफलता, ऋणग्रस्तता, सूखा और सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा है। किसानों द्वारा आत्महत्या की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने चार राज्यों आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 जिलों के लिए, जहां से किसानों द्वारा आत्महत्या की सूचना अधिक है, 16978.69 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है। पैकेज में तत्काल और मध्यावधिक दोनों तरह के उपाय शामिल हैं। पुनर्वास पैकेज का उद्देश्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की आपूर्ति में वृद्धि, कृषि हेतु फसल केन्द्रित दृष्टिकोण, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि समर्थन सेवाओं और बागवानी, पशुधन, डेयरी, मात्स्यिकी आदि के माध्यम से सहायक आय अवसरों के जरिए सतत और व्यवहार्य कृषि और आजीविका समर्थन प्रणाली स्थापित करना है। केन्द्र/राज्य सरकारों और बैंकों द्वारा पैकेज के अधीन 30.06.2008 तक 11463.49 करोड़ रुपये (कुल पैकेज लागत का लगभग 67.51 प्रतिशत) निर्मुक्त किया गया। देश में किसानों की ऋणग्रस्तता की समस्या के समाधान हेतु केन्द्रीय बजट 2008-09 में सरकार ने उपायों की घोषणा की जिसमें ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम शामिल है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के पुनःसक्रियकरण के लिए सरकार ने एक प्रमुख पालिसी नवीनीकरण में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक नई स्कीमों की शुरूआत की है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि पर डब्ल्यू टी ओ के प्रभाव पर कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999 में किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि भारतीय कृषि को बाद में होने वाले लाभ बहुत ही कम प्रतीत होते हैं क्योंकि विकसित देशों ने अपने कृषि क्षेत्र को बचाने में कृषि संबंधी करार में बचाव के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि हमारा कृषि क्षेत्र लाभान्वित होगा यदि हम सिंचाई, परिवहन, कृषि विस्तार सेवाओं और अनुसंधान में सुधार करें।

हाल ही की डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं में खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष उत्पाद तंत्र और विशेष सुरक्षा तंत्र रखने पर सहमति हुई।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवधि	संख्या (राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के आधार पर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2005	657

1	2	3	4
		2006	514
		2007 (30.09.2007 तक)	142
2.	कर्नाटक	2006-07	346
		2007-08	342
		2008-09 (31.08.2008 तक)	152
3.	महाराष्ट्र	2006	2355
		2007	1985
		2008 (31.01.2008 तक)	110
4.	पंजाब	2005	32
		2006	19
		2007	24
5.	केरल	2001 से 2006	841
		2007 (31.10.2007 तक)	64
6.	गुजरात	2006	149
		2007	103
		2008 (मार्च 2008 तक)	10
7.	तमिलनाडु	2000-2007 (मार्च 2007 तक)	26

टिप्पण : अन्य राज्यों और सभी संघ राज्य-क्षेत्रों से किसानों द्वारा आत्महत्या से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

पैकेटों की उत्पादन लागत

373. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेटों पर उत्पादन लागत को अनिवार्यत: मुद्रित करने संबंधी विनियम के अभाव में पैक की गई वस्तुओं के पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्यों को बहुत बढ़ाकर मुद्रित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन लागत के मुद्रण को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ङ) विभाग को पैकेजों पर अधिकतम खुदरा मूल्य को बढ़ाकर मुद्रित करने की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभाग ने पैकबंद मदों पर अधिकतम खुदरा मूल्य के अलावा मानक मूल्य की घोषणा की संभावना का अध्ययन करने के लिए अगस्त, 2007 में एक 'विशेषज्ञ समिति' का गठन किया। विशेषज्ञ समिति द्वारा सितम्बर, 2008 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

भारत को बोइंग बिजनेस जेट विमान की पेशकश

374. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बोइंग बिजनेस जेट विमान प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विमान की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा इस विमान के प्रयोग हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन विमानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) ने पहला बोइंग व्यावसायिक जेट (बी बी जे) विमान 4 अगस्त, 2008 को सेवा में शामिल किया है। दूसरे बोइंग व्यावसायिक जेट विमान के अक्तूबर, 2008 के तीसरे सप्ताह में तथा तीसरे विमान के जनवरी, 2009 के पहले सप्ताह में आने की योजना है। इस विमान की रेंज 3140 समुद्री मील की है तथा इसमें 60 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है।

(ग) से (ङ) भारतीय वायुसेना के.वी.आई.पी. विमानों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। इन्हें सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा अति सावधानीपूर्वक लागू किया जा रहा है। ये दिशा-निर्देश भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए नए बोइंग व्यावसायिक जेट विमान पर भी लागू होते हैं।

दालों का आयात

375. श्रीमती जयाप्रदा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने दालों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने और उसकी मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु विदेश से दालों का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयात की निबंध एवं शर्तें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने शून्य शुल्क पर दालों के आयात की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् एसटीसी, पीईसी लिमिटेड, एमएमटीसी और नेफेड को लैन्डेड लागत के 15 प्रतिशत तक के घाटे और सीआईएफ वैल्यू के 1.2 प्रतिशत के सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति के साथ 1.5 मिलियन टन दालों के आयात की अनुमति दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रबंधन द्वारा यथाअनुमोदित पारदर्शी तरीके से दालों का वितरण करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नेफेड द्वारा आयात के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

2006-07 — 49300 मीट्रिक टन—केवल नेफेड द्वारा

2007-08 — 1.4 मिलियन टन

2008-09 — 874140 मीट्रिक टन (16.10.2008 तक)

ऊपर के पैरा में उल्लिखित सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाई गई है और उसके द्वारा मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया गया है।

[हिन्दी]

पशुओं के लिए चारा

376. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन को बचाने की व्यवस्था करने और उनके चारा उपलब्ध कराने हेतु खर्च की गई धनाराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पशुपालकों ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारा की अनुपलब्धता के कारण अपने पशुओं को अन्य राज्यों में भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो इन पशुपालकों को क्या सुविधाएं/सहायता दी जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकार पिछड़े क्षेत्रों में गौशाला की स्थापना करने और इस संबंध में अनुदान देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन को चारा प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट चालू योजना नहीं है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश (16 जिले), महाराष्ट्र (6 जिले), कर्नाटक (6 जिले) और केरल (3 जिले) के

31 आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन और मात्स्यिकी पैकेज के अंतर्गत, प्रभावित जिलों में आहार एवं चारे के विकास के लिए धनराशि प्रदान की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। देश में चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, विभाग संपूर्ण देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत चारा विकास के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान की गई थी जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, देश में आहार एवं चारे की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए सात क्षेत्रीय केन्द्र और एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता न होने के कारण राज्यों से पशुधन के स्थानान्तरण से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु कोई घटक नहीं है।

विवरण-I

आहार एवं चारा विकास के लिए आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 08 तक)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	159.00	1997.00	—	2156.00
2.	कर्नाटक	612.00	—	—	612.00
3.	केरल	279.00	411.88	42.50	733.38
4.	महाराष्ट्र	612.00	230.00	—	842.00
	कुल'	1662.00	2638.88	42.50	4343.38

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्यों को जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 08 तक)
1	2	4	5	6
आंध्र प्रदेश	19.80	0.00	0.00	0

1	2	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	0.00	10.00	12.00	0
असम	0.00	0.00	85.00	0
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0
गुजरात	155.57	0.00	136.03	165.00
हरियाणा	0.00	21.25	0.00	0
हिमाचल प्रदेश	100.00	0.00	0.00	0
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0
जम्मू-कश्मीर	58.40	106.69	279.19	0
कर्नाटक	100.00	100.00	55.00	0
केरल	0.00	0.00	133.00	0
मध्य प्रदेश	0.00	221.50	0.00	0
महाराष्ट्र	0.00	27.50	0.00	0
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0
मिजोरम	100.00	20.00	30.00	199.50
नागालैण्ड	120.50	120.00	0.00	0
उड़ीसा	0.00	272.00	0.00	0
पंजाब	129.82	0.00	0.00	115.21
राजस्थान	37.02	33.00	0.00	0
सिक्किम	110.00	0.00	33.00	0
तमिलनाडु	24.00	0.00	0.00	0
त्रिपुरा	40.25	0.00	0.00	0
उत्तर प्रदेश	37.03	50.67	0.00	0

1	2	4	5	6
उत्तराखंड	90.00	0.00	21.25	0
पश्चिम बंगाल	40.00	0.00	136.00	0
कुल	1162.39	982.61	920.47	479.71

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में विद्युत बचत

377. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में विद्युत की बचत करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चुनी हुई डिमान्ड साइड मैनेजमैंट (डीएसएम) परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता में 29 मई, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में ऊर्जा मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने सिफारिश की थी कि प्रतिकृति व्यापार माडल के विकास की सुनिश्चितता के लिए कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष वाटर पपिंग के लिए 20 पाइलेट परियोजनाओं की शुरूआत की जा सकती है जिसमें कृषि क्षेत्र की जटिलताओं और इस तथ्य, कि अभी तक कोई प्रदर्शन योग्य सतत परियोजना कार्यान्वित नहीं है, को ध्यान में रखा जाए । ईएफसी में सिफारिश की थी कि इन पाइलेट परियोजनाओं को चुनिन्दा राज्यों में उनकी कृषि फीडरों पर तैयारी, वियोजन, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) की स्थापना और राज्य सुविधा द्वारा इस पहल को शुरू करने की इच्छा के संदर्भ में शुरू किया जा सकता है।

(ग) और (घ) पाइलेट परियोजनाओं की शुरूआत के लिए ईएफसी द्वारा अनुमोदित मानदण्डों क आधार पर 6 राज्यों को चुना गया है। ये राज्य पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र हैं। इन चयनित राज्यों में सरकार द्वारा स्कीम के अनुमोदन के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी इनर्जी एफीसियन्सी ब्यूरो (बीईई) द्वारा की जानी है।

वायदा व्यापार के प्रभाव संबंधी समिति

378. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं की मुल्य वृद्धि पर वायदा व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित अभिजीत सेन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभिजीत सेन समिति रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अभिजीत सेन समिति की सिफारिशों में व्यापक तौर पर कमोडिट फ्यूचर्स मार्केट में विनियामक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उसको गहन बनाने की बात कही गई है। इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम 1952 में संशोधन अपेक्षित है।

विवरण

अभिजीत सेन समिति के प्रमुख निष्कर्ष

समिति ने मूल्यों (स्पाट मूल्य) के उतार-चढ़ाव के संबंध में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया। विशेषज्ञ समिति ने किए गए विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:-

"साप्ताहिक और मासिक आंकड़ों की तुलना में दैनिक आंकड़ों के विरोधाभासी परिणामों को देखते हुए इस संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्या भावी सौदा व्यापार शुरू करने से स्पाट मूल्यों के उतार-चढ़ाव में गिरावट अथवा वृद्धि पर कोई प्रभाव प्रभाव पड़ा है?"

(1) विशेषज्ञ समिति ने भावी सौदा व्यापार से पूर्व की अवधि और उसके बाद की अवधि में संवेदनशील वस्तुओं (खाद्यान्न और चीनी) के मुल्यों में वार्षिक वृद्धि दर का भी विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि भावी सौदा व्यापार शुरू होने के बाद उन वस्तुओं के मूल्यों में स्पष्ट तौर पर वृद्धि हुई है जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मान अधिक है, फिर भी यह सामान्य दावा करना संभव नहीं है कि वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि भावी सौदा व्यापार क साथ हुई;

(2) हैजर्स का आकर्षित करने के लिए भावी सौदा संविदाओं में हाई बेसिस रिस्क पर ध्यान दिया जाए;

(3) नेशनल एक्सचेंजों में सुपुर्दगी प्रणाली को व्यापक आधार वाली बनाने की आवश्यकता है और एक्सचेंज प्लेटफार्म पर सुर्पुदगी प्रभारों को कम किया जाना चाहिए ताकि सुपुर्दगियों को बढ़ावा दिया जा सके;

(4) भावी सौदा बाजार में नये उपादों को सूचीबद्ध करने से पहले यह पता लगाने के लिए भलीभंति जांच करना आवश्यक है कि क्या उनसे जनता और पणधारियों को लाभ होने जा रहा है;

(5) इन नेशनल स्पॉट एक्सचेंजों की स्थापना और कार्यकरण में विधायी और विनियामक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए;

(6) कमोडिटी अर्थव्यवस्था में किसानों और अन्य पणधारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संचार, परिवहन, बैंकिंग सुविधाओं, भण्डारण और एसेइंग जैसे आधार ढांचे संबंधी जिन खाइयों को पाटे जाने की आवश्यकता है, का पता लगाकर आधार ढांचे का विकास करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं;

(7) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भाण्डागार और वस्तु वित्त के आधार ढांचे को उपयुक्त बनाया जाना चाहिए;

(8) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर मूल्य खोज के लाभ किसानों तक पहुंचें, एक ऐसा ढांचा सृजित करना महत्वपूर्ण है जो देश के दूरस्थ कोनों तक मूल्यों का प्रसार कर सके;

(9) वायदा बाजार आयोग और एक्सचेंज दोनों में एक परामर्शी दल होना चाहिए जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिनको कमोडिटी के क्षेत्र का प्रामाणिक विषयगत ज्ञान हो;

(10) शीर्ष स्तर पर पूंजी बाजार में एच एल सी सी के अनुरूप वस्तुबाजार संबंधी एक समिति का गठन किया जाए जिसका अध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष अथवा उसके नामिति के रूप में योजना आयोग का कोई एक सदस्य हो। वायदा बाजार आयोग का अध्यक्ष समिति का संयोजक होना चाहिए। सचिव (कृषि), सचिव (उपभोक्ता मामले), सचिव (खाद्य), सचिव (वाणिज्य), भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तथा किसानों, सहकारी समितियों और व्यापारिक निकायों (जैसे फिक्की, सी आई आई आदि) का एक-एक प्रतिनिधि समिति का सदस्य होना चाहिए। समिति कमोडिटी मार्केट के विकास और विनियमन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और उपयुक्त कदम उठाने के लिए वायदा बाजार आयोग का मार्गदर्शन करे;

(11) विनियम को अपग्रेड करने और विनियामक की क्षमता में सुधार करने के लिए प्रस्तावित अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक को जोरदार ढंग से परस्पू करने की आवश्यकता है;

(12) किसानों के समूहों, सहकारी संस्थाओं, आर आर बी, सी सी बी, गैर-सरकारी संगठन, राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भाण्डागार निगम, कमोडिटी डेवलमेंट बोर्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उनके साथ निकट संबंध रखते हैं और जिन पर किसानों को विश्वास होता है, को संकलनकर्ताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए;

(13) कृषि-जन्य वास्तुओं के मामलों में केवल कुछ समय के लिए तब तक सामान्य 'विकल्प' की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक बाजार प्रचालनों और विनियमों की परिपक्वता प्राप्त न कर लें और किसान बाजारों की उपयुक्त समझदारी तथा उनके उपयोग की तकनीकों की जानकारी प्राप्त न कर लें;

(14) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जिनको इस समय कमोडिटी मार्केट्स में व्यापार की अनुमति नहीं है, को बैंकिंग विनियामक द्वारा अनुमोदन की शर्त पर उस सीमा तक व्यापार करने की अनुमति दी जाए जो छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों के लिए उपयुक्त कस्टोमाइज्ड ओ टी सी उत्पादन तैयार करने के प्रयोजन हेतु अपेक्षित हों; और

(15) कृषि-जन्य वस्तुओं में 'काल' और 'पुट' विकल्पों के लेखक के रूप में कार्य कर रहे भारतीय खाद्य निगम सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने वाली एजेंसियों की संभावना का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी

379. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीएसएनएल के जीएसएम उपभोक्ता की संख्या कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ख) जी, नहीं। बीएसएनएल के जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या कम नहीं हो रही है। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के 36.2 मिलियन उपभोक्ताओं की तुलना में 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के 38.5 मिलियन सेल्यूलर मोबाइल उपभोक्ता हैं अर्थात् इस अवधि के दौरान 2.3 मिलियन उपभोक्ताओं की निवल वृद्धि हुई।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने नेटवर्क में 15.75 मिलियन लाइनों की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। बीएसएनएल ने अपने प्रचालन क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर 93 मिलियन अतिरिक्त क्षमता के लिए निविदा आमंत्रित की है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कवरेज में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने अगले तीन वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में मोबाइल सेवा की सुविधा का विस्तार करने की योजना बनाई है।

आईसीएआर केन्द्र

380. **श्री वसुभाई धानाभाई बारड : क्या कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कितने केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे और केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों के कब तक स्थापित होने की संभावना है और ये केन्द्र कब से कार्य करना शुरू करेंगे; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं/आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों की संख्या 95 है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन और संस्थानों को खोलने का प्रस्ताव है इनके नाम हैं जैविक दबाव प्रबंधन संस्थान; अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान तथा कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बशर्ते कि योजना आयोग से ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

(घ) योजना आयोग के अनुमोदन के आधार पर व्यय वित्त समिति/सक्षम निकाय द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा।

विवरण

संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/परियोजना निदेशालयों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/परियोजना निदेशालय	संस्थानों/रा.अ. केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों की संख्या
1	2	3
	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1
1.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	
	आंध्र प्रदेश	9
2.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	
3.	केन्द्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	
4.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध अकादमी (नार्म), हैदराबाद	
5.	राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र, पेडावेगी, पश्चिमी गोदावरी	
6.	राष्ट्रीय मांस तथा मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	
7.	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	
8.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	
9.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	
10.	मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	
	अरुणाचल प्रदेश	1
11.	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, पश्चिमी कोमेंग	
	असम	1
12.	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी	
	बिहार	2
13.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलेक्स, पटना	

1	2	3
14.	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुज्जफरपुर	
	दिल्ली	8
15.	राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	
16.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	
17.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	
18.	राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	
19.	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली	
20.	राष्ट्रीय कृषि आर्थिक और नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	
21.	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	
22.	कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा), नई दिल्ली	
	गुजरात	2
23.	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	
24.	राष्ट्रीय औषधीय तथा सगंधीय पौधा अनुसंधान केन्द्र, आनन्द	
	गोवा	1
25.	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स, गोवा	
	हिमाचल प्रदेश	2
26.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	
27.	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र, सोलन	
	हरियाणा	6
28.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	
29.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	
30.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	
31.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	

1	2	3
32.	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	
33.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	
	जम्मू-कश्मीर	1
34.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	
	झारखण्ड	1
35.	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रांची	
	कर्नाटक	5
36.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	
37.	राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान, बंगलौर	
38.	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर	
39.	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर	
40.	पशु रोग निगरानी परियोजना निदेशालय, हैब्बाल, बंगलौर	
	केरल	5
41.	केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	
42.	केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़	
43.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	
44.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	
45.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	
	मेघालय	1
46.	उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भ.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स, बड़ापानी	
	महाराष्ट्र	8
47.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	
48.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	

1	2	3
49.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	
50.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	
51.	राष्ट्रीय नीबू अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	
52.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे	
53.	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, पुणे	
54.	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर	
	मध्य प्रदेश	4
55.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	
56.	केन्द्रीय कृषि इंजिनियरी संस्थान, भोपाल	
57.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर	
58.	राष्ट्रीय-खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	
	नागालैंड	1
59.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेदजिफेमा, नागालैंड	
	उड़ीसा	4
60.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	
61.	केन्द्रीय ताजा जल जन्तु पालन संस्थान, भुवनेश्वर	
62.	पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर	
63.	कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर	
	पंजाब	1
64.	केन्द्रीय कटाई उपरांत इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	
	राजस्थान	6
65.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	
66.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	

1	2	3
67.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान	
68.	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	
69.	राष्ट्रीय ऊष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	
70.	राष्ट्रीय तोरिया और सरसों अनुसंधान केन्द्र, (एनआरसीआरएम), भरतपुर	
	सिक्किम	1
71.	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, पेक्योंग, सिक्किम	
	तमिलनाडु	3
72.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	
73.	केन्द्रीय खारा पानी जल-जन्तुपालन संस्थान, चेन्नई	
74.	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची	
	उत्तर प्रदेश	14
75.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	
76.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	
77.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	
78.	राष्ट्रीय कृषि प्रमुख सूक्ष्म आर्गनिज्म ब्यूरो (एनबीएआईएम), मऊ	
79.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	
80.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	
81.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	
82.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	
83.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	
84.	राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	
85.	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	
86.	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	

1	2	3
87.	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	
88.	मवेशी निदेशालय, मेरठ	
	उत्तराखण्ड	4
89.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा	
90.	केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	
91.	राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, भीमताल, नैनीताल	
92.	खुरपका तथा मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर	
	पश्चिम बंगाल	3
93.	केन्द्रीय पटसन तथा संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	
94.	राष्ट्रीय पटसन तथा संबद्ध रेशा प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता	
95.	केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	
	कुल	95

दुग्ध सहकारी संघ

381. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रुग्ण होने वाले दुग्ध सहकारी संघों के राज्यवार नाम क्या हैं और इसकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का रूग्ण दुग्ध सहकारी संघों के पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) देश के 14 दुग्ध सहकारिता संघों में से निम्नलिखित संघ पिछले तीन वर्षों से रुग्ण थे:-

वर्ष	राज्य	रुग्ण हुए संघों की संख्या	संघ का नाम
2004-05	तमिलनाडु	1	तमिलनाडु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ
2005-06	तमिलनाडु एवं केरल	2	तमिलनाडु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, केरल दुग्ध विपणन संघ
2006-07	तमिलनाडु एवं केरल	2	तमिलनाडु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, केरल दुग्ध विपणन संघ

(ख) और (ग) भारत सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भारत-चीन रक्षा सहयोग

382. श्री गणेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन पारस्परिक रक्षा सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों द्वारा मई, 2006 में रक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) प्रथम भारत-चीन वार्षिक रक्षा वार्ता नवंबर, 2007 में बीजिंग में आयोजित की गई थी जिसके दौरान सेना से सेना के संबंधों को बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की गयी थी।

[अनुवाद]

युद्धविराम समझौता का उल्लंघन

383. श्री नन्द कुमार साय :
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री मो. ताहिर :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने नियंत्रण सीमा (एल ओ सी) के पास भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने अब तक कितनी बार युद्धविराम समझौता का उल्लंघन किया है;

(घ) इस प्रकार की गोलाबारी से हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने युद्ध विराम के उल्लंघन के प्रति विरोध दर्ज कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जनवरी, 2008 से नियंत्रण रेखा पर भारतीय मोर्चों पर गोलीबारी की 34 घटनाएं हुई हैं।

(ग) और (घ) नवंबर, 2003 में युद्धविराम लागू होने से अब तक पाकिस्तानी पक्ष द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन की कुल 58 घटनाएं हुई हैं। ऐसी गोलीबारियों से हमारे सैनिक चार घातक तथा तेरह गैर-घातक रूप से हताहत हुए हैं।

(ङ) और (च) हाटलाइन के स्थापित तंत्रों, ध्वज बैठकों तथा सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के बीच साप्ताहिक बातचीतों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया है। नियंत्रण रेखा की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उस पर तैनात हमारे अपने सैनिकों द्वारा समुचित उपाय लागू किए गए हैं। नियंत्रण रेखा के किसी उल्लंघन के प्रयास के विरुद्ध कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाती है जबकि इसमें वृद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त संयम बनाए रखा जाता है।

राज्यों से गेहूं की खरीद

384. श्री नन्द कुमार साय :
श्री परसुराम माझी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की खरीद में वृद्धि के लिए चालू वर्ष के रबी विपणन मौसम के दौरान किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में किस सीमा तक गेहूं की खरीद में वृद्धि हुई है और उक्त अवधि के दौरान प्रारम्भ और अंत में स्टॉक कितना था तथा अतिरिक्त गेहूं के समुचित रूप से भंडारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफैड) को केन्द्रीय पूल से गेहूं खरीदने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो चालू मौसम के दौरान नेफैड द्वारा कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) गेहूं की खरीदारी बढ़ाने के लिए रबी विपणन मौसम 2008-09 के दौरान विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रबी विपणन मौसम 2007-08 में केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए 111.3 लाख टन गेहूं की तुलना में रबी विपणन मौसम 2008-09 में 226.82 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। 1 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 58.03 लाख टन गेहूं का स्टाक था जबकि 1 अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार 47.03 लाख टन था। केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे गए गेहूं को ढके हुए अथवा प्लिंथ पर ढके हुए गोदामों में रखा गया है ताकि इसका उचित भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। नेफेड ने केन्द्रीय पूल के लिए विभिन्न राज्यों से रबी विपणन मौसम 2008-09 के दौरान 5.27 लाख टन गेहूं खरीदा है।

विवरण

रबी विपणन मौसम 2008-09 में गेहूं की खरीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(i) किसानों को गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रबी विपणन मौसम 2008-09 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये पति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 250 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष किसानों को दिए गए 850 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद मूल्य (100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस सहित) से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

(ii) 2007-08 में 18 लाख टन गेहूं का आयात किया गया है जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ और गेहूं का स्टाक (1.4.2008 की स्थिति के अनुसार) रबी विपणन मौसम 2008-09 के शुरूआत में 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक था।

(iii) अगले आदेश होने तक गेहूं के निर्यात को प्राइवेट खाते पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से भी गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(iv) 11.2.2008 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2008 नामक अधिसूचना जारी की गई है। इस आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2008-09 के दौरान 10 हजार टन से अधिक गेहूं खरदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य को एक रिटर्न भेजेगा जहां से अधिकतम मात्रा की खरीदारी की गई है जबकि 25000 टन से अधिक मात्रा खरीदने पर केन्द्र सरकार को रिटर्न भेजना अपेक्षित होगा।

(v) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना की समयावधि 31 अगस्त, 2008 तक बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं के संबंध में स्टाक रखने की सीमा लागू कर सके।

(vi) प्राइवेट खाते पर शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात की अनुमति अगले आदेश होने तक दे दी गई है।

(vii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर आकलन करने के लिए गेहूं की वसूली करने वाले राज्यों का अक्सर दौरा कर रहे हैं।

(viii) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में गेहूं की वसूली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर समिति/उप एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ix) नेफेड को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं खरीदने का काम सौंपा गया था।

3जी दूरसंचार सेवा की शुरूआत

385. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में थर्ड जेनरेशन (3जी) दूरसंचार सेवाएं शरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में 3जी दूरसंचार सेवाओं सहित दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अनुमति दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मौजूदा घरेलू दूरसंचार प्रचालकों और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को 3जी दूरसंचार सेवाओं का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 01.08.2008 को 3जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी और आबंटन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों और 11.09.2008 को तत्संबंधी संशोधनों की घोषणा की है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति,

(i) जिसके पास एकीकृत अभिगम सेवा/सीएमटीएस लाइसेंस हो; अथवा

(ii) (क) जिसके पास 3जी दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन का पहले से ही अनुभव हो; और

(ख) जिसके दूरसंचार प्रचालनों को आरंभ करने से पहले दूरसंचार विभाग के दिनांक 14.12.2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) प्राप्त करने के लिए वचन-पत्र दिया हो, 3जी स्पैक्ट्रम के लिए बोली लगा सकता है और वह नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इससे विदेशी कंपनियां भी नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। सफल बोलीदाता को नियंत्रित एककालिक आरोहीं ई-नीलामी के माध्यम से लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) दिल्ली और मुंबई मेट्रो सेवा क्षेत्रों में एमटीएनएल को और देश के अन्य सेवा क्षेत्रों में बीएसएनएल को 2.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 2×5 मेगाहर्ट्ज का एक ब्लाक आबंटित किया गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल को अपने सेवा क्षेत्र में उच्चतम बोली के बराबर मूल्य पर स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करना होगा।

[हिन्दी]

दूरसंचार नेटवर्क में संकुलन

386. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने अद्यतन प्रतिवेदन में भारती, रिलायंस और सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सहित निजी दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्कों के बीच बढ़ रहे संकुलन पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी दूरसंचार कंपनियों और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के नेटवर्कों के बीच शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संकुलन में इसके लिए निर्धारित मापदंड से अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इसके लिए निर्धारित पैमाने के अनुसार नेटवर्कों में संकुलन के स्तर को बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। ट्राई सेवा प्रदाताओं से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के जरिए प्वाइंट आफ इंटरकनेक्ट (पीओआई) संकुलन के पैरामीटर हेतु – 0.5% के सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंड की तुलना में सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की

मानीटरिंग कर रहा है। ट्राई ने निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के नेटवर्कों के बीच और निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के बीच के संकुलन के स्तर के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

(ग) ट्राई की जून, 2008 की रिपोर्ट के अनुसार उन प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन की संख्या का ब्यौरा दिया गया है जिनमें निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के नेटवर्कों के बीच के संकुलन का स्तर 0.5% के मानदंड से भी अधिक हो गया है। यह संकुलन कुल 11500 प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में 94 है।

(घ) जिन प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के नेटवर्कों के बीच और निजी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के बीच के संकुलन का स्तर 0.5% के मानदंड से भी अधिक हो गया है उन प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन की विगत तीन वर्षों अर्थात् 1.7.2005 से जून, 2008 तक की संख्या के माहवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) (i) सेवा प्रदाताओं के बीच सीधे इंटरकनेक्शन की अनुमति है।

(ii) ट्राई बुनियादी सेवा और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। ये उपाय नीचे दिए गए हैं:-

- ट्राई ने जुलाई, 2000 में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियम जारी किया था और बाद में इसे जुलाई, 2005 में संशोधित किया था ताकि बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए विभिन्न क्यूओएस पैरामीटरों के मानदंड निर्धारित किए जा सकें। इसमें सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) संकुलन पैरामीटर का समावेश भी किया गया था।

- ट्राई ने 29 नवंबर, 2005 को सभी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को यह निदेश जारी किया था कि वे 31 दिसंबर, 2005 तक यह सुनिश्चित करें कि उनके नेटवर्क में प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के संकुलन के स्तर सहित सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर पूर्णतः प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। सेल्युलर मोबाइल प्रचालकों की, दिसंबर, 2005 को समाप्त तिमाही की कार्य-निष्पादन मानीटरिंग रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर यह पता चला था कि यद्यपि क्यूओएस के मानदंडों को पूरा करने में कुछ सुधार हुआ है तथापि, प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पर संकुलन में वृद्धि हुई है। अतः प्राधिकरण ने उन प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया जिनके नेटवर्क में संकुलन वाले प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शनों की संख्या मानदंड से भी अधिक हो गई है और तदुनसार प्राधिकरण ने 06.03.2006 को छह मोबाइल प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इन प्रचालकों ने कारण बताओ नोटिसों के विरुद्ध टीडीएसएटी में मामला दायर कर दिया और मार्च, 2006 से यह मामला निर्णयाधीन है।

विवरण

ऐसे प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शनों की संख्या का माहवार ब्यौरा जिनमें संकुलन का स्तर निर्धारित मानदंड (> 0.5%) से बढ़ गया

माह	बीएसएनएल और निजी सेल्युलर मोबाइल प्रचालकों के बीच	निजी सेल्यूलर मोबाइल प्रचालकों के बीच	कुल
	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन संकुलन (> 0.5%)		
1	2	3	4
जुलाई, 2005	225	0	225
अगस्त, 2005	264	0	264
सितंबर 2005	364	0	364
अक्तूबर, 2005	393	0	393
नवंबर, 2005	404	0	404
दिसंबर, 2005	398	0	398
जनवरी, 2006	335	53	388

1	2	3	4
फरवरी, 2006	404	100	504
मार्च, 2006	381	69	450
अप्रैल, 2006	519	86	605
मई, 2006	517	99	616
जून, 2006	465	113	578
जुलाई, 2006	426	111	537
अगस्त, 2006	439	128	567
सितंबर, 2006	366	117	483
अक्तूबर, 2006	398	128	526
नवंबर, 2006	360	137	497
दिसंबर, 2006	300	89	389
जनवरी, 2007	330	148	478
फरवरी, 2007	327	168	495
मार्च, 2007	337	162	499
अप्रैल, 2007	323	165	488
मई, 2007	297	162	459
जन, 2007	312	145	457
जुलाई, 2007	269	142	411
अगस्त, 2007	234	124	358
सितंबर, 2007	217	129	346
अक्तूबर, 2007	208	123	331
नवंबर, 2007	212	132	344
दिसंबर, 2007	203	108	311

1	2	3	4
जनवरी, 2008	98	130	228
फरवरी, 2008	93	132	225
मार्च, 2008	118	157	275
अप्रैल, 2008	113	132	245
मई, 2008	98	106	204
जून, 2008	94	62	156

[अनुवाद]

अवरोधक बांधों संबंधी राष्ट्रीय नीति

387. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवरोधक बांधों संबंधी राष्ट्रीय नीति शुष्क नदियों को पुनर्जीवित करने वाली तथा क्षेत्र में समृद्धि लाने वाली सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास अवरोधक बांधों संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने नदियों पर अवरोधक बांध बनाने हेतु राष्ट्रीय सहमति जुटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय ने "चेक बांधों से संबंधित राष्ट्रीय नीति" तैयार नहीं की है। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में इस बात का उल्लेख है कि चेक बांधों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और नेपाल के बीच संयुक्त जल प्रबंधन

388. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल लंबित जल परियोजनाओं संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए विस्तरीय जल प्रबंधन तन्त्र की स्थापना करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेपाल से आने वाली नदियों से निरन्तर आने वाली बाढ़ से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सरकार ने नेपाल सरकार के सहयोग से क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। 14-18 सितम्बर, 2008 तक नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान भारत और नेपाल जल संसाधन के क्षेत्र में वर्तमान द्विपक्षीय तंत्रों की क्षमता के औचित्य और वृद्धि के लिए मंत्री, सचिव और तकनीकी स्तर पर एक तीन-श्रेणी तंत्र की स्थापना के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बाद, जल संसाधन संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) ने 29 सितम्बर-1 अक्तूबर, 2008 तक काठमांडु (नेपाल) में आयोजित इसकी तीसरी बैठक में यह सिफारिश की है कि तीन-श्रेणी द्विपक्षीय तंत्र में निम्नलिखित होंगे: (i) भारत और नेपाल के मंत्रियों की अध्यक्षता वाला जल संसाधन संबंधी संयुक्त मंत्रालय स्तर का आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (ii) भारत और नेपाल के जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति, और (iii) अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), भारत सरकार और संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नेपाल सरकार की अध्यक्षता वाली संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति।

(ग) भारत और नेपाल की सरकारें विभिन्न स्कीमों एवं तंत्रों के माध्यम से बाढ़ संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। कोसी और गंडक परियोजनाएं अन्य लाभों के साथ भारत और नेपाल में तटबंधों के माध्यम से भी बाढ़ नियंत्रण करती हैं। दोनों पक्ष लाल बकिया, बागमती, कमला और खांडो नदियों पर तटबंधों का नेपाल में उच्च भूमि तक विस्तार करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। सरकारों ने सप्त कोसी उच्च बांध और सनकोसी डाइवर्जन स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने एवं इनके अन्वेषण के लिए एक संयुक्त परियोजना कार्यालय (जेपीओ) की स्थापना की है। संयुक्त परियोजना कार्यालय कमला का व्यवहार्यता अध्ययन और बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रारंभिक अध्ययन भी करेगा। बाढ़ नियंत्रण इन परियोजनाओं के उद्देश्यों में से एक होगा।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकार करना

389. **श्री हंसराज गं. अहीर :**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री के. सुब्बारायण :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत चौदह सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकार करने को मान्यता दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रत्येक परियोजना के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई या व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकारों को कोई निधि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2008-09 के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई तथा सरकार द्वारा कितना बजटीय आबंटन किया गया;

(ङ) क्या राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में मंजूर की गई इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (च) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार भारत सरकार ने 14 जल संसाधन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इनमें से, तीन परियोजनाएं अर्थात् महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना, पश्चिम बंगाल की तीस्ता बैराज परियोजना और पंजाब की शाहपुर कांडी परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान सहायता प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय परियोजना के लिए वित्तपोषण की स्कीम के अंतर्गत इन परियोजनाओं पर कोई निधि व्यय नहीं किया गया है। 2008-09 के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए स्कीम के अंतर्गत कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं हो पाई है।

विवरण

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	(1) सिंचाई (हेक्टे.) (2) विद्युत (मे.वा.) (3) भंडारण (एमएएफ)	राज्य	औचित्य
1	2	3	4	5
1.	तीस्ता बैराज	(1) 9.23 लाख (2) 1000 मे.वा. (3) बैराज	पश्चिम बंगाल	अंतर्राष्ट्रीय परिवर्धन वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित परियोजनाएं तथा नीतिगत महत्व वाली परियोजनाएं
2.	शाहपुर कांडी	(1) 0.33 लाख (2) 68 मे.वा. (3) बैराज	पंजाब	
3.	बरसार	(1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) (2) 1230 मे.वा. (3) 1 एमएएफ	जम्मू-कश्मीर	
4.	दूसरा रावी-व्यास संपर्क	सीमा के आरपार बहने वाले लगभग 3 एमएएफ जल को उपयोग में लाना	पंजाब	
5.	उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना	(1) 0.32 लाख हेक्टे. (2) 280 मे.वा. (3) 0.66 एमएएफ	जम्मू-कश्मीर	
6.	ग्यस्पा परियोजना	(1) 0.50 लाख हेक्टे. (2) 240 मे.वा. (3) 0.6 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश	

1	2	3	4	5
7.	लखवर व्यासी	(1) 0.49 लाख	उत्तरांचल	यमुना बेसिन की परियोनाएं। पर्यावरणीय, पेयजल और राष्ट्रकुल खेलों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
		(2) 420 मे.वा.		
		(3) 0.325 एमएएफ		
8.	किशाऊ	(1) 0.97 लाख	हिमाचल पदेश/	
		(2) 600 मे.वा.	उत्तरांचल	
		(3) 1.04 एमएएफ		
9.	रेणुका	(1) पेयजल	हिमाचल प्रदेश	
		(2) 40 मे.वा.		
		(3) 0.44 एमएएफ		
10.	नोआ-दिहांग बांध परियोजना	(1) 8000 हेक्टे.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर परियोजनाएं
		(2) 75 मे.वा.		
		(3) 0.26 एमएएफ		
11.	कुल्सी बांध परियोजना	(1) 23,900 हेक्टे.	असम	
		(2) 29 मे.वा.		
		(3) 0.28 एमएएफ		
12.	ऊपरी सियांग	(1) अप्रत्यक्ष	अरुणाचल पदेश	
		(2) 9500 मे.वा.		
		(3) 17.50 एमएएफ		
		(4) बाढ़ में कमी लाना		
13.	गोसीखुर्द	(1) 2.50 लाख	महाराष्ट्र	भारी सिंचाई क्षमता और पेयजल आपूर्ति घटक वाली वृहद अंत: राज्य परियोजनाएं
		(2) 3 मे.वा.		
		(3) 0.93 एमएएफ		

1	2	3	4	5
14.	केन-बेतवा	(1) 6.46 लाख (2) 72 मे.वा. (3) 2.25 एमएएफ	मध्य प्रदेश	नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना

[अनुवाद]

डाकघरों में 'प्रोजेक्ट ऐरो' योजना

390. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न डाकघरों में 'प्रोजेक्ट ऐरो' नामक कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन डाकघरों के नाम क्या हैं जहां पर उपरोक्त योजना पहले ही से प्रारंभ कर दी गई है; और

(घ) देश के सभी डाकघरों में उपरोक्त योजना कब तक पूरी होने की उम्मीद है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) ''प्रोजेक्ट ऐरो'' नई योजना नहीं है। यह नाम उस परियोजना को दिया गया है जिसके अंतर्गत 12 डाक सर्किलों में कुछ डाकघरों को चुना गया है। इस परियोजना के दो पहलू हैं—इनमें पहला है: ''लुक एण्ड फील'' जो काउंटर विन्यास, प्रौद्योगिकी का उन्नयन आदि में एकरूपता लाने के लिए है और दूसरा है इन डाकघरों के प्रमुख प्रचालनात्मक क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु ''कोर बिजनेस''। इस प्रकार प्रोजेक्ट ऐरो का लक्ष्य प्रमुख डाक क्रियाकलापों का केंद्रीकृत एवं व्यवस्थित रूप से उन्नयन करना है। इसका उद्देश्य शेष सर्किलों के डाकघरों में भी चरणबद्ध रूप से इन सफल पहलों को दोहराना है।

(ग) और (घ) जिन डाकघरों में इस स्कीम को पहले ही लागू किया गया है उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। संलग्न विवरण-I में दिए गए डाकघरों में क्रियाकलाप पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। चरण-II के लिए चुने गए डाकघरों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। संलग्न विवरण-II में दिए गए डाकघरों में क्रियाकलापों पर कार्रवाई चल रही है और आशा है कि ये 31-12-2008 तक पूरे हो जाएंगे।

विवरण-I

ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है (संशोधित सूची)
चिह्नित डाकघरों को प्रायोगिक परियोजना के प्रथम चरण के लिए चुना गया है

ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—आंध्र प्रदेश सर्किल

क्रमांक	चुने गए डाकघर का नाम	डाक डिवीजन	राजस्व जिला	डाक क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	नेक्कोंडा उप डाकघर	वारंगल	वारंगल	हैदराबाद क्षेत्र
2.	काहीर उप डाकघर	संगरेड्डी	मेडक	हैदराबाद क्षेत्र
3.	पट्टिकोंडा एलएसजी उप डाकघर	कुर्नूल	कुर्नूल	कुर्नूल

1	2	3	4	5
4.	द्वारका तिरुमला उप डाकघर	एलूरू	पश्चिम गोदावरी	विजयवाड़ा
5.	सोमपेटा उप डाकघर	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	विशाखापटनम
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—झारखंड सर्किल			
6.	दोरांदा प्रधान डाकघर	रांची	रांची	रांची
7.	मधुपुर उप डाकघर	दमका	देवघर	रांची
8.	जमशेदपुर प्रधान डाकघर	जमशेदपुर	जमशेदपुर	रांची
9.	हजारीबाग प्रधान डाकघर	हजारीबाग	हजारीबाग	रांची
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—मध्य प्रदेश सर्किल			
10.	गुना प्रधान डाकघर	गूना	गूना	इंदौर
11.	शिवपुरी प्रधान डाकघर	गूना	शिवपुरी	इंदौर
12.	अशोक नगर मुख्य डाकघर	गूना	गूना	इंदौर
13.	नंद नगर उप डाकघर	इंदौर शहर	इंदौर	इंदौर
14.	मुरेना प्रधान डाकघर	चंबल	मुरेना	इंदौर
15.	मोरार प्रधान डाकघर	ग्वालियर	ग्वालियर	इंदौर
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—महाराष्ट्र सर्किल			
16.	भंडारा प्रधान डाकघर	नागपुर मुफ्फसिल डिवीजन	भंडारा	नागपुर
17.	जवहर उप डाकघर	थाणे पश्चिम	थाणे	मुंबई
18.	बारामती उप डाकघर	पुणे मुफ्फसिल	पुणे	पुणे
19.	नांदेड प्रधान डाकघर	नांदेड	नांदेड	औरंगाबाद
20.	कालांगट उप डाकघर	उत्तर गोवा	गोवा	गोवा
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—पूर्वोत्तर सर्किल			
21.	चेरापुंजी उप डाकघर	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	पूर्वोत्तर
22.	मोकोकचुंग मुख्य डाकघर	नागालैंड	मोकोकचुंग	पूर्वोत्तर

1	2	3	4	5
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—उड़ीसा सर्किल			
23.	कामाख्यानगर उप डाकघर	धेंकनाल	अंगुल	संबलपुर
24.	बरपाली उप डाकघर	संबलपुर	बारगढ़	संबलपुर
25.	गोपालपुर उप डाकघर	बेरहामपुर	गंजाम	बेरहामपुर
26.	पुरी प्रधान डाकघर	पुरी	पुरी	भुवनेश्वर
27.	चंदबाली उप डाकघर	भद्रक	भद्रक	भुवनेश्वर
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—राजस्थान सर्किल			
28.	मुकुंदगढ़ उप डाकघर	झुनझुनू	झुनझुनू	जोधपुर
29.	शाहपरा उप डाकघर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	अजमेर
30.	झालावाड़ प्रधान डाकघर	कोटा	झालावार	अजमेर
31.	नंदनवन उप डाकघर	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
32.	राजस्थान सचिवालय उप डाकघर	जयपुर	जयपुर	जयपुर
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—तमिलनाडु सर्किल			
33.	पेरंबलूर	श्रीरंगम	पेरंबलूर	तिरुच्चिरपल्लि
34.	मदनगोपालपुरम	श्रीरंगम	पेरंबलूर	तिरुच्चिरपल्लि
35.	तुरईमंगलम	श्रीरंगम	पेरंबलूर	तिरुच्चिरपल्लि
36.	पदलूर	श्रीरंगम	पेरंबलूर	तिरुच्चिरपल्लि
37.	चेट्टिकुलम	श्रीरंगम	पेरंबलूर	तिरुच्चिरपल्लि
38.	अरियलूर	त्रिच्चि	अरियलूर	तिरुच्चिरपल्लि
39.	जेयनकोंडम	त्रिच्चि	अरियलूर	तिरुच्चिरपल्लि
40.	तुरईयूर	श्रीरंगम	तिरुच्चि	तिरुच्चिरपल्लि
41.	तिरूकुवालई	नागपट्टिनम	नागपट्टनम	तिरुच्चिरपल्लि

1	2	3	4	5
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—उत्तर प्रदेश सर्किल			
42.	अमेठी मुख्य डाकघर	सुलतानपुर	सुलतानपुर	लखनऊ
43.	भदोही मुख्य डाकघर	वाराणसी पश्चिम	वाराणसी	इलाहाबाद
44.	नवाबगंज उप डाकघर	गोंडा	गोंडा	गोरखपुर
45.	कैसरगढ़ उप डाकघर	बहराइच	बहराइच	गोरखपुर
46.	अकबरपुर उप डाकघर	कानपुर मुफ्फसिल	कानपुर देहात	कानपुर
	ऐसे डाकघर जहां आधुनिकीकरण एवं संपूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना है—उत्तराखंड सर्किल			
47.	नरेंद्रनगर उप डाकघर	टिहरी	टिहरी	उत्तरांखड
48.	राजपुर उप डाकघर	देहरादन	देहरादून	उत्तरांखड
49.	सतपुली उप डाकघर	पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	उत्तरांखड
50.	किच्छा उप डाकघर	नैनिताल	ऊधम सिंह नगर	उत्तरांखड

विवरण-II

प्रोजेक्ट ऐरो के द्वितीय चरण के लिए चुने गए 450 डाकघरों की सूची

आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	डाकघर का नाम	डाक डिवीजल	राजस्व जिला	क्षेत्र	
1	2	3	4	5	
1.	एस.के. नगर उप डाकघर	अदिलाबाद	अदिलाबाद	हैदराबाद	1
2.	सीरीसिल्ला उप डाकघर	करीमनगर	करीमनगर	हैदराबाद	2
3.	वारंगल प्रधान डाकघर	वारंगल	वारंगल	हैदराबाद	3
4.	बांसवाड़ा प्रधान डाकघर	निजामाबाद	निजामाबाद	हैदराबाद	4
5.	महबूबनगर प्रधान डाकघर	महबूबनगर	महबूबनगर	हैदराबाद	5
6.	हजूर नगर उप डाकघर	सूर्यपेट	नलगोंडा	हैदराबाद	6

1	2	3	4	5	
7.	नगर कुरनूल उप डाकघर	वानापारथी	महबूबनगर	हैदराबाद	7
8.	मुलुग उप डाकघर	हनमकोंडा	वारंगल	हैदराबाद	8
9.	सुलतानाबाद उप डाकघर	पेड्डापल्ली	करीमनगर	हैदराबाद	9
10.	दुब्बक उप डाकघर	मेडक	मेडक	हैदराबाद	10
11.	कामरेड्डी प्रधान डाकघर	निजामाबाद	निजामाबाद	हैदराबाद	11
12.	बेगमपेट उप डाकघर	सिकन्दराबाद	हैदराबाद	हैदराबाद सिटी	12
13.	हैदराबाद जीपीओ	स्वतंत्र यूनिट	हैदराबाद	हैदराबाद सिटी	13
14.	सिकन्दराबाद प्रधान डाकघर	सिकन्दराबाद	हैदराबाद	हैदराबाद सिटी	14
15.	बन्जारा हिल्स उप डाकघर	हैदराबाद	हैदराबाद	हैदराबाद सिटी	15
16.	जुबली प्रधान डाकघर	हैदराबाद दक्षिण पूर्व	हैदराबाद	हैदराबाद सिटी	16
17.	गूटी उप डाकघर	अनन्तपुर	अनन्तपुर	कुरनूल	17
18.	बादवेल उप डाकघर	तिरुपती	चित्तूर	कुरनूल	18
19.	कुप्पम उप डाकघर	चित्तूर	चित्तूर	कुरनूल	19
20.	कोडूर उप डाकघर	कुडप्पा	कुडप्पा	कुरनूल	20
21.	कुड्डप्पा प्रधान डाकघर	कुरनूल	कुरनूल	कुरनूल	21
22.	पेनुकोंडा उप डाकघर	नान्दियाड	कुरनूल	कुरनूल	22
23.	यूम्मिगानूर उप डाकघर	प्रोदत्तूर	कुड्डप्पा	कुरनूल	23
24.	चन्द्रगिरि प्रधान डाकघर	तिरुपती	चित्तूर	कुरनूल	24
25.	तिरुपती प्रधान डाकघर	तिरुपती	चित्तूर	कुरनूल	25
26.	लक्कीरेड्डी पिल्ली उप डाकघर	कडप्पा	कडप्पा	कुरनूल	26
27.	हनुमान जंक्शन उप डाकघर	गुडिवाड़ा	कृष्णा	विजयवाड़ा	27
28.	विजयवाड़ा प्रधान डाकघर	विजयवाड़ा	कृष्णा	विजयवाड़ा	28
29.	अमरावती उप डाकघर	गुंटूर	गुंटूर	विजयवाड़ा	29

1	2	3	4	5	
30.	चिनुकोंडा उप डाकघर	नरसरावपेट	गुंटूर	विजयवाड़ा	30
31.	गुंटूर प्रधान डाकघर	गुंटूर	गुंटूर	विजयवाड़ा	31
32.	इलूरु प्रधान डाकघर	एल्लूरू	पश्चिम गोदावरी	विजयवाड़ा	32
33.	कोथापटनम उप डाकघर	प्रकाशम	प्रकाशम	विजयवाड़ा	33
34.	तनुकू प्रधान डाकघर	भीमावरम	पश्चिम गोदावरी	विजयवाड़ा	34
35.	खम्मम प्रधान डाकघर	खम्मम	खम्मम	विजयवाड़ा	35
36.	सुल्लूरपेट उप डाकघर	गुड्डूर	नेल्लूर	विजयवाड़ा	36
37.	सन्धामगुलुरू उप डाकघर	प्रकाशम	प्रकाशम	विजयवाड़ा	37
38.	अमलापुरम प्रधान डाकघर	अमलापुरम	पश्चिम गोदावरी	विशाखापट्टनम	38
39.	नरसीपटनम प्रधान डाकघर	अनक्कापल्ली	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	39
40.	विशाखापटनम प्रधान डाकघर	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	40
41.	पालकोंडा उप डाकघर	पार्वतीपुरम	श्रीकाकुलम	विशाखापट्टनम	41
42.	तुनी उप डाकघर	काकीनाड़ा	पश्चिम गोदावरी	विशाखापट्टनम	42
43.	विजयनगर प्रधान डाकघर	विजयनगर	विजयनगर	विशाखापट्टनम	43
44.	विजयनगर कैंट उप डाकघर	विजयनगर	विजयनगर	विशाखापट्टनम	44
		बिहार			
45.	बांकीपुर प्रधान डाकघर	पटना	पटना	पटना	1
46.	मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	2
47.	मधुबनी प्रधान डाकघर	मधुबनी	मधुबनी	मुजफ्फरपुर	3
48.	गोपालगंज प्रधान डाकघर	सीवान	गोपालगंज	मुजफ्फरपुर	4
49.	छपरा प्रधान डाकघर	सारन	सारन	पटना	5
50.	बिहार शरीफ प्रधान डाकघर	नालंदा	नालंदा	पटना	6
51.	औरंगाबाद प्रधान डाकघर	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पटना	7

1	2	3	4	5	
52.	आरा प्रधान डाकघर	भोजपुर	भोजपुर	पटना	8
53.	विक्रमगंज उप डाकघर	भोजपुर	भोजपुर	पटना	9
54.	सासाराम प्रधान डाकघर	रोहतास	रोहतास	पटना	10
55.	हाजीपुर प्रधान डाकघर	वैशाली	वैशाली	पटना	11
56.	मोतीहारी प्रधान डाकघर	मोतीहारी	चम्पारन	मुजफ्फरपुर	12
57.	गया प्रधान डाकघर	गया	गया	पटना	13
58.	भागलपुर प्रधान डाकघर	भागलपुर	भागलपुर	पटना	14
59.	मुंगेर प्रधान डाकघर	मुंगेर	मुंगेर	पटना	15
		गुजरात			
60.	गांधीनगर प्रधान डाकघर	गांधीनगर	गांधीनगर	अहमदाबाद	1
61.	द्वारका उप डाकघर	जामनगर	जामनगर	राजकोट	2
62.	प्रभास पाटण उप डाकघर	जूनागढ़	जूनागढ़	राजकोट	3
63.	भुज प्रधान डाकघर	कच्छ	कच्छ	राजकोट	4
64.	पोरबन्दर प्रधान डाकघर	पोरबन्दर	पोरबन्दर	राजकोट	5
65.	मियागमकर्जन उप डाकघर	वडोदरा पश्चिम	वडोदरा	वडोदरा	6
66.	राजपिपला उप डाकघर	भरूच	नर्मदा	वडोदरा	7
67.	पडारा उप डाकघर	वडोदरा पश्चिम	वडोदरा	वडोदरा	8
68.	छोटा उदयपुर उप डाकघर	वडोदरा पूर्व	वडोदरा	वडोदरा	9
69.	बुडेली (सानखेड़ा) उप डाकघर	वडोदरा पूर्व	वडोदरा	वडोदरा	10
		झारखंड			
70.	झुमरीतिलैया उप डाकघर	हजारीबाग	कोडरमा	रांची	1
71.	धनबाद प्रधान डाकघर .	धनबाद	धनबाद	रांची	2
72.	गोलमुरी उप डाकघर	जमशेदपुर	जमशेदपुर	रांची	3

1	2	3	4	5	
73.	साक्ची एनडीएसओ	जमशेदपुर	जमशेदपुर	रांची	4
74.	कटासगढ़ उप डाकघर	धनबाद	धनबाद	रांची	5
75.	सिमडेगा मुख्य डाकघर	रांची	सिमडेगा	रांची	6
76.	नामकुम उप डाकघर	रांची	रांची	रांची	7
77.	कांके उप डाकघर	रांची	रांची	रांची	8
78.	गुमला प्रधान डाकघर	रांची	गुमला	रांची	9
79.	लोहारदगा मुख्य डाकघर	रांची	लोहारदगा	रांची	10
80.	चाईबासा प्रधान डाकघर	सिंहभूम	पश्चिम सिंहभूम	रांची	11
81.	टाटानगर उप डाकघर	सिंहभूम	पूर्व सिंहभूम	रांची	12
82.	डालटनगंज प्रधान डाकघर	पलामू	पलामू	रांची	13
83.	गिरीडीह प्रधान डाकघर	गिरीडीह	गिरिडीह	रांची	14
84.	बी-देवघर प्रधान डाकघर	दुमका	देवगढ़	रांची	15
85.	दुमका प्रधान डाकघर	दुमका	दुमका	रांची	16
86.	गोड्डा मुख्य डाकघर	दुमका	गोड्डा	रांची	17
87.	बीएस सिटी प्रधान डाकघर	धनबाद	बोकारो	रांची	18
88.	बीएस सिटी सेक्टर-9 उप डाकघर	धनबाद	बोकारो	रांची	19
89.	बीएस सिटी सेक्टर-6 उप डाकघर	धनबाद	बोकारो	रांची	20
90.	बीसीसीएल धनबाद उप डाकघर	धनबाद	धनबाद	रांची	21
91.	धुर्वा उप डाकघर	रांची	रांची	रांची	22
92.	रामगढ़ कैंट प्रधान डाकघर	हजारीबाग	रामगढ़	रांची	23
93.	रांची जीपीओ	रांची	रांची	रांची	24
94.	कोडरमा उप डाकघर	हजारीबाग	कोडरमा	रांची	25
95.	गढ़वा मुख्य डाकघर	पलामू	गढ़वा	रांची	26

1	2	3	4	5	
96.	लातेहार मुख्य डाकघर	पलामू	लातेहार	रांची	27
		मध्य प्रदेश			
97.	सागर कैंट प्रधान डाकघर	सागर डिवीजन	सागर	भोपाल	1
98.	राहतगढ़ उप डाकघर	सागर डिवीजन	सागर	भोपाल	2
99.	छतरपुर उप डाकघर	छतरपुर डिवीजन	छतरपुर	भोपाल	3
100.	खजुराहो उप डाकघर	छतरपुर डिवीजन	छतरपुर	भोपाल	4
101.	पन्ना उप डाकघर	छतरपुर डिवीजन	छतरपुर	भोपाल	5
102.	होशंगाबाद प्रधान डाकघर	हौशंगाबाद डिवीजन	होशंगाबाद	भोपाल	6
103.	शहडोल प्रधान डाकघर	शहडोल डिवीजन	शहडोल	भोपाल	7
104.	उमरिया उप डाकघर	शहडोल डिवीजन	उमरिया	भोपाल	8
105.	जयसिंह नगर उप डाकघर	शहडोल डिवीजन	उमरिया	भोपाल	9
106.	धनपुरी उप डाकघर	शहडोल डिवीजन	शहडोल	भोपाल	10
107.	रीवा प्रधान डाकघर	रीवा डिवीजन	रीवा	भोपाल	11
108.	छिंदवाड़ा प्रधान डाकघर	छिंदवाड़ा डिवीजन	छिंदवाड़ा	भोपाल	12
109.	विदिशा प्रधान डाकघर	विदिशा डिवीजन	विदिशा	भोपाल	13
110.	रायसेन प्रधान डाकघर	विदिशा डिवीजन	रायसेन	भोपाल	14
111.	गंजबसौदा उप डाकघर	विदिशा डिवीजन	विदिशा	भोपाल	15
112.	सिरौंज उप डाकघर	विदिशा डिवीजन	विदिशा	भोपाल	16
113.	पुरवई उप डाकघर	विदिशा डिवीजन	विदिशा	भोपाल	17
114.	सांची उप डाकघर	विदिशा डिवीजन	रायसेन	भोपाल	18
115.	भोपाल जीपीओ	भोपाल डिवीजन	भोपाल	भोपाल	19
116.	सी.टी.टी. नगर प्रधान डाकघर	भोपाल डिवीजन	भोपाल	भोपाल	20
117.	गुंगावली उप डाकघर	गुना डिवीजन	अशोक नगर	इन्दौर	21

1	2	3	4	5	
118.	गुना बाजार उप डाकघर	गुना डिवीजन	गुना	इन्दौर	22
119.	करेरा उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	23
120.	पिच्छोर उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	24
121.	नरवार उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	25
122.	कोलारस उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	26
123.	गुना सिटी उप डाकघर	गुना डिवीजन	गुना	इन्दौर	27
124.	अरौन उप डाकघर	गुना डिवीजन	गुना	इन्दौर	28
125.	ऐसागढ़ उप डाकघर	गुना डिवीजन	अशोक नगर	इन्दौर	29
126.	राधौगढ़ उप डाकघर	गुना डिवीजन	गुना	इन्दौर	30
127.	शाहडोरा उप डाकघर	गुना डिवीजन	अशोक नगर	इन्दौर	31
128.	बामोरी उप डाकघर	गुना डिवीजन	गुना	इन्दौर	32
129.	पोहरी उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	33
130.	शिवपुरी सिटी उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	34
131.	बदरवास उप डाकघर	गुना डिवीजन	शिवपुरी	इन्दौर	35
132.	भीतरवार उप डाकघर	ग्वालियर डिवीजन	ग्वालियर	इन्दौर	36
133.	भंडेर उप डाकघर	ग्वालियर डिवीजन	ग्वालियर	इन्दौर	37
134.	डबरा उप डाकघर	ग्वालियर डिवीजन	ग्वालियर	इन्दौर	38
135.	दितया मुख्य डाकघर	ग्वालियर डिवीजन	दतिया	इन्दौर	39
136.	अम्बा उप डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	मुरैना	इन्दौर	40
137.	शिवपुर उप डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	मुरैना	इन्दौर	41
138.	जवड़ा उप डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	मुरैना	इन्दौर	42
139.	विजयपुर उप डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	मुरैना	इन्दौर	43
140.	सबलगढ़	चम्बल डिवीजन मुरैना	मुरैना	इन्दौर	44

1	2	3	4	5	
141.	भिन्ड प्रधान डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	भिन्ड	इन्दौर	45
142.	पोरसा उप डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	मुरैना	इन्दौर	46
143.	मेहगांव उप डाकघर	चम्बल डिवीजन मुरैना	भिन्ड	इन्दौर	47
144.	लश्कर प्रधान डाकघर	ग्वालियर	ग्वालियर	इन्दौर	48
145.	चंदेरी उप डाकघर	गुना	गुना	इन्दौर	49
146.	इन्दौर जीपीओ	इन्दौर सिटी डिवीजन	इन्दौर	इन्दौर	50
147.	इन्दौर सिटी प्रधान डाकघर	इन्दौर सिटी डिवीजन	इन्दौर	इन्दौर	51
148.	देवास प्रधान डाकघर	इन्दौर मुफस्सिल डिवीजन	देवास	इन्दौर	52
149.	धार प्रधान डाकघर	इन्दौर मुफस्सिल डिवीजन	धार	इन्दौर	53
150.	सांवेर उप डाकघर	इन्दौर मुफस्सिल डिवीजन	इन्दौर	इन्दौर	54
151.	बदनावर उप डाकघर	इन्दौर मुफस्सिल डिवीजन	धार	इन्दौर	55
152.	जबलपुर प्रधान डाकघर	जबलपुर डिवीजन	जबलपुर	इन्दौर	56
153.	कटनी प्रधान डाकघर	जबलपुर डिवीजन	कटनी	इन्दौर	57
154.	खंडवा प्रधान डाकघर	खंडवा डिवीजन	खंडवा	इन्दौर	58
155.	बुरहानपुर उप डाकघर	खंडवा डिवीजन	बुरहानपुर	इन्दौर	59
156.	खरगौन उप डाकघर	खंडवा डिवीजन	खरगौन	इन्दौर	60
157.	मंदसौर प्रधान डाकघर	मंदसौर डिवीजन	मंदसौर	इन्दौर	61
158.	मंदसौर सिटी उप डाकघर	मंदसौर डिवीजन	मंदसौर	इन्दौर	62
159.	नीमच प्रधान डाकघर	मंदसौर डिवीजन	नीमच	इन्दौर	63
160.	गरोथ उप डाकघर	मंदसौर डिवीजन	मंदसौर	इन्दौर	64
161.	रतलाम प्रधान डाकघर	रतलाम डिवीजन	रतलाम	इन्दौर	65
162.	झबुआ उप डाकघर	रतलाम डिवीजन	झबुआ	इन्दौर	66
163.	जावरा उप डाकघर	रतलाम डिवीजन	रतलाम	इन्दौर	67

1	2	3	4	5	
164.	सिहोर प्रधान डाकघर	सिहोर डिवीजन	सिहोर	इन्दौर	68
165.	अश्टा उप डाकघर	सिहोर डिवीजन	सिहोर	इन्दौर	69
166.	राजगढ़ (बिया) उप डाकघर	सिहोर डिवीजन	राजगढ़	इन्दौर	70
167.	खिलचीपुर उप डाकघर	सिहोर डिवीजन	राजगढ़	इन्दौर	71
168.	उज्जैन प्रधान डाकघर	मालवा डिवीजन	उज्जैन	इन्दौर	72
169.	उज्जैन सिटी उप डाकघर	मालवा डिवीजन	उज्जैन	इन्दौर	73
170.	शाजापुर प्रधान डाकघर	मालवा डिवीजन	शाजापुर	इन्दौर	74
171.	शुजलपुर मंडी उप डाकघर	मालवा डिवीजन	शाजापुर	इन्दौर	75
172.	बेरचा उप डाकघर	मालवा डिवीजन	शाजापुर	इन्दौर	76
173.	मक्सी उप डाकघर	मालवा डिवीजन	शाजापुर	इन्दौर	77
		महाराष्ट्र			
174.	लातूर प्रधान डाकघर	उस्मानाबाद	लातूर	औरंगाबाद	1
175.	अमलनेर उप डाकघर	जलगांव	जलगांव	औरंगाबाद	2
176.	ईगतपुरी उप डाकघर	नासिक	नासिक	औरंगाबाद	3
177.	धुले प्रधान डाकघर	धुले	धुले	औरंगाबाद	4
178.	पारली वैद्यनाथ उप डाकघर	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	5
179.	औरंगाबाद प्रधान डाकघर	भुसावल	जलगांव	औरंगाबाद	6
180.	बीड प्रधान डाकघर	बीड	बीड	औरंगाबाद	7
181.	जलगांव प्रधान डाकघर	जलगांव	जलगांव	औरंगाबाद	8
182.	नासिक प्रधान डाकघर	मालेगांव	नासिक	औरंगाबाद	9
183.	परभनी प्रधान डाकघर	परभनी	परभनी	औरंगाबाद	10
184.	कोल्हापुर प्रधान डाकघर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	गोवा	11
185.	मापुसा एमडीजी	गोवा	उत्तर गोवा	गोवा	12

1	2	3	4	5	
186.	सांगली प्रधान डाकघर	सांगली	सांगली	गोवा	13
187.	पोन्डा एमडीजी	गोवा	दक्षिण गोवा	गोवा	14
188.	मिराज प्रधान डाकघर	सांगली	सांगली	गोवा	15
189.	सी सी ओरोस एमडीजी	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	गोवा	16
190.	रत्नागिरी प्रधान डाकघर	रत्नागिरी	रत्नागिरी	गोवा	17
191.	चिप्लुन प्रधान डाकघर	रत्नागिरी	रत्नागिरी	गोवा	18
192.	जयसिंहपुर एमडीजी	कोल्हापुर	कोल्हापुर	गोवा	19
193.	पणजी प्रधान डाकघर	पणजी	पणजी	गोवा	20
194.	मुम्बई जीपीओ	मुम्बई दक्षिण	मुम्बई	मुम्बई	21
195.	जूहू उप डाकघर	मुम्बई उत्तर	मुम्बई	मुम्बई	22
196.	मंत्रालय उप डाकघर	मुम्बई सिटी दक्षिण	मुम्बई	मुम्बई	23
197.	वाशी उप डाकघर	नवी मुम्बई	ठाणे	मुम्बई	24
198.	अलीबाग प्रधान डाकघर	रायगढ़	रायगढ़	मुम्बई	25
199.	मांटुगा उप डाकघर	मुम्बई सिटी उत्तर-पूर्व	मुम्बई	मुम्बई	26
200.	दादर प्रधान डाकघर	मुम्बई	मुम्बई	मुम्बई	27
201.	मोतीलाल नगर उप डाकघर	मुम्बई सिटी उत्तर-पश्चिम	मुम्बई	मुम्बई	28
202.	उल्हास नगर वी	ठाणे सेंट्रल डिवीजन	ठाणे	मुम्बई	29
203.	नरीमन प्वाइंट उप डाकघर	मुम्बई सिटी दक्षिण	मुम्बई	मुम्बई	30
204.	चन्द्रपुर प्रधान डाकघर	चंद्रापुर	चन्द्रपुर	नागपुर	31
205.	गोन्डा प्रधान डाकघर	नागपुर मुफस्सिल	गोंदिया	नागपुर	32
206.	सकोली उप डाकघर	नागपुर मुफस्सिल	भंडारा	नागपुर	33
207.	अमगांव उप डाकघर	नागपुर मुफस्सिल	गोंदिया	नागपुर	34
208.	अकोला प्रधान डाकघर	अकोला	अकोला	नागपुर	35

1	2	3	4	5	
209.	अमरावती प्रधान डाकघर	अमरावती	अमरावती	नागपुर	36
210.	वर्धा प्रधान डाकघर	वर्धा	वर्धा	नागपुर	37
211.	यवतमाल प्रधान डाकघर	यवतमाल	यवतमाल	नागपुर	38
212.	नागपुर जीपीओ	नागपुर	नागपुर	नागपुर	39
213.	चन्दूर रेलवे उप डाकघर	अमरावती	अमरावती	नागपुर	40
214.	महाबलेश्वर उप डाकघर	सतारा	सतारा	पुणे	41
215.	शिवाजी नगर उप डाकघर	पुणे सिटी पश्चिम डिवीजन	पुणे	पुणे	42
216.	पुणे सिटी प्रधान डाकघर	पुणे सिटी पश्चिम	पुणे	पुणे	43
217.	राजगुरू नगर उप डाकघर	पुणे मुफस्सिल	पुणे	पुणे	44
218.	पंचगनी उप डाकघर	सतारा	सतारा	पुणे	45
219.	श्रीरामपुर प्रधान डाकघर	श्रीरामपुर	अहमदनगर	पुणे	46
220.	कराड़ प्रधान डाकघर	सतारा	सतारा	पुणे	47
221.	अहमदनगर प्रधान डाकघर	अहमदनगर	अहमदनगर	पुणे	48
		पूर्वोत्तर			
222.	नाहरलागुन	अरुणाचल प्रदेश	पपुमपरी	उत्तर-पूर्व	1
223.	चम्पाई उप डाकघर	मिजोरम	चम्पाई	उत्तर-पूर्व	2
224.	साब्रूम उप डाकघर	अगरतला	दक्षिण-त्रिपुरा	उत्तर-पूर्व	3
225.	पनीसागर उप डाकघर	धर्मनगर	उत्तर-त्रिपुरा	उत्तर-पूर्व	4
226.	जोवाई उप डाकघर	मेघालय	जनतिया हिल	उत्तर-पूर्व	5
227.	लंगलेई उप डाकघर	मिजोरम	लूंगलेई	उत्तर-पूर्व	6
228.	वोखा उप डाकघर	नागालैंड	वोखा	उत्तर-पूर्व	7
229.	कोहिमा प्रधान डाकघर	नागालैंड	कोहिमा	उत्तर-पूर्व	8
230.	तुरा प्रधान डाकघर	मेघालय	वेस्ट गारो हिल	उत्तर-पूर्व	9

1	2	3	4	5	
231.	अगरतला प्रधान डाकघर	अगरतला	पश्चिम त्रिपुरा	उत्तर-पूर्व	10
232.	आइजोल प्रधान डाकघर	मिजोरम	आइजोल	उत्तर-पूर्व	11
		उड़ीसा			
233.	जूनागढ़ उप डाकघर	कालाहांडी	कालाहांडी	बरहामपुर	1
234.	जी. उदयगिरी उप डाकघर	फुलबनी	फुलबनी	बरहामपुर	2
235.	सोरादा उप डाकघर	असका	गनजाम	बरहामपुर	3
236.	पारलखेमुन्दी प्रधान डाकघर	बरहामपुर	गजापती	बरहामपुर (जी एम)	4
237.	नबरंगपुर एमडीजी	कोरापुट	नबरंगपुर	बरहामपुर (जी एम)	5
238.	सुनाबेडा-2 उप डाकघर	कोरापुट	कोरापुट	बरहामपुर (जी एम)	6
239.	मदनपुर रामपुर उप डाकघर	कालाहांडी	कालाहांडी	बरहामपुर (जी एम)	7
240.	फुलबनी प्रधान डाकघर	फुलबनी	फुलबनी	बरहामपुर (जी एम)	8
241.	पिपली उप डाकघर	भुवनेश्वर	पुरी	भुवनेश्वर	9
242.	अशोक नगर उप डाकघर	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	10
243.	राजकनिका उप डाकघर	कटक उत्तर	केन्द्रापाड़ा	भुवनेश्वर	11
244.	कॉलेज स्क्वायर उप डाकघर	कटक दक्षिण	जगतसिंहपुर	भुवनेश्वर	12
245.	साखीगोपाल उप डाकघर	पुरी	पुरी	भुवनेश्वर	13
246.	चौदवार उप डाकघर	कटक दक्षिण	कटक	भुवनेश्वर	14
247.	बारीपदा प्रधान डाकघर	मयूरभंज	मयूरभंज	भुवनेश्वर	15
248.	सोरो एमडीजी	बालासोर	बालासोर	भुवनेश्वर	16
249.	भद्रक प्रधान डाकघर	भद्रक	भद्रक	भुवनेश्वर	17
250.	चांदनीचौक प्रधान डाकघर	कटक सिटी	कटक	भुवनेश्वर	18
251.	बांकी एमडीजी	कटक सिटी	कटक	भुवनेश्वर	19
252.	जाजपुर रोड़ एमडीजी	कटक उत्तर	जाजपुर	भुवनेश्वर	20

1	2	3	4	5	
253.	भुवनेश्वर जीपीओ	भुवनेश्वर	खुरदा	भुवनेश्वर	21
254.	शहीद नगर एमडीजी	भुवनेश्वर	खुरदा	भुवनेश्वर	22
255.	राजगंगापुर उप डाकघर	सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़	संभलपुर	23
256.	आनन्दपुर उप डाकघर	क्योंझर	क्योंझर	संभलपुर	24
257.	तालचेर एमडीजी	धेनकनाल	अंगुल	संभलपुर	25
258.	संभलपुर प्रधान डाकघर	संभलपुर	संभलपुर	संभलपुर	26
259.	बारगढ़ प्रधान डाकघर	संभलपुर	बारगढ़	संभलपुर	27
260.	झारसुगुडा प्रधान डाकघर	संभलपुर	झारसुगुडा	संभलपुर	28
261.	बोलनगीर प्रधान डाकघर	बोलनगीर	बोलनगीर	संभलपुर	29
262.	सोनपुर एमडीजी	बोलनगीर	सोनीपुर	संभलपुर	30
263.	राऊरकेला प्रधान डाकघर	सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़	संभलपुर	31
264.	राऊरकेला-2 एमडीजी	सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़	संभलपुर	32
265.	पल्लाहरा उप डाकघर	धेनकनाल	अंगुल	संभलपुर	33
266.	धेनकनाल प्रधान डाकघर	धेनकनाल	धेनकनाल	संभलपुर	34
267.	रईरारनोल उप डाकघर	संभलपुर	संभलपुर	संभलपुर	35
		राजस्थान			
268.	बूंदी प्रधान डाकघर	टोंक	बूंदी	अजमेर	1
269.	चित्तौड़गढ़ प्रधान डाकघर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	अजमेर	2
270.	शास्त्री सर्किल उदयपुर उप डाकघर	उदयपुर	उदयपुर	अजमेर	3
271.	कंकरोली प्रधान डाकघर	उदयपुर	राजसामंद	अजमेर	4
272.	भीलवाड़ा सिटी उप डाकघर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	अजमेर	5
273.	डूंगरपुर प्रधान डाकघर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	अजमेर	6
274.	पुष्कर उप डाकघर	अजमेर	अजमेर	अजमेर	7

1	2	3	4	5	
275.	मदनगंज प्रधान डाकघर	अजमेर	अजमेर	अजमेर	8
276.	विजयनगर एमडीसी	ब्यावर	अजमेर	अजमेर	9
277.	गंगापुर उप डाकघर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	अजमेर	10
278.	अजमेर प्रधान डाकघर	अजमेर	अजमेर	अजमेर	11
279.	निम्बाहिडा उप डाकघर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	अजमेर	12
280.	कपासन उप डाकघर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	अजमेर	13
281.	सागवाड़ा उप डाकघर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	अजमेर	14
282.	टोडारायसिंह उप डाकघर	टोंक	टोंक	अजमेर	15
283.	उनियारा उप डाकघर	टोंक	टोंक	अजमेर	16
284.	देवगढ़ उप डाकघर	उदयपुर	उदयपुर	अजमेर	17
285.	मावली जंक्शन मुख्य डाकघर	उदयपुर	उदयपुर	अजमेर	18
286.	कोटा प्रधान डाकघर	कोटा	कोटा	अजमेर	19
287.	मोती डूंगरी मुख्य डाकघर	अलवर	अलवर	जयपुर	20
288.	अलवर प्रधान डाकघर	अलवर	अलवर	जयपुर	21
289.	जवाहर नगर प्रधान डाकघर	जवाहर नगर	जवाहर नगर	जयपुर	22
290.	दीग प्रधान डाकघर	भरतपुर	भरतपुर	जयपुर	23
291.	सवाई माधोपुर उप डाकघर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	जयपुर	24
292.	राजगढ़ उप डाकघर	अलवर	अलवर	जयपुर	25
293.	मानसरोवर उप डाकघर	जयपुर सिटी	जयपुर	जयपुर	26
294.	शास्त्री नगर प्रधान डाकघर	जयपुर सिटी	जयपुर	जयपुर	27
295.	भुसावर उप डाकघर	भरतपुर	भरतपुर	जयपुर	28
296.	कामन उप डाकघर	भरतपुर	भरतपुर	जयपुर	29
297.	भरतपुर प्रधान डाकघर	भरतपुर	भरतपुर	जयपुर	30

1	2	3	4	5	
298.	जोधपुर प्रधान डाकघर	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	31
299.	श्रीडूंगरगढ़ उप डाकघर	बीकानेर	बीकानेर	जोधपुर	32
300.	सादलपुर उप डाकघर	चूरू	चूरू	जोधपुर	33
301.	सुजानगढ़ उप डाकघर	चूरू	चूरू	जोधपुर	34
302.	पिलानी उप डाकघर	झुंझुनू	झुंझुनू	जोधपुर	35
303.	पोकरण उप डाकघर	जोधपुर	जैसलमेर	जोधपुर	36
304.	मेरता सिटी उप डाकघर	नागौर	नागौर	जोधपुर	37
305.	लक्ष्मणगढ़ उप डाकघर	सीकर	सीकर	जोधपुर	38
306.	आबू रोड उप डाकघर	सिरोही	सिरोही	जोधपुर	39
307.	भीनमल उप डाकघर	सिरोही	जालौर	जोधपुर	40
308.	जैसलमेर प्रधान डाकघर	जोधपुर	जैसलमेर	जोधपुर	41
309.	चोहटन उप डाकघर	बाड़मेर	बाड़मेर	जोधपुर	42
310.	सुमेरपुर उप डाकघर	पाली	पाली	जोधपुर	43
311.	श्रीगंगानगर प्रधान डाकघर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	जोधपुर	44
312.	पाली सिटी उप डाकघर	पाली	पाली	जोधपुर	45
313.	नागौर सिटी उप डाकघर	नागौर	नागौर	जोधपुर	46
314.	कचहरी उप डाकघर	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	47
315.	सिरोही प्रधान डाकघर	सिरोही	सिरोही	जोधपुर	48
		तमिलनाडु			
316.	वृद्धाचलम प्रधान डाकघर	वृद्धाचलम	चेन्नई	मध्य	1
317.	नन्निलम उप डाकघर	नागपट्टिनम	चेन्नई	मध्य	2
318.	पारंगीपेट्टई उप डाकघर	कडलूर	चेन्नई	मध्य	3
319.	वेल्लम उप डाकघर	तंजावूर	तिरुवल्लूर	मध्य	4

1	2	3	4	5	
320.	मुसिरी उप डाकघर	श्रीरंगम	त्रिची	मध्य	5
321.	कराईकल उप डाकघर	नागपट्टिनम	कराईकल	मध्य	6
322.	भुवनगिरि उप डाकघर	कडुलूर	कडुलूर	मध्य	7
323.	तिरूक्कोयिलूर उप डाकघर	वृद्धाचलम	विल्लुपुरम	मध्य	8
324.	कोरदाचेरी उप डाकघर	कुंभकोणम	तिरुवरुर	मध्य	9
325.	उदयरपालयम उप डाकघर	त्रिची	अरियालूर	मध्य	10
326.	कुलिथलई उप डाकघर	करूर	करूर	मध्य	11
327.	वीरालीमलई उप डाकघर	पुदुकोट्टई	पुदुकोट्टई	मध्य	12
328.	सिरकाली प्रधान डाकघर	मयिलादुथुरई	नागपट्टिनम	मध्य	13
329.	अण्णा नगर उप डाकघर	चेन्नई सिटी उत्तर	चेन्नई	चेन्नई शहर	14
330.	बहूर उप डाकघर	पांडिचेरी	चेन्नई	चेन्नई शहर	15
331.	सेंट थॉमस माउंट प्रधान डाकघर	चेन्नई सिटी दक्षिण	चेन्नई	चेन्नई शहर	16
332.	कलपक्कम उप डाकघर	चेंगलपट्टू	चेन्नई	चेन्नई शहर	17
333.	तिरूवल्लूर प्रधान डाकघर	कांचीपुरम	तिरुवल्लूर	चेन्नई शहर	18
334.	विल्लुपुरम प्रधान डाकघर	पांडिचेरी	तिरुवल्लूर	चेन्नई शहर	19
335.	गिंजी उप डाकघर	पांडिचेरी	तिरुवन्नामलई	चेन्नई शहर	20
336.	तिरुवोत्तियूर	तांब्रम	तिरुवल्लूर	चेन्नई शहर	21
337.	वाशरमेनपेट उप डाकघर	चेन्नई उत्तर	चेन्नई	चेन्नई शहर	22
338.	क्रोमपेट उप डाकघर	तांब्रम	चेन्नई	चेन्नई शहर	23
339.	शोलिंघुर उप डाकघर	अरक्कोणम	वेल्लूर	चेन्नई शहर	24
340.	कांचीपुरम प्रधान डाकघर	कांचीपुरम	कांचीपुरम	चेन्नई शहर	25
341.	मुदलियारपेट उप डाकघर	पांडिचेरी	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	चेन्नई शहर	26
342.	वंदावासी उप डाकघर	तिरुवन्नामलई	तिरुवन्नामलई	चेन्नई शहर	27

1	2	3	4	5	
343.	गांधीनगर उप डाकघर	वेल्लूर	वेल्लूर	चेन्नई शहर	28
344.	अण्णा रोड प्रधान डाकघर	अण्णा रोड प्रधान डाकघर डिवीजन	चेन्नई	सर्किल कार्यालय	29
345.	सुर्चीद्रम उप डाकघर	कन्याकुमारी	चेन्नई	दक्षिणी	30
346.	कालकाड उप डाकघर	तिरुनेलवेली	चेन्नई	दक्षिणी	31
347.	कोडैकण्णल उप डाकघर	डिंडिगुल	चेन्नई	दक्षिणी	32
348.	रामेश्वरम उप डाकघर	रामनाथपुरम	चेन्नई	दक्षिणी	33
349.	अरुमुगनेरी उप डाकघर	तूतीकोरिन	चेन्नई	दक्षिणी	34
350.	तिरुमंगलम उप डाकघर	मदुरै	तिरुवल्लूर	दक्षिणी	35
351.	उथमपालयम उप डाकघर	थेनी	तिरुवल्लूर	दक्षिणी	36
352.	श्रीविल्लुपुथूर उप डाकघर	विरुधुनगर	तिरुवल्लूर	दक्षिणी	37
353.	सिंगमपुनेरी उप डाकघर	कराईकुडी	चेन्नई	दक्षिणी	38
354.	इल्लयानगुडी	शिवगंगा	शिवगंगा	दक्षिणी	39
355.	कन्याकुमारी उप डाकघर	कन्याकुमारी	कन्याकुमारी	दक्षिणी	40
356.	तेनकासी प्रधान डाकघर	कोविलपट्टी	तिरुनेलवेली	दक्षिणी	41
357.	पैलेस उप डाकघर	मदुरै	मदुरै	दक्षिणी	42
358.	अबिरामम उप डाकघर	रामनाड	रामनाथपुरम	दक्षिणी	43
359.	तिरुपत्तूर उप डाकघर	शिवगंगा	शिवगंगा	दक्षिणी	44
360.	थेनी उप डाकघर	थेनी	थेनी	दक्षिणी	45
361.	वल्लियूर उप डाकघर	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	दक्षिणी	46
362.	श्रीवैकुंडम प्रधान डाकघर	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन	दक्षिणी	47
363.	मनामदुरई प्रधान डाकघर	शिवगंगा	शिवगंगा	दक्षिणी	48
364.	कल्लाल	शिवगंगा	शिवगंगा	दक्षिणी	49
365.	कलयारकोइल	शिवगंगा	शिवगंगा	दक्षिणी	50

1	2	3	4	5	
366.	कराईकुड़ी प्रधान डाकघर	कराईकुड़ी	कराईकुड़ी	दक्षिणी	51
367.	देवकोट्टई प्रधान डाकघर	कराईकुड़ी	कराईकुड़ी	दक्षिणी	52
368.	अलगप्पापुरम उप डाकघर	कराईकुड़ी	कराईकुड़ी	दक्षिणी	53
369.	शिवगंगा प्रधान डाकघर	शिवगंगा	शिवगंगा	दक्षिणी	54
370.	पेरुंदुरई उप डाकघर	ईरोड	चेन्नई	पश्चिमी	55
371.	देंकनीकोट्टा उप डाकघर	धर्मपुरी	चेन्नई	पश्चिमी	56
372.	वेल्लूर उप डाकघर	नामाक्कल	चेन्नई	पश्चिमी	57
373.	वालपाडी उप डाकघर	सेलम पूर्व	चेन्नई	पश्चिमी	58
374.	वेलिंगटन उप डाकघर	नीलगिरी	चेन्नई	पश्चिमी	59
375.	कोयम्बटूर प्रधान डाकघर	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	पश्चिमी	60
376.	कोयम्बटूर एनजीजीओ कालोनी	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	पश्चिमी	61
377.	पोडानूर उप डाकघर	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	पश्चिमी	62
378	चेन्नीमलई उप डाकघर	ईरोड	ईरोड	पश्चिमी	63
379.	पांडमंगलम उप डाकघर	नामाक्कल	नामाक्कल	पश्चिमी	64
380.	अरवानकाडु उप डाकघर	नीलगिरि	नीलगिरि	पश्चिमी	65
381.	वालपाराई उप डाकघर	पोलाच्ची	कोयम्बटूर	पश्चिमी	66
382.	राशिपुरम उप डाकघर	सेलमपुरम (पश्चिम)	नामाक्कल	पश्चिमी	67
		उत्तर प्रदेश			
383.	आगरा प्रधान डाकघर	आगरा	आगरा	आगरा	1
384.	अनूपशहर उप डाकघर	बुलंदशहर	बुलंदशहर	आगरा	2
385.	आगरा फोर्ट प्रधान डाकघर	आगरा	आगरा	आगरा	3
386.	कासगंज उप डाकघर	एटा	एटा	आगरा	4

1	2	3	4	5	
387.	अलीगढ़ प्रधान डाकघर	अलीगढ़	अलीगढ़	आगरा	5
388.	झांसी प्रधान डाकघर	झांसी	झांसी	आगरा	6
389.	ललितपुर प्रधान डाकघर	झांसी	ललितपुर	आगरा	7
390.	करहल उप डाकघर	मैनपुरी	मैनपुरी	आगरा	8
391.	इलाहाबाद प्रधान डाकघर	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	9
392.	प्रतापगढ़ प्रधान डाकघर	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	इलाहाबाद	10
393.	सैदपुर उप डाकघर	गाजीपुर	गाजीपुर	इलाहाबाद	11
394.	इलाहाबाद कचहरी प्रधान डाकघर	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	12
395.	वाराणसी प्रधान डाकघर	वाराणसी पूर्व	वाराणसी	इलाहाबाद	13
396.	वाराणसी कैंट प्रधान डाकघर	वाराणसी पश्चिम	वाराणसी	इलाहाबाद	14
397.	नोएडा प्रधान डाकघर	गाजियाबाद	गाजियाबाद	बरेली	15
398.	मेरठ कैंट प्रधान डाकघर	मेरठ	मेरठ	बरेली	16
399.	बरेली प्रधान डाकघर	बरेली	बरेली	बरेली	17
400.	खीरी प्रधान डाकघर	खीरी	खीरी	बरेली	18
401.	बिजनौर प्रधान डाकघर	बिजनौर	बिजनौर	बरेली	19
402.	गाजियाबाद प्रधान डाकघर	गाजियाबाद	गाजियाबाद	बरेली	20
403.	मुरादाबाद प्रधान डाकघर	मुरादाबाद	मुरादाबाद	बरेली	21
404.	खतौली उप डाकघर	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	बरेली	22
405.	शाहजहांपुर प्रधान डाकघर	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	बरेली	23
406.	बलिया प्रधान डाकघर	बलिया	बलिया	गोरखपुर	24
407.	आजमगढ़ प्रधान डाकघर	आजमगढ़	आजमगढ़	गोरखपुर	25
408.	गोरखपुर प्रधान डाकघर	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	26

1	2	3	4	5	
409.	कानपुर प्रधान डाकघर	कानपुर शहर	कानपुर	कानपुर	27
410.	कानपुर कैंट प्रधान डाकघर	कानपुर शहर	कानपुर	कानपुर	28
411.	नवाबगंज प्रधान डाकघर	कानपुर शहर	कानपुर	कानपुर	29
412.	लखनऊ चौक प्रधान डाकघर	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	30
413.	रायबरेली प्रधान डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	31
414.	लालगंज प्रधान डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	32
415.	बछरावां उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	33
416.	महाराजगंज उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	34
417.	मुस्तफाबाद उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	35
418.	ऊंचाहार उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	36
419.	डालमऊ उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	37
420.	गौरीगंज उप डाकघर	सुलतानपुर	सुलतानपुर	लखनऊ	38
421.	मुसाफिरखाना उप डाकघर	सुलतानपुर	सुलतानपुर	लखनऊ	39
422.	बाजार बल्दीराय उप डाकघर	सुलतानपुर	सुलतानपुर	लखनऊ	40
423.	जैस उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	41
424.	सालौन उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	42
425.	शिवरतनगंज उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	43
426.	सिमरौता उप डाकघर	रायबरेली	रायबरेली	लखनऊ	44
427.	भदर उप डाकघर	सुलतानपुर	सुलतानपुर	लखनऊ	45
		उत्तराखंड			
428.	अल्मोड़ा एचएसजीआई प्रधान डाकघर	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	1
429.	रानीखेत एचएसजीआई प्रधान डाकघर	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	2

1	2	3	4	5	
430.	बागेश्वर एचएसजीआई एमडीजी	अल्मोड़ा	बागेश्वर	उत्तराखंड	3
431.	गोपेश्वर एचएसजीआई प्रधान डाकघर	चमोली	चमोली	उत्तराखंड	4
432.	रुद्रप्रयाग एचएसजीआई एमडीजी	चमोली	रुद्रप्रयाग	उत्तराखंड	5
433.	देहरादून कैंट एचएसजीआई प्रधान डाकघर	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	6
434.	देहरादून जीपीओ	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	7
435.	रुड़की एचएसजीआई प्रधान डाकघर	देहरादून	हरिद्वार	उत्तराखंड	8
436.	ऋषिकेश एचएसजीआई एमडीजी	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	9
437.	नैनीताल एचएसजीआई प्रधान डाकघर	नैनीताल	नैनीताल	उत्तराखंड	10
438.	हलद्वानी एचएससीआई प्रधान डाकघर	नैनीताल	नैनीताल	उत्तराखंड	11
439.	रुद्रपुर एचएसजीआई एमडीजी	नैनीताल	यू.एस.नगर	उत्तराखंड	12
440.	काशीपुर एचएसजीआई एमडीजी	नैनीताल	यू.एस.नगर	उत्तराखंड	13
441.	पौड़ी एचएसजीआई प्रधान डाकघर	पौड़ी	पौड़ी	उत्तराखंड	14
442.	कोटद्वार एचएसजीआई प्रधान डाकघर	पौड़ी	पौड़ी	उत्तराखंड	15
443.	लैंसडाउन एचएसजीआई प्रधान डाकघर	पौड़ी	पौड़ी	उत्तराखंड	16
444.	श्रीनगर एचएसजीआई प्रधान डाकघर	पौड़ी	पौड़ी	उत्तराखंड	17
445.	पिथौरागढ़ एचएसजीआई प्रधान डाकघर	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	18
446.	चंपावत एचएसजीआई एमडीजी	पिथौरागढ़	चंपावत	उत्तराखंड	19
447.	लोहाघाट एलएसजी उप डाकघर	पिथौरागढ़	चंपावत	उत्तराखंड	20
448.	न्यू टिहरी एचएसजीआई प्रधान डाकघर	टिहरी	टिहरी	उत्तराखंड	21
449.	उत्तरकाशी एचएसजीआई एमडीजी	टिहरी	उत्तरकाशी	उत्तराखंड	22
450.	जोशीमठ एलएसजी उप डाकघर	चमोली	चमोली	उत्तराखंड	23

[हिन्दी]

कामगारों हेतु कल्याण कोष/योजना

391. श्री अजीत जोगी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय असंगठित क्षेत्र में राज्य-वार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पुरुष और महिला कामगार तथा मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को किसी कल्याण कोष/योजना के दायरे में नहीं लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या असंगठित क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों सहित इन कामगारों हेतु कोई कल्याण कोष/योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि क्षेत्र, बीड़ी उद्योग, नमक उद्योग, मछली प्रसंस्करण उद्योग तथा मछली पालन केन्द्रों में कार्यरत कामगारों हेतु कल्याण कोष बनाने की लगातार मांग की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2004-05 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कामगारों की कुल संख्या 45.9 करोड़ थी। इनमें से 43.3 करोड़ (94%) कामगार असंगठित क्षेत्र में थे एवं शेष 2.6 करोड़ (6%) कामगार संगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र में पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (च) सरकार ने असंगठित क्षेत्र में बीड़ी, सिने एवं कतिपय गैर-कोयला खान कामगारों जैसे कतिपय व्यवसायों के लिए कल्याण निधियां बनाई हैं। इन कल्याण निधियों के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, आवास एवं बच्चों को शिक्षा आदि कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। तथापि, यह सत्य है कि असंगठित क्षेत्र में अधिकतर कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने दिनांक 10.09.2007 को राज्य सभा में असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया है। यह विधेयक अन्य के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने की व्यवस्था करता है। ऐसी योजनाओं के निर्माण पर निधियां आबंटित की जाएंगी परन्तु अलग निधि के निर्माण की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

भूमिगत जल में नाइट्रेट के तत्व

392. श्री उदय सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में भूमिगत जल में काफी अधिक मात्रा में नाइट्रेट की उपस्थिति दर्ज की गई है जिससे घातक रोग होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार भूमिगत जल को नाइट्रेट प्रदूषण से मुक्त करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों से सहयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भागों के स्थानीय पॉकेटों के भूजल में नाइट्रेट की उपस्थिति सूचित की गई है।

(ग) और (घ) नाइट्रेट प्रदूषण संबंधी कार्यों के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा विदेशी विशेषज्ञ तैनात नहीं किए गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और कुछ अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपकी बात सुनूंगा।

अब, सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री पी. चिदम्बरम।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 13 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 493(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 547(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखीं गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 8916/08]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 82(अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वाटर एंड सेनिटेशन पूल्ड फंड, तमिलनाडु द्वारा जारी किए जाने वाले टैक्स फ्री पूल्ड फाइनांस डेवलपमेंट बांड्स को पूल्ड फाइनांस डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 91(अ) जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(39) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ को व्यक्ति के रूप में और भारत में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद कार्यक्रम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 8917/08]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी औद्योगिकी पार्क (संशोधन) स्कीम, 2008 जो 2 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1605(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 8918/08]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2037(अ) जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लागत

मुद्रास्फीति सूचकांक को 582 के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 8919/08]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ क की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2115(अ) जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ ग(2) (क)(दो) के लाभ प्रदान किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 8920/08]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री प्रणव मुखर्जी

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत की असैनिक नाभिकीय पहल

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत की असैनिक परमाणु ऊर्जा पहल पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं...*(व्यवधान)*

मैं इस सम्मानित सदन को हमारे असैनिक परमाणु पहल में हुए हाल के घटनाक्रमों के संबंध में सूचित करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। जब इस मामले पर संसद में पिछली बार चर्चा हुई थी, तब से इन तीन महीनों में हमने काफी प्रगति की है।

आई.ए.ई.ए के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय करार को 1 अगस्त, 2008 को आई.ए.ई.ए के शासी बोर्ड द्वारा एकमत से अनुमोदन प्रदान किया गया। यह सुरक्षोपाय करार जिस रूप में अनुमोदित है वह उन महत्वपूर्ण सहमतियों को इंगित करता है जिनके आधार पर हमारी असैनिक परमाणु पहल की गई है और इनका क्रियान्वयन किया जाना है। हम इस करार को लागू करेंगे और सुरक्षोपाय करार के प्रावधानों के अनुसार तथा हमारी पृथक्करण योजना के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुरक्षोपाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

6 सितम्बर, 2008 को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया, जो अपने सदस्यों को भारत के साथ पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग के लिए समर्थ बनाता है। इस निर्णय से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पुन: शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे भारत अपनी ऊर्जा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसा कि मैंने गत जुलाई में इस सदन में दिए गए अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुमोदन और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के निर्णय हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग में शामिल होने की अनुमति प्रदान करते हैं। अब हम द्विपक्षीय सहयोग करारों के संबंध में बातचीत करने तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ विचार-विमर्श करके वीजा प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं।

30 सितम्बर, 2008 को प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान हमने फ्रांस के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए। 10 अक्तूबर, 2008 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच सहयोग करार (जिसे 123 करार कहा जाता है) पर मैंने अमरीकी विदेश मंत्री डॉ. कोंडोलिजा राइस के साथ वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए। हमें आशा है कि इस वर्ष दिसम्बर में रूस के राष्ट्रपति मेदमेदेव की भारत यात्रा के दौरान रूस के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ये करार अधिकारों और दायित्वों के एक सुविचारित संतुलन को निरूपित करते हैं। इन करारों की शर्तों और प्रावधानों के आधार पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग किए जाएंगे। अमरीका और फ्रांस के साथ संपन्न किए गए करारों और रूस के साथ संपन्न किए जाने वाले करार में परमाणु ईंधन चक्र के विभिन्न पहलुओं में सहयोग की व्यवस्था है। इसमें ईंधन आपूर्ति के आश्वासन शामिल हैं जो कि

हमारे असैनिक परमाणु पहल के साथ-साथ हमारे सामरिक ईंधन भंडार का निर्माण करने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के सुरक्षापायों के अंतर्गत हमारे असैनिक परमाणु रिएक्टरों का अबाधित प्रचालन सुनिश्चित करने का आधार हैं। ये करार और भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय करार में भारत के लिए आवश्यकता की स्थिति में सुधारात्मक उपाय किए जाने की भी व्यवस्था है। ये संयोजक प्रावधान हैं जो पूर्णतः हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।

इन करारों में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हमारे पास अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से प्राप्त होने वाली परमाणु सामग्री को पुनसंसाधित करने का अधिकार हो। हम एक नई राष्ट्रीय पुनर्संसाधन सुविधा भी स्थापित करेंगे और इन करारों को प्रकार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक अन्य उपाय करेंगे और असैनिक परमाणु पहल की पूर्ण क्षमता प्राप्त करेंगे।

ये सभी करार भारत के राष्ट्रीय हितों, संसद में प्रधान मंत्री द्वारा और भारत के लोगों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के पूर्णतः अनुकूल हैं। भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय करार, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के निर्णय और द्विपक्षीय सहयोग के करार मिलकर हमारे लिए एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिससे कि हम इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ दीर्घकालिक और सतत् आधार पर असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। हम इन निर्णयों को भारत की त्रुटिहीन अप्रसार संबंधी विश्वसनीयता की पुष्टि और स्वीकृति मानते हैं। जब संपन्न किए गए द्विपक्षीय सहयोग करार प्रवृत्त होंगे तो वे हमारे सामरिक ईंधन भंडार के साथ साथ नाभिकीय ईंधन चक्र को पूरा करने वाले अन्य परमाणु उपस्कर और प्रौद्योगिकियों के लिए परमाणु ईंधन स्रोत हेतु बातचीत करने और वाणिज्यिक करारों को अंतिम रूप देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। हम अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेंगे और सद्भावना पूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार इन करारों को कार्यान्वित करेंगे और हमें विश्वास है कि हमारे साझेदार देश भी इसी प्रकार अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों का निर्वाह करेंगे।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वे सिर्फ असैनिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से ही संबंधित हों और यह भी कि हमारे सामरिक कार्यक्रम और हमारे स्वदेशीय अनुसंधान प्रभावित न हों। पं. जवाहर लाल नेहरू और डॉ. होमी भाभा द्वारा यथापरिकल्पित तीन चरणों वाले हमारे स्वदेशीय परमाणु कार्यक्रम जारी रहेंगे। अमरीका और फ्रांस के साथ किए गए द्विपक्षीय सहयोग करार के साथ-साथ भारत विशिष्ट सुरक्षोपाय करार में वे विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सामरिक कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं होगी और यह कि असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े होने के बावजूद भी हम अपने सामरिक कार्यक्रम के संबंध में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

महोदय, इस अवसर पर मुझे यह सुस्पष्ट करने की अनुमति प्रदान करें कि सरकार इस पहल को ऊर्जा, सतत विकास, प्रौद्योगिकी तथा अन्य पहलुओं के संबंध में हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रयास का एक ऐतिहासिक योगदान क्यों मानती है।

सर्वप्रथम, इससे हमारे विकास संबंधी विकल्पों में वृद्धि होती है। हम सबको यह ज्ञात है कि यदि हम एक अच्छे आर्थिक विकास को बनाए रखना तथा गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हैं, तो ऊर्जा के स्वच्छ, किफायती और सतत् स्रोत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज ऊर्जा की कमी हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से संबंधित हमारे प्रयासों को अवरुद्ध करती है। माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि इस वर्ष के शुरू में कच्चे तेल के मूल्यों में विश्वव्यापी वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था तथा लोगों के दैनिक जीवन पर कितना बोझ पड़ा है। हमें ऊर्जा के उन संसाधनों का विकास तथा उपयोग करना होगा, जो साफ-सुथरे हों तथा जिनसे वातावरण में परिवर्तन अथवा ग्लोबल वार्मिंग न हो। हम जैव ईंधन, सौर व पवन ऊर्जा के साथ-साथ जल-विद्युत जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास करते रहते हैं तथा इन्हें जारी रखेंगे। परमाणु ऊर्जा हमें आर्थिक रूप से तथा पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम विकल्प प्रदान करता है। इस समय उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम अपने उपलब्ध स्रोत ऊर्जा में परमाणु शक्ति के माध्यम से अतिरिक्त उपार्जन क्षमता प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। इसे हमारे स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के शीघ्र विकास में भी सहायता मिलेगी। इस समय हमारे पास परमाणु शक्ति में लगभग 4000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। हमारे वर्तमान संयंत्र यूरेनियम की कमी के कारण अपनी क्षमता से काफी निम्न स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार तथा वाणिज्य खुल जाने से हमें अपनी परमाणु शक्ति क्षमता में विस्तार करने के नए अवसर प्राप्त होंगे।

आज, हमारी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1,45,000 मेगावाट है। यदि हम 9-10% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बनाए रखना चाहते हैं, तो अनुमान है कि वर्ष 2030 तक हमें 1,50,000 मेगावाट विद्युत की कमी होगी। यदि हम भविष्य में थोड़ा और आगे अर्थात् 2050 तक जाएं तो हमें 4,12,000 मेगावाट विद्युत की कमी पड़ेगी। इन आंकड़ों का निर्धारण करते समय हमने ताप

[श्री प्रणब मुखर्जी]

विद्युत, कोयला, पेट्रोल और डीजल, जलविद्युत तथा पवन, सौर इत्यादि जैसे ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को भी ध्यान में रखा है। यदि इनका पूर्ण दोहन किया गया तो भी अनुमानित कमी बनी रहेगी। इस अंतर को कम करने का एकमात्र प्रभावी तरीका परमाणु ऊर्जा ही है। कुछ अध्ययनों के अनुसार यदि हम वर्ष 2012 से 2020 तक की 8 वर्ष की अवधि में 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए आज परमाणु ऊर्जा पर कार्य आरंभ करते हैं तो 22 वर्षों के भीतर अर्थात् वर्ष 2030 तक हम इस कमी को 1,50,000 मेगावाट से कम करके मात्र 50,000 मेगावाट तक ला सकते हैं। तदुपरांत हम वर्ष 2050 में 4,12,000 मेगावाट की अपनी ऊर्जा कमी की मात्रा को कम करके मात्र 7,000 मेगावाट तक ला सकेंगे।

दूसरे, यह पहल प्रौद्योगिकी इंकार व्यवस्था की समाप्ति का सूचक है, जिसने पिछले तीन दशकों से भारत को प्रतिबंधित किया हुआ है। ये घटना-क्रम असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग में अन्य देशों के साथ एक समान साझेदार के रूप में भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इससे हमें प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विकसित देशों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

तीसरे, यह हमारे वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक उपलब्धियों की स्वीकृति है, जिनके अथक प्रयासों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस पहल के लिए आधार तैयार किया है। ये उनके प्रयास ही हैं जिससे कि आज विश्व के लिए भारत को विकसित परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना संभव हुआ है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान में पूरी तरह भाग लेने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास अवरुद्ध हो गए थे। इस पहल से वे वैज्ञानिक विचारों तथा तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान में अपने अन्य समकक्षों के साथ शामिल होने में समर्थ होंगे तथा ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन की विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना करने में विश्व के प्रयासों में योगदान दे सकेंगे; और

अंततः, यह पहल विश्वस्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में उत्तरदायी शक्ति के रूप में भारत की भूमिका की स्वीकृति है। यह हमारा कर्तव्य है कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करते समय हम विश्वास के साथ इस अवसर का उपयोग करें।

महोदय, असैनिक परमाणु पहल पर बातचीत के दौरान ये प्रश्न उठाए गए थे कि क्या हम अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता कायम रख सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले कई अवसरों पर भी यह कहा है और मैं इसे पुनः दोहराना चाहूंगा कि हम अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी विदेश नीति का निर्धारण हर समय हमारे राष्ट्रीय हितों के स्वयं हमारे मूल्यांकन से ही किया जाएगा। इस पहल से किसी भी तरह एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की हमारी सक्षमता बाधित नहीं होती है। इससे किसी भी तरह हमारी सामरिक स्वायत्तता प्रभावित नहीं होती है। हमारे विदेश नीति के विकल्पों में वृद्धि होने से वास्तव में इसका विपरीत होगा। हमारे लिए अन्य देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग में शामिल होने की संभावना खुलने से संबंधित नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के निर्णय से वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक समान साझेदार के रूप में हमारे विकल्पों में वृद्धि होती है। हमारी विदेशी नीति का अंतिम उद्देश्य हमारे विकास के लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करना है, ताकि हम अपने विकास संबंधी उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इस संबंध में मैं यह बलपूर्वक कह सकता हूं कि इस पहल से हमें ऐसी विदेश नीति पर चलने की और अधिक गुंजाइश बनेगी जो कि हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करें।

अंततः असैनिक परमाणु पहल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हमें न केवल हमारी भावी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है, बल्कि यह एक ऐसी उपलब्धि भी है, जो विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका की स्वीकृति है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि यह हमारे लिए राष्ट्र समुदाय में अपनी नई एवं उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8969/08]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

अपराह्न 12.02½ बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02¾ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 588(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 8921/08]

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और वार्षिक प्रशासन के बारे में 51वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 8922/08]

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (परिषद के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 552(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 8923/08]

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/109/2008 जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए फीस का अवधारण किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/110/2008 जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा फैलो के रूप में रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि के लिए अतिरिक्त फीस का अवधारण किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/112/2008 जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता शुल्क का अवधारण किया गया है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/112/2008(40) (केवल अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/113/2008 जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में पुन: प्रविष्टि के लिए अतिरिक्त फीस का अवधारण किया गया है।

(छह) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/121/2008 जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की काउंसिल को अनुशासनिक निदेशालय का प्रमुख अभिहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(सात) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2008 जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/116/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (दो) से (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 8924/08]

(6) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म अकाउंटेंट (परिषद के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2008 जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 8925/08]

(7) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (चयन समिति की अवधि) और नामों के पैनल के चयन की रीति नियम, 2008 जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8926/08]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8927/08]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 2008-09 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8928/08]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके मैं आप सबकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 26 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 5-20/2007-सीएयू जो 25 जनवरी, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के परिनियमों में दूसरा संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8929/08]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) संशोधन आदेश, 2006 जो 17 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1121(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8930/08]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निमनलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8931/08]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 8932/08]

(ग) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8933/08]

(5) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महुआ पुष्प श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 8934/08]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1935(अ) जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1900(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देश को अधिसूचना में उल्लिखित विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किए जाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1243(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयातित ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के विनिर्देश को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1740(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले निम्नलिखित अनंतिम उर्वरकों के संबंध में विनिर्देश को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के के लिए नियत किया गया है।

(पांच) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2008, जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1741(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) का.आ. 836(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

मैसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले जिंक सहित अनंतिम फर्टिलाइजर्स बेन्टोनाइट सल्फर के संबंध में विनिर्देशों को अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियत किया गया है।

(सात) उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008, जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 837(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8935/08]

(7) (एक) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8936/08]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल : एनडीडीबी 01/08 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल : एनडीडीबी 01/08 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8937/08]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी-बारी से आप सब की बात सुनूंगा। मैं वायदा करता हूं कि आप सब की बात एक-एक करके सुनूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आप सभी की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 333(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 55/2001 सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 334(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 335(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं- तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 490(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 धारा 3क के प्रयोजनों के लिए पान मसाला, 15% से अनधिक सुपारी वाले पान मसाला को छोड़ कर, और तम्बाकू युक्त पान मसाला जिनका विनिर्माण पैकिंग मशीन की सहायता से किया जाता है और पाउचों में पैक किया जाता है, को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2008 जो 15 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 528(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 221(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 222(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 22(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 224(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 225(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 20/2007-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 226(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 227(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 57/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 228(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 71/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 597(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 629(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 634(अ) जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान में दी गई वस्तु या नकद दान से क्रय की गई वस्तु को मूल उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 316(अ) जो 29 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 361(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 362(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/2008-के.उ.शु. करे रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 410(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 426(अ) जो 4 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 439(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 440(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 441(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 442(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 443(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 57/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 444(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 445(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 71/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 446(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

25 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या 20/2007-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 461(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 483(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 63/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 492(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पान मसाला, 15% से अनधिक सुपारी वाले पान मसाला को छोड़कर और तम्बाकू युक्त पान मसाला जिनका विनिर्माण पैकिंग मशीन की सहायता से किया जाता है और पाउच में पैक किया जाता है, पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर को विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि. 527(अ) जो 15 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 580(अ) जो 6 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 23 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि. 330(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12.2.2004 तक मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्मों के विनिर्माताओं और क्रेताओं द्वारा लिए गए सेनवेट क्रेडिट को इस तथ्य के होते हुए भी कि ड्यूटी संदत्त फिल्म के मेटलाइजेशन की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स मेटलेक्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लिए गए निर्णय के अनुसार उसे विनिर्माण नहीं माना गया है, को वापस न लिए जाने का आदेश दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (सात) से (चौदह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8938/08]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8939/08]

(4) केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 17 के उपनियम (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ) जो 23 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विनिर्मित माल, निकासी किए गए माल और आदान और पूंजीगत माल की प्राप्ति के संबंध में उसमें उल्लिखित मासिक विवरणी का प्ररूप विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8940/08]

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदत्त और भारत में प्राप्त) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 366(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 367(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 367(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचना में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 369(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 405(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 482(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सड़क से माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली माल परिवहन एजेंसी को परिवहन वाहनों की आपूर्ति पर सेवा कर के उद्ग्रहण से उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 8941/08]

(6) वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 90 के खण्ड (क) और (ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363(अ), जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2008 की तारीख नियत की गई है जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8942/08]

(7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा.का.नि. 264(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले विटामिन ई के आयात पर, लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 16 मार्च, 2009 तक उसके समेत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 276(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले और भारत में आयातित डाईक्लोफिनेक सोडियम के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 283(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले और भारत में आयातित सभी रूपों और क्षमता में सल्फर ब्लैक के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 284(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडीयम नाइट्राइट के आयातों पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 296(अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इस्पात अथवा फाइबर ग्लास मापी फीतों, उनके हिस्सों और संघटकों के आयात पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर 3 अक्तूबर, 2008 तक उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 308(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के आयात पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 309(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी ताइपे और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित पैंटेरीथ्राइटोल के आयात पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 337(अ) जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 328(अ) जो 1 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 59/2007-सी.शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 337(अ) जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित रबर रसायनों के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 378(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/2007-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 379(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स एच.के. कारपोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित और निर्यातित किसी विनिर्देश के पालिएस्टर के पूर्णत: ड्रॉन यार्न या पूर्णत: प्रिंटेड यार्न या स्पिन ड्रॉन यार्न या फ्लैट यार्न के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 419(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स जुन्मा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा चीन गणराज्य से निर्यातित किए जाते समय नायलान टायर कॉर्ड फैब्रिक के आयात पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नई शिपर

समीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 420(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 84/2006-सी.शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 447(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से भारत में निर्यातित एसिटोन के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 450(अ) जो 11 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 37/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 457(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय लौह अयस्क, ऑल शॉर्ट्स पर निर्यात शुल्क को 20% तक बढ़ाने की दृष्टि से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 484(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 6 जुलाई, 2009 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 485(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विट्रिफाइड और पोर्सिलेन टाइलों विट्रिफाइड इंडस्ट्रियल टाइलों से भिन्न, के आयात पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 516(अ) जो 11 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या 54/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 533(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग के विनिर्दिष्ट उत्पादकों तथा निर्यातकों से विट्रिफाइड और पोर्सिलेन टाइलों के भारत में आयातों पर, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 534(अ) जो 16 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 39/2007-सी.शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 551(अ) जो 23 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य हांगकांग और चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क्स रिकार्डेबल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 556(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों

पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 565(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित डाइक्लोफिनेक सोडियम पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 566(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 46/2008-सी.शु. को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 570(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 82/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 614(अ) जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सेफ्ट्रिआक्सोन सोडियम के स्टराइल के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 626(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 29 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 101/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 641(अ) जो 4 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और तुर्की में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हाइड्रोजन पेरॉक्साइड के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 642(अ) जो 4 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्लास्टिक ऑफ्थल्मिक लैंसों पर एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 4 सितम्बर, 2009 तक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 649(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 7 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 147/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 8943/08]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 257(अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 89/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ड्राबैक संशोधन नियम, 2008 जो 29 मई, 2008 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 474(अ) जो 24 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 510(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 590(अ) जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अल्प विकसित देशों से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की रियायती दरें लगाई गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 616(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 635(अ) जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दानार्थ आयातित वस्तुओं को 28 फरवरी, 2009 तक मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से पुर्णतः छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 338(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 346(अ) जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित नौ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 349(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 5% से कम करके 3% करना है तथा निर्यात बाध्यता और विनिर्माण शब्दों को स्कीम के प्रयोजनार्थ पुनः परिभाषित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 350(अ) जो 9 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 389(अ) जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 532(अ) जो 16 जुलई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 627(अ) जो 29 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए ड्यूटी ड्रा बैक की सभी औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। ये दरें 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी हो गयी है।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 273(अ) जो 9 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 297(अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन बांग्लादेश से आयातित पोशाक और परिधान सामग्रियों पर 8 मिलियन पीसेज के टैरिफ दर कोटा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 299(अ) जो 21 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 26/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 315(अ) जो 29 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 359(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट लौह और इस्पात उत्पादों तथा बासमती चावल पर निर्यात शुल्क की रियायती दर प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 360(अ) जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 22/2008-सी.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 401(अ) जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 425(अ) जो 4 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 456(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 66/2008-सी.शु. कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 458(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी प्रकार के लौह अयस्क पर मूल्यानुसार निर्यात शुल्क में 15% की रियायती दर देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 459(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या 62/2008-सी.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 493(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सी.शु. कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 508(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 569(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सी.शु. कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 572(अ) जो 4 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन पर मूल शुल्क 10% से घटाकर 5% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 8944/08]

(11) (एक) नेशनल इंस्टट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष. 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। *देखिए* संख्या एल.टी. 8945/08]

(12) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 8 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर एवं सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/19/134764 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 16 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/03/126202 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/10/126204 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इंटरमीडियरीज) विनियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सेक्यूरीटाईज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स) विनियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126567 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सेक्यूरीटीज) विनियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (कस्टडियन ऑफ सिक्युरिटीज) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 4 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/15/2008/130775 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8946/08]

(13) अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/01/122441 जो 8 अप्रैल, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2008 का भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 के विनियम 2 के उपविनियम (एक) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित तारीख विनिर्दिष्ट किया

गया है; और उक्त विनियम के अधीन जारी भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 का विनियम 2 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8947/08]

(14) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8948/08]

(15) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (दो) के अधीन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8949/08]

(16) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (तीन) के अधीन अधिसूचना संख्या एक्जीम/पेंशन/2007/एफ नं. 11/3/2001-आईआर (खंड-तीन) जो 8 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) अपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8950/08]

(18) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) सामान्य विनियम, 2007 जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन 17 मई, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45-6 नवंबर, 1999 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8951/08]

(19) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर इंप्लाइज (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 15 सितम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या संदर्भ सं. एएक्स 1/एसटी/डीएम/173/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 2008 जो 5 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमओ पीएडी/एसयूपी/177 में प्रकाशित हुए थे।

(20) उपर्युक्त (19) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8952/08]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इन्सिटट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमैंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्सिटट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमैंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8953/08]

(2) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के

वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 8954/08]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 547(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8955/08]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतर्संबंध प्रयोग प्रभार (नौवां संशोधन) विनियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 409-22/2007-एफ.एन. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। *देखिए* संख्या एल.टी. 8956/08]

(4) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 8957/08]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8958/08]

(3) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8959/08]

(5) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की नियत अवधि के भीतर सभा पटल

पर न रखे जाने के कारणों को नष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8960/08]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत लिम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा.का.नि. 278(अ) आ.व./गन्ना जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें वर्ष 2007-08 के लिए उसमें उल्लिखित राज्यों के संबंध में गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि. 278(अ) आ.व./गन्ना जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें वर्ष 2007-08 के लिए उसमें उल्लिखित राज्यों के संबंध में गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8961/08]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत 13 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 8) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8962/08]

अपराह्न 12.06 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 17 अप्रैल, 2008 को सभा द्वारा दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2008;
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2008;
3. वित्त विधेयक, 2008; और
4. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008।

मैं राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008;
2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008;
3. रेल (संशोधन) विधेयक, 2008; और
4. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) विधेयक, 2008।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8963/08]

अपराह्न 12.07 बजे

संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष के विनिश्चय

[अनुवाद]

महासचिव : मैं निम्नलिखित पांच मामलों में संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत लोक सभा अध्यक्ष के विनिश्चयों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान कर दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री अवतार सिंह भड़ाना, संसद सदस्य द्वारा

श्री कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 10 सितम्बर, 2008 का विनिश्चय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8964/08]

(2) संविधान कर दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य द्वारा श्री जय प्रकाश के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 11 सितम्बर, 2008 का विनिश्चय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8965/08]

(3) संविधान कर दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य द्वारा प्रो. एस.पी. सिंह बघेल के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 12 सितम्बर, 2008 का विनिश्चय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8966/08]

(4) संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री प्रभुनाथ सिंह, संसद सदस्य द्वारा श्री रामस्वरूप प्रसाद के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 का विनिश्चय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8967/08]

(5) संविधान कर दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य द्वारा डा. एच. टी. संगलिअना के विरुद्ध दी गई याचिका पर दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 का विनिश्चय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 8968/08]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। कृपया नारे न लगाएं। मैं बारी-बारी से आप सबकी बात सुनुंगा। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी से आप सबकी बात सुनूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने बोला है कि हम आपकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं एक-एक करके आप सबकी बात सुनूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आप की बात सुनुंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनुंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपकी बात सुनुंगा, मैं जानता हूं कि आप को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं एक-एक करके आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। हम एक-एक करके सब की बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बोलने का मौका देंगे। अभी आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

प्राक्कलन समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : मैं 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय—निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यक्रम और योजनाओं' के बारे में प्राक्कलन समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से आपको एक-एक करके बोलने के लिए बुलाने का अवसर देने की अपील कर रहा हूं। यदि आप सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ महतवपूर्ण कार्य हैं। सभा-पटल पर पत्र भी नहीं रखे जा सके। यदि मैं आपको अवसर नहीं देता, तो आप इसे उठा सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे आपको बोलने के लिए बुलाने का एक अवसर दें। हम पहले ही प्रश्नकाल का समय नष्ट कर चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी आप अपनी सीट पर जाइए। हम आपको बोलने का मौका देंगे, आपकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले आपको बुलाऊंगा।

अपराह्न 12.08½ बजे

लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08¾ बजे

रेल अभिसमय समिति

9वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मदल लाल शर्मा (जम्मू) : मैं "वर्ष 2008-2009 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामले" के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है।

अपराह्न 12.09 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

17वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : मैं 'अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) के 12वें प्रतिवेदन

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

(चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.09½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

62वां से 66वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित बैंकिंग और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों के प्रबंधन संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 63वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 65वां प्रतिवेदन।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 66वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

30वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : महोदय, मैं रक्षा और सम्बद्ध सेवाओं में विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास की स्थिति विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

(एक) 37वां से 39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'नए रेलवे जोनों का कार्यनिष्पादन' के संबंध में 32वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) 'रेलवे में औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारी कल्याण' के संबंध में 33वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) 'उपनगरीय और मेट्रो रेलवे' के संबंध में 34वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'संसाधन जुटाना' के संबंध में 10वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(2) 'रेल मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों' के संबंध में 18वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(3) 'महानगरीय शहरों में टर्मिनल सुविधाएं' के संबंध में 31वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण; और

(4) 'रेल मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों' के संबंध में 35वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.11 बजे

वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

छठा से 8वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) महोदय, मैं वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के निम्नलिखित* प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वक्फ अधिनियम, 1995 का कर्नाटक में कार्यान्वयन और कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में छठा प्रतिवेदन;

(2) वक्फ अधिनियम, 1995 का तमिलनाडु में कार्यान्वयन और तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में सातवां प्रतिवेदन; और

(3) वक्फ अधिनियम, 1995 का बिहार में कार्यान्वयन और बिहार राज्य सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों के कार्यकरण के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

*प्रतिवेदन 29 मार्च, 2008 को राज्य सभा के सभापति को तब प्रस्तुत किए गए जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था और ये प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को लोक सभा अध्यक्ष को भेजे गए।

अपराह्न 12.11½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) नारियल विकास बोर्ड

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4(1)(एक) और (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4(ङ), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4(1)(एक) और (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4(ङ), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा 1 के खण्ड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा 1 के खण्ड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निगम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (एक), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निगम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (एक), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.15 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8970/08]

अपराह्न 12.15½ बजे

रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। क्योंकि संबंधित कानून इस सभा की विधायी सक्षमता से परे है।

आप देख सकते हैं कि यह विधेयक रेल अधिकरण के चेयरमैन

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.10.08 में प्रकाशित।

और अधिकरण के सदस्यों की वृद्धि के लिए है। देश में अन्य अधिकरण भी हैं और उनकी स्थिति में भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, यह भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। हम किसी अधिकरण विशेष के प्रति कोई पक्षपात नहीं कर सकते हैं। इस सभा द्वारा पारित संविधि के अंतर्गत कई अधिकरण कार्यरत हैं। जब यह स्थिति है, तो एक अधिकरण विशेष के प्रति भेदभावपूर्ण प्रक्रिया अथवा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना उचित नहीं है।

संविधान अति विशिष्ट है। कानून सबके लिए बराबर है। हम कुछेक अलग व्यक्तियों के लिए अलग कानून नहीं बना सकते हैं। इसीलिए यह भेदभावपूर्ण विधान है और इस आधार पर, विधेयक के इस भाग पर विधान बनाना इस सभा की सक्षमता के अंतर्गत नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री लालू प्रसाद : मैं श्री राधाकृष्णन जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस समय इसका विरोध न करें क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए समय रहेगा और उन्हें इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। फिलहाल, आप इसको...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, रेलवे भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा है। इस चरण पर भी केरल में विशेष रेलवे जोन बनाने के लिए काफी लंबे समय से मांग की जा रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, पार्लियामेंट का अधिकार है, जो चर्चा में डिस्कस होगा, उसमें भाग लेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, माननीय सदस्य ने इस सभा की विधायी सक्षमता के बारे में एक अति प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। वह सोच-समझकर निर्णय ले रहे हैं। अतः, माननीय मंत्री जी इस आधार पर संतुष्ट करने और उत्तर देने में असफल रहे हैं। सभा को मालूम होना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि माननीय मंत्री जी को इसे लाने के लिए बाध्य किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा मानना है कि इसके बारे में उन्हें स्पष्ट करना उपनेता का कर्त्तव्य है।

प्रश्न यह है:

"कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लालू प्रसाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2008

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.18 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

बीजिंग ओलम्पिक में भारत का प्रदर्शन, टैस्ट क्रिकेट और पुणे में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेलों में उपलब्धि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, क्या मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिलेगा। आप जानते हैं कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में हमने एक भारतीय खिलाड़ी को व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में पहला ऐतिहासिक, स्वर्ण पदक जीतते हुए देखा। दो भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपनी-अपनी खेल स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। इस प्रकार, बीजिंग ओलंपिक

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सबसे बड़ी खेल स्पर्धा में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का साक्षी बना।

श्री अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और सर्वश्री बिजेन्द्र कुमार तथा सुशील कुमार ने क्रमशः पुरुष के 75 कि.ग्रा. वर्ग की बाक्सिंग और 66 कि.ग्रा. वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीते।

माननीय सदस्यों, श्री सचिन तेंदुलकर ने भी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने यह प्रशंसनीय उपलब्धि पंजाब के मोहाली में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध चल रहे टेस्ट मैच में 17 अक्तूबर, 2008 को हासिल की।

श्री सौरभ गांगुली ने भी टेस्ट क्रिकेट में 7000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे भारतीय होने का सम्मान प्राप्त किया है। हमारे युवा खिलाड़ी श्री अमित मिश्रा ने भी मोहाली में अपने पहले टेस्ट, मैच में पांच विकेट लेने की महान उपलब्धि हासिल की है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य मेरे साथ मिलकर उन्हें बधाई और उन्हें ये शुभकामनाएं देंगे कि वे अनेक वर्षों तक क्रिकेट को अपनी सेवा प्रदान करते रहें।

पुणे में हाल ही में समाप्त राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उच्च खेलकूद क्षमता और बहुमुखी प्रदर्शन से भारत 33 स्वर्ण पदकों सहित कुल 76 पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर रहा। मेरे विचार से इन खिलाड़ियों के साथ श्री कलमाडी जी भी बधाई के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि पूरी सभा देश को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाले इन खिलाड़ियों को मेरे साथ मिलकर बधाई देगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी उपलब्धियां देश के उदीयमान खिलाड़ियों को इसी प्रकार उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी जिन पर राष्ट्र को गर्व हो।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, श्री सचिन तेंदुलकर ने वन डे और टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। इससे पहले जब बॉलिंग में श्री कपिल देव ने वर्ल्ड रिकार्ड बनाया था। तो उन्हें सरकार की तरफ से फैलिसिटेट किया गया था और सुश्री लता मंगेशकर को सैंट्रल हाल में फैलिसिटेट किया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि उसी तरह श्री सचिन तेंदुलकर को सैंट्रल हाल में बुलाया जाए और पार्लियामैंट की तरफ से फैलिसिटेट किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि इस सत्र में सभा की कार्यवाही ठीक से चलती है, तो मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इस पर पूरी गंभीरता से विचार करूंगा।

मैने श्री बैसीमुथियारी से वादा किया है। जी हां, श्री बैसीमुथियारी। कृपया धीरे बोलिए जिससे कि लोग आपकी बात समझ सकें और इसे रिकार्ड किया जा सके तथा कृपया सदस्यों को भला-बुरा न कहें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सांसद श्री वीरेन्द्र कुमार के साथ जो मार-पीट हुई, मैं उस मामले को सदन में उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमने भी तुरंत बात की है, कार्यवाही की है। उनके साथ जो हुआ है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। वह भी हमसे मिले हैं।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : मानवीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मेरे बोडोलैण्ड क्षेत्र, विशेषकर बोडोलैण्ड के भीतर उदालगिरि जिला तथा बोडोलैण्ड क्षेत्र जिला से वाहर चित 'दारांग' जिला में व्याप्त अत्यंत ही निर्णयक और भयावह स्थिति पर प्रकाश डालने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, आज की तारीख तक एक ओर मूल रूप से बोडो और गारो जनजाति, बंगाली, असमिया तथा विहारी समुदाय के 50 से ज्यादा लोग तथा दूसरी ओर कोई 30 से 40 मुस्लिम समुदाय के लोग इस खूनी और पूर्व नियोजित नरसंहार में मारे गए जिसकी पाकिस्तान समर्थन अतिवादी संगठनों और जेहादियों ने इस हमले की योजना बनाई थी। उदालगिरि तथा दारंग जिलों के विभिन्न राहत शिविरों में 2 लाख से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। 41 से ज्यादा गांव जहां मुख्य आबादी मूल बोडो और गारो जन-जाति लोगों की है तथा कुछ अन्य गैर-मुस्लिम

लोग भी हैं, जला दिए गए हैं। 5000 से ज्यादा बोडो परिवारों के घर जला दिए गए और 2000 करोड़ रुपये मूल्य के मवेशियों सहित परिवारों की परिसम्पतियां लूट ली गई और बर्बाद कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कृपया उस फोटोग्राफ को वापस लीजिए। यह सभा के नियमों के विरुद्ध है। आपका मै निरादर नहीं कर रहा हूं लेकिन आप सभा में उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, 5000 से अधिक बोडो परिवारों के घर जला दिए गए और उनकी घरेलू परिसम्पत्तियां, जिसमें 2000 करोड़ रुपये के मवेशी सम्मिलित हैं, आप्रवासी हमलावर मुसलमानों और पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी उग्रवादियों और जेहादियों द्वारा लूट लिए गए। यह उल्लेख करना भी सही रहेगा कि स्वदेशी मूल के आदिम बोडो लोगों की 'बथाऊ धर्म' की विशुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ है और 'सिजो पौधो' जिसे अंग्रेजी में केक्टस का पौधा कहा जाता है को टुकड़े-टुकड़े करके इसका अपमान किया गया है।

'सिजो का पौधा' बोडो लोगों के धर्म का प्रतीक है। इन कैक्टस के पौधों को हमलावरों द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। बोडो लोगों के अपने धर्म का यह बड़ा अपमान है, ये लोग महान भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग होते हैं।

उक्त भयावह और पैशाचिक जनसंहार के कारण असम के संदर्भ में भारत की संप्रभुता और अखंडता पर बहुत बड़ा हमला तथा खतरा पैदा हो गया है और ऐसा प्रश्नागत दोनो जिलों के असैनिक तथा पुलिस प्रशासन की सुविचारित इरादों और घृणास्पद उद्देश्यों के कारण तथा एकदम उपेक्षा के चलते हुआ है। आपसी अविश्वास, संदेह और भय की भावना अभी प्रभावित लोगो के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है।

यह आश्चर्यजनक और भयावह सत्य है कि बोडोलैण्ड संघ क्षेत्र के भीतर उदालगिरि जिले में विभिन्न जगहों और गांवों जैसे—सोनारीपारा, सापमारी, रंगागोरा और सिमोलुगुरी, में जेहादियों द्वारा पाकिस्तानी झण्डे भी फहराए गए। जेहादियों ने स्वदेशी बोडो और गैर-मुस्लिम लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए 'मुगल पठान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद' आदि जैसे नारे लगाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका उल्लेख किया है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, यह भयावह घटना 3 और 4 दिसम्बर, 2008 को घटित हुई।

[हिन्दी]

3 अक्टूबर, 2008 की सुबह मोहनपुर गांव के एक बोडो आदमी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां नामों का उल्लेख न करें। आप नामों का उल्लेख नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : उसे कुछ...*... लोग किडनैप करके ले गए थे और किडनैप करने के बाद उसने ऊपर तीन-चार ...*लोगों...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। और कुछ नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात रिकार्ड में दर्ज कर ली गई है। मैने इसे विलोप नहीं किया है। यह कार्यवाही वृतांत मे दर्ज है।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकता-उत्तर पूर्व) : असम में घटित घटनाओं पर सरकार को एक बयान जारी करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको और अनुमति नहीं दे सकता। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में इसे उठा सकते है। अब आप उनको समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप लोग बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया रिकार्ड मेरे पास लाइये। मुझे इसे देखना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै रिकार्ड देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, कृपया मुझे समाप्त करने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ पर हुक्म चला रहे हैं, इस सभा में यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अवसर दिया है यद्यपि उन्होंने विधिवत नोटिस नहीं दिया है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वह मुझे नहीं सुन रहे हैं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं जानता हूं कि सभा के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, सभा में शान्ति बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पहले उन्हें समाप्त करने दीजिए। आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। कोई भी नहीं सुन रहा है। श्री बैसीमुथियारी आप समाप्त कर चुके हैं। आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। मैं अब इस पर किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको पर्याप्त समय दे चुका हूं। आप समाप्त कर चुके हैं और मैं इसके आगे आपको अनुमति नहीं दे सकता।

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री आचार्य जी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं जानता हूं कि सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषधिकार हनन की सूचना दी जा सकती है। परन्तु मैं इस पर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

जब विशेष सत्र चल रहा था तो उस समय विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो रहा था। 22 जुलाई को वाद-विवाद का उत्तर देते हुए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विशेषधिकार मामले का उल्लेख कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक सभा में शान्ति स्थापित नहीं होती कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मैंने आपको अवसर दिया है। आपने अपना वक्तव्य दे दिया है। यह सब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.32 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी सभा पटल के निकट फर्श पर बैठे गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी एक मिनट ठहरिए। सभा में व्यावस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं। मैं उन्हें निलंबित कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप क्या करने जा रहे हो? मैंने आपको नहीं बुलाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मैं आपसे गंभीरतापूर्वक आग्रह करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, सरकार को उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। परन्तु मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, आप इसे भलीभांति जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शांत रहेंगे? कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री बसुदेव आचार्य, आप बोलिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.36 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आपने स्थान पर वापस चले गए।)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि कृपया सहयोग करें।

मैंने आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी है। आपने अपना पूरा भाषण दिया। अब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नन्दी यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नन्दी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यवाही करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं मैं प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री चक्रवर्ती, मैं आपका नाम लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको निलंबित करने के लिए बाध्य होऊंगा। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर न करें। मैंने आपको अवसर दिया है। मैंने आपको पूरा मौका दिया है, और इसके बावजूद, आप सभा की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए...*(व्यवधान)* सरकार क्यों नहीं जवाब देती ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से देश इसे देख रहा है। जिन माननीय सदस्यों को लोगों ने यहां भेजा है वे केवल राजनीतिक लाभ के प्रयोजन से जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं मुझे यह कहते हुए खेद है।

सभा की कार्यवाही अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक को बुलाऊंगा। परन्तु अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बैठिए प्लीज बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूं तो कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपने आज बहुत कुछ किया है। बैठ जाइए, आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अन्याय हो रहा है, थोड़ा और टाइम होने दीजिए।

[अनुवाद]

देश के मानवीय प्रधानमंत्री वित्तीय स्थिति पर वक्तव्य देना चाहते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु मेरा मानना है कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप इसे उठा सकेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी मैं अब आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। मैं अब आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा – कृपया सभा से बाहर चले जाएं। यदि आप ठीक व्यावहार नहीं करेंगे तो कृपया बाहर चले जाइए। मैं ऐसा और नहीं चलने दूंगा। बहुत हो गया। यह बात खत्म हो गयी है।

जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में कुछ तो शिष्टता होनी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैं कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर उन्होंने स्वेच्छा से बोलने की बात की है और वह यह भी महसूस करते हैं कि इस पर वक्तव्य देना उनका कर्तव्य है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पता चलता है कि देश की वित्तीय स्थिति के संबंध में आपको कितनी चिन्ता है।

अपराह्न 4.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

विश्व में चल रहे वित्तीय संकट और भारत पर इसका प्रभाव

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं इस समय चल रहे विश्वव्यापी आर्थिक संकट और भारत पर उसके प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस आर्थिक संकट की शुरुआत अमरीका से हुई और यह तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। यह संकट आवास रेहन बाजार से शुरू हुआ और बढ़ते-बढ़ते मुद्रा बाजार और क्रेडिट मार्किट तक पहुंच गया। इसके परिणामस्वरूप बहुत से वित्तीय संस्थान दिवालिएपन की कगार पर पहुंच गए। अमरीका और कुछ अन्य विकसित देशों ने तमाम वित्तीय संस्थानों और बैंकों को इस वित्तीय संकट से उबारा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। वे कभी भी परेशान नहीं हुए। कृपया यहां व्यवधान न पैदा करें।

डा. मनमोहन सिंह : उन्होंने तरलता लाने, बैंकों में पुन: पूंजी लगाने और क्रेडिट मार्किट को मंदी से उबारने के लिए अनेक परम्परागत कदम भी उठाए हैं। वित्तीय संकट की इस आंधी ने वित्तीय प्रणाली में आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया है और इससे स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ गई है। इससे आर्थिक गतिविधियों में भारी मंदी आ गई है जिसका असर औद्योगिक देशों में दीर्घावधिक मंदी के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत से पर्यवेक्षक इसे 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे खतरनाक संकट बता रहे हैं।

भारत, दूसरे विकासशील देशों की ही तरह इस वित्तीय संकट के प्रभावों का अनुभव कर रहा है। तथापि, हमने इस असर को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी पहली चिंता यह सुनिश्चित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. मनमोहन सिंह]

करना है कि हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को स्थिर बनाए रखें। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली सबप्राइम मार्टगेज एसेट्स से सीधे रूबरू नहीं हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं कर लेते तब तक आप प्रतीक्षा करें।

डा. मनमोहन सिंह : अन्य प्रॉब्लम एसेट्स से उनका सामना भी बहुत कम हुआ है। हमारे बैंक, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों या निजी क्षेत्र के, दोनों वित्तीय रूप से मजबूत हैं, उनकी पूंजी पर्याप्त है और वे सुनियंत्रित हैं। किसी बैंक के असफल होने का कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं निवेशकों को खास तौर पर यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनकी जमा पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है।

हालांकि हमारे बैंक सुरक्षित हैं, और वे पूर्वानुमानित ऋण लक्ष्यों के अनुसार ऋण भी मुहैया करा रहे हैं, फिर भी, दुनिया भर में आई आर्थिक उथल-पुथल से अन्य वाणिज्यिक ऋणों में कमी आई है। कार्पोरेट सेक्टर द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले विदेशी वाणिज्यिक कर्ज समाप्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता ऋण समाप्त हो गया है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ऋण की समग्र उपलब्धता में कमी आई है। हालांकि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण में संतोषजनक वृद्धि हुई है। इस से प्रणाली में वित्तीय संकट पैदा हो गया है।

इस समस्या के निदान के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। 6 अक्तूबर 2008 से 15 अक्तूबर 2008 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी जमा अनुपात सी.आर.आर. में कुल 250 बेसिस प्वांइट तक कटौती की है। प्रारंभ में सांविधिक तरलता एस.एल.आर. जरूरतों में एक फीसदी प्वाइंट की छूट दी गई थी और बाद में खास तौर पर उसमें 0.5 फीसदी प्वाइंटस इन्ट्रोड्यूस शामिल किए गए थे ताकि बैंक म्यूचुअल फण्डों को लिक्वीडीटी प्रदान करने के लिए धनराशि निकाल सकें। इन उपायों के फलस्वरूप, भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों की तरलता स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज कॉल मनी रेट लगभग 6.8 फीसदी है।

सरकार ने ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत बैंकिंग प्रणाली के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम तौर पर देने की व्यवस्था की। निगमित बॉण्ड्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से 6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की गई।

आज इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 100 बेसिस प्वांइट की कटौती की घोषणा की। यह वह रेट है जिस पर बैंक अतिरिक्त एस.एल.आर. सिक्यूरिटी के ऊपर उधार ले सकते हैं। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्णय का स्वागत करती है। इसका ब्याज दर ढांचे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और तरलता बढ़ाने के दूसरे उपायों से आर्थिक गतिविधियों और निवेश को सहारा मिलेगा। यह व्यापक रूप से महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्यों के अनुरूप है जिसका असर दिखाई देने लगा है। माननीय सदस्यों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहले तीन हफ्तों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई है। हालांकि मौजूदा दर अभी भी ज्यादा है, फिर भी, मुद्रास्फीति की वर्तमान दरों में कमी आई है। हमें उम्मीद है कि अगले दो महीनों में थोक मूल्य सूचकांक में और कमी आएगी।

महोदय, सरकार इस सच्चाई से वाकिफ है कि धन मुहैया कराना ही काफी नहीं है। इसके जरिए उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध होना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित निर्देश दिए हैं कि उधार लेने वालों को पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाए जिसमें निर्यात ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल है। बैंकों को चाहिए कि वे निवेश अथवा ऋण के रूप में म्युचुअल फंडों और एन.बी.एफ.सी. को पर्याप्त धनराशि मुहैया कराएं ताकि बदले में वे उद्योगों, व्यापार और व्यवसाय को उधार दे सकें। ये संस्थाएं व्यापक वित्तीय प्रणाली व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और बैंको को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे धन मुहैया कराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक क्रियाकलापों में कोई बाधा न पहुंचे।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ऋण के प्रवाह की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्तीय व्यवस्था में उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त धन के जरिए वास्तविक ऋण उपलब्ध हो। जरूरत पड़ने पर हम कुछ और कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां हमारे सभी बैंकों की पूंजी की उपलब्धता का अनुपात बेसल मानदण्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड से काफी ऊपर है, नहीं सरकार ने वादा किया है कि वह उन बैंकों की मदद करेगी जिनकी पूंजी की उपलब्धता का अनुपात कम है, ताकि उनकी सी.आर.ए.आर. में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें धनराशि सुलभ हो सके।

विकसित देशों में आई आर्थिक मंदी और वित्तीय संकट का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना है। सौभाग्यवश, यह प्रभाव हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.9 फीसदी थी। अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान हमारा निर्यात डॉलर के हिसाब से 35.1 फीसदी बढ़ा। इस अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14.8 बिलीयन अमरीकी डॉलर रहा। सकल कर राजस्व अपने निर्धारित लक्ष्य पर है। सी.एम.आई.ई. डॉटाबेस से पता चलता है कि पूंजी व्यय के लिए एक भारी भरकम धनराशि मौजूद है।

फिर भी, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली अस्थाई मंदी के लिए तैयार रहना चाहिए। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी अभी भी अनिश्चितता के दौर में है, इसलिए अभी हमारे ऊपर इस मंदी के प्रभाव की गहराई और अवधि का सही आकलन करन कठिन है। कुछ अनुमान इंगित करते हैं कि वर्तमान वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 7.5 फीसदी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा यह 7 फीसदी तक गिर सकती है। हमारा प्रयास रहेगा कि वित्तीय संकट का नकारात्मक प्रभाव कम हो और विश्व के हालात स्थिर हो जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था फिर से 9 फीसदी की दर से आगे बढ़ती रहे। माननीय सदस्यों और भारत के लोगों से मेरा आग्रह है कि वे भारत की अर्थव्यवस्था के मौलिक स्वरूप में अपना विश्वास रखें।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मंदी की प्रत्याशा में हमने 29 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत बजट में सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी की थी। हमारे व्यय प्रस्तावों की उस समय कुछ हलकों में आलोचना की गई थी। किन्तु मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है कि सरकारी व्यय में वृद्धि करना इस समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं समझता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरन मिशन (जेएनएनयूआरएम) और अन्य कार्यक्रमों पर हमारा व्यय इस मुश्किल दौर में हमें मदद देगा। इसके अलावा, 3,60,00,000 किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी और ऋण सहायता से हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, भारत के सम्मुख पहले भी चुनौतियाँ आई हैं और उनका उसने मुकाबला किया है। हम मौजूदा चुनौतियों का भी सामना करने में समर्थ हैं। भारत के सामने जब भी चुनौतियां आई हैं भारत की जनता ने सामने आकर उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लिया है। भय के लिए कोई जगह नहीं है। यह समय उद्देश्यपरक एकता और संकल्प रूपी कार्रवाई करने का है। मैं सरकार तथा अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के लिए इस माननीय सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8970-ए/08]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप से चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक-एक करके बोलने की कृपा करें तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। मैं आपकी बात पर आऊंगा! मैं आप को आश्वासन दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। मैं वादा करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम लोगों को टाइम कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आज ही देंगे। इसके बाद ही देंगे।

[अनुवाद]

कृपया अध्यक्षपीठ पर दबाव मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, 22 जुलाई, 2008 को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विशेषधिकार संबंधी मामले का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा कराना चाहते हैं? यदि हां, तो कृपया सूचना दीजिए और मैं चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है परंतु मैं बोल नहीं पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे भारत-अमरीका परमाणु करार के संबंध में 22 जुलाई 2008 को सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा न किए जाने के कथित विशेषाधिकार हनन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध संसद सदस्यों सर्वश्री बसुदेव आचार्य, रूपचंद पाल, के. येरननायडु, वरकला राधाकृष्णन और एन.एम. कृष्णदास की ओर से विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपनी बात कहने के लिए केवल दो मिनट लूंगा...*(व्यवधान)* दिनांक 22 जुलाई, 2008 को विश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते समय माननीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया और मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> "मैं पूरी निष्ठा के साथ कहता हूं कि इस सत्र और वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं कई अवसरों पर कह चुका हूं कि हमारे परमाणु करार का आई.ए.ई.ए. और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) द्वारा समर्थन किए जाने के पश्चात् सभा द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभा पटल पर रखा जाएगा। मैंने अपने वामपंथी मित्रों से मात्र इतना कहा था कि कृपया हमें वार्ता प्रक्रिया को पूरा करने दीजिए। मैं इस परमाणु करार को संपन्न करने से पूर्व संसद के समक्ष आउंगा।''

इस सभा को यह आश्वासन दिया गया था। परंतु आई.ए.ई.ए और परमाणु आपूर्ति समूह (एन.एस.जी.) से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सरकार ने संसद सत्र नहीं बुलाया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। अतः, माननीय प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह इस सभा में स्पष्टीकरन दें। यह विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं तो आपने विशेषाधिकार के अंतर्गत सूचना क्यों दी है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः कहता हूं कि यह मामला मेरे द्वारा विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह सभा में नहीं आए...*(व्यवधान)* यह विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.20 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

महाराष्ट्र में रेलवे बोर्ड की परीक्षा के दौरान उत्तर भारतीय छात्रों पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के विषय की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल दिनांक 19 अक्तूबर को न केवल दुःखद बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। उत्तर भारतीय रेलवे भर्ती के परीक्षार्थियों पर जिस तरह से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और शिव सेना द्वारा, ये दोनों सेना हैं, जानलेवा हिंसक हमला किया गया, वह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर उत्तर भारतीयों पर लगातार यह पांचवीं बार हमला है। एक बार नहीं, पिछली फरवरी से लगातार यह हिंसक हमला हो रहा है। लाखों लोगों का जानमाल असुरक्षित है। इस प्रकार की आतंकवादी घटना कट्टरपंथी संगठनों द्वारा मुम्बई में, महाराष्ट्र में की जा रही है। आज इस घटना से उत्तर-भारत के लाखों लोगों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। यह देश की एकता और अखंडता पर न केवल चोट है बल्कि भारतीय संविधान को धत्ता बताने वाला कृत्य किया गया है। यह देश को टुकड़े-टुकड़े और बंटवारा करने वाला संविधान विरोधी आचरण किया गया है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने बयान दिया है...*(व्यवधान)* मैं इस बात पर किसी से कोई समझौता नहीं करूंगा। यह देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को महफूज रखने का सवाल। ...*(व्यवधान)* कल महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस घटना पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सूचना नहीं है, मैं चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि रेलवे के आरपीएफ के डीजी ने स्पष्ट रूप से 17 तारीख को सभी डिवीजन में सूचना दी है, जहां-जहां रेलवे भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई थी। शोलापुर डिवीजन में कहा है, मैं आपकी अनुमति से उसकी केवल एक ऑपरेटिव लाइन उद्धृत करना चाहूंगा...*(व्यवधान)* क्योंकि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी उद्धृत नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम जानता हूं।

[अनुवाद]

शोलापुर के सीपी से भी स्थानीय पुलिस तैनात करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

यह आरपीएफ का डीजी 17 अक्तूबर को रिटेन में भेज रहा है। मुख्य मंत्री जी का बयान आया है कि मुझे सूचना नहीं है। नागपुर डवीजन में भी यही बात हुई है।

[अनुवाद]

नागपुर के सीपी से भी स्थानीय पुलिस तैनात करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

मुंबई डिवीजन में और जहां-जहां परीक्षा थी, वहां भी कहा है।

[अनुवाद]

नवी मुंबई, ठाणे के सीपी से भी आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

लोकल पुलिस के लिए कहा गया है। इसके बाद भी महाराष्ट्र की सरकार...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। अब, श्री रामजीलाल सुमन बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमने मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। सिचुएशन ऐसी हो गई है, जो गुंडागर्दी से महाराष्ट्र में संवैधानिक ब्रेक डाउन है, इसके लिए हम सब केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि संविधान की धारा 355 के तहत लॉ एंड आर्डर को अपने हाथ में लें और लोगों को सुरक्षित करें। उत्तर-भारत के लाखों लोग बरसों से जो वहां रह रहे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र की आर्थिक दशा में सुधार किया है, उन लोगों पर जानलेवा हमला हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी मांग यह करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है ये बता रहे हैं कि शिवसेना के कम लोग थे। ये लोग कम हों या ज्यादा हों। यह जो नवनिर्माण सेना गुंडागर्दी कर रहे हैं।... *(व्यवधान)* एमएनएस गुंडागर्दी कर रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, इतना काफी है। मैंने श्री सुमन को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नवनिर्माण सेना के नेता और कार्यकर्त्ता तथा शिवसेना को, जितने नेता इसमें दोषी हैं, कार्यकर्त्ता हैं,...*(व्यवधान)* उन्हें मीसा के तहत राष्ट्रीय कानून में लाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* शिवसेना और *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस नाम को हटा दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को प्रतिबंधित किया जाए।...*(व्यवधान)* बैन लगाया जाए। ...*(व्यवधान)* अगर इन दोषी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए... *(व्यवधान)* ये आतंकवाद फैला रहे हैं।...*(व्यवधान)* ये जो एक तरफ आतंकवादी राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र एवं भाषा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* सरकार लोगों के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी दे, नहीं तो लोग आंदोलन करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अरे बोलने दो, भाई। ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दो, भाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : रामकृपालजी, एक मिनट मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय, हाऊस व्यवस्थित करिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम बोला जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कल ठाणे, महाराष्ट्र में 13 स्थानों पर रेलवे की परीक्षा होनी थी, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर भारत के छात्र शामिल हुए थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। कृपया राज्य सरकार की आलोचना मत कीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों की संख्या ज्यादा थी। पूरे देश के लोग उसमें शामिल हुए थे। महाराष्ट्र की जो तथाकथित नवनिर्माण सेना है, इसके जो अध्यक्ष हैं, ...* ये आज से नहीं, एक लम्बे समय से हरकत कर रहे हैं। फरवरी, 2003 में भी जब इस प्रकार की परीक्षा हुई थी, तब भी उत्तर भारत के लड़कों के साथ मारपीट की गई थी, उनको डराया गया था, धमकाया गया था। अब ये कह रहे हैं कि अभी तो यह शुरूआत है, छठ के अवसर पर हम अपनी ताकत को और ज्यादा दिखाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि कभी महाराष्ट्र में और कभी असम में उत्तर भारतीयों के साथ इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं। उनको मारा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। यह देश एक है और इस प्रकार की घटनाओं को देश तोड़क घटना कहा जा सकता है। मेरा आरोप है कि महाराष्ट्र की सरकार को इसे जिस तरह से डील करना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार इस समस्या से लड़ाई में उदार है।...*(व्यवधान)* मेरा आरोप है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य की विधानसभा नहीं है। आप केंद्र सरकार की भूमिका का उल्लेख कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं, मेरी मांग है कि* ...की इस पार्टी पर बैन लगाया जाये और तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाये, जिससे भविष्य में इनकी हिम्मत इस प्रकार की घटनाओं को करने की न हो। यह बहुत गम्भीर मामला है और महाराष्ट्र सरकार को इसमें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह इतना गम्भीर मामला है कि सरकार को इस पर रैस्पोंड करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

मैने श्री सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जाइये, बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप के नेता अपनी बात कह चुके हैं। ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम बोला है। मैने श्री रामजीलाल सुमन का नाम बोला है। मैं श्री राजीव रंजन सिंह ललन का नाम बोलूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र जी ने और सुमन जी ने जो विषय उठाया, मैं भी उसी विषय को उठाने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।

अपराह्न 4.28 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज केन्द्र में भी यू.पी.ए. की सरकार है और महाराष्ट्र में भी यू.पी.ए. की सरकार है, कांग्रेस और एन.सी.पी. की गवर्नमेंट है।...*(व्यवधान)* हमारे घटक नहीं है। बिहार पर भी जब ये बोल रहे थे, बिहार के विषय पर भी बिहार के सांसद टोक रहे हैं। मैं बिहार के लोगों का दर्द यहां रख रहा हूं। उसमें आप साथ दीजिए। हम लोगों ने भी साथ दिया है। यहां पर हमारे दल की बात नहीं है। हम सब बिहारी हैं, इसलिए इस विषय को उठाने दीजिए...*(व्यवधान)*

आज से यह हमला नहीं हो रहा है, जब से महाराष्ट्र के अन्दर कांग्रेस-एन.सी.पी. की सरकार है और केन्द्र में भी सरकार उन्हीं की है। आज रेलवे की परीक्षा हुई, उसको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। रेल मंत्री भी यू.पी.ए. सरकार के हैं और देश के गृह मंत्री भी यू.पी.ए. की सरकार के हैं। वहां पर महाराष्ट्र के अन्दर मुख्यमंत्री भी यू.पी.ए. के हैं। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

कि बाहर के लोगों के साथ जिस तरह जुल्म-ज्यादती हुई, जिस तरह जो उत्तर भारत के लोग हैं, जिनके साथ महाराष्ट्र के अन्दर एक व्यक्ति अनर्गल अलाप करके अपनी पब्लिसिटी चाहते हुए, जिस तरह से अन्याय कर रहा है, यह देश की एकता और अखंडता पर खतरा बनेगा। मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि अगर यूपीए सरकार के एक घटक दल आरजेडी ने मांग की है कि धारा 355 वहां पर लागू की जाए, तो क्या यह सरकार धारा 355 का नोटिस देगी या नहीं देगी? क्योंकि रूलिंग पार्टी के लोगों ने यह मांग की है, उनको 355 के तहत...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप केवल विषय का उल्लेख कर सकते हैं। नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, सभापति जी, आप कांक्ल्यूड कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* अभी तो हल्ला हो रहा था, जब आप आए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर आजादी के बाद किसी को भी यह अधिकार है, आज भारत के लोग अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं, यूरोप में काम कर सकते हैं, पूरे गल्फ रीजन में काम कर सकते हैं। सभापति जी, आपके केरल के बहुत बड़ी तादाद में लोग बहरीन में रहते हैं, वहां की आबादी से ज्यादा केरल के लोग वहां रहते हैं, यहां के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। क्या इस देश में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को या इस देश के लोगों को कहीं पर किसी नेता के परमिट की जरूरत होनी चाहिए? कांग्रेस सरकार की नरमी की वजह से आज राज ठाकरे का मनोबल बढ़ा है। अगर उनका मनोबल बढ़ा है, तो देश के गृहमंत्री शिवराज पाटिल जी को इसका जवाब देना होगा कि राज ठाकरे को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यूपीए के लोग यह विषय उठा रहे हैं, लेकिन तुमने ही दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। यह सरकार भी आपकी है और मामला भी आप ही उठा रहे हैं। इसलिए यहां सरकार की तरफ वक्तव्य आना चाहिए, क्योंकि एकमात्र कैबिनेट मंत्री यहां लालू प्रसाद जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि जब मैंने यह विषय उठाया, तो वे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इस पर रिस्पांड करें कि इनकी सरकार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? वहां की सरकार को बरखास्त करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के रहते वहां बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीय लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। सरकार को तुरंत रिस्पांड करना चाहिए। जब-जब यह विषय उठता है, हम लोग उठाते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आता है, लीपापोती होती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय को सरकार गंभीरता से ले।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : सभापति महोदय, देवेन्द्र प्रसाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन देवेन्द्र जी ने सवाल को उठाते-उठाते उसको डीरेल्ड कर दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया विषय के बारे में बोलिए क्यों इस विषय पर बहुत से सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, मैं इसी मुद्दे पर बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुद्दे पर और उसके बाद बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : लेकिन उसको उन्होंने उसको डीरेल्ड कर दिया है। हमारे देश की यही खूबी है कि यहां अनेकता में एकता है। कई भाषा के लोग, कई संस्कृति के लोग, कई जाति के लोग यहां रहते हैं, यहां अनेकता में एकता है। कई भाषा के लोग, कई संस्कृति के लोग, कई जाति-समुदाय के लोग इस देश में रहते हैं और आपसी भाईचारा और सौहार्द इनमें कायम रहता है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले एक साल से जो हो रहा है, एक मानसिक दीवालिया और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तित्व वहां पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक साल से वहां ये घटनाएं हो रही हैं। क्यों नहीं एक मानसिक दीवालिया व्यक्ति को आज तक महाराष्ट्र सरकार नियंत्रित कर पायी? एक साल से केंद्र की सरकार यहां बैठकर क्या कर रही है? दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खेल चल रहा हो और वहां सरकार अस्थिरता पैदा करना चाहती है। क्या केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फिर से कहीं महाराष्ट्र में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा तो नहीं दे रही हैं? आज यह सवाल देश के सामने है। आज उत्तर भारतीय लोगों के सामने यह सवाल खड़ा है, इसलिए आज जरूरी है, आज अगर केन्द्र सरकार में साहस है, तो कल धारा 355 का नोटिस, दे और वह व्यक्ति जो संगीन में और सुरक्षा के घेरे में बैठा रहता है और बाहर तमाशा करा रहा है, गुंडागर्दी करा रहा है, उसको नियंत्रित करे, तो हम लोग समझेंगे कि केन्द्र की सरकार उत्तर भारतीय लोगों के प्रति गंभीर है, नहीं तो, यह संदेश जाएगा कि केन्द्र की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार का इसमें हाथ है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और पिछले एक साल से कई बार ऐसे मुद्दे आए। कल जो बात हुई, रेल की भर्ती की परीक्षा में हमारे नौजवान परीक्षार्थी बनकर जाएंगे। सरकारी कानून का बंदोबस्त है। अगर महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर, प्रांतीयता के नाम पर, उत्तर भारत खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग गए या महाराष्ट्र में दूसरी भाषा के दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग वहां परीक्षा देने जाते हैं। रेल भारतीय संस्था है। हम बोलते हैं कि रेल सबको जोड़ती है। हमारा देश एक संघीय ढांचा है। उस ढांचे को कमजोर करने के लिए भाषा के नाम पर, प्रांतीयता के नाम पर ऐसे तत्व काम कर रहे हैं। कल ठाणे में जो हुआ, वह बहुत ही घिनौना काम हुआ। हमने टेलीविजन में देखा था। लोग फार्म फिल-अप करके, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने गए लेकिन वहां उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, बल्कि कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने वहां जाकर हमला किया। वहां लोगों को इस तरह खदेड़ा जा रहा था जैसे जंगली जानवरों पर हमले हो रहे हैं। यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत गलत संदेश है। नई पीढ़ी के नौजवानों को हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की कमजोरी है। हम संसद में विधान सभा की बात नहीं करना चाहते, लेकिन केन्द्र सरकार और वहां की राज्य सरकार ऐसे अनासिर से निपटने से डरते हैं, उनके घुटने कांपते हैं।...*(व्यवधान)* मैंने यहां पिछली बार भी कहा था।...*(व्यवधान)* जो व्यक्ति श्री राज ठाकरे और जो एमएलएज इस हमले को खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं, उस बारे में हम देखें कि वहां सरकार, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अफसर उन्हें सुरक्षा देने के बारे में पूछें कि आप आराम से हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, पिछली बार यह पूछा। उन्हें अरैस्ट नहीं किया। आज संसद यह बात कर रही है। लालू जी रेल मंत्री हैं। मैं उनसे भी कहता हूं। यूपीए सरकार यह कहकर आई थी कि अगर भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात-पात के नाम पर, प्रांतीयता के नाम पर कोई भी हमले होंगे, उन्हें हम बरदाश्त नहीं करेंगे। आप अपने गृह मंत्री जी को क्यों नहीं बोलते, प्रधान मंत्री जी को क्यों नहीं बोलते, यूपीए की चेयरपर्सन को क्यों नहीं बोलते? वहां यूपीए के ही दो घटक सरकार चला रहे हैं। रेल भारतीय संस्था है।...*(व्यवधान)* उस पर सब भाषा, सब प्रांत, सब क्षेत्र के लोगों का अधिकार है। ग्रुप डी में खास तौर से इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज से भर्ती की जाता है। यदि हम श्री राज ठाकरे के इस घिनौने काम को नकारते हैं तो रेल मंत्री को भी यह देखना पड़ेगा कि रेल चलाने के नाम पर, रेल में भर्ती के नाम पर ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे कि ऐसी प्रांतीयता और भाषा के नाम पर, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें मौका मिल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यूपीए सरकार से हम दर्खास्त करेंगे, वरना आप अपनी चुनावी राजनीति करेंगे और देश कमजोर होगा, हम उसके विरोधी हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, रेल भर्ती के मामले में जो परीक्षार्थी ठाणे, नई मुम्बई में गए थे, उन पर घिनौना हमला या मार-पिट हुई, मैं उसकी निन्दा करता हूं। किसी भी ऐसी हरकत का कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जो सारी रेल भर्ती को लेकर घटनाएं हो रही हैं, उसकी जड़ में भी जाने की आवश्यकता है। आज महाराष्ट्र में भी 42 लाख शिक्षित बेरोजगार लोग हैं।... *(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* आप इसका सौल्यूशन चाहते हैं या इस पर सिर्फ विवाद करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* सभापति

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

जी, हमें विवाद करना है या इनका सौल्यूशन निकालना है।...*(व्यवधान)* यदि इस मसले को हल करना है तो हमें उस संदर्भ में सोचना भी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : पूरे देश के लोग रेल की परीक्षाओं में बैठते हैं, किसी को मनाही नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, ये क्या तरीका है? ...*(व्यवधान)* आप बोलने भी नहीं देंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, क्या ये बोलने भी नहीं देंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : गीते जी, आप ईमानदारी से बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं यहां कोई गलत बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुझे न ही आपको उकसाना...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : इनका कहने का मतलब है कि आप आरआरबी का ऑफिस वहां से उठा लीजिए।... *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, आज बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में है। महाराष्ट्र में भी 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं।...*(व्यवधान)* लालू जी, आप सुन लीजिए। हमारे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कम्पनीज हैं, वे भी राष्ट्रीय स्तर की हैं। जब उनकी भर्ती होती है, तो इस प्रकार का विवाद आज तक न कभी मुम्बई में हुआ है और न ही कहीं और हुआ है। यह भर्ती बैंकों में भी होती है और इंश्योरेंस कम्पनीज में भी होती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो तरीका अपनाया है, उसके कारण यह विवाद हो रहा है।...*(व्यवधान)* आप समझ लीजिए। मैं जो कह रहा हूं, उसकी आप जांच करवाइये। यदि यह गलत है...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : क्या तरीका होना चाहिए?

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लीजिए।...*(व्यवधान)* जैसे, अभी सारे नेशनलाइज्ड बैंकों में ऑल ओवर इंडिया से भर्ती होती है, लेकिन आपने कभी सुना है कि मुम्बई में हमला हुआ, किसी की मार-पीट हुई। इंश्योरेंस कम्पनियों में भी नेशनल लैवल पर रिक्रूटमैंट होती है। आपने कभी ऐसा सुना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनंत गंगाराम गीते के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, जो गलत काम है, उसकी निन्दा हमने भी की है। अब भी हम उसकी निंदा करते हैं। हम उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तविकता को स्वीकार करेंगे या नहीं?...*(व्यवधान)* मैं आपको बता रहा हूं।... *(व्यवधान)* मैं वही सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। रेलवे भर्ती बोर्ड का जो तरीका है...*(व्यवधान)* आप लोग नहीं बोलने देंगे, तो हम खामोश बैठेंगे। आप सॉल्यूशन निकालिए।...*(व्यवधान)* आप सॉल्यूशन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निकालिए, हम बैठ जाते हैं।...*(व्यवधान)* वहां भर्ती हो जाने दीजिए...*(व्यवधान)* आप सॉल्यूशन निकालो।...*(व्यवधान)* मुझे नहीं बोलना, आप भर्ती करिए। आप धमकाकर भर्ती करेंगे।...*(व्यवधान)* सदन में यह हालत है।...*(व्यवधान)* लालू जी, इस संसद में यदि यह हालत है और इस प्रकार से धमका कर भर्ती करवाना चाहते हैं, तो आप भर्ती करिए।...*(व्यवधान)* क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनंत गंगाराम गीते के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रेलवे भर्ती बोर्ड का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, वह बहुत गलत है। आपने रीजनल बोर्ड्स बनाये थे। जहां तक इंश्योरेंस कम्पनियों और बैंकों का मामला है, वहां पर त्रीभाषी सूत्र अपनाया गया है। यदि भर्ती होती है, तो अंग्रेजी अखबारों में भी उसका इश्तिहार आता है। हिन्दी के अखबार में भी उसका इश्तिहार आता और रीजनल लैंग्वेज के अखबारों में कभी इश्तिहार आता ही नहीं है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, आप सुन लीजिए। रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी इश्तिहार नहीं है। हम आपको प्रूव करके दिखायेंगे।

दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार की रिक्रूटमैंट होती है ...*(व्यवधान)* यह रीजनल रिक्रूटमैंट बोर्ड्स किसलिए बनाये गये हैं? आपने रीजनवाइज बोर्ड्स इसलिए बनाये हैं कि उस रीजन में रहने वाले जो बेरोजगार हैं, उनको अवसर मिले। ये रीजनल रिक्रूटमैंट बोर्ड्स क्यों बनाये गये हैं? आपने इनको किसलिए बनाया है? ...*(व्यवधान)* मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। आपने ये रीजनल बोर्ड्स क्यों बनाए हुए हैं? उनको बर्खास्त कीजिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एसिस्टेंट मोटरमैन की रिक्रूटमैंट हुई।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : हम आपको विज्ञापन दिखाएंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : जब एसिस्टेंट मोटरमैन की रिक्रूटमैंट हुई, एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमैंट हुई। सारे देश में उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर रखा गया, वह पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए रीजनवाइज अलग-अलग पेपर दिए गए। आप इसकी जांच कीजिए। उसमें ए, बी, सी, डी और ई ग्रेड्स बनाए गए। मोटर एसिस्टेंट की एक पोस्ट के लिए इस तरह से ग्रेडीफिकेशन किया गया। यह क्या है? मोटरमैन तो एक ही होगा जो मुंबई में ट्रेन, चलाएगा, वही पटना से चलाएगा, वहां इलाहाबाद से चलाएगा। यह भर्ती करने का कौन सा तरीका है? आप यह क्या कर रहे हैं?

श्री लालू प्रसाद : इसके लिए आप उनको मारेंगे?

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपने इस तरह से ग्रेडेशन करने की जो नीति बनाई है, वह गलत है।

श्री लालू प्रसाद : इसीलिए आपने उनको पीटा है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपकी इस ग्रेडेशन की नीति के कारण रीजनल लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप रिक्रूटमैंट का सिस्टम बदलिए, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरह रिक्रूटमैंट के तरीके अपनाइए। आपको इसके बारे में मेरे उड़ीसा के माननीय सदस्य बताएंगे जो मेरे बाद बोलेंगे। हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं। जो भी कैण्डीडेट्स हैं, वे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अखबारों में इश्तिहार देना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में इश्तिहार रेलवे रिक्रूटमैंट बोर्ड्स द्वारा दिए जाने चाहिए। अगर इसका इस तरह से सोल्यूशन किया जाता है, तो इस पर इस सदन में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेश वर्मा : सभापति जी, कल महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई, परीक्षार्थियों के ऊपर जो हमला हुआ है, वह बहुत ही शर्मनाक है, पूरे देश ने उस पर बहुत विरोध जताया है। यहां कोई दल नहीं है, यहां कोई भाषावाद, कोई जातिवाद या कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है। जो घटना महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर निरीह छात्रों के साथ हुई, जिस तरह से उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और हमला हुआ है, वह बहुत निन्दनीय है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को इस देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार है, पढ़ने-लिखने का अधिकार है, परीक्षा देने का अधिकार है, व्यवसाय और नौकरी करने का अधिकार है। क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में निरीह छात्रों पर हमले हुए, वह निन्दनीय है। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन उत्तर भारतीयों पर यह हमला हुआ है, क्या उन उत्तर भारतीयों के हाथों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजेश वर्मा]

से महाराष्ट्र की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है? उन उत्तर भारतीयों के हाथों से वहां पर मिल और कारखाने नहीं बनाए गए हैं? क्या उन्हीं हाथों ने वहां पर बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं बनाई हैं जिनमें महाराष्ट्र के लोग चलते हैं और रहते हैं? लेकिन जब वे लोग वहां पर एग्जामिनेशन देने जाते हैं, इनटरव्यु देने जाते हैं तो उन पर इस तरह से हमला किया जाता है, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इसका प्रबल विरोध करती है। हमारे साथी श्री गीते जी कह रहे थे कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर यह हमला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर निरीह छात्रों पर इस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई जाएंगी? यह कौन सा तरीका है? यदि आपको लगता है कि परीक्षा का यह तरीका गलत है तो आपको इसके बारे में डिबेट करना चाहिए, आपको उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, लिखा-पढ़ी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उत्तर भारतीयों पर अगर लाठी चलाई जाएगी, तो यह गलत है। इससे उत्तर प्रदेश में निर्मित हुई चीज क्या महाराष्ट्र के लोगों के काम नहीं आएगी? बिहार या उत्तर प्रदेश में निर्मित हुई चीज का उपयोग महाराष्ट्र में किया जाता है, इसी तरह से महाराष्ट्र में निर्मित हुई चीजों का उपयोग उत्तर प्रदेश, बिहार एवं देश के अन्य सभी प्रदेश करते हैं। मुजफ्फरपुर, बिहार में जो लीची उत्पन्न होती है, वह महाराष्ट्र के लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उत्तर भारतीय जो पैदा करते हैं और उनका उत्पाद वहां जाता है, उन्हीं पर लाठियां चलाई जाएं तो यह शोभा नहीं देता है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है, शर्मनाक है। अनंत गीते जी ने अभी जो कहा और रेलवे भर्ती बोर्ड में उन्हें जो अनियमितता नजर आती है, तो इस बात को लेकर उत्तर भारत के निरीह छात्रों पर लाठियां चलाना कतई न्यायोचित नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार है। लेकिन वह कानों में रूई डालकर बैठी हुई है। इनकी तरफ से न तो इस घटना पर कोई स्टेटमेंट आया है और न ही इसकी निंदा की गई है। देवेन्द्र प्रसाद जी ने जो धारा लगाने की मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि उसका इस्तेमाल करके वहां की सरकार को सीज करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री तथागत सत्पथी। कृपया किसी बात की पुनरावृत्ति न करें।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। हिंसा की कोई अनदेखी नहीं कर सकता और मुम्बई में हुई घटनाएं निःसंदेह दुखद थीं। इस सभा में हर कोई इसके विरोध में एकजुट होगा।

परन्तु महोदय, यह सभा केवल दोषारोपण करने के लिए ही नहीं है। लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमें देश के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान खोजना होता है। फिर चाहे यह सुदूर पूर्व में स्थित असम राज्य हो या सुदूर पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र राज्य हो, हम इस प्रकार की हिंसा को क्यों देख रहे हैं? इसका मूल कारण कहां हैं? दोषारोपण करना आसान है। उत्तर भारतीयों, बिहारियों, मराठियों, उड़िया के रूप में एकजुट होना आसान है, परन्तु हम भारतीयों के रूप में सोचना कब प्रारंभ करेंगे? अब समय आ गया है कि हम माने कि इसके प्रति लोगों के मन में आक्रोश और मस्तिष्क मे क्षोभ है। यह मुख्यतः रेलवे के मामले में ही क्यों हो रहा है? यह महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करते हैं। अन्य राज्यों विशेषकर कुछ विशिष्ट राज्यों से लोग आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं भारतीय पहले हूं और उसके बाद किसी राज्य से। मैं यह स्वीकारते हुए शर्मिन्दा हूं कि ऐसा संपूर्ण देश में और रेलवे के प्रत्येक क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड में बार-बार हो रहा है एक विशिष्ट क्षेत्र के लोग जोर-जबरदस्ती कर रहे हैं।

जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों (जैडआरयूसीसी) का उदाहरण लीजिए। आंकड़े देखिए। संपूर्ण देश में जैडआरयूसीसी ने उस क्षेत्र के प्रयोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु कितनी बैठकें की और चर्चा कर उनका समाधान किया है। उसकी बैठकें नहीं हो रही हैं। ये बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं? उड़ीसा राज्य में एक जैडआरयूसीसी है। अन्य पड़ोसी राज्य से सदस्य हैं: अब ये पड़ोसी नहीं रह गए हैं, क्योंकि इस दौरान एक नया राज्य बन गया है; परन्तु इस अध्यपूर्व राज्य से सदस्यों का एक बड़ा समूह हमारी जैडआरयूसीसी को नियंत्रित कर रहा है। कांग्रेस, बीजेडी, भाजपा सहित विभिन्न दलों के हमारे माननीय ससंद सदस्यों ने बैठक से बाहर जाना उचित समझा, परन्तु उन्होंने इसका आयोजन नहीं होने दिया। यह बहुत गंभीर मामला है।

मैं इस बारे में श्री अनंत गीते जी का समर्थन करता हूं कि क्षेत्रीय समाचारपत्रों में रेलवे में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई

विज्ञापन नहीं आता। वे क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन नहीं होते हैं, जबकि देश के कतिपय क्षेत्रों में, इस देश के कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद में परीक्षा में 3000 आवेदकों ने भाग लिया; इनमें से 1500 को लिया गया; शेष 1000 को परीक्षा में बैठने हेतु मुम्बई भेजा गया। इससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, जो इस देश की सोच पर गहरा असर कर रहा है। ऐसे समय में इस सभा को बिहारी, एक उत्तर प्रदेशवासी, उड़ीसा या तमिल से आगे बढ़कर सोचना होगा। हमें भारतीयों के रूप में सोचना चाहिए। यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। हम खुद को महान नेता बताते हैं, परन्तु हम सब के लिए ऐसा व्यवहार करना शर्म की बात है।

अंत में, मैं चाहूंगा कि एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हमें श्री राज ठाकरे या उनके एमएनएस संगठन को अवमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उनका भविष्य क्या है।

हमें सभी के बारे में सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए क्योंकि वह भी लोगों के एक विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपनी सभा को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा—वह खुले विचारों वाले हैं—कि लालू जी ने रेलवे के पटरी से न उतारे, बल्कि इसे वापस पटरी पर लाएं, ताकि उड़ीसा के लोग इससे उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस न करें, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति वहां भी उत्पन्न हो सकती है और वहां के लोग ऐसा करने को बाध्य होंगे और कोई राजनीतिक नेता इसे नियंत्रित नहीं कर सकेगा। यह एक चेतावनी है। आइए हम इस चेतावनी को स्वीकार करें और एमएनएस या श्री राज ठाकरे के विरुद्ध दोषारोपण करने से पहले अपनी सभा को व्यवस्थित करें।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री तथागत सत्पथी जी की बात का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : डा. प्रसन्न कुमार पारसाणी को इस मुद्दे पर समर्थन की स्वीकृति दी जाती है। अब श्री गुरूदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : सभापति महोदय, जहां यह घटना घटी है, वहां मूलभूत रूप से कुछ गलत हुआ होगा। मुद्दा यह नहीं है कि विज्ञापन विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकासित हुए थे या नहीं। मुद्दा यह नहीं है। यह भी मुद्दा नहीं है कि रेलवे बोर्ड ने स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए थे या नहीं।

मूलतः प्रश्न यह है कि परीक्षा देने वालों को मारने के लिए जो लोग वहां गए थे, वे चोटिल नहीं हुए; वे आवेदक नहीं थे। वे आवेदक नहीं थे और वे चोटिल नहीं हुए। वे जानबूझकर परीक्षा देने वालों जो भारत के एक विशिष्ट जोन से आए थे, को पीटने के लिए वहां गए थे। मेरा यह कहना नहीं है कि 'उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र'; मैं यह नहीं कहूंगा 'मुम्बई और बिहार'; मैं यह नहीं कहूंगा 'ठाकरे और लालू'; मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं केवल यही कह रहा हूं कि जिन लोगों का समूह गुंडागर्दी में शामिल था, जानबूझकर वहां परीक्षा को रोकने के लिए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के अन्य भागों से लोगों को नौकरी न मिले। यह एक सुस्पष्ट प्रश्न है। इस स्थिति को सही ठहराने के लिए हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। यह एक सुस्पष्ट और सीधा सा प्रश्न है।

दूसरे, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, वह देश के लिए खतरनाक है। नारा—जोन फार द सन आफ द सॉइल — को गोपनीय ढंग से उठाया जा रहा है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि बंगाल बंगालियों के लिए, है, मराठा मराठियों के लिए है और उत्तर प्रदेश उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं? यदि ऐसा होने दिया गया, तो भारत टूट जाएगा, भारत बंट जाएगा। आज या कल दो भारत—उत्तर भारत और दक्षिण भारत होंगे और समग्र रूप से भारत राष्ट्र नही रहेगा।

कुछ लोग आग सुलगा रहे हैं। वे लोग कौन हैं? यह ठाकरे कौन है? उन्हें अपने लोगों को वहां भेजने की क्या आवश्यकता थी? वह चुनाव जीतने के लिए उग्र राष्ट्रीयता का सहारा ले रहे हैं। यह छद्म राष्ट्रवाद का खेल है। यह गंदी राजनीति का खेल है। मैं यह कहने के लिए बाधित हूं कि लालू बाबू, कृपया अपने साथियों को बताएं। आपके कांग्रेस पार्टी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वहां कांग्रेस सरकार छद्म राष्ट्रवाद के नारे का सामना करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रही है। वे इस पर नरम रुख अपना रहे हैं। वे लोग गंदी राजनीति पर ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में क्या अड़चन है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वे छद्म राष्ट्रवाद, मराठी राष्ट्रवाद का सामना करने से डर रहे हैं। यदि वे इस छद्म राष्ट्रवाद का सामना करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि वे चुनाव न जीतें। सबकुछ एक विशेष राज्य, एक विशिष्ट क्षेत्र और एक विशिष्ट भाषा के लोगों की सहानुभूति हासिल करने की मंशा से किया जा रहा है।

महोदय, मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं कि इस संकट के विरुद्ध लड़ें। इस संकट के विरुद्ध लड़ें। संसद इनसे नहीं लड़ सकती। महाराष्ट्र के लोग ठाकरे की इस घुड़की के विरुद्ध लड़ें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के बारे में हाउस ने पारित किया है कि लोकल इम्प्लॉयमैन्ट एक्सचेंज से कॉल मंगानी चाहिए। मुम्बई में मराठी हैं, बंगाल में बंगाली हैं, गुजरात में गुजराती हैं और उड़ीसा में उड़िया लोग हैं। उन्हें वहीं प्रायोरिटी मिलेगी। इससे नेशनल इंटीग्रेशन कायम रह सकती है। एक्चुअली यह कानून 1959 में हाउस ने पारित किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपस में कोई चर्चा न करें। इसकी अनुमति नहीं है। आपस में कोई चर्चा न करें। श्री दासगुप्त, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : कृपया मेरी बात सुनें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, श्री सी. कुप्पुसामी। अब आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सी. कुप्पुसामी। अब आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कुप्पुसामी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री कुप्पुसामी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इसी सदन ने थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के संबंध में कानून पारित किया है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मैंने बोलने के लिए भी नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : यदि आपका नाम सूची में होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

श्री सी. कुप्पुसामी : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा का ध्यान श्रीलंका सेना द्वारा की जा रही निर्दोष तमिल नागरिकों की हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एलटीटीई (लिट्टे) के विरुद्ध जारी झड़पों में, श्रीलंका सेना निर्दोष तमिल नागरिकों पर हवाई हमले और गोलियों की बौछार कर रही है। आंतरिक रूप से विस्थापित दो लाख से अधिक लोग भोजन, पानी, परिवहन और ईंधन के अभाव से ग्रस्त हैं। किल्लीनोच्ची और मुलाथिव में लगातार हो रहे हवाई हमलों के कारण जाफना प्रायद्वीप में सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण : सभापति महोदय, मंत्री जी से जवाब तो दिलवाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी : उत्तरी श्रीलंका में लाखों विस्थापित नागरिकों के लिए भोजन, आवास, स्वच्छ (पेय) जल, स्वच्छता और सबसे अधिक सुरक्षा सर्वाधिक चिन्ता के विषय हैं।

उत्तरी श्रीलंका में बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, डा. कलाईनार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें वर्तमान में जारी झड़पों को मानवीय आधार पर रोकने और भारत की तरफ से किसी भी प्रकार की रणनीतिक सहायता रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाने हेतु प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में 28 अक्तूबर तक कदम उठाने का अल्टीमेटम दिया गया और तमिलनाडु के सभी संसद सदस्यों ने तमिल नागरिकों की हत्याओं के विरोध में त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है; और उनमें से अनेक (सदस्य) पहले ही अपने त्यागपत्र हमारे नेताओं को आवश्यक कार्यवाही के लिए सौंप चुके हैं।

भविष्य में श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर अकारण गोलीबारी रोकी जाए। हमारे नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डा. कलाईनार ने उत्तरी श्रीलंका में बमबारी और झड़पें रोकने और राजनैतिक हल की प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया है। श्रीलंका में विस्थापितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने ओर पीड़ित तमिलों को बचाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : श्री ए.के.एस. विजयन, श्रीमती भवानी राजेन्तीरन और श्री के.सी. पल्लानी शामी को इस मामले सें संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, जवाब का क्या हुआ? सरकार से जवाब तो दिलाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप लोग बैठिये, हम जवाब दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। आपको हमें भी बोलने की अनुमति देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : ऐसा नहीं करिये। आप बैठिये।... *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन में ऐसें नहीं चलेगा। इतने महतवपूर्ण विषय पर सरकार चुप है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : कल जवाब होगा। थोड़ा हम भी बोल लेते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, जरा एक मिनट ठहरिए। हम श्री खारबेल स्वाईं की बात भी सुनेंगे।

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, महोदय।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मुंबई में रेल भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए गए लोगों पर हुए हमले की मैं भी घोर निन्दा करता हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है; कोई भी औरों को ऐसे भगा नहीं सकता है।

लेकिन, महोदय, मैं एक बात और कहूंगा। आप मेरे राज्य, उड़ीसा का उदाहरण लीजिए। मैं पूर्व-तटीय रेलवे से संबंधित हूं। यह उड़ीसा में है।

वहां एक खुर्दा रोड मंडल है। गत चार वर्षों में वहां एक चमत्कार हुआ है। वह यह है कि पिछले चार वर्ष के दौरान नियुक्त हुए वर्ग-घ के कुल कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत केवल बिहार से हैं।...*(व्यवधान)* अब, उड़ीसा में, उड़ीसा के लोग आईएएस बन सकते हैं। वे प्रथम श्रेणी नौकरियों में जा सकते हैं। उड़ीसा के लोग हर जगह जा सकते हैं लेकिन वे वर्ग-घ में नहीं जा सकते ...*(व्यवधान)*

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। पूर्व तटीय रेलवे की जोनल रेलवे सलाहकार समिति का उदाहरण लीजिए। इस जोनल रेलवे सलाहकार समिति में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो माननीय रेल मंत्री द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए गए हैं। उन्होंने पूर्व तटीय रेलवे की जोनल रेलवे सलाहकार समिति में 75 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए हैं। वे सभी बिहार के हैं। वे केवल धर्म से संबंधित...*(व्यवधान)*

मैं श्री गुरुदास दासगुप्त को भी बताना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र दक्षिण पूर्व रेलवे में आता है। माननीय रेल मंत्री ने दक्षिण पूर्व रेलवे की जोनल रेलवे सलाहकार समिति में 150 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए हैं, और श्री दासगुप्त मैं आपको बता रहा हूं कि उस समिति में एक भी बंगाली नहीं है। वे सूची देख सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं : वे सभी एक ही जाति और धर्म संबंधित हैं और वे सभी बिहार के है। रेल मंत्री ने यह काम किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामचन्द्र पासवान, कृपया शान्त रहें।

श्री खारबेल स्वाईं : उन्होंने क्या किया है? वे एक रेल फैक्टरी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ले गए, दूसरी फैक्टरी अपनी पत्नी के निर्वाचन क्षेत्र में और तीसरी संप्रग अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में ले गए।...*(व्यवधान)* हम तो कहीं नहीं हैं। क्या हमें जिन्दगी में कभी कोई रेल फैक्टरी मिलेगी?...*(व्यवधान)* आजकल लोग कहते हैं कि उनसे जमीन लेकर उनको रेलवे में नौकरी दी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दें। मैं उन्हें समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : अब तो इस देश में इस सरकार में मंत्री भी जमीन देकर बन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.07 बजे

(इस समय श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप नहीं जाते हैं तो मेरे पास सभा को स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं सभा को स्थगित कर दूं तो मैं इसे स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : यह इसी वजह से है।...*(व्यवधान)* केवल यही हो रहा है, और कुछ नहीं। रेल मंत्री जो कुछ कर रहे हैं, उस पर मुझे घोर आपत्ति है।

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं। यदि आप नहीं जाते हैं तो मेरे पास सभा को स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

सभा कल 21 अक्तूबर, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 अक्तूबर, 2008/ 29 आश्विन, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री मनसुखभाई डी. वसावा	21
2.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री नन्द कुमार साय	22
3.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	23
4.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	24
5.	श्री हरिसिंह चावड़ा	25
6.	डा. अरुण कुमार शर्मा	26
7.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	27
8.	डा. एम. जगन्नाथ श्री रामदास आठवले	28
9.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री मधु गौड यास्खी	29
10.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	30
11.	श्री काशीराम राणा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	31
12.	श्री पी.सी. थामस श्री एल. राजगोपाल	32
13.	श्रीमती जयाप्रदा श्री सी.के. चन्द्रप्पन	33
14.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	34
15.	श्री हन्नान मोल्लाह श्री बृज किशोर त्रिपाठी	35
16.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री पन्नियन रवीन्द्रन	36
17.	श्री नवीन जिन्दल श्री निखिल कुमार	37
18.	डा. आर. सेनथिल श्री महावीर भगोरा	38
19.	श्री हरिन पाठक	39
20.	श्रीमती मिनाती सेन	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	203, 226, 301, 347, 370
2.	आदित्यनाथ, योगी	201
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	233, 276, 327, 387, 388

1	2	3
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	182, 246, 271, 287, 336
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	204, 282, 331, 360, 389
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	187, 250
7.	अर्गल, श्री अशोक	232
8.	आठवले, श्री रामदास	272, 324, 358, 376
9.	आजमी, श्री इलियास	221
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	181, 223
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	164, 194, 296, 343, 380
12.	बर्मन, श्री हितेन	179, 244, 292
13.	बर्मन, श्री रनेन	173, 291
14.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	327
15.	भगोरा, श्री महावीर	285, 334, 362
16.	बोस, श्री सुब्रत	166, 226
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	318, 383
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	198, 277, 322, 328
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	274
20.	चटर्जी, श्री सांताश्री	176
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	260, 316
22.	चौधरी, श्री पंकज	196
23.	चौधरी, श्री अधीर	202, 216, 227, 322, 364
24.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	265
25.	गढ़वी, श्री पी.एस.	194, 268, 320
26.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	261, 317, 371

1	2	3
27.	गांधी, श्रीमती मेनका	224, 300, 346, 369, 372
28.	गंगावार, श्री संतोष	197, 205, 239, 257, 328
29.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	345
30.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	184
31.	गुढ़े, श्री अनंत	233
32.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	213, 292, 335, 339, 363
33.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	233
34.	जयाप्रदा, श्रीमती	255, 318, 354, 375
35.	जिन्दल, श्री नवीन	240, 306
36.	जोगी, श्री अजीत	235, 303, 391
37.	कनोडिया, श्री महेश	191, 194, 268
38.	करुणाकरन, श्री पी.	209, 284, 333
39.	खां, श्री सुनील	165, 265, 271, 322
40.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	351
41.	खारवेनथन, श्री एस.के.	193, 240
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	168, 236, 304, 335, 386
43.	कृष्ण, श्री विजय	352
44.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	230
45.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	231
46.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	195, 269, 321, 356
47.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	206, 363
48.	महरिया, श्री सुभाष	218, 295, 342, 364
49.	महतो, श्री नरहरि	214, 293, 340

1	2	3
50.	माझी, श्री परसुराम	222, 298, 384
51.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	257, 313, 351, 372
52.	मंडल, श्री सनत कुमार	188, 251, 309
53.	माने, श्रीमती निवेदिता	261, 317, 371
54.	मनोज, डा. के.एस.	274
55.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	219
56.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	194
57.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	322
58.	मो. ताहिर, श्री	202, 215, 383
59.	मोल्लाह, श्री हन्नान	264, 372
60.	मंडल, श्री अबु अयीश	210, 289
61.	मोरे, श्री वसंतराव	212
62.	मुन्शी राम, श्री	229
63.	मुर्मु, श्री हेमलाल	211, 290, 322, 327, 338
64.	नन्दी, श्री अमिताभ	203, 281, 330
65.	नायक, श्री अनन्त	222, 231, 234, 334, 372
66.	निखिल कुमार, श्री	216, 259
67.	ओराम, श्री जुएल	172, 238, 266, 319, 355
68.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	186, 249, 308, 384
69.	पाण्डा, श्री प्रबोध	197, 275, 326
70.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	167, 177, 213, 292, 322
71.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	383, 384
72.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	194

1	2	3
73.	पटेल, श्री जीवाभाई ए	180, 245, 323, 337, 257
74.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	259, 315, 353, 374, 384
75.	पाठक, श्री हरिन	267
76.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	285
77.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	202, 215, 280, 383
78.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	288, 312, 316
79.	राजगोपाल, श्री एल.	273, 325
80.	राजेन्द्रन, श्री पी.	185, 248, 265, 349
81.	रामदास, प्रो. एम.	197
82.	राणा, श्री काशीराम	262
83.	राव, श्री ई. दयाकर	175, 226, 322
84.	राव, श्री के.एस.	178, 241, 329, 352
85.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	199, 278, 322
86.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	274
87.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	242
88.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	334
89.	रेड्डी, श्री सुखरम सुधाकर	265
90.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	256, 300, 312, 350
91.	रिजीजू, श्री कीरेन	167, 372
92.	साय, श्री नन्द कुमार	259, 315, 383, 384
93.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	252
94.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	207, 322
95.	सत्पथी, श्री तथागत	223, 225, 345

1	2	3
96.	सेन, श्रीमती मिनाती	239, 385
97.	सेनथिल, डा. आर.	266
98.	सेठी, श्री अर्जुन	192, 226, 302, 348
99.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	217, 294, 341
100.	शर्मा, श्री मदन लाल	197
101.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	276, 327, 359, 377
102.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	174, 322, 389
103.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	243, 307, 365, 379
104.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	169, 262, 287, 336
105.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	259
106.	सिंह, श्री चन्द्रभान	197, 200, 279, 322
107.	सिंह, श्री दुष्यंत	220, 297, 344, 367, 381
108.	सिंह, श्री गणेश	223, 299, 345, 368, 382
109.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	258, 314, 352, 373
110.	सिंह, श्री रेवती रमन	335
111.	सिंह, श्री सुग्रीव	259, 315, 353, 374
112.	सिंह, श्री उदय	174, 190, 254, 311, 392
113.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	191, 194, 268
114.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	171, 237, 305
115.	सुब्बारायण, श्री के	226, 263, 366, 372, 389
116.	सुगावनम, श्री ई.जी.	189, 253, 310
117.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	183, 247
118.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	163, 345

1	2	3
119.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	281
120.	थामस, श्री पी.सी.	263
121.	तुम्मर, श्री वी.के.	245, 256, 323
122.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	174, 322, 389
123.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	286, 335
124.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	208, 283, 332, 361, 378
125.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	260, 337
126.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	276, 327, 359, 377, 383
127.	यादव, श्री गिरिधारी	170, 288
128.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	202, 215, 383
129.	यादव, श्री मित्रसैन	228
130.	यास्खी, श्री मधु गौड	261, 317, 371
131.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	196, 270, 390

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	21, 34, 35
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	24, 25, 29, 37, 39
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	28, 32
रक्षा	:	23
श्रम और रोजगार	:	22, 31, 36, 38
वस्त्र	:	33
जल संसाधन	:	26, 27, 30, 40.

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	166, 169, 171, 172, 173, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 193, 194, 197, 200, 208, 210, 211, 213, 214, 219, 220, 226, 232, 234, 242, 244, 245, 255, 256, 261, 264, 274, 275, 279, 280, 281, 283, 284, 288, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 300, 303, 316, 317, 323, 324, 326, 328, 332, 336, 340, 352, 354, 355, 358, 363, 365, 372, 376, 377, 380, 381
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	167, 177, 196, 198, 203, 205, 218, 225, 227, 228, 230, 236, 241, 243, 246, 248, 250, 253, 259, 265, 272, 276, 282, 301, 304, 306, 309, 321, 338, 342, 347, 348, 349, 353, 356, 362, 370, 371, 379, 385, 386, 390
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	174, 184, 201, 204, 216, 221, 224, 233, 238, 251, 266, 285, 299, 313, 314, 322, 330, 334, 343, 344, 345, 346, 350, 373, 375, 378, 384
रक्षा	:	176, 195, 206, 209, 231, 240, 257, 258, 270, 271, 277, 289, 302, 305, 318, 329, 335, 339, 351, 357, 359, 360, 368, 374, 382, 383

श्रम और रोजगार	:	164, 175, 186, 217, 222, 247, 249, 267, 278, 287, 308, 310, 312, 315, 319, 333, 341, 367, 391
वस्त्र	:	170, 180, 189, 235, 260, 262, 269, 325, 361
जल संसाधन	:	163, 165, 168, 178, 190, 191, 192, 199, 202, 207, 212, 215, 223, 229, 237, 239, 252, 254, 263, 268, 273, 286, 290, 295, 297, 307, 311, 320, 327, 331, 337, 364, 366, 369, 387, 388, 389, 392.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/35/4/2008 (एन०)
215

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।